{ संपादकीय }

नई दिल्ली, शुक्रवार 03 मई 2024
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

मोबाइल के बाहर भी हैं वाट्सएप विश्वविद्यालय

पिछले करीब दस वर्षों से भारत में वाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो खूब चर्चे होते आये हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि इसके समांतर ही देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के जरिये भी ज्ञानगंगाएं प्रवाहित हो रही है जो युवाओं को उसी तरह से दीक्षित कर रहे हैं जैसे कि वाट्सएप विवि। इसका एक उदाहरण दिल्ली में दिखलाई दिया जब देश की राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा के एक निजी विवि के छात्र-छात्राओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विश्वविद्यालय में पल्लवित हो रही प्रतिभाओं के बारे में शायद ही लोगों को पता चल पाता लेकिन एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार ने इस प्रदर्शन में शामिल कुछ छात्रों के ज्ञान की जांच कर ली जो विरोध प्रदर्शन करने के लिये बुधवार को कांग्रेस के मुख्यालय की ओर जा रहे थे। आश्चर्य की यह बात सामने आई कि प्रदर्शन कर रहे जा रहे छात्रों में से कोई भी यह नहीं समझा पाया कि वे प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। और तो और, उनके हाथों में जो तख्तियां थीं उनका अर्थ बतलाना तो दूर, वे उसे पढ़ तक नहीं पा रहे थे।

जब पत्रकार ने युवाओं के हाथों में लगी तख्तियों पर सवाल करने शुरू किये तो पता चला कि उन्हें पता तक नहीं था कि किन मुद्दों को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें केवल यह पता था कि वे कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा के समर्थन में हैं। छात्र-छात्राओं के हाथों में जो तख्तियां थीं उनमें लिखा था- 'पहले लेंगे आपका वोट फिर ले लेंगे मंगलसूत्र और नोट', 'मां-बहनों के गहनों पर नज़र न गड़ाओ', '70 सालों में नहीं दी दीया-बत्ती अब छीन लेंगे आधी सम्पत्ति', 'नो प्लेस फॉर अर्बन नक्सल' आदि। छात्र-छात्राएं विवादित इनहेरिटेंस टैक्स या भाजपा के कथित विकसित भारत की अवधारणा तथा वास्तविकता के बारे में कुछ भी बतला नहीं पा रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस के जिस घोषणापत्र का वे विरोध कर रहे थे, उसे किसी ने पढ़ा तक नहीं था। जाहिर है कि वे उसके बारे में वही सब कुछ कह रहे थे जो उन्हें बताया गया था या जो वाट्सएप विवि के माध्यम से उनके मोबाइलों तक पहुंच रहा है।

छात्र जो तख्तियां हाथों में लिये हुए थे, उन पर लगभग वे ही नारे लिये हुए थे जो भाजपा के होते हैं। इनमें कांग्रेस व इंडिया गठबन्धन की सरकार बनने पर लोगों का सोना और मंगलसूत्र छीन लेने की बात लिखी गयी थी। इस पर जब रिपोर्टर ने प्रश्न किये तो छात्र विषय से पूर्णत: अनभिज्ञ साबित हुए। साफ था कि उनके हाथों में ये तख्तियां पकड़ाई गयी थीं। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि आखिर उन्हें ये नारे लिखकर किसने दिये और छात्रों से इस प्रकार का प्रदर्शन करवाने का औचित्य क्या था। फिर, क्या छात्रों की खुद की समझ इतनी भी नहीं है कि वे किसी के उकसाने पर या कहने पर ऐसा प्रदर्शन करने चले आये। निजी यूनिवर्सिटी में फीस, अधोसंरचना एवं सुविधाओं को देखें तो पता चलता है कि उसमें अच्छे-खासे खाते-पीते लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। अगर ऐसे शिक्षण संस्थान में पढ़ने वालों की राजनैतिक समझ ऐसी हो तो अर्द्ध शिक्षित युवाओं को बहका पाना कितना आसान है, यह भी इस प्रदर्शन को देखकर समझा जा सकता है। पिछले 10 वर्षों से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केन्द्र सरकार के दौरान युवाओं व छात्रों का जिस प्रकार से ब्रेनवाश हुआ है उसका परिणाम किस तरह की युवा पीढ़ी को पैदा कर सकता है- यह भी इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आईटी के जरिये जिस अज्ञानता का प्रसार किया गया है उसका यह साक्षात उदाहरण कहा जा सकता है। यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है।

यही युवा विद्यार्थी वर्ग भाजपा-संघ का कोर वोटर है। मोदी की लोकप्रियता का आधार किस प्रकार की घृणा और विवेकहीनता पर टिकी है- यह भी इस वीडियो को देखकर जाना जा सकता है। छात्रों के साथ पत्रकार की हुई बातचीत जहां एक ओर छात्रों के सामान्य ज्ञान पर सवालिया निशान उठाती है वहीं देश की शिक्षा का स्तर क्या है- यह भी उससे जाहिर हुआ है।

माना यह भी जा रहा है कि संचालकों की शह पर यह प्रदर्शन जुलूस निकाला गया था जो सम्भवत: भारतीय जनता पार्टी को खुश करना चाहते हों। ग्रेटर नोएडा में होने के नाते उत्तर प्रदेश की सरकार को भी खुश करने का इसका मकसद हो सकता है।

छात्रों की राजनीति में भागीदारी में कोई बुराई नहीं है, बल्कि राजनीति में युवा शक्ति का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। देश में पहले भी युवाओं व छात्रों द्वारा अनेक आंदोलन किये गये हैं जो देश के लिए परिवर्तकारी साबित हुए हैं। भगत सिंह इस देश के युवाओं के आदर्श हुआ करते थे और जेपी आंदोलन में युवा, छात्र नेताओं की भूमिका से सभी परिचित हैं। लेकिन शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों का इस तरह से राजनैतिक इस्तेमाल किया जाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। अगर छात्रों ने स्वस्फूर्त यह प्रदर्शन किया होता तो उन्हें निश्चित ही विषय की पूरी जानकारी होती तथा वे उन तमाम विषयों पर अधिकारपूर्वक बात करने के काबिल होते जो उनके हाथों में ली गयी तख्तियों पर लिखे हुए थे। लेकिन बुधवार को दिल्ली में निजी विवि के छात्रों के प्रदर्शन से जाहिर हो गया कि मोबाइल के बाहर भी वाट्सएप विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हैं।

एक बार फिर भाजपा का सांप्रदायिक, विघटनकारी एजेंडा ?

बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद हमेशा से चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सांप्रदायिक विघटनकारी एजेंडा और नफरत का इस्तेमाल करता आया है। हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीति के मोड्यूल के दो मुख्य आधार हैं- पहला, प्राचीन भारत, जिसके समाज में मनुस्मृति के मूल्यों का बोलबाला था और दूसरा, इतिहास, विशेषकर मध्यकालीन इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना. इस सिलसिले में ये झूठ जम कर प्रसारित किये जाते हैं कि मुस्लिम शासकों ने बड़े पैमाने पर हिन्दू मंदिर तोड़े और हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया।

यह तो हुए मूल आधार। हिन्दू राष्ट्रवादी इस मोड्यूल में समय-समय पर अपने विशाल नेटवर्क की मदद से नए बिंदु जोड़ते रहते हैं। अब तक बाबरी मस्जिद के ढहाने को इस आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराया जाता रहा है कि मुग़ल शासकों ने हिन्दुओं को नीचा दिखाने के लिए हिन्दू मंदिर नष्ट किये। यह एक बड़ा झूठ है। इस (2024 के) आम चुनाव में मांस खाने को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है।

हाल में एक तस्वीर सामने आई जो आठ अप्रैल की थी और जिसमें राजद नेता तेजस्वी यादव को मछली खाते हुए दिखाया गया था। नवरात्रि और सावन के महीने में कई हिन्दू मांसाहारी भोजन नहीं करते। इस साल नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हुए। मगर फिर भी तेजस्वी को यह कह कर बदनाम किया गया कि वे पवित्र दिनों में मांसाहार कर रहे हैं!

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने, सांप्रदायिक प्रचार करने और सांप्रदायिक इतिहास लेखन का प्रयोग कर नफरत फैलाने में महारत हासिल है। उन्होंने 'मछली' द्वारा उन्हें दिए अवसर का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल सावन के महीने में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने मटन पकाया और खाया था। बड़ी चालाकी से उन्होंने सावन में मटन खाने को मुगलों द्वारा मंदिरों को नष्ट करने से जोड़ा। उन्होंने कहा, 'जब मुगलों ने भारत पर हमला किया तो वे केवल राजा को हरा कर संतुष्ट नहीं होते थे। वे तभी संतुष्ट होते थे जब वे मंदिरों को तोड़ देते थे और आराधना स्थलों को नष्ट कर देते थे। उन्हें इसमें आनंद आता था। इसी तरह, सावन के महीने में यह वीडियो दिखाकर वे लोग मुग़ल मानसिकता से देश के लोगों को भड़काना चाहते हैं।' मोदी के अनुसार, उनके राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों ने वोट बैंक की राजनीति के तहत ये वीडियो प्रसारित किये।

राजाओं द्वारा मंदिरों को नष्ट करने के मसले पर रिचर्ड ईटन समेत कई जाने-माने इतिहासकारों ने व्यापक शोध किया है। उन्होंने पाया है कि हिन्दू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। और दूसरी ओर, कई मुस्लिम राजाओं ने हिन्दू मंदिरों को दान दिया। कल्हण की राजतरंगिणी बताती है कि कश्मीर के हिन्दू राजा हर्षदेव ने मंदिरों से सोने और चांदी से बनी मूर्तियां उखाड़ कर शाही खजाने में

राम पुनियानी

> सांप्रदायिक राष्ट्रवादी प्रोपेगेंडा का पहला और सबसे बड़ा शिकार होता है सच। सांप्रदायिक मानसिकता जिस ढंग से चीज़ों की विवेचना करती है, जिस तरीके से निष्कर्षों पर पहुंचती है, उसका यथार्थ से कोई लेना-देना नहीं होता। कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र, जिसे 'न्याय पत्र' का नाम दिया गया है, के जारी होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि उस पर मुस्लिम लीग की छाया है।

जमा करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी और औरंगजेब ने हिन्दू मंदिरों को दान दिए थे।

सांप्रदायिक राष्ट्रवादी प्रोपेगेंडा का पहला और सबसे बड़ा शिकार होता है सच। सांप्रदायिक मानसिकता जिस ढंग से चीज़ों की विवेचना करती है, जिस तरीके से निष्कर्षों पर पहुंचती है, उसका यथार्थ से कोई लेना-देना नहीं होता।

कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र, जिसे 'न्याय पत्र' का नाम दिया गया है, के जारी होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि उस पर मुस्लिम लीग की छाया है। तथ्य यह है कि न्याय पत्र समाज के सभी कमज़ोर वर्गों के साथ सकारात्मक न्याय करने की बात करता है। मोदी के कुनबे के अन्य सदस्य भी इसी तरह की बातें करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके प्रदेश में अपराधियों को या तो जेल जाने पड़ेगा या जहन्नुम (इस्लाम में नर्क के लिए प्रयुक्त शब्द)। इसी तरह, आदित्यनाथ ने हाजी मलंग का मामला भी उठाया। मुंबई के नज़दीक स्थित इस पवित्र स्थल को हिन्दू आराधना स्थल 'मलंग गढ़' बताया जा रहा है। करीब तीन दशक पहले कर्नाटक में अपनी जड़ें ज़माने के लिए भाजपा ने बाबा बुधनगिरी दरगाह को मुद्दा बनाया था।

मोदी यह डर भी फैला रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वह संपत्ति का पुनर्वितरण करेगा और घुसपैठियों को संपत्ति करेगा। दूसरे शब्दों में, बांग्लादेश से आये मुसलमानों को 'दूसरों' की संपत्ति मिल जाएगी। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि 'कांग्रेस आपकी संपत्ति उन लोगों को दे देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं।' कुल मिलकर, वे यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रही है।

घुसपैठियों के नाम पर जो हौआ खड़ा किया जा रहा था उसकी हवा तो आसाम में की गई एनआरसी की कवायद में ही निकल गई थी। जिन 19 लाख लोगों के पास अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं थे, उनमें से 13 लाख हिन्दू थे। जबकि दावा यह किया जा रहा था कि भारत में करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिये रह रहे हैं (अमित शाह के शब्दों में दीमक). जहां तक ज्यादा बच्चे पैदा करने का प्रश्न है, ताजा आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर में गिरावट आ रही है और वर्तमान में, मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर, राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दू महिलाओं से थोड़ी ही अधिक है और अगर यही सिलसिला जारी रहता है, तो कुछ ही सालों में वह बराबर हो जाएगी।

हिन्दू दक्षिणपंथी यह प्रचार भी कर रहे हैं कि डॉ मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक़ है। डॉ सिंह की जिस टिप्पणी को उदृत किया जा रहा है, वह उन्होंने सन् 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से मुसलमानों की स्थिति दयनीय है और उसमें और गिरावट आती जा रही है। उन्होंने जो कहा था वह यह था: 'मुझे विश्वास है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं साफ़ हैं: कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना में ज़रूरी निवेश, सामान्य अधोसंरचना में आवश्यक सार्वजनिक निवेश और अनुसूचित जातियों / जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों की प्रगति के लिए कार्यक्रम।'

इन सभी उदाहरणों से साफ़ है कि हिन्दू दक्षिणपंथी अपने राजनैतिक हितों को साधने के लिए तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने में कितने उस्ताद हैं। वे केवल विघटनकारी राजनीति के बल पर जिंदा हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और जो लोग तार्किक आधारों पर कमज़ोर तबकों की भलाई के लिए सकारात्मक कार्रवाई की बात करते हैं, उनकी निंदा करना ही इनका मुख्य काम है।

पिछले कुछ वर्षों में उनके प्रोपेगेंडा हथियारों की धार और तेज़ हुई है और उनका तंत्र का और विस्तार हुआ है। नतीजा यह कि वे अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों, का दानवीकरण करने के लिए मनगढ़ंत नैरेटिव का निर्माण करने में और सक्षम हो गए हैं।

दक्षिणपंथी गिरोह उन लोगों को हिन्दू-विरोधी कहता है जो प्रजातान्त्रिक तौर-तरीकों और संवैधानिक मूल्यों के पैरोकार हैं। इस समय, मीडिया भाजपा के साथ है और एक ऐसी आम सामाजिक समझ निर्मित करने का प्रयास कर रहा है जो भारत के बहुवादी संस्कारों के खिलाफ है। ये बहुवादी संस्कार सदियों में विकसित हुए हैं और इन्हीं से हमारा स्वाधीनता संग्राम, जो दुनिया का सबसे बड़ा जनांदोलन था, उपजा।

इंडिया गठबंधन के घटक दलों को चाहिए कि वे बहुसंख्यकवादी राजनीति के इन झूठों का पर्दाफाश करें।

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया।)

चुनाव की पूर्वसंध्या पर राजनीतिक गिरफ्तारियों को जायज ठहराने में व्यस्त एजेंसियां

■ के रवीन्द्रन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राजनीतिक हस्तियों की गिरफ्तारी के समय के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के सवाल ऐसे कार्यों के औचित्य और निहितार्थ के बारे में बढ़ती चिंताओं को उजागर करते हैं, खासकर जब इसे चुनावी कैलेंडर के साथ जोड़ा जाता है। शीर्ष अदालत की चिंताएं राजनीतिक प्रभाव के साधन के रूप में केंद्रीय एजंसियों के संभावित दुरुपयोग की आशंका जताती हैं, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लोकतांत्रिक लोकाचार को कमजोर कर सकता है।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले मे मनीलॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी उनके इस्तीफे के बाद हुई, जो एक ऐसा कदम था जो चुनाव के समय से मेल खाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के आसपास की परिस्थितियों की न्यायिक जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सोरेन की गिरफ्तारी का समय, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के राजनीतिक लाभ के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किये जाने की संभावना पर सवाल उठाता है।

> अदालत की कार्रवाइयां उस नाजुक संतुलन की याद दिलाती हैं जिसे कानून के प्रवर्तन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों क्के संरक्षण के बीच बनाये रखा जाना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका चुनाव के दौरान और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राजनीतिक माहौल गर्म होता है, और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयां गहन सार्वजनिक जांच के अधीन होती हैं।

इसी तरह, उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी सर्वोच्च न्यायालय के विचारण के दायरे में आ गई है। अदालत ने स्पष्ट रूप से ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के पीछे का तर्क बताने को कहा है, जो चुनाव से ठीक पहले हुई थी। 'समय' के पहलू को समझने पर अदालत का जोर ऐसी गिरफ्तारियों की संवेदनशील प्रकृति और चुनावी प्रक्रिया पर उनके संभावित प्रभाव की न्यायिक स्वीकृति का संकेत देता है।

इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थानों की पवित्रता को बनाये रखने के उद्देश्य से न्यायिक निरीक्षण के व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं। गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाकर, अदालत प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक साजिशों में उलझे बिना, कानून और निष्पक्षता के दायरे में काम करें।

अदालत की कार्रवाइयां उस नाजुक संतुलन की याद दिलाती हैं जिसे कानून के प्रवर्तन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों क्के संरक्षण के बीच बनाये रखा जाना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका चुनाव के दौरान और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राजनीतिक माहौल गर्म होता है, और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयां गहन सार्वजनिक जांच के अधीन होती हैं।

संक्षेप में, ईडी की कार्रवाइयों के औचित्य पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण जांच का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ऐसी एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक नेताओं के साथ उनकी बातचीत और चुनावी परिणामों पर संभावित प्रभाव के संदर्भ में।

जैसा कि सम्पूर्ण देश आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन हाई-प्रोफाइल मामलों से निपटने को देख रहा है, संदेश स्पष्ट है : कानून का शासन कायम रहना चाहिए, और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा की जानी चाहिए। अदालत का रुख चुनावी शतरंज के खेल में केंद्रीय एजेंसियों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ एक कवच के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत की लोकतांत्रिक भावना जीवंत और अजेय बनी रहे।

सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक फंडिंग में भारी योगदान देने के लिए कॉरपोरेट्स को मजबूर करने के लिए ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग गहन जांच और बहस का विषय रहा है। जबकि इन एजेंसियों द्वारा दबाव डालकर चुनावी बांड के माध्यम से सत्ताधारी पार्टी को धन दिलवाना जारी रहा है, विपक्षी दलों द्वारा चुनावी निर्णयों को प्रभावित करने में उनकी भूमिका भी आज की राजनीतिक कथा में एक नया अध्याय दर्शाती है।

इन एजेंसियों द्वारा राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी का सहारा सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों के दुरुपयोग में एक और स्पष्ट मोड़ का प्रतीक है। चुनावों में समान अवसर को खत्म करने के लिए सत्ताधारी दल द्वारा इन एजंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को चुनाव आयोग के ध्यान में लाया गया है, जिसने हालांकि अब तक मूकदर्शक के रूप में ही काम किया है। उदाहरण के लिए, कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अपने नेताओं को कथित तौर पर निशाना बनाये जाने के खिलाफ आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय का यह सवाल कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आम चुनाव शुरू होने से ठीक पहले क्यों गिरफ्तार किया गया, को समझाने के लिए ईडी को काफी स्पष्टीकरण की जरूरत होगी। पीठ ने ईडी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या केंद्रीय एजेंसी मामले में न्यायिक कार्रवाई के बिना आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने ईडी से कहा है कि वह बताये कि कार्रवाई शुरू होने और गिरफ्तारी के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है, जिसका जवाब संभवत: अगली सुनवाई में आयेगा।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

पत्रकारिता पर भस्मासुर होने का कलंक न लगे

चाहे 45 डिग्री पारा हो या फिर मूसलाधार बारिश अथवा हाड़ तोड़ने वाली कड़कड़ाती ठंड, एक पत्रकार ही वह शख्स है जो सरकार, प्रशासन और समाज को सच्चाई दिखाने विपरीत मौसम में भी संघर्ष कर रहा होता है। न तो भूख की चिंता होती है और न ही पानी पीने की फिक्र। तेज धूप की वजह से आपाद-मस्तक शरीर तर हो या फिर बरसात से सारे कपड़े ही क्यों न भीग जाएं, एक पत्रकार की कलम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहती है। आखिर पत्रकार अपने स्वास्थ्य की चिंता क्यूं नहीं करते ? इसका एकमात्र कारण यही है कि यदि पत्रकार कहीं थम गया तो उसकी जवाबदारी पर जंग लग जायेगा ! मानवीय समाज को यह स्वीकार करना होगा कि एक पत्रकार अथवा चौथे स्तंभ का प्रहरी सच्चाई के सबसे करीब होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के साथ हाथों में अखबार थामे पाठक उस पर प्रकाशित हर खबर को पत्थर की लकीर मान उस पर विश्वास करता है। जब समाज में पत्रकार और उसकी लेखनी को अकाट्य माना जाता है, तब पत्रकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि उसकी लेखन की भूमिका निरपेक्ष हो। प्राय: यह देखने में आ रहा है कि एक दक्ष पत्रकार, जो लेखन की ऊर्जा से सराबोर है, वह उस बात को नहीं लिख पाता है, जिसे वह लिखना चाहता है। कारण बहुत सी विवशताओं के चलते उसकी कलम को बांध दिया जाता है। चौथे स्तंभ के प्रहरियों की कलम पर इसी तरह की रोक के कारण समाज का नुकसान हो रहा है।

पत्रकारिता के संबंध में कहा जाता है कि सूचना दो-धारी तलवार की तरह होती है। एक ओर इसका उपयोग भ्रम और सनसनी फैलाने में किया जा सकता है तो दूसरी ओर रचनात्मक कार्यों में भी पत्रकारिता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सूचना क्रांति के इस आधुनिक दौर में सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये सवाल हैं - क्या सोशल मीडिया हमारे समाज में ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न कर रहा है ? समाज की प्रगति में सोशल मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए ? हम एक ऐसी दुनिया के रहवासी हैं जहां हम सूचना के न केवल उत्पादक हैं बल्कि उपभोक्ता भी हैं। देखा जाए तो लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ की साख आज दांव पर है ! जी ! हां ! मैं बात कर रहा हूं वर्तमान पत्रकारिता की, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार और जनता के बीच। समाज में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्यों कि यह जनता और सरकार के बीच सामंजस्य बनाने में मददगार है। बड़ा अफसोस होता है आज की पत्रकारिता पर जब यह सुनने में आता है कि इस पर से आम जनता का भरोसा उठ रहा है ! जहां तक मैं समझता हूं इसका अत्यधिक व्यसायीकरण ही इस हालत की वजह है। न्यूज चैनलों की बाढ़ सी आ गई है, किंतु खोजी पत्रकारिता कहीं गुम हो चुकी है ! आए दिन सच्चाई लिखने वाले अथवा दिखाने वाले कलमकार पर हमले हो रहे हैं ! किसी भी क्षेत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर पत्रकार को जान से हाथ धोना पड़ रहा है ! यही कारण है कि पत्रकार अपनी ईमानदारी से समझौता करने विवश हो रहे हैं। पत्रकारिता को विश्वासपरक और मजबूत स्तंभ बनाए रखने के लिए हमें स्वतंत्रता संग्राम की ओर झांकने की जरूरत है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय पत्रकारिता ने समस्या को ठीक से पहचान लिया था। उस समय के पत्रकारों ने समस्या से निजात पाने अपना सब कुछ लगा दिया था। प्रतिबंध झेले, डंडे खाए किंतु समाधान की जिद पर अड़े रहे। एक समाचार पत्र के कार्यालय पर अंग्रेज सरकार ताला लगाती तो दूसरा समाचार पत्र स्वतंत्रता के ओजस्वी स्वर को बुलंद करता सड़कों पर उतर आता। उस वक्त भी पत्रकारिता पर भी व्यावसायिकता हावी थी किंतु भारतीय पत्रकारिता ने समाधान ढूंढने के अपने स्वभाव को जिंदा रखा। किसी भी मुद्दे पर योजनापूर्वक समाचारों की श्रृंखलाएं तब तक प्रकाशित की गईं जब तक कि उसका समाधान न निकल आया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समाधान मूलक पत्रकारिता की वह लौ आज मद्धम जरूर पड़ी है किंतु बुझी नहीं है ! मीडिया की बहुआयामी भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा जा सकता है कि मीडिया आज विनाशक एवं हितैषी दोनो भूमिकाओं में सामने आ रहा है। अब समय आ गया है कि मीडिया अपनी शक्ति का सदुपयोग जनहित में करे तथा समाज का मार्गदर्शन करे ताकि भविष्य में उस पर 'भस्मासुर' होने का कलंक न लगे ! पत्रकारिता पर सकारात्मक सोच को प्रबल मानते हुए यही कहा जा सकता है-

हजार सवाल हैं मन में, फिर भी खबर रखते हैं
खुद से बेखबर हैं फिर भी, दुनिया की खबर रखते हैं,
कलम की नोंक पर समाज की सच्चाई लिखते हैं,
पत्रकार हैं साहब ! देश की सच्चाई लिखते हैं।।

डॉ . सूर्यकांत मिश्रा

आपके पत्र

चुनावी फील्ड में मुआ कोविफील्ड टीका

ब्रिटेन कोर्ट से आई खबर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कोरोना संक्रमण के समय लगने वाली कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के स्वीकारोक्ति ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह स्वीकार करके खलबली मचा दी है कि वैक्सीन से दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके साथ भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी जुड़ी हुई है जिसने तकरीबन 175 करोड़ टीके भारत में दिए। प्रचार और दबाव के असर से टीका केंद्रों पर भीड़ टूट पड़ी प्रधानमंत्री ने खुद अपनी टीका लगवाते फोटो प्रचारित करवाई। ये बात और है कि उन्होंने कोवेक्सिन लगवाई जबकि हम सब ने कोविशील्ड। कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन और रशिया से आए वैक्सीन भी जब खत्म होने लगे तो सीरम इंस्टीट्यूट पूना वाले ने ब्रिटेन जाकर इस कारोबार में तेजी लाई। विदित हो इस वैक्सीन की विदेशों की डिमांड पूरी करते-करते भारत में कमी जब तब बनी रही। चूंकि यह कोराना बीमारी यूरोपीय देशों में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार चुकी थी इसलिए वहां बहुत ऊंचे दाम में वैक्सीन जा रही थी। भारत सरकार को भी इसकी कीमत पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ाकर कहा जाता है चुकाती रही। वह टैक्स अब तक जारी है यानि इसका सारा खर्च जनता ने अप्रत्यक्ष तौर पर चुकाया है और अडानी-अंबानी अब तक जनता को लूट रहे हैं।

कोरोना की दहशत के बावजूद सरकार को इसे अनिवार्य घोषित कर, मोबाइल पर रजिस्टर भी किया ताकि यह प्रमाण साथ रहे। यह भी किया गया ट्रेन, बस, हवाई सफर आदि में इसे मोबाइल में दिखाना होगा। पहले दौर के बाद फिर दूसरा दौर भी दहशत का चला। कुल मिलाकर छोटे बच्चों को छोड़कर लगभग 80 फीसदी लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई। इसका श्रेय बराबर भारत सरकार ने लिया। एक तो मुफ्त टीका तिस पर देश में बीमारी की रोकथाम। सरकार ने इतनी लाखों मौतों के तांडव के बाद बराबर यश लिया। चुनाव में इसका उल्लेख किया गया।

कहते हैं कि जब ०२बुरे दिन आते हैं तो विपदाएं चारों तरफ से घेरती हैं। अब हर भारतवासी भाजपा सरकार को अपने लोगों की मौत का जिम्मेदार मान रहा है। क्योंकि ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार अदालती दस्तावेजों में स्वीकार किया है कि कोविड-19 के खिलाफ उसके टीके में टीटीएस पैदा करने की क्षमता है, जो रक्त के थक्के जमने से जुड़ा एक दुर्लभ दुष्प्रभाव है। टीटीएस या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस रक्त के थक्कों का कारण बनता है और रक्त में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। यह कंपनी इस वक्त 51 मुकदमों का सामना कर रही है, जिनमें दर्जनों मामले उसके वैक्सीन से हुई मौतों और गंभीर साइड इफेक्ट भी है। ब्रिटेन में एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम आफ इंफर्मेशन के ज़रिए प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन ने 167 लोगों को मुआवजा दिया है इनमें 158 लोगों को एस्ट्राजेनेका यानि कोविशील्ड का टीका लगा था। ब्रिटेन की अदालत में इस कंपनी के ख़िलाफ़ 1000 मिलियन डॉलर का मुक़दमा चल रहा है। भारत में भी सीरम कंपनी के ख़िलाफ़ कई आवेदन लगे हैं। अब देखना यह कि भारत में इस मामले में सरकार का क्या रवैया रहता है। कोविशील्ड टीके के किसी भी संभावित दुष्प्रभाव और जोखिम के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। बहरहाल यह तो तय है कि कोविशील्ड के टीके के हुई मृत्युओं के उपजा सारा रोष भारत सरकार के विरुद्ध जा रहा है। चुनावी बेला में इस रिपोर्ट के ब्रिटेन से आ जाने के बाद अब कहने कुछ नहीं बचता। यदि मामला पूना वाले का ही होता तो सब निपट चुका होता। वस्तुत: भाजपा पर आई यह नई आपदा है इसे कैसे अवसर में बदला जाएगा वह वक्त ही बताएगा।

-सुसंस्कृति परिहार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

दैनिक
जलते दीप
जोधपुर, शुक्रवार 3 मई 2024

मतदान के आंकड़े जारी करने में देरी क्यों

इस आम चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कम मतदान के आंकड़े आए, तो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि उसका मतदाता जागरूकता अभियान कारगर साबित क्यों नहीं हो पा रहा। अब उसने अंतिम आंकड़े जारी किए हैं, जो पिछले आंकड़ों से पांच से छह फीसद तक अधिक हैं। यानी दोनों चरण में छियासठ फीसद से अधिक मतदान हुए। यह एक संतोषजनक आंकड़ा कहा जा सकता है। मगर विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी करने में इतना वक्त क्यों लगाया। ये आंकड़े पहले चरण के ग्यारह दिन और दूसरे चरण के चार दिन बाद आए हैं। अभी तक मतदान के चौबीस घंटों में अंतिम आंकड़े जारी कर दिए जाते थे। फिर, विपक्षी दलों ने यह भी पूछा है कि आयोग ने मतदाताओं की संख्या क्यों नहीं बताई है। इस तरह चुनाव नतीजों में गड़बड़ी की शंका भी जाहिर की जाने लगी है। पहले ही विपक्षी दल और कई सामाजिक संगठन मतदान मशीनों में गड़बड़ी की आशंका जताते रहे हैं। निर्वाचन आयोग के चुनाव प्रक्रिया और परंपराओं का उचित निर्वाह न करने से उनका संदेह स्वाभाविक रूप से और गहरा होगा। यह समझना मुश्किल है कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में इतना वक्त क्यों लगाया। मशीनों के जरिए मतदान कराने के पीछे मकसद यही था कि इससे मतगणना में आसानी होगी, मतदान से संबंधित आंकड़ों को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। मतदान मशीनों की केंद्रीय इकाई में हर मतदान केंद्र पर पड़े मतों की संख्या दर्ज होती है। इस तरह हर घंटे मतदान के आंकड़े जारी किए जाते हैं। हालांकि अंतिम आंकड़ा मतदान अधिकारियों के रजिस्टर में दर्ज संख्या से मिलान करने के बाद ही तय होते हैं। इसलिए मान कर चला जाता है कि मतदान मशीनों की केंद्रीय इकाई से मिले आंकड़ों में कुछ फीसद की बढ़ोतरी हो सकती है। मगर मतदान अधिकारियों के रजिस्टर में दर्ज संख्या की गणना करने में भी इतना वक्त नहीं लगता। जब इससे पहले मतदान समाप्त होने के अगले दिन अंतिम आंकड़े जारी कर दिए जाते थे, तो इस बार ऐसी क्या अड़चन आ गई कि ग्यारह दिन लग गए। फिर मतदाताओं की संख्या वेबसाइट पर बताने में क्या दिक्कत है। वह तो मतदाता सूची में दर्ज ही होती है। आज के डिजिटल युग में ऐसी सूचनाएं जारी करने में ज्यादा समय नहीं लगता। निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनाए रखे। अगर किसी विषय या बिंदु पर आम लोगों या राजनीतिक दलों को किसी प्रकार का संदेह या प्रश्न है, तो उसका निराकरण भी करे। पहले ही आम मतदाता के मन में यह धारणा बैठी हुई है कि मशीनों में गड़बड़ी करके मतों को इधर से उधर किया जा सकता है। फिर राजनेताओं के आपत्तिजनक बयानों और आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर पक्षपातपूर्ण रवैए के आरोप भी निर्वाचन आयोग पर लगते रहे हैं। ऐसे में उससे अतिरिक्त रूप से सावधान रहने की अपेक्षा की जाती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए आयोग ने बढ़-चढ़ कर दावा किया था कि वह नियम-कायदों की किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर उसके इस दावे पर भरोसा इस बात से बनेगा कि वह खुद नियम-कायदों की कितनी परवाह करता है।

कोविशील्ड वेक्सीन पर नई बहस

हाल ही में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकारा कि उसकी कोविशील्ड वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जिसको लेकर देश में नए सिरे से बहस शुरू हुई। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि घबराएं नहीं, टीके से जुड़ा खतरा दस लाख में से एक व्यक्ति को होता है। वैसे देश के चुनावी माहौल के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति के कोलाहल में यह तय कर पाना कठिन हो जाता है कि हवा में तैर रही खबर की तार्किकता क्या है। यह भी कि यह खबर वास्तविक है या राजनीतिक लक्ष्यों के लिये गढ़ी गई है। वहीं दूसरी ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते भारत के खिलाफ जो वैश्विक गुटबंदी चल रही है, कहीं आरोप इस कड़ी का हिस्सा तो नहीं है। वैसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने के चार से बयालीस दिनों के भीतर टीटीएस प्रभाव हो सकता है, जो ब्लड क्लॉट बना सकता है। जिससे कालांतर प्लेटलेट्स की कमी शरीर में हो सकती है। दरअसल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में एक अदालती सुनवाई के दौरान वैक्सीन के दुर्लभ प्रभावों की बात को माना था। कंपनी के विशेषज्ञों का कहना है कि टीटीएस दिमाग, फेफड़ों, आंत की खून की नली आदि में तो पाया गया लेकिन किसी को हार्ट अटैक की समस्या नहीं हुई। साथ ही यह भी कि कोविड संक्रमण के कारण भी ब्लड क्लॉट के मामले सामने आए हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वैक्सीन से इम्यून सिस्टम में टी व बी सेल गतिशील होने से इम्यून प्रतिक्रिया बढ़ती है, जिसके बाद खून की नली में सूजन से ब्लड क्लॉट बनता है। जिसमें ज्यादा प्लेटलेट्स इस्तेमाल होने लगते हैं। जो कि टीटीएस की स्थिति होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वैक्सीन ने महामारी की घातकता को नब्बे प्रतिशत तक घटाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाई। वहीं वैक्सीन के साइड इफेक्ट छह माह के भीतर सामने आ जाते हैं, इसके उपयोग को दो साल से अधिक का समय हो चुका है। उल्लेखनीय है सरकार ने कोरोना संकट के दौरान कोविशील्ड लेने हेतु व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया था। अब जब इसके दुष्प्रभावों को लेकर संशय पैदा हुआ है तो उसे अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके लोगों की शंकाओं का निवारण भी करना चाहिए। सेहत से जुड़े किसी भी मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। यदि किसी तरह असुरक्षा की भावना बढ़ती है तो सरकार को तुरंत दूर करना चाहिए। नागरिकों की शंकाओं का तुरंत ही समाधान किया जाना चाहिए। पब्लिक डोमेन में कंपनी द्वारा चुनावी बांड खरीदे जाने को लेकर भी सवाल उठाये जा रहे हैं। जिसके चलते लोगों के मन में कई तरह के सवाल उपजे हैं, जिनका निराकरण भी सरकार का प्राथमिक दायित्व है। हमें यह भी स्वीकारना चाहिए कि संकटकाल में इस वैक्सीन की तुरंत उपलब्धता से देश की बड़ी आबादी को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जा सका। बेहद कम समय में कोरोना से लड़ने के लिये उपलब्ध कराई गई वैक्सीन के साइड इफेक्ट से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस बात की आशंका भी है कि टीएसएस प्रभाव कोरोना संक्रमण के बाद भी सामने आ सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि लॉकडाउन के कारण लाइफ स्टाइल बिगड़ने से लोगों की गतिशीलता में कमी, मानसिक तनाव वृद्धि से मोटापे व मधुमेह के चलते भी हृदयाघात के मामले बढ़े हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ हृदयरोग विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को पहले ही बताना चाहिए कि वैक्सीन से टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जानकारी होने पर लोग अपनी प्राथमिकता की वैक्सीन ले सकते थे। वहीं यह भी तार्किक है कि कोई दवा अथवा वैक्सीन यदि असर करती है तो उसके साइड इफेक्ट भी निश्चित रूप से होते हैं। कुछ विशेषज्ञ वैक्सीन के दुष्प्रभावों के आरोपों के मूल में अंतर्राष्टीय स्तर पर चल रही वैक्सीन राजनीति को भी बताते हैं। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ वैक्सीन के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिये हफ्ते में दो दिन सिर्फ एक बार खाना खाने की सलाह देते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग रोकने में मदद मिल सकती है।

प्रसंगत: न्याय का तरीका

एक सम्राट की नींद किसी युवती की सिसकी से उचट गई। उसने सेवक से पता लगाने को कहा। सेवक ने आकर बताया कि एक युवती अपनी ससुराल जा रही है, यह उसी के रुदन का स्वर था। 'कौन ले जा रहा है उसे ससुराल?' सम्राट ने पूछा। 'दामाद आया था। वही ले जा रहा है।' सेवक ने उत्तर दिया। ' तब तो दामाद नाम का प्राणी बहुत निर्दयी होता है। ऐसे प्राणियों को फांसी दे दी जाए।' सम्राट ने हुक्म सुनाया। मंत्री ने सुना तो सोचने लगा कि जरूर सम्राट ने यह सब उनींदे में कह दिया होगा। आज्ञा पालन तो जरूरी है, पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए। मंत्री ने लोहे, चांदी और सोने की जंजीरें बनाने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन शाम को वह सम्राट के पास पहुंचा और बोला, 'दामादों को फांसी देने की तैयारी हो चुकी है। आप चलें और देख लें।' सम्राट मंत्री के साथ एक विशाल मैदान में पहुंचा। फांसी की जंजीरों को देख सम्राट ने पूछा, 'इतने तरह की जंजीरें क्यों लगाई हैं। सब एक जैसी क्यों नहीं हैं?' मंत्री ने कहा, 'फांसी देते समय व्यक्ति की गरिमा और उसके पद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आप भी तो किसी के दामाद हैं। जब आपको फांसी देने की बारी आएगी तो सोने की जंजीर का प्रयोग किया जाएगा।' सम्राट स्तब्ध रह गया। बोला, 'तो क्या मुझे भी फांसी लगेगी?' ' क्यों नहीं लगेगी। आप का आदेश है कि दामादों को फांसी दे दी जाए। आप भी तो किसी के दामाद हैं। लेकिन आपको सोने की जंजीर से फांसी दी जाएगी।' आश्चर्य में डूबे सम्राट ने कहा, 'जंजीर सोने की हो या लोहे की, क्या फर्क पड़ता है। कार्य तो दोनों का एक ही है- व्यक्ति के प्राण लेना।' मंत्री बोला, 'यह तो आप सोचें। हमें तो आदेश का पालन करना है।' सम्राट ने अपना आदेश वापस लेते हुए कहा, 'न्याय करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करना जरूरी है। मैं यही नहीं कर सका था।'

राजनीति में भटकती आत्माएं

पहले टिकट के लिए और फिर चुनाव जीतने के लिए भटकते उम्मीदवारों की राजनीति के बारे में तो अक्सर सुनते रहे हैं, पर अब देश की राजनीति में भटकती आत्माओं ने भी प्रवेश कर लिया है। और यह खोज करने का श्रेय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जाता है। पुणे की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बताया कि यह भटकती आत्माएं वें हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे दूसरों के काम खराब करने लगती हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी आत्मा का नाम तो नहीं लिया, पर यह समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था कि उनका निशाना किस पर है। बिना नाम लिये ही प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पैंतालीस साल पहले महाराष्ट्र में कौन-सी आत्मा ने इस तमाशे की शुरुआत की थी। पैंतालीस साल पहले महाराष्ट्र के तब के युवा नेता शरद पवार ने राज्य की कांग्रेस सरकार में विद्रोह कराया था और वे राज्य में सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गये थे। तब से लेकर आज तक शरद पवार कई पार्टियों बना-बिगाड़ चुके हैं। इस दौरान यह बात भी कई बार सामने आई की पवार स्वयं प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रहे थे। उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पायी, और अब इसकी कोई संभावना भी नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बात पर निशाना साधते हुए हमारी राजनीति की अतृप्त आत्माओं के भटकने वाली बात कही है।

प्रधानमंत्री के निशाने पर भले ही शरद पवार रहे हों, पर हमारी आज की राजनीति की यह एक कड़वी सचाई है कि 'अतृप्त आत्माएं' लगातार भटकती फिर रही हैं। जिस तरह से, और जिस गति से आज यह भटकाव दिख रहा है, वह साफ-सुथरी और सकारात्मक राजनीति की अपेक्षा करने वालों के लिए आश्चर्य और पीड़ा का विषय होना चाहिए। दल-बदल हमारी राजनीति का एक स्थाई मुद्दा बन चुका है। सच बात तो यह है कि अब यह एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसका शिकार हर राजनीतिक दल हो रहा है। था कोई ज़माना जब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दल बदल करने वाले को घटिया राजनीति का उदाहरण माना जाता था, उसे घटिया नज़र से देखा जाता था। बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं दिखते थे इस बात के। पर अब ऐसी कोई बात नहीं रही। अब न दल बदलने वाले को शर्म आती है और न ही किसी राजनीतिक दल को इस बात की कोई चिंता है कि उस पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगता है। हमारी राजनीति की इन भटकती आत्माओं का ताज़ा उदाहरण सूरत और इंदौर में देखने को मिला। सूरत में कांग्रेस के एक प्रत्याशी पर जानबूझकर अपना नामांकन पत्र रद्द करवाने का आरोप लगा है और इंदौर में ऐसे ही एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है! दोनों ही प्रत्याशी, सुना है, सत्तारूढ़ दल भाजपा का दामन थाम कर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित महसूस कर रहे हैं!

- विश्वनाथ सचदेव

सच तो यह है कि भटकती आत्माओं को अपने दामन की सुरक्षा का अहसास देने वाले दल को भी अपने कृत्य पर कोई शर्म नहीं आती। हैरानी तो इस बात पर भी होती है कि दस साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने और ÷अबकी बार चार सौ पार÷ का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी को ऐसी अतृप्त आत्माओं की ज़रूरत महसूस हो रही है! स्पष्ट है, हमारी राजनीति आज सत्ताकामी बनकर रह गयी है। सेवा के लिए राजनीति अब सिर्फ एक जुमला है। आये दिन हमारे राजनेता नए-नए जुमले उछाल रहे हैं। राजनीतिक दल लंबे-चौड़े घोषणापत्र जारी कर रहे हैं, नए-नए नाम देकर इन घोषणापत्रों को भरोसेमंद बनाने के दावे कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह भी है कि जहां तक दस साल तक राज करने के बाद भी सत्तारूढ़ दल अपने किये काम की दुहाई देने की बजाए प्रतिपक्षी की कथित कर्मियों के नाम पर वोट मांग रहा है, वहीं प्रतिपक्ष कोई वैकल्पिक कार्यक्रम नहीं दे रहा। कुल मिलाकर हमारा विपक्ष सत्तारूढ़ दल के आरोपों के उत्तर देने, या फिर स्वयं को बेहतर कहने तक ही सीमित लग रहा है। दोनों ही पक्ष यह तो कहते हैं कि वे जनता के हित की राजनीति में विश्वास करते हैं, पर, दुर्भाग्य से, जनता को यह विश्वास दिलाने में असफल सिद्ध हो रहे हैं की सत्ता पाने के अलावा भी उनका कोई लक्ष्य है।

भटकती आत्माओं जैसे जुमले उछाल कर तालियां तो बटोरी जा सकती हैं, इन आत्माओं की तृप्ति के लिए आश्वासन भी दिये जा सकते हैं, लेकिन जनता के हितों को साधने वाली राजनीति का दुर्भाग्य से, अभाव अब ज़्यादा खलने लगा है। हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद, अगड़ी जाति-पिछड़ी जाति जैसे मुद्दों को उछालकर आज जो राजनीति की जा रही है, वह भविष्य के प्रति किसी प्रकार की आशाएं जगाने वाली तो नहीं ही है। सुना है किसी चुनावी सभा में कांग्रेसी नेता ने राजों- महाराजों के अत्याचारों की दुहाई दी थी। पलटवार प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ। नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा कि राजों-महाराजों की आलोचना क्यों हुई, उनकी शिकायत यह है कि राजों-महाराजों की बात करने वाले ने नवाबों-बादशाहों का नाम क्यों नहीं लिया?

हमारी राजनीति का यह गिरता स्तर निराश भी करता है और चिंतित भी। हैरानी की बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे हमारी राजनीति में कोई जगह नहीं पा रहे। भटकती आत्माओं का सच भी किसी की चिंता का विषय नहीं है। रोज़गार की बात सिर्फ विपक्ष कर रहा है, और वह भी दबी जबान से। यह सचाई भी किसी को परेशान करती नहीं दिखाई दे रही। कि पिछले पांच साल में देश में दो करोड़ से अधिक रोज़गार घटे हैं और 45 करोड लोग ऐसे हैं जिन्होंने निराश होकर काम की उम्मीद ही छोड़ दी है। यह बात भी किसी को परेशान नहीं करती दिखती की आर्थिक असमानताएं लगातार बढ़ रही हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और मार झेल रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो हो रही है, पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक (सी.एस.आई.ई) का यह निष्कर्ष किसी की चिंता नहीं बनता दिख रहा की काम न मिलने से देश की महिलाएं अधिक परेशान हैं। किसी भी पार्टी का कोई नेता यह नहीं बता रहा की 2017 से 2020 के बीच कुल कामगारों की संख्या 46% से घटकर 40% क्यों हो गयी है। राजनीति की भटकती आत्माओं वाली बात सुनने में आकर्षक तो लगती है, पर हमारी राजनीति की चालों को देखते हुए यह भी एक चुनावी जुमला है। हमारे राजनेताओं ने जनता को देश का भाग्य-विधाता नहीं माना। यह भूमिका उन्होंने अपने लिए सुरक्षित रख छोड़ी है। जनता को भीड़ समझ लिया है हमारे नेताओं ने। एक ऐसी ही भीड़ जो आसानी से बहलायी-बहकाई जा सकती है। लोकतंत्र की सार्थकता की दृष्टि से यह स्थिति कतई ठीक नहीं है।जहां तक हमारी राजनीति की भटकती आत्माओं का सवाल है हकीकत यह भी है कि किसी भी रंग का राजनेता इसके दुष्प्रभाव से नहीं बचा है। हमारे लोकतंत्र को बदसूरत करने में इन सबका योगदान है। इन सब पर जागरूक जनता को नज़र रखनी होगी। जनतंत्र में चुनाव राजनेताओं की ही नहीं, जनता की भी परीक्षा होती हैं। राजनेता तो हार कर भटकती आत्मा भी बन सकते हैं, पर जनता को तो सिर्फ जीतना ही होता है। जनता जीतेगी, तभी जनतंत्र जियेगा!

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है।)

मसालों की गुणवत्ता व व्यापारिक कूटनीति के प्रश्न

- प्रेम प्रकाश

समय और संदर्भ मिलकर साझे तौर पर हमारे देशकाल को रचते हैं। इस लिहाज से देखें तो हमारा देशकाल बीसवीं सदी के आखिरी दशक से लेकर अब तक कई ठोस निर्मितियों को लेकर आया है। हम इस पूरे दौर को देखेंगे तो कई बातें जहां साफ होती हैं, वहीं इससे हम अपने समकाल को भी ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। गौरतलब है कि दुनियाभर में बाजार के दरवाजे एक साथ खुलने से जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें भारत जैसे बड़ी आबादी और उत्पादक संभावनाओं वाले देश ने बीते दो-तीन दशक में बड़ी छलांग लगाई है। अब इससे आगे की स्थिति पगबाधा दौड़ जैसी है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसे खासतौर पर व्यापारिक मोर्चे पर न सिर्फ कठिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ रहा है, बल्कि विभिन्न स्तरों पर सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय लॉबी भी उसके खिलाफ है। बड़ी बात यह कि खासतौर पर कोविड बाद के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ी मजबूती ने भारत के खिलाफ अघोषित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सांठगांठ को जन्म दिया है। लिहाजा इसे व्यापारिक कूटनीति के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। किसी एक देश के खिलाफ इस तरह कूटनीतिक मोर्चा खुलना बिल्कुल नई बात है।

इसी पूरे मामले में नई खबर यह है कि भारत में बने कफ सिरप पर रोक से शुरू हुआ मामला अब भारत से निर्यात हुए मसालों तक आ पहुंचा है। सिंगापुर और हांगकांग द्वारा भारत के कुछ बड़े ब्रांड के मसालों को बैन करने के बाद अमेरिकी फूड और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। हैरत नहीं कि बैन का फैसला अमेरिका की तरफ से भी देर-सवेर आ जाए। फिलहाल की स्थिति में एफडीए ने कहा है वह भारतीय कंपनियों को लेकर जारी रिपोर्ट्स को लेकर गंभीर है और वह इस बाबत ज्यादा जानकारी जुटाने में लगा है। वैसे एफडीआई की जांच या किसी निर्णायक जांच या निर्देश से पहले ही अमेरिका में भारतीय मसालों को लेकर सख्ती बढ़ गई है।

आलम यह है कि बीते छह महीने में अमेरिका ने भारत की सबसे बड़ी मसाला कंपनी के 31 फीसद मसालों के शिपमेंट को लेने से मना कर दिया है। अमेरिका से भारतीय मसालों के शिपमेंट को लौटाने के पीछे फिलहाल कारण यह बताया जा रहा है कि यह फैसला साल्मोनेला संक्रमण के खतरों को लेकर लिया गया है। अलबत्ता भारतीय मसालों को लेकर अस्वीकार की स्थिति अमेरिका में नई नहीं है। बल्कि देखा जाए तो यह सिंगापुर और हांगकांग के बैन के पहले से चला आ रहा मामला है। अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने पिछले साल भी भारत से आने वाले 15 फीसद मसालों को लौटाया था। वैसे भारत और अमेरिका से आगे बढ़कर यह मामला अब मालदीव तक पहुंच गया है। मालदीव ने भारतीय मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है। मालदीव की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि भारत के दो मशहूर ब्रांड के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड मिला है जिसके कारण इनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है।

इससे पहले सिंगापुर और हांगकांग ने इन भारतीय ब्रांडों के कुछ उत्पादों में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की लिमिट से ज्यादा मात्रा होने के कारण उन्हें प्रतिबंधित किया था। बताया गया कि इनमें पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। बात अंतर्राष्ट्रीय मानक और चेतावनियों की करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप वन के कार्सिनोजेन के रूप में देखती और वर्गीकृत करती है। लिहाजा इस निष्कर्ष से इनकार मुश्किल है यह लोगों में कैंसर का कारण बन सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय जगत से आई इन खबरों के बाद भारत का सक्रिय होना स्वाभाविक है। यह उसके लिए व्यापार में नुकसान से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय साख का सवाल है। लिहाजा दो देशों के बैन के घोषित फैसले के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) भी इन दोनों कंपनियों के मसालों की जांच कर रहा है। हालिया चर्चा में आए मसालों के दोनों ही ब्रांड देश में भी खासे लोकप्रिय हैं। बात इनकी अंतर्राष्ट्रीय साख और व्यापारिक नेटवर्क की करें तो ये मसाले यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में खूब प्रचलन में हैं। फूडिंग, कुकिंग और रेसिपी को लेकर प्रभावशाली तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखने-बोलने वालों ने यह बात बीते वर्षों में बार-बार कही है कि भारतीय मसालों ने दुनियाभर के लोगों का स्वाद बदल दिया है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि अलग-अलग प्रकार और स्वाद वाले इंडियन करीज और इंटरनेशनल रेसिपीज का हिस्सा हैं। मौजूदा घटनाक्रम का भारत के लिए व्यापारिक महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2022-23 में भारत ने करीब 32 हजार करोड़ रुपये के मसालों का निर्यात किया। मिर्च, जीरा, हल्दी, करी पाउडर और इलायची भारत से निर्यात होने वाले कुछ प्रमुख मसाले हैं।

इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि सेहत और उससे जुड़ी गुणवत्ता को लेकर सख्ती जरूरी है। इस मुद्दे पर किसी तरह की लापरवाही को हतोत्साहित किया ही जाना चाहिए। आखिरकार यह व्यापार से ज्यादा स्वास्थ्य और मानवता से जुड़ा संवेदनशील मसला है। पर इस मामले को हथियार बनाकर जब किसी एक देश के खिलाफ कार्रवाई हो तो यह भी कहीं से न्यायसंगत नहीं है। माना जाना चाहिए कि जो स्थिति है उसमें भारतीय उद्योग जगत के साथ सरकार भी दूरगामी नीति और विवेक के साथ कार्य करने का सबक लेंगे।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस विशेष

सच कहने का जोखिम तो उठाना होगा!

- वेदव्यास

हम भारत के लोग, सदियों से सत्ता और व्यवस्था की देशी-विदेशी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन 1947 की आजादी के बाद और संविधान का संरक्षण पाकर आज भी हमें लग रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सत्य के प्रयोग निरंतर और निर्भीकता से जारी रहने चाहिए। मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का पूरा संघर्ष इस एक सत्य पर आधारित है कि सच के लिए आवाज उठाते रहो, गरीबों और बेजुबान लोगों के लिए लिखते रहो और आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सच के साथ खड़े रहो। पूरी दुनिया आज झूठ की आंधी में फंसी हुई है क्योंकि समाज और समय, लगातार राजा और प्रजा की मानसिकता में बंटा हुआ है।

याद करिए कि हमारे त्रेता युग में भगवान राम और द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी, रावण और कौरवों के अन्याय का प्रतिरोध करते हुए रामायण और महाभारत के नायक बने थे तो इस कलयुग में महात्मा गांधी भी सत्य और अहिंसा के प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के महानायक बने थे। जिस तरह अमेरिका ने सत्य की खोज करते हुए एक अब्राहम लिंकन को, सोवियत संघ ने एक मार्क्स एवं लेनिन को, वियतनाम ने एक हो ची मिन्ह को, चीन ने एक माओत्से तुंग को, दक्षिण अफ्रीका ने एक नेल्सन मंडेला को, क्यूबा ने एक फीडेल कास्त्रो को और बंगलादेश ने एक शेख मुजीबर रहमान को अपना मुक्तिदाता चुना था, वैसे ही मनुष्य को न्याय दिलाने की हमारी परम्परा भी प्रकृति के सच को स्थापित करने की हमारी जिद से जुड़ी हुई है। हर युग में साहित्य को भी इसीलिए मानव सभ्यता के सत्य का अन्वेशी माना गया है।

हमारे वर्तमान समय में सत्य की सर्वोच्च स्थापना का अभियान और दायित्व लेखक और पत्रकार सबसे अधिक निभा रहे हैं। 19वीं शताब्दी में आए वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास से जिस प्रेस का जन्म हुआ वही आज 21वीं शताब्दी में व्यापक मीडिया बन गया है और अब तो सोशल मीडिया का तकनीकी सूचना आंदोलन हो गया है। अपने समय की हर ताकत एक सच को साम, दाम दंड, भेद से दबाती आई है और हमारे सामंती के समाज में भी राजनीति धनपति, मीडिया और पुलिस प्रशासन का जन विरोधी गठबंधन ही आम नागरिक को सच बोलने-कहने और लिखने से अधिक रोक रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक कुचल रहा है।

3 मई को पूरी दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता का दिवस मनाया जाएगा। आज भारत की प्रेस (मीडिया) दुनिया में प्रेस की आजादी बहुत दयनीय स्थिति में है और आजादी के 76 साल बाद भी हम इस सत्य के संघर्ष को कहते हुए भयभीत हैं कि देश भय, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, गैर बराबरी, किसान, मजदूर की बदहाली और अशिक्षा, चिकित्सा अभाव और धर्म, जाति, संप्रदाय की राजनीति के पाखंड में बर्बाद हो रहा है। राजा नंगा है, ये कहने का साहस आज भारत के अधिकांश मीडिया जगत में नहीं है। 1975 का आपातकाल और 2014 के बाद की मोदी रामायण ने फिर यह साबित कर दिया है कि भारत का मीडिया पत्रकार आज सरकार और मीडिया मालिक की दोहरी गुलामी में फंसा हुआ है। उसमें जोखिम उठाने का साहस नहीं है। भारत में पत्रकार चौतरफा असुरक्षित है।

मैं भी 1960 से साहित्य और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और सच बोलने-लिखने का जुनून लेकर सत्ता व्यवस्था से पीड़ित और प्रताड़ित रहते हुए भी ऐसा अनुभव करता हूं कि 21वीं शताब्दी का वर्तमान मीडिया-पत्रकार अब कलम का सिपाही नहीं रह गया है अपितु कलम का मजदूर बन गया है। कुछ गिने-चुने लोग ही अब पत्रकारिता और मीडिया में बचे हैं जो अपना घर फूंक कर तमाशा देख रहे है। हम मशीन नहीं है और केवल मशीने के पुर्जे हैं। सरकार और सेठ की पालकी उठाते-उठाते हमें अब समय और समाज के सच को उजागर करने से डर लगता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि शब्द की विश्वसनीयता सच में ही होती है।

आने वाला समय इस बात का गवाह बनेगा कि देश की गरीब जनता का सच ही राजा के झूठ और कपट से भरी मन की बातों को हराता है और स्वतंत्रता, संविधान और लोकतंत्र को बचाता है। जब एक ठीकरी घड़ा फोड़ सकती है और एक गांधी का सत्य का प्रयोग भी सात समंदर पार से आए साम्राज्यवाद को भारत से भगा सकता है तो फिर एक कलम का सिपाही बनकर हम सामाजिक, आर्थिक अन्याय के चक्रव्यूह से अपने लोकतंत्र को क्यों नहीं बचा सकते। हिम्मत से कोई एक कंकरी तो इस ठहरे हुए तालाब में फेंके? सरकार, बाजार, प्रचार और दुखों के महासागर में कोई पत्रकार कबीर दास बनकर ये तो कहे कि मैं केवल सच के साथ हूं।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

कुकरमुत्तों की तरह बने विवाह स्थलों पर प्रशासनिक ढील

बूंदी में एक शादी समारोह के दौरान लगी आग में दुल्हनों के दादा की एक दिन पहले जिंदा जलने से मौत हो गई थी। ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। दरअसल अवैध रूप से बनने वाले विवाह स्थलों का धंधा खूब फलफूल रहा है। प्रशासनिक अनदेखी के कारण ऐसी दुघटनाएं सामने आती रहती है जिसमें जान माल की हानि भी होती है। प्रदेश के दूरदराज के इलाकों की बात को तो छोड़िए राजधानी जयपुर में हीं कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने खेतों की जमीन में अब खेतीबाड़ी बंद कर दी और विवाहस्थल बनाकर चांदी कूट रहे हैं। इन लोगों की स्थानीय पार्षद के जरिए निकाय में अधिकारियों के साथ जुगलबंदी हो जाती है और वे प्रति विवाह समारोह के हिसाब से नजराना भेजकर निश्चित हो जाते हैं। न तो कोई लाइसेंस की जरूरत न ही कोई सुरक्षा उपकरणों से वास्ता। एक दिन पहले बूंदी के नैनवां रोड इलाके में बुधवार सुबह मैरिज गार्डन में लगे एसी का कंप्रेसर धमाके के साथ फटा था। टेंट ने आग पकड़ ली, इसी दौरान टेंट रूम में सो रहे दुल्हनों के दादा भी बुरी तरह झुलस गए। पीड़ित परिवार जयपुर से वहां शादी करने के लिए गया था। बूंदी के इस शहनाई मैरिज गार्डन में बुजुर्ग, बच्चों सहित तमाम महिलाएं भी थीं। जांच में सामने आया कि मैरिज गार्डन में आग बुझाने के सेफ्टी उपकरण नहीं लगे हुए थे। बूंदी में मैरिज गार्डन में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना थी। चार दिन पहले परशुराम वाटिका में भीषण आग लग गई थी। वाटिका में आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाने में प्रशासन और दमकल को 10 घंटे लग गये थे। हालांकि तब कोई जन हानि नहीं हुई थी, लेकिन बुधवार को फिर से मैरिज गार्डन में आग की घटना ने मेरिज गार्डन में आगजनी से निपटने के इंतजामों की पोल खुल गई। पूरे राजस्थान के मैरिज गार्डनों का सरकारी स्तर पर सर्वे और जांच होनी चाहिए। अवैध रूप से चल रहे मैरिज गार्डन बंद होने चाहिए और उनके संचालकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग आमजन की जान से खेल रहे हैं और खुद की तिजौरियां भर रहे हैं। वर्तमान में एक सामान्य से मैरिज गार्डन में भी शादी समारोह के एक से डेढ़ लाख रुपए तक का किराया वसूला जाता है। इनकी दरें भी निर्धारित होनी चाहिए। तभी ऐसी दर्दनाक घटनाओं पर लगाम लग पाएगी।

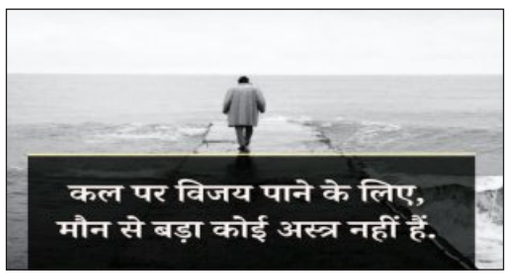

हिन्दू विवाह पर सर्वोच्च अदालत का स्वागत योग्य फैसला

आज जबकि हिन्दू विवाह की पवित्रता एवं परम्परा तथाकथित आधुनिक जीवन एवं प्रभाव के कारण धुंधली होती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में हिन्दू विवाह की पवित्रता समाज में समय के साथ घटी है और उसमें सुधार एवं सुदृढ़ता की जरूरत है। जो लोग विवाह को मात्र एक पंजीकरण मानते हैं, उन्हें चेत जाना चाहिए। उन्हें सात फेरों का अर्थ समझना होगा। बिना सात फेरों, हिन्दू रीति-रिवाजों एवं वैवाहिक आयोजनों के कोर्ट की दृष्टि में भी विवाह मान्य नहीं होगा। हिंदू विवाह पर कोर्ट का ताजा फैसला न केवल स्वागतयोग्य है बल्कि इसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगे। इससे हिन्दू संस्कृति एवं संस्कारों को बल मिलेगा। पारिवारिक-संस्था को मजबूती मिलेगी।

ललित गर्ग

देश की सर्वोच्च अदालत ने हिन्दू विवाह को लेकर बड़ा फैसला देकर न केवल हिन्दू विवाह के संस्कारों एवं पारंपरिक रिवाजों को पुष्ट किया है बल्कि उन्हें कानूनी दृष्टि से आवश्यक स्वीकार किया है। हिंदू विवाह से जुड़ा यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी 'गाने और डांस', 'शराब पीने और खाने' का आयोजन या अनुचित दबाव डालकर दहेज और गिफ्ट्स की मांग करने का मौका नहीं है। विवाह कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है। यह एक गंभीर बुनियादी सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजन है, जिसे एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध बनाने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में एक अच्छे परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं। यह भारतीय हिन्दू समाज-व्यवस्था की एक बुनियादी इकाई एवं मजबूत सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयाम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बिना सात फेरों के हिन्दू विवाह को मान्यता नहीं मिल सकती है अर्थात शादी के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में जो नियम और प्रावधान बनाए गए हैं उसका पालन करना होगा। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। अधिनियम के अनुसार, एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जाएगा। समारोहों में सप्तपदी (दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) शामिल है, और जब वे सातवां चरण एक साथ लेते हैं तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। कुल मिलाकर हिन्दू विवाह एक संस्था है, संस्कार है और विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है।

कोर्ट ने जोर दिया है कि हिंदू विवाह की वैधता के लिए सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे) जैसे उचित संस्कार और उससे जुड़े समारोह जरूरी है। विवाद की स्थिति में समारोह के प्रमाण पेश करना जरूरी है। कोर्ट की सात फेरों और उससे जुड़े समारोह का मूल्य समझाने की यह कोशिश हिन्दू विवाह को न केवल मजबूती प्रदान करेंगी बल्कि आधुनिकता की आंधी में धुंधलाते मूल्यों को नियंत्रित करने का काम करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि विवाह संस्कार का मूल महत्व पहले की तुलना में कम हुआ है, अब विवाह बहुतों के लिए एक दिखावा, मजबूरी या समझौता भर रह गया है। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना ने अपने प्रासंगिक एवं उपयोगी फैसले में बिल्कुल सही कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। पारंपरिक संस्कारों या सात फेरों जैसी रीतियों के बिना हुए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। इस वजह से कोर्ट ने युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह किया हैं कि वो विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है, इस पर विचार करें। प्रश्न है कि हिन्दू विवाह को लेकर कोर्ट को जागरूक होने एवं हिन्दू संस्कारों को मजबूती देने की जरूरत क्यों पड़ी? हिन्दू विवाह से जुड़े संस्कारों एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों को लेकर अनेक मामले कोर्ट की चौखट पर आते रहे हैं, हर बार कोर्ट सजगता, दूरदर्शिता एवं विवेक से विवाह-संस्था से जुड़े मामलों पर अपना नजरिया प्रस्तुत करती रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले दिनों यह माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए कन्यादान का समारोह जरूरी नहीं है। उस फैसले में भी सप्तपदी के महत्व को दर्शाया गया था। मध्यप्रदेश की एक परिवार अदालत के फैसले में महिला पक्ष को यह समझाया गया था कि सिंदूर लगाना एक विवाहित हिंदू महिला का धार्मिक कर्तव्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले में ऐसी ही समझाइश की कोशिश झलकती है। कुल मिलाकर, न्यायालय का संदेश यह है कि फिजूल के तमाशे-दिखावे से बचते हुए विवाह के मूल अर्थ को समझना चाहिए। हिंदू विवाह को लेकर अब ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है और विशेषत: हिन्दू संस्कारों एवं संस्कृति को बल देने की भी। क्योंकि भारत में परिवार संस्था कायम है तो इसका कारण हिन्दू संस्कार एवं परम्पराएं ही हैं। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है।

हिन्दू विवाह एक आदर्श परम्परा एवं संस्कार है। हिंदू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह = वि .वाह, अत: इसका शाब्दिक अर्थ है - विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी क बीच जन्म-जन्मांतरों का सम्बंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के सात फेरे लेकर और ध्रूव तारा को साक्षी मान कर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। यह दो परिवारों का भी मिलन है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक सम्बंध से अधिक आत्मिक सम्बंध होता है और इस सम्बंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिन्दू विवाह का न केवल पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि उसका गहन आध्यात्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म ने चार पुरुषार्थ (जीवन की चार बुनियादी खोज), यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निर्धारित किया है। विवाह संस्कार का उद्देश्य 'काम' के पुरुषार्थ को पूरा करना और फिर धीरे-धीरे 'मोक्ष' की ओर बढ़ना है। एक पुरुष और महिला के जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजें शादी से जुड़ी होती हैं; उदाहरण के लिए, पुरुष और महिला के बीच प्यार, उनका रिश्ता, संतान, उनके माता-पिता, उनके जीवन में विभिन्न सुखद घटनाएं, सामाजिक स्थिति और समृद्धि। हिंदू समाज में एक विवाहित महिला को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसके माथे पर कुमकुम-सिन्दूर के साथ एक महिला की दृष्टि, उसके गले में एक मंगलसूत्र पहने हुए, हरी चूड़ियाँ, पैर के अंगूठे के छल्ले और छह या नौ-यार्ड साड़ी स्वचालित रूप से एक पर्यवेक्षक के मन में उसके लिए सम्मान उत्पन्न करता है। हिंदू विवाह के सात वचनों में से, कम से कम तीन ऐसे हैं, जहां जोडे अपने बुजुर्गों की देखभाल करने का वादा करते हैं। पांचवां वचन अपनी संतान पैदा करने और उसकी देखभाल करने का है। हाल के वर्षों में, भारत में हिन्दू विवाह परम्परा एवं संस्कृति से अनेक विसंगतियां एवं विकृतियां जुड़ गयी है, डेटिंग संस्कृति की शुरुआत के साथ, लव-मेरिज का प्रचलन बढ़ा है। संभावित दूल्हा और दुल्हन अपने दम पर जीवनसाथी चुनना पसंद करते हैं। आज के रोमांटिक-रिश्ते वास्तव में विवाह नहीं हैं, बल्कि एक नई प्रथा है, जिसके विपरीत प्रभाव से परिवार-संस्था बिखरने लगी है। विवाह के साथ प्रीवेडिंग का प्रचलन भी अनेक विकृतियों का वाहक बना है, बड़े-बड़े भव्य आयोजन एवं होटल संस्कृति ने भी विवाह की पवित्रता को धुंधलाया है। आयोजनों में शराब एवं अन्य नशों का बड़ा प्रचलन भी दुर्घटनाओं का कारण बना है। जिनके कारण विवाह होने से पहले ही उसमें दरारें पड़ते हुए देखी गयी है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

वृष
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

मिथुन
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

कर्क
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

सिंह
किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

कन्या
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। स्नेहीजनों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी।

तुला
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

वृश्चिक
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

धनु
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

मकर
आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

कुंभ
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

मीन
मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

आज का इतिहास

3 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- लाऊंदू समझौते के बाद फ्रांस का गृहयुद्ध 1616 को समाप्त हुआ।
- स्वीडन, पोलैंड, ब्रैंडेनबर्ग और ऑस्ट्रिया ने ओलिवा शांति समझौते पर दस्तखत 1660 में किये।
- यूएस का पहला मेडिकल कॉलेज फिलाडेलफिया में 1765 को खुला।
- दुनिया में भाप इंजन से चलने वाली पहली नियमित यात्री रेलगाड़ी 1830 में चलनी शुरू हुई।
- एथेंस विश्वविद्यालय की स्थापना 1837 में हुई।
- चीन के कैंटन में थियेटर में आग लगने से 1845 में 1600 लोगों की मौत हुई।
- पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चन्द्र 1913 को प्रदर्शित हुई।
- अमेरिका में पहली यात्री उड़ान न्यूयार्क और अटलांटिक सिटी के बीच संचालित 1919 को हुई।
- नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
- प्रसिद्ध जर्मन भौतिकशास्त्री वर्नर हाइजनबर्ग को 1945 में गिरफ्तार किया गया।
- विश्व युद्ध के बाद जापान में नया संविधान 1947 में लागू हुआ।
- कमांडर ऐलन शेपर्ड 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमरीकी यात्री बने।
- कंबोडिया ने 1965 में अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा 1993 में की थी।
- 'यूरो' को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का यूरोपीय नेताओं का ऐतिहासिक फैसला 1998 में हुआ।
- अमेरिकी मीडिया ने परवेज मुशर्रफ़ के जनमत संग्रह को 'शर्मनाक जनमत संग्रह' 2002 में बताया।
- ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज 2003 में बने।
- वेस्टइंडीज ने छठे एक दिवसीय मैच में 2004 में इंग्लैंड को चार विकेट से परास्त किया।
- टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस 2008 में प्राप्त हुआ।
- पाकिस्तानी जेल में सज़ा काट रहे भारतीय क़ैदी सरबजीत सिंह की फाँसी की सज़ा 2008 को अनिश्चित समय तक टाली गई।
- दक्षिणी चिली के लास लगासे क्षेत्र में हज़ारों साल से निष्क्रिय पड़ा एक ज्वालामुखी 2008 को फटा।
- जापान की निसान के साथ मिलकर बजाज रेनो नामक छोटी कार बनाने वाली कंपनियों बजाज ऑटो व फ्रांस की रेनॉल्ट ने उसकी कीमत टाटा की नैनो से भी कम लगभग 1.10 लाख रूपए रखने का निर्णय 2010 में किया।
- चीन में लगभग 16 करोड़ साल पुराना डायनासोर का जीवाश्म 2013 में मिला।
- 2016 में 63वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की घोषणा हुयी उसमें मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना राणावत सम्मानित हुए।

3 मई को हुए जन्म

- इटली के विख्यात राजनेता और इतिहासकार निकोलो मैकियावेली का फ़लोरेन्स नगर में जन्म 1469 में हुआ।
- भारतीय राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री वी. के. कृष्ण मेनन का जन्म 1896 में हुआ।

विशेष आलेख

लोकसभा चुनाव के बीच राजनयिक तनाव बढाने के पीछे बाइडन का इरादा क्या है?

रामस्वरूप रावतसरे

भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक तनाव लोकसभा चुनावों के बीच बढ़ता ही जा रहा है। सीएए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और अब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में अमेरिका ने नापाक चाल चली है। सीएए और केजरीवाल मामले में अमेरिका ने खुलकर बयान दिया है, वहीं पन्नू की हत्या की कथित साजिश पर अमेरिकी अधिकारी ने तत्कालीन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत गोयल का नाम लिया है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पर निशाना साधा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि पन्नू का मारने का आदेश पूर्ववर्ती रॉ चीफ ने दिया था और उसे वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों की मंजूरी थी जिनके ''पीएम नरेंद्र मोदी के इनर सर्कल से संबंध'' हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को भारत ने खारिज कर दिया है और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कथित रॉ एजेंट विक्रम यादव का नाम भी लिया है। विक्रम पर आरोप है कि उसने पन्नू के बारे में सारी जानकारी किलर को दी जिसमें खालिस्तानी आतंकी का न्यूयॉर्क स्थित पता भी शामिल है। वॉशिंगटन पोस्ट को पन्नू मामले की सूचना लीक करने के बाद अब अमेरिका दावा कर रहा है कि भारत पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश संबंधी आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन ज्यां-पियरे ने सोमवार को यह बयान दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका में विक्रम यादव नामक रॉ अधिकारी पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल थे और इस कदम को भारतीय जासूसी एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख सामंत गोयल ने मंजूरी दी थी। पन्नू खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक है और सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) का कानूनी सलाहकार और प्रवक्ता है। एसएफजे का उद्देश्य एक अलग सिख राष्ट्र के विचार को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया है। ज्यां-पियरे ने कहा कि जांच की जा रही है और न्याय विभाग आपराधिक जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और ''हम कई क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।'' पन्नू की हत्या की कथित साजिश पर खोजी रिपोर्ट के बारे में ज्यां-पियरे ने कहा, ''यह गंभीर मामला है और हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। भारत सरकार ने हमसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वे इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी जांच कराएंगे।'' उन्होंने कहा, ''हम जांच के आधार पर सरकार से जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। लेकिन हम अपनी चिंताओं को उठाते रहेंगे। यह रुकने वाला नहीं है। हम सीधा भारत सरकार के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाते रहेंगे।'' पियरे के बयान से साफ है कि वह भारत सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव डाल रही हैं। यही नहीं इस कथित साजिश में शामिल भारतीय अधिकारियों की लिस्ट यही नहीं रुकती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ज्यादा अस्थायी रूप से आकलन किया है कि ''भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल शायद पन्नू को मारने की रॉ की योजना से अवगत थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है।'' इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका में पन्नू को मारने की कथित साजिश पिछले साल जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को हुई घातक गोलीबारी के साथ मेल खाती है। पश्चिमी देशों के अधिकारियों के अनुसार वह अभियान भी यादव से जुड़ा था। अमेरिका अखबार ''द वाशिंगटन पोस्ट'' की एक खबर मंगलवार को भारत ने कहा कि खबर में एक गंभीर मामले में ''अवांछित और निराधार'' आरोप लगाए गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ''रिपोर्ट में एक गंभीर मामले में अवांछित और निराधार आरोप लगाए गए हैं।'' उन्होंने कहा, ''भारत सरकार ने संगठित अपराधियों, आतंकवादियों तथा अन्य के नेटवर्क पर अमेरिकी सरकार द्वारा साझा की गईं सुरक्षा चिंताओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसकी जांच जारी है।'' जायसवाल ने कहा, ''इस पर काल्पनिक और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों की जरूरत नहीं है।'' पिछले साल नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर अमेरिका में सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भारत सरकार के एक आधिकारी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। भारत में आतंकवाद के आरोपों में वांछित पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सात दिसंबर को संसद में कहा था कि भारत ने इस मामले में अमेरिका से प्राप्त सूचना की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है क्योंकि इस मामले से देश के राष्ट्रीय हित भी जुड़े हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल का मानना है कि न्यूयार्क में चल रही सुनवाई का इंतजार करने के बजाय अमेरिका की खुफिया एजेंसियां मीडिया को प्रभावित करके शरारत करने में जुट गई हैं। भारत में लोकसभा चुनाव के समय नकारात्मक बयानबाजी को समर्थन देने के लिए इस लेख में बहुत सारी अटकलें लगाई गई हैं। अमेरिका चाहता है कि पीएम के इनर सर्कल के कनेक्शन की जांच की जाए। मजाक। सिब्बल ने भारत सरकार से मांग की कि वॉशिंगटन पोस्ट के पूर्व खुफिया अधिकारियों से बातचीत की जांच कराई जाए।

'जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते, आखिर ऐसा क्यों?

रामस्वरूप रावतसरे

असम के डिब्रुगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। यह जानकारी उसके वकील राजदेव सिंह खालसा ने दी है। हालाँकि, अमृतपाल की माँ बलविंदर कौर ने इस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा है कि इसको लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं, एक घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद जनता द्वारा चुने गए आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वोट देने की इजाजत नहीं है।

इन दोनों मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। लोगों का कहना है कि जब देश की सुरक्षा के लिए घातक एक आतंकवाद समर्थक व्यक्ति, जब जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है तो एक घोटाले में जेल में बंद राजनेता, जो अभी तक दोषी भी साबित नहीं हुआ है, वह अपना वोट क्यों नहीं डाल सकता है। सबके अपने-अपने तर्क और दावे हैं, लेकिन कानून का अपना रास्ता और तरीका है। भारत में जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने की परंपरा बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत पूर्वांचल के गैंगस्टर हरिशंकर तिवारी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए चुनाव जीता था। इसके बाद बाहुबलियों और गैंगस्टरों में यह तरीका तेजी से प्रसिद्ध हुआ और जेल में रहते हुए कई गैंगस्टर एवं बाहुबली चुनाव जीते। इनमें मुख्तार अंसारी, अमरमणि त्रिपाठी दर्जनों प्रमुख नाम हैं। ये प्रक्रिया आज भी जारी है। जानकारी के अनुसार लगभग डेढ़ दशक पहले पटना हाई कोर्ट में ऐसा मामला आया, जिसमें जेल की सजा काट रहे एक कैदी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि जब कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं है तो चुनाव लड़ने जैसी जिम्मेदारी की छूट कैसे मिल सकती है। इसके बाद अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को मंजूरी दी थी। हालाँकि, साल 2013 में कॉन्ग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए जेल में बंद लोगों को चुनाव में खड़ा होने की इजाजत दे दी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि कई बार राजनैतिक लड़ाई में भी लोग विपक्ष को अंदर करवा देते हैं। ऐसे में जेल में होने की वजह से एक काबिल व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएगा। इसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 62(5) में संशोधन हुआ और जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने की छूट मिल गई। वे चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। अपने लोगों से चुनाव प्रचार भी करवा सकते हैं। हालाँकि, वोट नहीं दे सकते।

आरोप से मुक्त होने या सजा पूरी होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। चुनाव की प्रक्रिया में जेल में बंद कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन वे चुनाव लड़ लेते हैं। हालाँकि, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि कैदी विचाराधीन होना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के सामने नामांकन पत्र देना होता है। ऐसी स्थिति में सवाल उठेगा कि जेल में बंद कैदी पीठासीन अधिकारी के समक्ष कैसे हाजिर होगा। इस संबंध में कानून के जानकार लोगों का कहना है कि अगर कैदी जेल से चुनाव लड़ते हैं तो वे अपने प्रतिनिधि के जरिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दू विवाह पर सर्वोच्च अदालत का स्वागतयोग्य फैसला

-ललित गर्ग

देश की सर्वोच्च अदालत ने हिन्दू विवाह को लेकर बड़ा फैसला देकर न केवल हिन्दू विवाह के संस्कारों एवं पारंपरिक रिवाजों को पुष्ट किया है बल्कि उन्हें कानूनी दृष्टि से आवश्यक स्वीकार किया है। आज जबकि हिन्दू विवाह की पवित्रता एवं परम्परा तथाकथित आधुनिक जीवन एवं प्रभाव के कारण धुंधली होती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में हिन्दू विवाह की पवित्रता समाज में समय के साथ घटी है और उसमें सुधार एवं सुदृढ़ता की जरूरत है। जो लोग विवाह को मात्र एक पंजीकरण मानते हैं, उन्हें चेत जाना चाहिए। उन्हें सात फेरों का अर्थ समझना होगा। बिना सात फेरों, हिन्दू रीति-रिवाजों एवं वैवाहिक आयोजनों के कोर्ट की दृष्टि में भी विवाह मान्य नहीं होगा। हिंदू विवाह पर कोर्ट का ताजा फैसला न केवल स्वागतयोग्य है बल्कि इसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगे। इससे हिन्दू संस्कृति एवं संस्कारों को बल मिलेगा। पारिवारिक-संस्था को मजबूती मिलेगी।

हिंदू विवाह से जुड़ा यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी ह्यगाने और डांसह्, ह्यशराब पीने और खानेह् का आयोजन या अनुचित दबाव डालकर दहेज और गिफ्ट्स की मांग करने का मौका नहीं है। विवाह कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। यह एक गंभीर बुनियादी सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजन है, जिसे एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध बनाने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में एक अच्छे परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं। यह भारतीय हिन्दू समाज-व्यवस्था की एक बुनियादी इकाई एवं मजबूत सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयाम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बिना सात फेरों के हिन्दू विवाह को मान्यता नहीं मिल सकती है अर्थात शादी के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में जो नियम और प्रावधान बनाए गए हैं उनका पालन करना होगा। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। अधिनियम के अनुसार, एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जाएगा। समारोहों में सप्तपदी (दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) शामिल है, और जब वे सातवां चरण एक साथ लेते हैं तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। कुल मिलाकर हिन्दू विवाह एक संस्था है, संस्कार है और विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है।

कोर्ट ने जोर दिया है कि हिंदू विवाह की वैधता के लिए सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे) जैसे उचित संस्कार और उससे जुड़े समारोह जरूरी है। विवाद की स्थिति में समारोह के प्रमाण पेश करना जरूरी है। कोर्ट की सात फेरों की उससे जुड़े समारोह का मूल्य समझाने की यह कोशिश हिन्दू विवाह को न केवल मजबूती प्रदान करेंगी बल्कि आधुनिकता की आंधी में धुंधलाते मूल्यों को नियंत्रित करने का काम करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि विवाह संस्कार का मूल महत्व पहले की तुलना में कम हुआ है, अब विवाह बहुतों के लिए एक दिखावा, मजबूरी या समझौता भर रह गया है। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना ने अपने प्रासंगिक एवं उपयोगी फैसले में बिल्कुल सही कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। पारंपरिक संस्कारों या सात फेरों जैसी रीतियों के बिना हुए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। इस वजह से कोर्ट ने युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह किया है कि वो विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है, इस पर विचार करें। प्रश्न है कि हिन्दू विवाह को लेकर कोर्ट को जागरूक होने एवं हिन्दू संस्कारों को मजबूती देने की जरूरत क्यों पड़ी? हिन्दू विवाह से जुड़े संस्कारों एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों को लेकर अनेक मामले कोर्ट की चौखट पर आते रहे हैं, हर बार कोर्ट सजगता, दूरदर्शिता एवं विवेक से विवाह-संस्था से जुड़े मामलों पर अपना नजरिया प्रस्तुत करती रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले दिनों यह माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए कन्यादान का समारोह जरूरी नहीं है। उस फैसले में भी सप्तपदी के महत्व को दर्शाया गया था। मध्यप्रदेश की एक परिवार अदालत ने फैसले में महिला पक्ष को यह समझाया गया था कि सिंदूर लगाना एक विवाहित हिंदू महिला का धार्मिक कर्तव्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले में ऐसी ही समझाइश की कोशिश झलकती है। कुल मिलाकर, न्यायालय का संदेश यह है कि फिजूल के तमाशे-दिखावे से बचते हुए विवाह के मूल अर्थ को समझना चाहिए। हिंदू विवाह को लेकर अब ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है और विशेषतः हिन्दू संस्कारों एवं संस्कृति को बल देने की भी। क्योंकि भारत में परिवार संस्था कायम है तो इसका कारण हिन्दू संस्कार एवं परम्पराएं ही हैं। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। हिंदू विवाह एक आदर्श परम्परा एवं संस्कार है। हिंदू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह = वि + वाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है - विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म-जन्मांतरों का सम्बंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के सात फेरे लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मान कर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। यह दो परिवारों का भी मिलन है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संम्बंध से अधिक आत्मिक संम्बंध होता है और इस सम्बंध को अत्यंत पवित्र माना गया है।

हिन्दू विवाह का न केवल पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि इसका गहन आध्यात्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म ने चार पुरुषार्थ (जीवन की चार बुनियादी खोज), यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निर्धारित किया है। विवाह संस्कार का उद्देश्य ह्यकामह् के पुरुषार्थ को पूरा करना और फिर धीरे-धीरे ह्यमोक्षह् की ओर बढ़ना है। एक पुरुष और महिला के जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजें शादी से जुड़ी होती हैं; उदाहरण के लिए, पुरुष और महिला के बीच प्यार, उनका रिश्ता, संतान, उनके माता-पिता, उनके जीवन में विभिन्न सुखद घटनाएं, सामाजिक स्थिति और समृद्धि। हिंदू समाज में एक विवाहित महिला को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसके माथे पर कुमकुम-सिन्दूर के साथ एक महिला की दृष्टि, उसके गले में एक मंगलसूत्र पहने हुए, हरी चूड़ियाँ, पैर के अंगूठे के छल्ले और छह या नौ-यार्ड साड़ी स्वचालित रूप से एक पर्यवेक्षक के मन में उसके लिए सम्मान उत्पन्न करता है। हिंदू विवाह के सात वचनों में से, कम से कम तीन ऐसे हैं, जहां जोड़े अपने बुजुर्गों की देखभाल करने का वादा करते हैं। पांचवां वचन अपनी संतान पैदा करने और उसकी देखभाल करने का है। हाल के वर्षों में, भारत में हिन्दू विवाह परम्परा एवं संस्कृति से अनेक विसंगतियां एवं विकृतियां जुड़ गयी है, डेटिंग संस्कृति की शुरुआत के साथ, लव-मैरिज का प्रचलन बढ़ा है। संभावित दूल्हा और दुल्हन अपने दम पर जीवनसाथी चुनना पसंद करते हैं। आज के रोमांटिक-रिश्ते वास्तव में विवाह नहीं हैं, बल्कि एक नई प्रथा है, जिसके विपरीत प्रभाव से परिवार-संस्था बिखरने लगी है। विवाह के साथ प्रीवेडिंग का प्रचलन भी अनेक विकृतियों का वाहक बना है, बड़े-बडे. भव्य आयोजन एवं होटल संस्कृति ने भी विवाह की पवित्रता को धुंधलाया है। आयोजनों में शराब एवं अन्य नशों का बड़ा प्रचलन भी दुर्घटनाओं का कारण बना है। जिनके कारण विवाह होने से पहले ही उसमें दरारें पड़ते हुए देखी गयी है।

गर्मी में भी अभी तक चुनावी ठंडी का अहसास क्यों है?

अशोक भाटिया

दो चरण का चुनाव हो चुका है और अब 7 मई को तीसरे चरण में 96 सीटों के लिए मतदान की तैयारी है। लेकिन सब ओर से एक ही शिकायत सुनाई दे रही है कि अब तक लोकसभा चुनाव ने रंगत नहीं पकड़ी है। इसके प्रमुख रूप से क्या कारण हो सकते हैं, इस पर लोगों की अलग-अलग राय है।

इस बार अप्रैल का महीना सामान्य से तीन डिग्री तक अधिक गर्म रहा। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सब जगह लोग अचानक बढ़ी इस गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि इस साल अल नीना का असर है और तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अत्यधिक तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़े के कारण न तो नेता और न उनके प्रचार करनेवाले कार्यकर्ता बाहर निकल रहे हैं और न ही मतदाताओं में कोई उत्साह दिख रहा है। मतदान का प्रतिशत भी पिछले चुनावों की अपेक्षा कम ही हो रहा है। उत्तर भारत में अभी जहां वोटिंग हुई या अगले चरणों में होनेवाली है वहां सुबह 9 बजे के बाद और शाम के 5 बजे तक घर से निकलनेवाले हालात ही नहीं है। इसका असर आम चुनाव पर भी पड़ा है और नेता, कार्यकर्ता, मतदाता सभी सुस्त नजर आ रहे हैं। सिर्फ बड़े नेताओं की बड़ी रैलियों तक ही चुनाव प्रचार सिमटकर रह गया है।

किसी भी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव उसमें चौक चौराहों की बैठकी, चाय पान की दुकान पर चर्चा ही राजनीतिक माहौल बनाते आये हैं। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रसार बढ़ा है, ऐसी चर्चाओं पर असर पड़ा है। जो चर्चाएं लोगों के बीच होती थी, अब वह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब और वाट्सएप्प पर होने लगी हैं। टीवी डिबेट की जगह यू ट्यूब पर ग्राउण्ड रिपोर्टिंग अधिक प्रभावी होती जा रही है। इसके साथ ही लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार कहीं ट्विटर (एक्स) पर बिजी हैं तो कहीं वाट्स एप्प पर।

ट्विटर के रोज बनने बिगड़नेवाले ट्रेन्ड जहां बौद्धिक लोगों को उलझाये हुए है, वहीं जन सामान्य वाट्सएप्प मैसेज फारवर्ड करके अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखा रहा है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा खतरा है विश्वसनीयता का। एक वर्ग ऐसी चर्चाओं का हिस्सा जरूर है लेकिन इसमें फेक न्यूज का भी प्रसार धड़ल्ले से हो रहा है। इसके कारण इन चर्चाओं और बहसों पर विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकट है। फिर भी सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रभावशाली होने का असर भी इस आम चुनाव की सरगर्मी को ऑफलाइन से हटाकर ऑनलाइन की ओर ले गया है।

इस बार के आम चुनाव में एक और ट्रेन्ड जो साफ साफ दिखाई देने लगा है, वह यह कि इस बार का चुनाव नेतृत्व चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार सारा जोर उम्मीदवारों पर है। कहने के लिए यह आम चुनाव जरूर है लेकिन बीते दो दशक में ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है कि जनता की रुचि राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय उम्मीदवार में है। इसीलिए इस बार का आम चुनाव मोदी या राहुल गांधी में से किसी एक को चुनने का चुनाव नहीं है। जनता मानों उस दृष्टिकोण से इस चुनाव को देख ही नहीं रही है। इस बार स्थानीय उम्मीदवार पर सारा जोर है। ट्रेन्डिंग सीट दर सीट चुनावी गणित बन बिगड़ रहे हैं। मतदाता भी स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अपनी सुविधा और संसाधनों को देखते हुए इस बार 7 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला किया है। अभी तक जो दो चरण हुए हैं उसमें 19 अप्रैल को 102 और 26 अप्रैल को 89 सीटों के लिए मतदान हुआ है। ये सीटें भी कई राज्यों में फैली हुई हैं। कुछ राज्यों में तो ऐसा हो रहा है कि बड़ा राज्य होने के बावजूद वहां एक चरण में पांच से आठ सीटों के लिए मतदान हुआ है। इसलिए भी चुनाव में सरगर्मी नहीं आ रही है।

कम चरणों में चुनाव होने से एक राष्ट्रव्यापी माहौल बनता है और सब उसमें शामिल होते हैं। अगर चुनाव को लंबा खींचा जाए तो मतदाता में ही कोई उत्साह नहीं बचता है। इसलिए भी इस बार आमचुनाव का माहौल अभी तक नहीं बन पाया है। आनेवाले चरणों में तो पांचवे में 49, छठे में 57 और सातवें में 57 सीटों के लिए मतदान होना है। इससे चुनाव का राष्ट्रव्यापी माहौल आगे चलकर बन ही जाएगा, इसमें भी संदेह है।

इस बार के आम चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का घोर अभाव है। कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया गया है जिस पर राष्ट्रव्यापी चर्चा हो। दूसरी ओर भाजपा ने राम मंदिर को जरूर राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने का प्रयास किया लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इसलिए भाजपा की ओर से जहां कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को एक बार फिर उठाया जा रहा है, वहीं कर्नाटक में देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की सेक्स सीडी को कांग्रेस अब राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने में लग गयी है। उसका पूरा इकोसिस्टम इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर उठाना चाहता है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में जेडीएस की साझीदार है और प्रज्वल भी चुनावों में उम्मीदवार है।

इस बार के आमचुनाव में यह भी एक ऐसा फैक्टर है जिसने चुनाव की सरगर्मी को कम किया है। एक ओर सत्ताधारी भाजपा है जो यह मानकर चल रही है उसको मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भी बंपर बहुमत मिलनेवाला है। दूसरी ओर कांग्रेस सहित अन्य लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां इसी मनोवैज्ञानिक दबाव में फंसी हुई हैं कि जब भाजपा जीत ही रही है तो बहुत मेहनत करके भी क्या हासिल होगा ?एक ओर जीत के प्रति आश्वस्त भाजपा कार्यकर्ता भी शिथिल पड़े हुए हैं तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता खुद को हारा हुआ मानकर चल रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के कारण भी विपक्षी पार्टियों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसका असर भी चुनाव की सरगर्मी पर पड़ा है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसका असर इस बार के आम चुनाव पर पड़ा है। यह सीजन शादी विवाह का सीजन भी होता है और गर्मी की छुट्टियों का भी। इसलिए ग्रामीण मतदाता जहां अपनी खेती और सामाजिक कामों में व्यस्त रहता है वहीं शहरी मतदाता गर्मी की छुट्टियों में सैर सपाटे पर निकल जाता है। बहरहाल, उम्मीद करनी चाहिए कि तीसरे चरण के बाद से चुनावों में सरगर्मी आयेगी। भाजपा खेमे से आ रही कम सीटों की आहट ने न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी नया जोश आया है। इस सबका असर चुनाव के शेष रहे चरणों पर जरूर होगा और उम्मीद करनी चाहिए कि मतदान का अंत उतना फीका नहीं रहेगा जितनी फीकी इसकी शुरूआत रही है।

चिंतन और वैचारिक क्षमता को जिंदा रखिये

संजीव ठाकुर

विचार और सिद्धांत व्यक्ति के अंदर की अतः प्रज्ञा होती है। और यह सिद्धांत तथा अंतः विचारधारा जनमानस तक पहुंचने से बाधित किया जाए अंतरात्मा को प्रभावित करती है और इसके गहरे प्रभाव से व्यक्ति वह सब कर सकता है जो बिना मार्गदर्शन के व्यक्ति नहीं कर सकता। प्राचीन काल से अब तक वैचारिक सिद्धांत और विचारधारा सदैव समाज के दिग्दर्शक मार्गदर्शक रहे हैं। इनकी भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है।यदि यही सिद्धांत और अंतःप्रज्ञा जनमानस आत्मसात कर लेता है, तो इसका प्रभाव एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है और यहीं से युग परिवर्तन की लहर प्रस्फुटित होती है। प्राचीन यूनान में एक बहुत ही कुरूप किंतु विद्वान व्यक्ति सुकरात हुआ करते थे,उनके विचारों में मौलिकता,नयापन जनजागृति की अद्भुत क्षमता थी। उनकी विद्वता के कारण आम जनमानस होने राजा से ज्यादा महत्व और बुद्धिमान मानते थे। राजकीय तानाशाही के चलते उनके विचारों के कारण उनको मृत्युदंड दे दिया गया। जहर का प्याला पीने के बाद भी विद्वान, चिंतक, सुकरात अमर हो गए, उनकी विचारधारा आज भी जीवित है, एवं लोग उसे अपनाकर अपना जीवन सुधारने में इसका उपयोग करते हैं। अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद दास प्रथा के बारे में कहा था कि दास भी मनुष्य हैं, उन्हें भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना स्वामी को है। अब्राहम लिंकन के आंदोलनकारी विचार से तत्कालीन समय में अमेरिका के लोग घबरा गए थे,और उनकी हत्या कर दी गई थी। पर अब्राहम लिंकन के विचारों ने दास प्रथा के उन्मूलन की अंतर आत्मा को जागृत कर दिया था, और जनमानस ने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए दास प्रथा से मुक्ति पाई थी।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। विचार एवं सिद्धांत ही व्यक्ति का निर्माण करता है। वही दुष्ट होने या महान होने का निर्णायक है। और बिना विचारों सिद्धांतों के व्यक्त व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं । विवेकानंद जी के विचार सर्व कालीन प्रासंगिक है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके जीवित रहते हुए थे। आज हमारे बीच विवेकानंद जी स शरीर मौजूद नहीं है, पर उनके विचारों की महत्ता कायम है।भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने से और भौतिक विचार तथा सिद्धांत उतनी ही तीव्रता रखते हैं, वेग रखते हैं, जो एक समाज में परिवर्तन ला सकती है।विचारों की यह अमरता तथा तीव्रता किसी भी तानाशाह के लिए इतनी खतरनाक है, जितनी की सुप्त शेर की गुफा में रहना। जनता के मध्य शुद्ध विचारधारा के जागृत होने पर क्रांति लाई जा सकती है। फिर चाहे वह फ्रांस के वर्साय के महल का विध्वंस हो अथवा भारत की स्वतंत्रता हेतु वृहद आंदोलन हो। व्यक्ति या व्यक्तियों के दबाव को दबाने के बाद विचारों की पीड़िता ने जनसामान्य को एक गरजते हुए सिंह में तब्दील कर दिया था। यह शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति को जरूर आप दबा सकते हैं,पर विचारधारा सिद्धांत अजर अमर होते हैं,और वही युग निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं।

विचारों के संदर्भ में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का विचार तब तक उस व्यक्ति के पास है, जब तक वह अकेला है किंतु जैसे ही विचारधारा एवं सिद्धांत का प्रचार प्रसार होता है, तो वह व्यक्ति अकेला ना रह कर उस जैसे हजारों लाखों लोग उसके साथ हो जाते हैं। तब वह अकेला नहीं रह जाता। वह अपने विचारों के माध्यम से जन सामान्य को प्रभावित कर लोगों को उस लड़ाई में शामिल कर लेता है, जिस लड़ाई के वह कभी अकेले नहीं लड़ सकता था। विचारों सिद्धांतों की तीव्रता आवेश तथा सघनता किसी भी क्रांतिकारी लक्ष्य की प्राप्ति में एक बड़ा साधक हो सकता है। विचार व सिद्धांत एक से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होते रहते हैं। जिसमें विचारों को सघनता प्राप्त होती है। ताकि सत्ता के दमन के समय वैचारिक अमरता स्थाई बनी रहे। चीन उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों में विचारों के इस स्वतंत्र का प्रवाह को बाधित नियंत्रित कर दिया गया। अभिव्यक्ति के तमाम माध्यमों को प्रतिबंधित कर दमन चक्र चलाया गया। वहां विचार और सिद्धांत विद्वान व्यक्ति तक ही सीमित रहे उसका फैलाव या विस्तार नहीं हो पाया। जो मानव समाज तथा मानव अधिकारों की संवेदना तथा धाराओं का उल्लंघन भी है।

किसी स्वस्थ,स्वतंत्र राष्ट्र के लिए व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विचारों की स्वतंत्रता नवीनता तथा उत्कृष्टता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि विचारधारा और सिद्धांतों को रोक पाना किसी भी सत्ता या निरंकुश राजा के नियंत्रण में नहीं होता। विचारों और सिद्धांत अनादि काल से गतिशील है तथा अनंत तक जगत तक गतिशील रहेंगे,और उसका प्रतिपादक एवं अनुशीलन कर्ता विचारों के साथ अमर हो जाते हैं।

जब चंद्रशेखर के खिलाफ नारा लगा था, भिंडरवाला वापस जाओ

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की शोक अवधि बीतते ही चुनाव आयोग ने सातवीं लोकसभा के चुनावों का ऐलान कर दिया था...चुनाव घोषणा की वह तारीख थी, तेरह नवंबर 1984...इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई देशव्यापी सिख विरोधी हिंसा की आंच भले ही ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी तपिश महसूस की जा रही थी। लोगों के दिल में इंदिरा की हत्या से उपजा क्षोभ अभी ताजा था..इसी बीच चुनाव आ गए...

उन दिनों विपक्ष का सबसे बड़ा दल था, जनता पार्टी। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर तीसरी बार अपनी पारंपरिक उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके थे। उन दिनों लोकसभा की बलिया नाम से दो सीटें थी, पहली उत्तर प्रदेश की बलिया, जो अब भी है, और दूसरी बिहार की बलिया, जो परिसीमन के बाद खत्म हो चुकी है। नवंबर 1984 के आखिरी हफ्ते की कोई तारीख थी। चंद्रशेखर नामांकन दाखिल करने के लिए बलिया आ रहे थे। तब इलाहाबाद से बरौनी तक मीटर गेज की रेल चलती थी। इसी रेल रूट पर बलिया भी पड़ता है। तब बलिया से वाराणसी के बीच छुकछुकिया यानी भाप इंजन वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती थी। जो वाराणसी से चलकर करीब बारह बजे बलिया पहुंचती थी। चंद्रशेखर उसी इंटरसिटी एक्सप्रेस बलिया आ रहे थे। इसकी जानकारी उनके समाजवादी कार्यकताओं के तमाम लोगों की थी। उन दिनों चंद्रशेखर को बलिया के लोग दो नामों से ज्यादा पुकारते थे, अध्यक्ष जी और दाढ़ी। चंद्रशेखर इंटरसिटी से जैसे ही बलिया के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर उतरे, उनके कार्यकर्ता फूलमालाओं के साथ उनके स्वागत में बढ़े तो कुछ दूर स्थित युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकताओं ने जोर-जोर से नारा लगाना शुरू कर दिया, भिंडरवाला वापस जाओ, भिंडरवाला वापस जाओ..

जून 1984 में सिखों के तीर्थ स्थल अमृतसर के स्वर्णमंदिर में सैनिक कार्रवाई हुई थी..उस कार्रवाई में पंजाब को दहशत का केंद्र बनाने वाला जनरैल सिंह भिंडरवाला मारा जा चुका था। इसी कार्रवाई से सिख समुदाय गुस्से में था, जिसकी दुखद परिणति 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में सामने आई। चंद्रशेखर ने स्वर्णमंदिर में सैनिक कार्रवाई का जोरदार शब्दों में विरोध किया था..इंदिरा की हत्या के बाद उनका यह विरोध चर्चा में आ गया था.. तत्कालीन सहानुभूति लहर के चलते इस बयान की वजह से चंद्रशेखर भी लोगों के निशाने पर थे...

बलिया प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ लगा नारा उसी क्षोभ की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है..चंद्रशेखर नारा लगा रहे युवाओं की तरफ कुछ कदम बढ़ाए भी..कुछ देर के लिए नारा थम गया..लेकिन बाद में नारा तब तक लगता रहा, जब तक वे प्लेटफॉर्म से निकलकर अंबेसडर कार से बलिया कलेक्ट्रेट नहीं चले गए..

बलिया कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के बाद उनकी सभा शहर के रामलीला मैदान में हो रही थी..जाड़े की गुनगुनी धूप ढलने लगी थी..जुलूस के साथ चंद्रशेखर रामलीला मैदान पहुंचे। तब वे खादी मटका का कुर्ता, धोती और बंडी पहने थे। कंधे पर बेतरतीब चादर भी थी..उनके नामांकन को कवर करने के लिए कुछ विदेशी पत्रकार भी बलिया पहुंचे थे..

रामलीला मैदान की उस सभा में बैठने का इंतजाम नहीं था..ज्यादातर लोग खड़े ही थे...चंद्रशेखर मंच पर पहुंचे..भिंडरवाला वापस जाओ के नारे से हुए स्वागत से उन्हें भरोसा हो गया था कि स्वर्णमंदिर में हुई सैनिक कार्रवाई के चलते लोगों में उन्हें लेकर गुस्सा है। लिहाजा उन्होंने अपने भाषण में सफाई देनी शुरू की...जिस सिख कौम के लिए सिखों के गुरू तेगबहादुर ने अपने शीश चढ़ा दिया, जिसके लिए गुरू गोविंद सिंह के दो बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया..उस महान कौम के तीर्थ स्थल पर सैनिक कार्रवाई का विरोध करके मैने गलती कहां गलती की...

अभी चंद्रशेखर का वाक्य पूरा ही नहीं हुआ कि तकरीबन पूरे मैदान से विरोध के सुर फूट पड़े, कोई उन्हें भोजपुरी में दाढ़ी के संबोधन के साथ चुप रहने की नसीहत दे रहा था..तो कोई उनके सफाई देने पर सवाल उठा रहा था..

चंद्रशेखर समवेत विरोध के इस सुर से चकित रह गए.. बेशक तब तक वे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे, लेकिन उनकी अपीलों का कोई असर नहीं हुआ..लोगों ने उनका खुलकर विरोध किया..विरोध का प्रमुख वजह रही इंदिरा की हत्या को लेकर कांग्रेस के प्रति उपजी हमदर्दी और गुस्सा...

1977 और 1980 के चुनावों में जिस बलिया ने चंद्रशेखर को अपना संसदीय ताज बनाया, उसी बलिया ने दिसंबर 1984 में हुए आम चुनावों में नापसंद कर दिया..कांग्रेस के जगन्नाथ चौधरी के हाथों जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को 54 हजार 940 वोटों से हार मिली...बलिया से कांग्रेस के आखिरी नुमाइंदे जगन्नाथ चौधरी ही रहे..उसके बाद 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 के चुनावों में चंद्रशेखर को लगातार जीत मिली...उनके निधन के बाद हुए 2007 के उपचुनाव में उनके बेटे नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। नीरज को 2009 में भी जीत मिली, लेकिन 2014 में वे हार गए। अब वे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अपने पिता की विरासत पर बीजेपी के टिकट पर दावा ठोक रहे हैं...

बलिया में जब भी चुनाव आता है, चंद्रशेखर की याद आना स्वाभाविक है और इसके साथ ही उनके खिलाफ 1984 में लगा वह नारा भी, भिंडरवाला वापस जाओ

- उमेश चतुर्वेदी

जीवन शैली में धूम्रपान एक महामारी

विश्व तंबाकू दिवस का लक्ष्य लोगों को तंबाकू से फैलने वाली बीमारियों से जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी टीम भेजकर यह जानकारी प्राप्त करना चाहा कि यह पता लगाया जाय कि रूस, चीन या भारत में धूम्रपान की क्या स्थिति है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन्1988 से 31 मई को विश्व धूम्रपान दिवस के में मनाने की घोषणा की थी। आज हमारी जीवनशैली में धूम्रपान एक फैशन सा बनता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति एक बार धूम्रपान का आदी हो जाता है, तो इसे बोलना उसके लिए एक कठिन कार्य होता है। लेकिन आज के इस युग में प्रायः कम उम्र के बच्चों में धूम्रपान की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि धूम्रपान से क्या-क्या हानियां पहुंचती हैं। यद्यपि विश्व तंबाकू दिवस का लक्ष्य लोगों को तंबाकू से फैलने वाली बीमारियों से जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी टीम भेजकर यह जानकारी प्राप्त करना चाहा कि यह पता लगाया जाय किक चीन या भारत में धूम्रपान की क्या स्थिति है? लोगों मे यह जानकर हैरानी होगी कि हां तो तंबाकू से स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव की जानकारी कमी है। आज हमारे यहां तंबाकू जनित रोगों को प्रायः कम ही लोगों को जानकारी होगी। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आने वाले दिनों में तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की है। अपितु दर्जन भर देशों ने भी तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह प्रयास रहा है कि आने वाले दिनों में जागरूकता पूरे विश्व में फैलाया जाए। तंबाकू निषेध ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इस महामारी पर काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

इसी के माध्यम से लोगों में जानकारी बढ़ाई जा सकती है। जिससे उनको यह जानकारी मिले कि धूम्रपान के सेवन से कौन-कौन सी बीमारियां होती है। इससे सरकार पर भी दबाव डाल सकते हैं कि धूम्रपान रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जाए। तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पाद पर सरकार की कर अधिक लगाना चाहिए, जिससे सरकार की आय बढ़ेगी तथा तंबाकू से बने उत्पाद यदि महंगे होंगे तो लोग उसका उपयोग कम करेंगे। यदि उपभोग कम होगा तो विश्व तंबाकू निषेध काफी हद तक सफल होगा और तंबाकू उत्पादन करने वाली कंपनियों पर यह दबाव बनाया जाना चाहिए कि वे जो भी उत्पाद बनाए उनमें निकोटिन की मात्रा कम हो। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता देश है, जहां 350 मिलियन लोग अर्थात 33 प्रतिशत लोग तंबाकू का उपभोग करते हैं। अगर कई छोटे देशों की जनसंख्या को मिला दें, तो उतनी ही जनसंख्या चीन में तंबाकू का सेवन करती है। चीन में पूरे विश्व का लगभग तीस प्रतिशत लोग धूम्रपान करते हैं। भारत में 238 मिलियन अर्थात 13 प्रतिशत लोग धूम्रपान करते हैं। इंडोनेशिया रूस, यूनाइटेड स्टेट में पांच से छह प्रतिशत तथा जापान, ब्राजील, बांग्लादेश, जर्मनी, तुर्की ऐसे देश है पूरे विश्व के दो तिहाई धूम्रपान करने वाले लोग है। यद्यपि रूस विश्व का चौथा बड़ा धूम्रपान करने वाला देश है। जहां की 40 प्रतिशत जनसंख्या धूम्रपान करती है। जिसमें 65 प्रतिशत पुरुष तथा 20 प्रतिशत महिलाएं है। रूस का तंबाकू उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान है। जबकि चीन एवं यूनाइटेड स्टेट दूसरे स्तर पर है। यूनाइटेड स्टेट की 24.5 प्रतिशत आबादी धूम्रपान करती है। 1985 में रूस ने 201 बिलियन सिगरेट का उत्पादन किया था, जबकि 2006 में बढ़कर 414 बिलियन सिगरेट का उत्पादन किया। सभी यूरोपियन देशों (वामपंथी को छोड़कर) ने सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे प्लेटफार्म, पच और कैफे आदि जगहों पर घूम्रपान निषेध कर दिया है। जो लोग शुद्ध ताजी हवा को पसंद करते हैं, उनको भूटान जाना चाहिए। 2005 में भूटान ने पूरे देश में धूम्रपान निषेध कर दिया तथा तंबाकू उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आकड़े के अनुसार सन् 2009 में तंबाकू से करीब पांच मिलियन लोगों की मौत होने की आशंका जताई है। यदि धूम्रपान का यह आंकड़ा कम नहीं हुआ, तो सन् 2020 तक 8 से 10 मिलियन लोग काल के गाल में समा जायेंगे।

-डॉ० अजय कुमार चतुर्वेदी

सामाजिक न्याय के आंदोलन से उपजे नेताओं ने कभी पिछड़े वर्ग का ध्यान नहीं रखा

मधेपुरा शहर की चर्चा तो बहुत होती है लेकिन यह क्षेत्र विकास की बाट अब तक जोह रहा है। मधेपुरा से लगभग 10 किमी दूर, जैसे ही कोई पूर्णिया-सहरसा राजमार्ग से दाहिनी ओर मुड़ता है और रेलवे लाइन पार करता है तो टिन की छत वाले कच्चे घरों की श्रृंखला आपको दिखाई पड़ेगी।

लोकसभा चुनावों में विपक्ष की ओर से संविधान और आरक्षण बचाने की दुहाई दी जा रही है तो सरकार का कहना है कि वह संविधान और आरक्षण की सुरक्षा के लिए चट्टान बन कर खड़ी रही है और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। देखा जाये तो इस बार के आम चुनाव में प्रचार में मुद्दे तो कई उठ रहे हैं लेकिन जनता के असल मुद्दे परिदृश्य से गायब होते जा रहे हैं। गरीबों की बात सभी दल कर रहे हैं। गरीब यह देख कर खुश हैं कि उन्हें बहुत याद किया जा रहा है लेकिन वह यह बात जानते हैं कि मतदान के बाद उनकी सुध लेने कोई नहीं आयेगा। सभी दल सामाजिक न्याय की बात भी कर रहे हैं लेकिन वास्तविक सामाजिक न्याय तभी होगा जब सबका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा शिक्षा को सस्ता कर सबके लिए सुलभ बनाया जायेगा।

सामाजिक न्याय की मांग सबसे पहले बिहार से उठी थी। यह मांग उठायी थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के राजनीतिक सफर की बात करें तो आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा संसदीय क्षेत्र के भागलपुर से अलग होने के बाद, मंडल ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) के टिकट पर 1967 का लोकसभा चुनाव जीता था। वह 1968 में थोड़े समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। मंडल यादव समुदाय से थे और उन्हें दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 1978-80 के दौरान वह मंडल आयोग की रिपोर्ट के लेखक बने, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सरकारी नौकरियों में कोटा की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस घटनाक्रम के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था जोकि आज तक राजनीतिक परिदृश्य में काफी महत्व रखते हैं।

मधेपुरा शहर की चर्चा तो बहुत होती है लेकिन यह क्षेत्र विकास की बाट अब तक जोह रहा है। मधेपुरा से लगभग 10 किमी दूर, जैसे ही कोई पूर्णिया-सहरसा राजमार्ग से दाहिनी ओर मुड़ता है और रेलवे लाइन पार करता है तो टिन की छत वाले कच्चे घरों की श्रृंखला आपको दिखाई पड़ेगी। यहां पर मुरहो गांव के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का स्मारक है। मंडल स्मारक से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर मुसहर टोले के एक कोने में, एक मिट्टी की झोपड़ी है, जहां क्षेत्र के पहले संसद सदस्य किराई मुसहर के पोते रहते हैं। यह बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर से जाति जनगणना के मुद्दे पर राजनीति तो बहुत की गयी लेकिन पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया गया। यही नहीं मंडल के विचारों को भी इन दलों की ओर से दरकिनार कर दिया गया है। देखा जाये तो देश की सामाजिक न्याय की राजनीति के अग्रदूत, मंडल की विचारधारा ने समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सहित कई समाजवादी नेताओं को जन्म दिया। लेकिन इन दलों ने मंडल को भुला दिया। आज मंडल का पैतृक घर और उनके नाम पर स्मारक मुरहो गांव में उपेक्षा के शिकार दिखते हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि लालू और नीतीश ने सामाजिक न्याय आंदोलन को कमजोर कर दिया क्योंकि दोनों ने अपनी-अपनी जातियों को बढ़ावा दिया और दलितों को कुछ नहीं दिया इसीलिए वह अब भी गरीब बने हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि महादलितों की हालत और इस गांव की हालत देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति करने वालों ने देश और समाज को कुछ नहीं दिया। हम आपको बता दें कि यादवों के प्रभुत्व वाले निर्वाचन क्षेत्र मधेपुरा में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। यहां के लोगों का कहना है कि मुरहो गांव से शुरू हुए सामाजिक न्याय के गौरवशाली आंदोलन से जुड़ी यादें जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। उल्लेखनीय है कि मुरहो गांव यादव बहुल है और इसके अन्य समुदायों में कुर्मी और पचपनिया जैसे कुछ अन्य ओबीसी समूहों के साथ-साथ महादलित भी शामिल हैं। यहां के लोग इस गांव का भाग्य बदलने की उम्मीद छोड़ चुके हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत सम्पादकीय

कोरोना वैक्सीन पर राजनीति सही नहीं

हाल ही में कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में माना है कि इस वैक्सीन से कुछ लोगों को दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। यह वही वैक्सीन है जिसका भारत में बड़े पैमाने पर सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए उत्पादन किया गया था। एक निजी संस्थान द्वारा उत्पादित वैक्सीन को न केवल सरकार द्वारा प्रचारित किया गया, बल्कि इसे आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित और सुरक्षित भी बताया गया। जबकि सभी जानते हैं कि वैक्सीन का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में किया गया था। क्लिनिकल और अन्य परीक्षणों की लंबी और वर्षों-लंबी प्रक्रिया को कुछ महीनों और हफ्तों में यह कहकर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया कि यह समय की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री ने स्वयं सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया और इसके एमडी अदार पूनावाला के साथ देश को वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने खुद भी टीका लगवाया और देशवासियों से भी टीका लगवाने की अपील की। इसके बाद कोवैक्सिन, कोरवेबेक्स जैसी कई अन्य वैक्सीन भी आईं और लगाई गईं। सरकार ने इसे बड़े पैमाने पर खरीदा और जनता को मुफ्त में सप्लाई किया। पूरे देश में टीकाकरण शिविर आयोजित किये गये। वैक्सीन लेने के लिए लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। वैक्सीन प्रमाणपत्र वितरित किए गए और कई सरकारी सेवाओं के लिए यह प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया। यह प्रमाणपत्र आज भी हम सभी के मोबाइल फोन या दराज में मौजूद है। ये सब हुए कई साल बीत गए। कोरोना की कभी-कभी छोटी लहर की चर्चा के अलावा कोई बड़ी लहर नहीं आई है। ऐसा लगता है कि वैक्सीन का असर हुआ है। कोरोना के नए-नए वेरिएंट आते हैं और बिना कोई खास असर दिखाए वापस चले जाते हैं। चूंकि इन दिनों भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं कोविशील्ड पर एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे से विपक्ष को सरकार के खिलाफ नया हथियार मिल गया है। कोविशील्ड के बारे में खतरनाक तथ्य सामने आने से उन विपक्षी दलों को भी नई ताकत मिलेगी जिनके नेताओं ने शुरुआत में इस वैक्सीन का मजाक उड़ाया था और इसे बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसे लगवाने से इनकार कर दिया था। जब से एस्ट्राजेनेका द्वारा अदालत में वैक्सीन की खामियों को स्वीकार करना मीडिया में उजागर हुआ है, जिस महिला की कथित तौर पर कोविशील्ड लेने के बाद मृत्यु हो गई, उसके माता-पिता ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया है, जिसके एक दिन बाद भारत में वैक्सीन बेचने वाली एस्ट्राजेनेका ने अदालत में स्वीकार किया कि उनका कोविड शॉट एक दुर्लभ दुष्प्रभाव का कारण बन सकता है। एस्ट्राजेनेका का कबूलनामा सामने आने के बाद अभिभावकों को न्याय की उम्मीद है। कोविड-19 एक घातक बीमारी है, और हम सभी को जीवन में बाद में अनावश्यक स्थितियों से बचने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरोना और कोविशील्ड को लेकर चर्चाओं से भर गए हैं। ऐसा लगता है मानों सबको अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया हो. कोई इसके लिए एस्ट्राजेनेका और अदार पूनावाला को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई इसे चुनावी बांड चंदे और विदेश में कॉरपोरेट जगत के लालच से जोड़ रहा है. कोरोना महामारी को लेकर अब भी लोगों में संदेह होने लगा है।

स्वतंत्र प्रेस की चुनौतियां

– बाल मुकुन्द ओझा

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दुनियाभर में हर साल 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस समाज का आइना होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता बुनियादी जरूरत है। मीडिया की आजादी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है। प्रेस के सामने पहले भी चुनौतियां थीं और आज भी हैं। पत्रकारिता में निर्भीकता एवं निष्पक्षता होनी चाहिए। यह एक गम्भीर व कठिन विषय माना जाता है। पत्रकारिता की मर्यादा बनाये रखना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। भय और पक्षपात रहित पत्रकारिता के मार्ग में बड़ी चुनौतियां है। यह जोखिम भरा मार्ग है जिस पर चलना तलवार की धार पर चलना है। आज पत्रकारिता पर कई प्रकार का दवाब है। निष्पक्ष पत्रकारिता खण्डे की धार हो गयी है। मीडिया घरानों में विभक्त हो गयी है और घराने सत्ता के समक्ष नतमष्तक हो रहे है। सत्य और तथ्य को बेलाग उद्घाटित करना सच्ची पत्रकारिता है। कलम में बहुत ताकत होती है, आजादी के दौरान पत्रकारों ने अपनी कलम के बल पर अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। प्रेस सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करता है। प्रेस की चुनौतियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रेस को आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर संघर्ष करना पड रहा है। इनमें आंतरिक संघर्ष अधिक गंभीर है। प्रेस आज विभिन्न गुटों में बंट गया है जिसे सुविधा के लिए हम पक्ष और विपक्ष का नाम देवे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपेक्षा आज भी लोग प्रिंट मीडिया को अधिक विश्वसनीय मान रहा है।

प्रेस को आज चौतरफा खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कहीं शासन के कोपभाजन का सामना करना पड़ता है तो कहीं राजनीतिज्ञों, बाहुबलियों और अपराधियों से मुकाबला करना पड़ता है। समाज कंटकों के मनमाफिक नहीं चलने का खामियाजा प्रेस को भुगतना पड़ता है। दुनिया भर में प्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्टिंग के दौरान मीडियाकर्मी को कहीं मौत के घाट उतारा जाता है तो कहीं जेल की सलाखों की धमकियाँ दी जाती है। मीडिया पर भी आरोप है कि वह अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीकें से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारे सामाजिक सरोकारों को विकृत कर बाजारू बना दिया है। बाजार ने हमारी भाषा और रचनात्मक विजन को नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ऐसे में प्रेस की चुनौतियों को नए ढंग से परिभाषित करने की जरुरत है। मीडिया के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। विश्वसनीयता और स्वतंत्रता हर क्षेत्र की जरूरत है। इसके अभाव में समाज में अराजकता उत्पन्न होना स्वभाविक है। मीडिया नागरिकों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। मगर देखा जाता है मीडिया सत्ता और उसके विरोधी खेमे में बंट कर अपनी विश्वसनीयता को दावं पर लगा देता है जिसका खामियाजा अंततोगत्वा लोकतंत्र को ही उठाना पड़ता है। विश्वसनीयता का कम होना, अखवार बन्द होने से अधिक खतरनाक है। किसी की कठपुतली बनने अथवा अंध समर्थन या विरोध हमारी लोकतान्त्रिक मर्यादाओं को नष्ट करता है जिसे बचना निहायत जरुरी है। किसी निर्दोष को बिना सत्य जाने आरोपित करना पाप के सामान है।

आज सोशल मीडिया ने घर घर में पत्रकार खड़े कर दिए है जो पलक झपकते ही आप तक समाज में घटने वाली घटना ज्यों की त्यों परोस देता है। वह भी बिना लाग लपेट के। इसके अनेक खतरे भी उत्पन्न हो गए है जिससे समाज को लाभ कम और हानि अधिक होने की संभावना व्यक्त की जारही है। आज मीडिया के बेहतर फैलाव के बाद यह महसूस किया जा रहा है कि प्रेस की आजादी कायम रखी जाये मगर साथ ही जिम्मेदारी की भावना का भी निर्वहन किया जावे। समाज के कमजोर और पिछड़े तबके तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जावे। साम्प्रदायिकता और छदम साम्प्रदायिकता की सच्चाई से लोगों को अवगत कराया जाये। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जावे। प्रेस की आजादी का मतलभ हमारे सामाजिक नव निर्माण से है। प्रेस को अपनी स्वतंत्रता कायम रखते हुए समाज के जन जागरण में अपनी भूमिका तलाशनी होगी। प्रेस की चुनौतियां व्यापक है जिसे चंद शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आवश्यकता इस बात की है की समाज में गैर बराबरी पर हमला बोल कर समता और न्याय का मार्ग प्रशस्त हो सके इसमें प्रेस के साथ हम सब की भलाई निहित है।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

भारत एवं कनाडा के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर

घरेलू राजनीतिक हितों के लिए ट्रुडो भारत के साथ लड़ाई मोल लेकर अपने देश का भारी आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि भारत अब दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कनाडाई में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात और व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर यहां की इकोनॉमी पर पड़ रहा है।

– ललित गर्ग –

कनाडा में रविवार को वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालसा दिवस समारोह के दौरान खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने के बाद भारत सरकार जो सख्ती दिखाई है, वह आवश्यक एवं समयोचित कदम है। इस घटना पर भारत का चिंतित होना एवं कनाडा को चेताया जाना स्वाभाविक है। विदेश मंत्रालय में कनाडा के उप-उच्चायुक्त को तलब कर इस मामले में गहरी आपत्ति जताई गई है। कनाडा सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिये अनेक बार भारत विरोधी घटनाओं में संदेहास्पद एवं विवादास्पद भूमिका का निर्वाह करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की मर्यादाओं को धुंधलाया है। कनाडा की धरती से खालिस्तानी समर्थक अलगाववाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता रहा है। इस तरह की घटनाओं से कनाडा में अपराध का माहौल बना हुआ है। इससे कनाडा के नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। जिससे भारत में भी स्थितियां संकटपूर्ण बनी है। पिछले साल खुद ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से निज्जर हत्याकांड में भारत के शामिल होने का निराधार आरोप लगाया था। भारत के मांगने के बाद भी आज तक उनकी सरकार इस आरोप के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाई है। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाकर दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया था। भारत ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद से कनाडा और भारत के संबंधों में खटास आ गई और दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की बजाय खतरनाक मोड़ पर पहुंच गये हैं। रविवार के खालसा दिवस समारोह में न केवल खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए बल्कि ऐसे बैनर प्रदर्शित किए गए, जिनमें भारत-विरोध के त्रासद एवं राष्ट्र-विरोध के भ्रामक, झूठे एवं बेबुनियाद आरोप थे। अफसोस और चिंता की बात यह रही कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो इन सब भारत-विरोधी घटनाओं को रोकने की या इन्हें गलत बताने की कोई कोशिश की। इस पूरे मामले में ट्रूडो का व्यवहार आपत्तिजनक बना, दो देशों के बीच खटास घोलने वाला एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का रहा। जिसे दोनों देशों के राजनयिक पैमाने पर उचित नहीं कहा जा सकता। इस तरह कनाडा अपने देश की राजनीतिक जरूरतों के चलते भारत के साथ अपने रिश्ते इस मोड़ पर ले आया हैं, जहां उनके बीच विश्वास, भरोसे, आपसी सहयोग और संवाद की कमी है, तो यह अकारण नहीं है। भले ही लगभग आठ लाख कनाडाई सिखों की वहां की राजनीति में सक्रिय भागीदार हैं। सिख समुदाय की जरूरतों एवं उनके शांतिपूर्ण जीवन के लिये कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता में कोई आपत्ति नहीं हैं। सिख समुदाय के मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा करने के वायदे यदि वहां की सरकार करती है तो अच्छी बात है। भले ही कनाडा सरकार सिखों के सामुदायिक केंद्रों, गुरुद्वारा समेत पूजास्थलों की सुरक्षा को और मजबूत करने के साथ भारत एवं कनाडा के बीच उड़ानें और रूट बढ़ाने को लेकर भारत के साथ नए समझौते करें, लेकिन इन स्थितियों के बीच खालिस्तानी अलगाववाद को प्रोत्साहन देना भारत के लिये असहनीय है। भारत बार-बार इस बात को दोहरा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह अलगाववादी और अतिवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना न केवल दोनों देशों के रिश्तों के लिए बल्कि खुद कनाडा के लिए भी खतरनाक है। भारत जिस तरह से लम्बे समय तक खालिस्तानी आतंकवाद को झेला है, कनाडा में इन तत्वों को प्रोत्साहन देकर कनाडा आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र बन सकता है, जो उसके लिए नुकसानदेह ही साबित होने वाला है। निश्चित ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकी फल-फूल रहे हैं। खालिस्तानी न केवल भारतीय राजनयिकों को धमका रहे हैं बल्कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। कनाडा की धरती पर हर किस्म के खालिस्तानी चरमपंथी ही नहीं पल रहे हैं बल्कि वहां भारत से भागे गैंगस्टर और नशे के तस्कर भी शरण पा रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भारत ने कनाडा को जो खरी-खोटी सुनाई, वह इसलिए आवश्यक थी, क्योंकि वहां की ट्रूडो सरकार अपने भारत विरोधी रवैये से बाज नहीं आ रही है। वह जिस तरह खालिस्तानी अतिवादियों को संरक्षण दे रही है, उसकी मिसाल यदि कहीं और मिलती है तो वह पाकिस्तान में। कनाडा अपने भारत विरोधी रवैये के कारण पाकिस्तान सरीखा बनता जा रहा है। कनाडा अपने हितैषी एवं पडोसी देशों से दूरियां बना रहा है। खालिस्तान समर्थन एवं प्रोत्साहन के चलते कनाडा में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अपने देश के साथ दुनियाभर में वह आलोचकों के निशाने पर हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों पर नियंत्रण रखने में कथित नाकामी के चलते ट्रुडो को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते जी-20 बैठक में उन्हें भारत और सदस्य देशों का 'ठंडा' रिस्पांस मिला। भारत में खास अहमियत नहीं मिलने से खिसियाए ट्रुडो को कनाडा के मीडिया ने भी आड़े हाथ लिया है। ट्रुडो सरकार पर भारत के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाने और व्यापार वार्ता के बारे में अंधेरे में रखने के आरोप भी लगे हैं। घरेलू राजनीतिक हितों के लिए ट्रुडो भारत के साथ लड़ाई मोल लेकर अपने देश का भारी आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि भारत अब दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कनाडाई में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात और व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर यहां की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। भारत की नाराजगी बेवजह नहीं है, क्योंकि कनाडा भारत के विरोध में लगातार सक्रिय हैं, कनाडा ने ही किसानों के आंदोलन के समर्थन में अतिश्योक्तिपूर्ण सहयोग होने दिया। जबकि दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के लिए एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव और आपसी भरोसा रहना जरूरी है। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठे थे। लेकिन अमेरिका ने इस मसले पर सार्वजनिक बयानबाजी करने के बजाय भारत सरकार से सीधी बातचीत की। भारत ने भी अमेरिकी सरकार की ओर से मुहैया कराए गए सबूतों को गंभीरता से लिया। इस मामले में एक उच्चस्तरीय जांच शुरू हुई। अच्छी बात यह भी है कि इस मामले को दोनों देशों के संबंधों के खटास का माध्यम नहीं बनने दिया। जांच के निष्कर्षों को दोनों देशों ने स्वीकार किया एवं बेवजह का विवाद खड़ा नहीं होने दिया। कनाडा को भी अमेरिका से कुछ सीखना चाहिए एवं निज्जर हत्याकांड में भारत की अगर कोई भूमिका है तो उसके सबूत भारत सरकार को देने चाहिए। कोरे आरोप लगाकर आपसी संबंधों को बिगाड़ने से परहेज करना चाहिए। अपनी भूमि का उपयोग भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करती गतिविधियों के लिये कत्तई नहीं करने देना चाहिए। बात कनाड़ा के साथ-साथ अन्य देशों पर भी लागू होती है जो अपने राजनीतिक हितों के लिये खालिस्तान समर्थक या अन्य भारत विरोधी आन्दोलनों को जगह देते हैं, लेकिन इन देशों ने भी समझा है और समझना ही होगा कि किसी देश के अन्दरूनी मामलों में दखलअंदाजी करना उनके लिये ही हानिकारक होने वाला है। भारत अब एक महाशक्ति है, कनाड़ा जैसे देशों की भारत-विरोधी गतिविधियों से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पडेगा।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट 25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92)

भारतीय राजनीति लव जिहाद से वोट जिहाद तक

– राकेश अचल

जिहाद का शब्दिक अर्थ होता है नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली ज़द्दोज़हद या संघर्ष, किसी जायज़ माँग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन। जिहाद का अर्थ मेहनत और मशक्क़त करना भी है किन्तु जिहाद का यह दुर्भाग्य है कि इस पवित्र शब्द का चरमपंथियों ने गलत अर्थ दुनिया को समझा दिया और अब ये आम जिंदगी से निकालकर सियासत का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। इसके लिए जितने चरमपंथी जिम्मेदार हैं उतनी ही राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार है। भाजपा ने जिहाद और लव –जिहाद के राजनीतिक अर्थ बताए तो मौजूदा आम चुनावों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुस्लिम मतदाताओं से सत्ता परिवर्तन के लिए 'वोट जिहाद' करने की अपील कर दी और अब फंस गए। उनके खिलाफ बाकायदा आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद फर्रुखाबाद पुलिस ने मारिया आलम और सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दोनों नेताओं पर आईपीसी की धारा 188, 295 (ए) और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। अब उत्तरप्रदेश की सरकार और पुलिस के ऊपर है कि वो खुर्शीद साहब और उनकी भतीजी को गिरफ्तार करती है या नहीं ? खुर्शीद साहब मुझसे उम्र में छह साल बड़े हैं,वे मुझे अपनी शराफत,नजाकत और बुद्धिमत्ता की वजह से शुरू से प्रिय रहे हैं। उनका मुसलमान होना एक संयोग है। वे मुसलमान न भी होते तो एक मनुष्य के रूप में उतने ही चर्चित होते जितने कि आज हैं। खुर्शीद भाई को पूरा देश जानता है। सलमान खुर्शीद एक भारतीय राजनीतिज्ञ,चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रख्यात लेखक और कानून शिक्षक हैं। वे विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं वह एक वकील और एक लेखक है, जो 2009 के आम चुनाव में फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इससे पहले खुर्शीद 1991 में फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 10 वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह जून 1991 में वाणिज्य मंत्रालय के केंद्रीय उप मंत्री बने, और बाद में विदेश मामलों के राज्य मंत्री बन गए। खुर्शीद साहब शुरू में नेता नहीं बल्कि 1981 में प्रधान मंत्री कार्यालय में एक विशेष अधिकारी के रूप में पदस्थ थे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें राजनीति में लेकर आयीं।

दरअसल जो लोग खुर्शीद को नहीं जानते उन्हें बता दूँ कि सलमान खुर्शीद उस व्यक्ति का नाम है जो अपना घर फूंक कर तमाशा देखने वाला है। वे एक लेखक हैं,एक अभिनेता हैं और बाद में जन नेता हैं। सलमान से असहमत लोगों ने सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित आवास को आग तक लगा दी थी लेकिन न सलमान खुर्शीद बदले और न उनके स्वर। वे 1992 में जैसे थे वैसे ही 2024 में भी हैं। सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी को वोट के जरिये व्यवस्था बदलने के लिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था,क्योंकि इस देश में आज लोग जिहाद के नाम से भड़क जाते हैं। सलमान खुर्शीद की मजबूरी ये रही कि वे जिस इलाके में राजनीति करते हैं उस इलाके में उर्दू मातृभाषा के रूप में प्रचलित है। वे यदि परिवर्तन के लिए 'जिहाद' शब्द का इस्तेमाल न करते तो मुमकिन था कि उनकी बात स्थानीय मतदाता समझ न पाता। इस देश में मुसीबत ये है कि जो होता है उसे वो माना नहीं जाता। जैसे जो हेट स्पीच है उसे हेट स्पीच नहीं कहा जाता और जो हेट स्पीच नहीं है उसे आनन-फानन में 'हेट स्पीच' मान लिया जाता है। घृणा की भाषा के बारे में जब हमारे नेता नहीं जानते तो हमारी पुलिस उसके बारे में कैसे जान सकती है ? भारत में पुलिस के हाथ लम्बे जरूर होते हैं किन्तु हमारी पुलिस आज भी अंग्रेजों के जमाने की पुलिस है। अभी चुनाव के पांच चरण बाक़ी हैं,देखिये आगे-आगे होता है क्या ? वैसे मैं ईमानदारी से कहूँ तो आज आम चुनाव एक धर्मयुद्ध जैसा ही है। एकदम महाभारत के माफिक। लोकतंत्र में वोट जिहाद के बिना कोई तब्दीली आ ही नहीं सकती। इसलिए यदि आपके पास मताधिकार है तो आप वोट जिहाद यानि वोट से क्रांति कर सकते है।(विभूति फीचर्स)

कविता

बुजुर्ग वट वृक्ष सा घना साया

छाया जब भी वट वृक्ष सा घना साया,
बुजुर्गों का हाथ सिर पर घनेरा आया।

उनके चेहरे की सलवटे नहीं आशीर्वचन है,
जब उनकी आई याद, चेहरा सदा मुस्कुराया।

उनको जब भी शिद्दत से स्मरण किया,
उन्होंने सार्थक जीवन मेरा बनाया।

चेहरा उनका जब भी मुझे याद आया,
जीवन में फिर कभी मैं नहीं घबराया।

चलने से लेकर पढ़ने तक सब उनसे पाया,
धूप और बारिश से उन्होंने सदा बचाया।

यदि साथ हैं वें तो ले लो आशीर्वाद,
मत कहना कि क्या खोया क्या पाया।

उनका अंश उनका अभिमान हैं हम,
अर्पित करतें उन्हें उनसे जो सारा पाया।

सुबह शाम प्रणाम नमन करें उन्हें,
सब कुछ हमने तो उन्हीं से समूचा पाया।

संसार के सभी बुजुर्ग माता-पिता को मेरा नमन है,
नीली छतरी वाले से पहले उन्होंने जीवन मेरा बनाया।
बुजुर्गों को प्रणाम, नमन।

संजीव ठाकुर
(रायपुर छत्तीसगढ़)

खराब आर्थिक नीतियो और सेना के भारी बजट के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तार- तार हो चुकी है। वह विश्व बैंक,अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ),सऊ दी अरब,चीन वगैरह के आगे मदद की आस में हर वक्त कटोरा लेकर खड़ा रहता है। पाकिस्तान अपने निर्यात को भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन आतंकवादी मुल्क से आयात करेगा कौन? विश्व बैंक ने 2018 में अनुमान लगाया था कि अगर पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार अपनी क्षमता तक पहुँच जाता है तो उसका निर्यात लगभग 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

पाक क्यों चाहता भारत से कारोबारी संबंधों की बहाली

– आर.के. सिन्हा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अपने देश की रसातल में जा रही अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिए बीती 26 अप्रैल को अपने मुल्क के उद्योगपतियों से कराची में मुलाकात की। वहां सवाल-जवाब का लम्बा दौर भी चला। इस दौरान पाकिस्तान के चोटी के उद्योगपति और आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमेन आरिफ हबीब ने शाहबाज शरीफ से पुरजोर गुजारिश की कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध तुरंत बहाल करें। पाकिस्तान के अंग्रेजी के मशहूर अखबार दि डॉन ने गुरुवार (25 अप्रैल, 2024) को इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा भी है। उस वक्त वहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के समधी इशाक डार भी मौजूद थे। डार के बेटे की शादी नवाज शरीफ की बेटी से हुई है। डार ने पिछले महीने ही कहा था कि उनका मुल्क भारत से व्यापारिक संबंध बहाल करना चाहता है। उधर, भारत का मानना है कि व्यापार को द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए, पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाना होगा। वहां चल रही आतंकवाद की फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करना होगा। भारत का यह भी मानना है कि आतंकवाद के मुद्दे पर ठोस कदम उठाए बिना व्यापार शुरू करना संभव नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के नेताओं की भारत के साथ व्यापार शुरू करने की इच्छा कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। यह सब जानते हैं। भारत के साथ व्यापार, विशेष रूप से चीनी और कपास जैसे उत्पादों का आयात बंद होना, पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ रहा है। क्योंकि, उसे ये उत्पाद दुबई जैसे देशों से मंगवाने पड़ते हैं। पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय का मानना है कि भारत के साथ सीधा व्यापार आर्थिक विकास को गति दे सकता है। अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भी पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा दिया है। यह भी देखना होगा कि ईरान के नेता की हालिया इस्लामाबाद यात्रा से दोनों देश कितने करीब आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यापार, राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक और सार्थक चर्चा के लिए भी एक प्रारंभिक कदम हो सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में जल्द ही सुधार की संभावना भी नहीं है, क्योंकि अभी तो भारत में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इस बीच, भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों की बहाली करने से कोई बहुत लाभ नहीं होगा। अगर दोनों पड़ोसियों में व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, तो इससे पाकिस्तान को ही बड़ा लाभ होगा। पाकिस्तान के लिए कठमुल्लों पर लगाम लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आने वाले समय में दोनों देशों के नेताओं के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति और ठोस कदम ही इस गतिरोध को तोड़ सकते हैं। भारत की चिंता बहुत वाजिब है। भारत सरहद के उस पार से होने वाले आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है। इसलिए वह कोई भी कदम बहुत सोच-समझकर ही उठाएगा। अब पाकिस्तान लाख चाहें पर, पर भारत उससे व्यापारिक संबंधों को लेकर कतई उत्साहित नहीं है। पाकिस्तान ने ही भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को खत्म कर लिया था जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू- कश्मीर से संविधान की धारा 370 को खत्म कर दिया था। तब से पाकिस्तान के कुछ नेता कहते रहते हैं कि जब तक धारा 370 की बहाली नहीं होगी तब तक वह भारत से संबंध बहाल नहीं करेंगा। हालांकि अब जम्मू-कश्मीर में धारा 370 की बहाली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बारे में सारा देश एक तरह से सोचता है। और, पकिस्तान हो या कोई अन्य विदेशी मुल्क, वहां की सरकार या अवाम को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल को मोदी जी तो हरगिज बर्दास्त नहीं करेंगे। पहले की सरकारों की कमजोरी से ही अबतक ऐसा होता रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री के रूप में ताजपोशी के बाद यह तय ही था कि वहां भारत से व्यापारिक संबंध शुरू करने की पहल चालू होगी। खराब आर्थिक नीतियो और सेना के भारी बजट के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तार- तार हो चुकी है। वह विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), सऊदी अरब, चीन वगैरह के आगे मदद की आस में हर वक्त कटोरा लेकर खड़ा रहता है। पाकिस्तान अपने निर्यात को भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन आतंकवादी मुल्क से आयात करेगा कौन? विश्व बैंक ने 2018 में अनुमान लगाया था कि अगर पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार अपनी क्षमता तक पहुँच जाता है तो उसका निर्यात लगभग 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त और प्रसिद्ध पुस्तक 'एंगर मैनेजमेंट- द ट्रबल्ड डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान' के लेखक अजय बिसारिया कहते हैं- 'अगर भारत-पाकिस्तान में तिजारती संबंध शुरू होते हैं तो पाकिस्तान के कपड़ा और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों को तगड़ा लाभ होगा।' एक बात शीशे की तरह से साफ है कि सोशल मीडिया के इस दौर में पाकिस्तान का अवाम पड़ोसी भारत की जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को बारीकी से देख रहा है। पाकिस्तान तो बिजली और आटे की किल्लत, बेरोजगारी और महंगाई की मार से त्राहि-त्राहि कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तानी नेतृत्व भारत के साथ कारोबारी संबंध स्थापित करने का ख्वाब देख रहा है। हां, यह तो मानना होगा कि चाहे नवाज शरीफ हों या फिर उनके अनुज और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ कारोबार के महत्व को तो अच्छी तरह समझते हैं। ये खुद भी कारोबारी हैं। शरीफ परिवार का स्टील बिजनेस है। इनकी कंपनी के भारत के प्रख्यात स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल की कंपनी जिंदल साउथ-वेस्ट (जेएसडब्ल्यू) से कारोबारी संबंध रहे हैं। शरीफ जानते हैं कि अब दुनिया युद्ध के रास्ते पर नहीं चल सकती है, क्योंकि; युद्ध विनाश का पर्यायवाची है। उनके सामने भारत-चीन का शानदार उदाहरण है। ये दोनों दिग्गज एशियाई मुल्क अपने जटिल सीमा विवाद को सुलझाने की चेष्टा करते हुए भी आपसी व्यापार को आगे लेकर जा रहे हैं। वर्तमान में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब रुपये के आसपास पहुंच रहा है। पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत की चाहत पूरी हो सकती है, अगर वह आतंकियों की गोद से मुक्त होकर भारत की चिंताओं का समाधान करे।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

टिप बिंदु

मजबूत जीएसटी राजस्व के साथ, अगली सरकार को सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी

वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त राजस्व

अप्रैल में पहली बार. अप्रैल का महीना आम तौर पर सबसे अधिक जीएसटी देता है क्योंकि इसमें मार्च में की गई गतिविधि के लिए भुगतान किए गए कर शामिल होते हैं, जब करदाता वर्ष के लिए अपनी किताबें बंद करते हैं, कर की समय सीमा को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, और राजस्व विभाग द्वारा मांगे गए बकाया राशि के वर्ग में समायोजन करते हैं। चूक या व्याख्या में भिन्नता के कारण। ₹2.1 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक सकल राजस्व के साथ, पिछले महीने का जीएसटी संग्रह अप्रैल 2023 के ₹1.87 लाख करोड़ से 12.4% अधिक था, जो नवीनतम डेटा सेट से पहले उच्चतम मासिक सेवन को चिह्नित करता है। वर्ष के अंत के प्रभाव से, बाद के महीनों में राजस्व मध्यम हो जाएगा, इसलिए मासिक जीएसटी संग्रह के लिए ₹2 लाख करोड़ का आंकड़ा अभी तक नया सामान्य नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान गति जारी है और जीएसटी राजस्व वृद्धि पिछले साल की 11% -12% सीमा में बनी हुई है, पिछले अप्रैल का ₹1.87 लाख करोड़ का उच्चतम स्तर इस साल का मासिक औसत हो सकता है। ध्यान रखें कि पिछले वर्ष औसत मासिक राजस्व ₹1.68 लाख करोड़ था, और वर्ष शुरू होने से पहले, सबसे अधिक मासिक संग्रह अप्रैल 2022 में ₹1,67,540 करोड़ देखा गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने के 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी राजस्व को "ऐतिहासिक" बताया है, उन्होंने इसे मजबूत अर्थव्यवस्था और शानदार संग्रह का श्रेय दिया है। इससे केंद्र की कुछ साल पहले की चिंता दूर हो जानी चाहिए कि 82 महीने पुरानी जीएसटी व्यवस्था से मिलने वाला रिटर्न निराशाजनक रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फर्जी चालान जैसे धोखाधड़ी के खिलाफ निरंतर कार्रवाई और सख्त अनुपालन मानदंडों ने राजस्व बढ़ाने में मदद की है। केंद्रीय जीएसटी राजस्व पिछले साल के लक्ष्यों से अधिक हो गया है, 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब 10% से कम राजस्व वृद्धि की आवश्यकता है। अगली सरकार के लिए, आसान काम पूर्ण बजट में राजस्व लक्ष्यों को अपग्रेड करना होगा। अधिक महत्वपूर्ण अनिवार्यता जीएसटी नेट के विस्तार की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना है, और उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए इसे वास्तव में सरल कर बनाने के लिए इसकी जटिल दर संरचना के लंबे समय से प्रतीक्षित रीबूट में तेजी लाना है, अब जब राजस्व संबंधी चिंताएँ अपेक्षाकृत कम हो गई हैं। संयोग से, भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में, जो जीएसटी लागू करने का श्रेय लेती है, केवल छोटे व्यवसायों के लिए इसके पोर्टल को सरल बनाने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने कुछ अपवादों के साथ एकल, मध्यम कर दर पर स्विच करने, कृषि इनपुट पर कोई शुल्क नहीं लगाने और पंचायतों और नगर पालिकाओं के साथ राजस्व साझा करने का आश्वासन दिया है।

हितधारकों के परामर्श से सूचित स्मार्ट जीएसटी सुधारों को, जो भी संगठन में आता है, उसके एजेंडे में सबसे आगे रहने की जरूरत है, ताकि उपभोग को रोकने वाली विसंगतियों को ठीक किया जा सके और निवेश और विकास के अगले अच्छे चक्र की नींव रखी जा सके।

पूर्वी मोर्चा

पश्चिम बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण वामपंथियों और कांग्रेस को पीछे छोड़ रहा है

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल में बड़ी उम्मीदें रखती है, जहां उसने 42 में से 18 सीटें जीतीं और 2019 में 40% वोट शेयर हासिल किया। 2014 में दो सीटों से इस नाटकीय बढ़त ने पार्टी को खुद को प्रमुख के रूप में पेश करने का मौका दिया। 2021 के विधानसभा चुनावों में विपक्ष, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय त्रि-नमूल कांग्रेस (टीएमसी) तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापस आ गई। 294 विधानसभा सीटों में से 77 और 38.1% वोट शेयर के साथ, भाजपा दूसरे स्थान पर रही। इस साल, राज्य में आम चुनाव के सभी सात चरणों में मतदान हुआ है, और भाजपा इस उम्मीद में हर संभव कोशिश कर रही है कि वह अपनी सीटों में सुधार कर सके, जिससे अन्यत्र किसी भी चुनावी नुकसान की भरपाई भी हो सके। भाजपा भ्रष्टाचार, जमीन हड़पने और संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और स्कूल भर्ती घोटाले के आरोपों के साथ टीएमसी को बचाव की मुद्रा में रख रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लगभग 25,000 शिक्षक नियुक्तियों को समाप्त कर दिया जो कि भाजपा के लिए एक झटका है। भाजपा के खिलाफ टीएमसी का अभियान नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय योजनाओं और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत राज्य को धनराशि रोकने पर केंद्रित है। यह महिलाओं के लिए लक्ष्मीर भंडार जैसी नकद हस्तांतरण योजनाओं पर भी निर्भर है। महिला सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करते हुए, भाजपा ने संदेशखाली से एक महिला को उम्मीदवार बनाया है, यह वह निर्वाचन क्षेत्र है जहां महिलाओं पर हमले की खबरें आई थीं।

भाजपा को उत्तर बंगाल के जिलों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, जहां उसने 2019 में आठ में से सात सीटें जीती थीं, जबकि तृणमूल का ध्यान दक्षिणी जिलों में अधिक है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। इसके लिए टीएमसी लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन से भी जूझ रही है. अल-गठबंधन मालदा और मुर्शिदाबाद के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कुछ सीटों पर एक कारक बन सकता है, और गठबंधन से बाहर निकलने के भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चे के फैसले से लाभ होने की संभावना है। टीएमसी. भाजपा राम मंदिर, रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा और भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोगों की अवैध आवाजाही का मुद्दा उठा रही है। धार्मिक आधार पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण से 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को और 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल को मदद मिली, जिससे वाम दल और कांग्रेस मैदान से बाहर हो गए। तृण-मूल भी खुद को इसके संरक्षक के रूप में पेश करके और भाजपा को एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में चित्रित करके और राज्य के हितों के प्रति असंवेदनशील होकर बंगाली पहचान का राग अलाप रही है। भाजपा के लिए, पश्चिम बंगाल केवल अधिक सीटें जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि असाधारणता का दावा करने वाले क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने के बारे में भी है। हिंदू राजनीति के लिए कुछ शुरुआती तर्क बेन-गैल में उत्पन्न हुए थे, और इससे भाजपा को आशा मिलती है।

मानक आवश्यक पेटेंट पर न्यायपालिका की छाया

टी भारत में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के खिलाफ कुछ प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा 'मानक आवश्यक पेटेंट' (एसईपी) का इस्तेमाल करने के तरीके को लेकर भारत में संभावित संकट पैदा हो रहा है। यह एक जटिल नीतिगत मुद्दा है जिसका सेलुलर फोन के लिए घरेलू विनिर्माण उद्योग बनाने के भारत के प्रयासों पर सीधा असर पड़ता है। अब तक, एसईपी को विनियमित करने के मुद्दों को न्यायपालिका पर छोड़ दिया गया है, जो एक संस्था के रूप में, ज्यादातर गेंद को चूक गई है।

प्रशांत रेड्डी टी.

के सह-लेखक हैं

'बनाएं, कॉपी करें, बाधित करें: भारत के बुद्धिजीवी प्रॉपर्टी डिलेमास' (2017)

आरंभ करने के लिए, एसईपी के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। ये ऐसे पेटेंट हैं जो उन प्रौद्योगिकियों को कवर करते हैं जिन्हें उद्योग द्वारा "मानकों" के रूप में अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए, सीडीएमए, जीएसएम, एलटीई जैसी प्रौद्योगिकियां दूरसंचार क्षेत्र में सभी उद्योग मानक हैं। विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित सेल्युलर फोन के विभिन्न ब्रांडों की अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे तकनीकी मानक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, एक बार जब जीएसएम को एक मानक के रूप में अपनाया गया, तो सभी निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना था कि उनके द्वारा निर्मित हैंडसेट जीएसएम के अनुकूल हों। अन्यथा उनके फ़ोन की कोई मांग नहीं होगी.

अपारदर्शी मॉडल प्रौद्योगिकी
क्षेत्र में मानक स्थापित करने की प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया गया है और "मानक निर्धारण संगठनों" का वर्चस्व है।

(एसएसओ) बड़े पैमाने पर निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। भारत जैसे दूरसंचार क्षेत्र में कम नवप्रवर्तन वाले देशों में इस बात पर बहुत कम प्रभाव है कि मानक कैसे निर्धारित किए जाते हैं या एसईपी को कैसे लाइसेंस दिया जाता है।

सैद्धांतिक रूप से, जो कंपनियां एसईपी की मालिक हैं, उन्हें भारी लाभ होता है क्योंकि सेल्यूलर फोन के प्रत्येक निर्माता को बाजार में बने रहने के लिए संबंधित तकनीकी मानकों का लाइसेंस लेना पड़ता है। विकल्पों की कमी का मतलब यह भी है कि एसईपी के मालिक प्रतिस्पर्धा को अवरुद्ध करने वाले निर्माताओं से जबरन रॉयल्टी या लाइसेंसिंग शर्तों की मांग कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में इसे "पेटेंट होल्डअप" समस्या कहा जाता है। सिद्धांत रूप में, एसएसओ को एसईपी के मालिकों को अपनी प्रौद्योगिकियों को उचित, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण (एफआरएएनडी) दर पर लाइसेंस देने की आवश्यकता के द्वारा ऐसे परिदृश्य को रोकना चाहिए।

व्यवहार में, स्व-नियमन का यह मॉडल
प्रौद्योगिकी उद्योग में अपारदर्शिता की छाप रही है और यह बुरी तरह विफल रहा है, जैसा कि रिकॉर्ड संख्या से पता चलता है कि इनमें से कुछ एसईपी मालिकों को प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण दुनिया भर में भारी कीमत चुकानी पड़ी है।

इन एसईपी मालिकों में से सबसे बड़े, क्वालकॉम को चीन (2015) द्वारा $975 मिलियन, दक्षिण कोरिया (2017) द्वारा $873 मिलियन, द्वारा $774 मिलियन का भुगतान किया गया है।

इससे पहले कि न्यायपालिका पेटेंट को और अधिक नुकसान पहुंचाए, सरकार को मानक आवश्यक पेटेंट को विनियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए।

भारत के विनिर्माण सपने

ताइवान (2017) और $1.2 बिलियन (2018) और यूरोप आयोग द्वारा अन्य $272 मिलियन (2019)।
इनमें से सभी दावे अपील पर कायम नहीं रहे, लेकिन ये इस बात के उपयोगी संकेतक हैं कि प्रतिस्पर्धा कानून के नजरिए से अन्य देशों ने इस मुद्दे पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दी है।

न्यायिक सुस्ती और सक्रियता का प्रभाव इस मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायिक सुस्ती और न्यायिक सक्रियता दोनों की विशेषता रही है। यह विरोधाभासी लग सकता है लेकिन कुछ तथ्य यह समझाने में मदद करेंगे कि भारत इस स्थिति में कैसे पहुंचा।

2013 में, माइक्रोमैक्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत इस मुद्दे की जांच शुरू की कि क्या एरिक्सन ने अपने SEP के लिए जबरन रॉयल्टी की मांग करके अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया है। एरिक्सन ने ऐसा करने के लिए CCI की शक्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि पेटेंट अधिनियम में पेटेंट के दुरुपयोग को ठीक करने की शक्ति केवल पेटेंट कार्यालय के पास निहित है।

मुकदमे के पहले दौर का निपटारा 30 मार्च, 2016 को एकल न्यायाधीश द्वारा सीसीआई के पक्ष में किया गया था। इसके बाद एरिक्सन ने इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी, जहां फैसला आने तक यह आश्चर्यजनक रूप से सात साल तक लंबित रहा। 13 जुलाई, 2023 को सीसीआई के खिलाफ फैसला सुनाया गया। सीसीआई ने इस फैसले के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है, जहां मामला लंबित है। परिणामस्वरूप, भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसने अभी तक एसईपी की स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों की संभावित अपमानजनक लाइसेंसिंग प्रथाओं की जांच नहीं की है।

जबकि प्रतिस्पर्धा कानून के मुद्दे बने रहे
मुकदमेबाजी में फंसे, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एरिक्सन और अन्य एसईपी मालिकों के नेतृत्व में सेलुलर फोन के निर्माताओं के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई शुरू की, इस सवाल पर कि क्या एरिक्सन पूर्व के स्वामित्व वाले एसईपी का उल्लंघन कर रहे थे और क्या नुकसान देय था। आदर्श रूप से प्रतिस्पर्धा कानून के मुद्दों का समाधान होने तक उल्लंघन के मुकदमों पर रोक लगा दी जानी चाहिए थी।

अधिकांश देशों में इस तरह के मुकदमों का सामान्य तरीका यह है कि अदालतें पेटेंट की वैधता, उल्लंघन हुआ है या नहीं और यदि हुआ है, तो देय हर्जाने पर सुनवाई करती हैं। ये मुकदमे जटिल होते हैं और इनमें समय लग सकता है। उदाहरण के लिए, लावा इंटरनेशनल के खिलाफ एरिक्सन द्वारा चलाए गए शुरुआती मुकदमों में से एक को 500 पन्नों के एक उल्लेखनीय फैसले में आठ साल लग गए, जिसे हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित बंसल ने सुनाया।

हालाँकि, समस्या यह है कि जिस तरह से दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की लंबे समय तक चलने वाले इन परीक्षणों का निष्कर्ष लंबित है। पिछले एक दशक से, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्माताओं, जिनमें से कई भारतीय कंपनियां हैं, को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विनिर्माण जारी रखने के लिए अदालत में धन "जमा" करने के लिए कई आदेश देकर पूरी प्रक्रिया को छोटा कर दिया है।

मुकदमे से पहले अक्सर करोड़ों रुपये की राशि वाले ऐसे "जमा" आदेश वाणिज्यिक कानून के इतिहास में अभूतपूर्व हैं, क्योंकि कानून में न्यायाधीशों को ऐसी शक्तियाँ देने का कोई प्रावधान नहीं है। अभूतपूर्व होने के अलावा, ये आदेश प्रतिवादियों के लिए भी अनुचित हैं क्योंकि वे मुकदमे की पूरी अवधि (जिसमें आठ साल तक का समय लग सकता है) के लिए उन्हें कार्यशील पूंजी (जो भारत में बहुत महंगी है) से वंचित करते हैं।

फिर भी, ऐसी न्यायिक सक्रियता को उचित ठहराया गया है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी "न्याय करने की अंतर्निहित शक्तियों" का आह्वान करके इस तरह के तर्क का इस्तेमाल किया है। न्यायपालिका द्वारा अतीत में "जनहित याचिका" जैसे कार्यकर्ता उपायों को उचित ठहराने के लिए इसी तरह के तर्क का इस्तेमाल किया गया है। उत्पीड़ितों के नाम पर और बहुराष्ट्रीय निगमों के नाम पर भी सक्रियता को उचित ठहराने के लिए इसी तर्क का इस्तेमाल किया गया है, यह दर्शाता है कि यह तर्क शुरू में कितना भ्रामक था।

यह न्यायिक सक्रियता न्यायिक के साथ मिलकर
देरी से विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के सरकार के प्रयास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार द्वारा किए गए इन उपायों में भारत में विनिर्माण के लिए "उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन" योजना के तहत निर्माताओं को भुगतान शामिल है। निर्माताओं की जेब में पैसा डालने के औचित्य पर सवाल उठाना उचित है, जबकि एसईपी के मालिकों द्वारा उसी जेब से निकाले जा रहे पैसे के तरीके और मात्रा पर नज़र डालना उचित है। अधिक प्रासंगिक रूप से, भारत में रोजगार सृजन के लिए निवेश करने वाले निर्माताओं के विपरीत, एसईपी के मालिक केवल अपना पैसा देश से बाहर ले जा रहे हैं।

यूरोप का मामला अब समय आ गया है
कि भारतीय सरकार हस्तक्षेप करे और एसईपी को विनियमित करने के उपाय लागू करे, इससे पहले कि न्यायपालिका भारत के विनिर्माण सपनों को और नुकसान पहुंचाए। अगर भारत हस्तक्षेप करता है तो वह अपवाद नहीं होगा। यूरोपीय संसद ने पहले ही एसईपी को विनियमित करने के लिए ऐसे उपायों का एक सेट लागू किया है। यकीनन, भारत के पास इसी तरह के, अगर मजबूत विनियामक उपायों के लिए नहीं, तो भी अधिक मजबूत मामला है, क्योंकि एसएसओ द्वारा एसईपी का चयन कैसे किया जाता है, इस पर उसका कोई कहना नहीं है, जबकि विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों के पेटेंट को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा उसे बाध्य किया जाता है।

'इस छुट्टी' को महिला का अधिकार मानें

एस कभी-कभी, चुनाव गहराई से संस्थागत लैंगिक पूर्वाग्रहों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की स्वीकृति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के चुनाव घोषणापत्र में एक वादा किया गया है ("महिला कल्याण" विषय के तहत) कि "डीएमके जोर देगी" कि केंद्र सरकार लैंगिक समानता की दिशा में यात्रा पर जोर देते हुए महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला एक कानून बनाए। यह वादा 17वीं लोकसभा में दिसंबर 2023 में मासिक धर्म अवकाश पर बहस के बाद किया गया है, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ।

रेहनमोल रवींद्रन

में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं

इससे संबंधित विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

नतीजा।

विधायक और विधेयक दिसंबर 2021 में,
तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद (सांसद) एस. जोथिमनी ने 'मासिक धर्म स्वच्छता और सवैतनिक छुट्टी का अधिकार विधेयक, 2019' नामक एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था, जिसमें मासिक धर्म की छुट्टी लाने की मांग की गई थी। एक महिला के अधिकारों का दायरा, और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में ऐसी छुट्टी से इनकार करना। इसमें इनकार करने पर जुर्माना लगाने की भी मांग की गई है।

महिलाओं के लिए मासिक धर्म अधिकारों की परिकल्पना करने वाला विधेयक यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक महिला अपने मासिक धर्म की आत्म-धारणा के अधिकार की हकदार होगी, जिसमें मासिक धर्म (पहली माहवारी), रजोनिवृत्ति, मासिक धर्म चक्र, प्राथमिक या माध्यमिक कष्टार्तव (मासिक धर्म दर्द) शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। . विधेयक में निम्नलिखित उपायों की मांग की गई: अधिकार, जिसमें तीन दिनों की सवैतनिक छुट्टी भी शामिल है; आठवीं कक्षा से ऊपर के छात्रों के लिए तीन दिन की छुट्टी या अनुपस्थिति का अधिकार; कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए मासिक धर्म के दौरान दिन में दो बार 30 मिनट के आराम का अधिकार, और सभी महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं और इक्विटी का अधिकार।

निनॉन्ग एरिंग, जो अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस सांसद थे, ने 2017 में मासिक धर्म अवकाश पर एक निजी सदस्य विधेयक (मासिक धर्म लाभ विधेयक, 2017) पेश किया था। इसके बाद शशि आए

मासिक धर्म अवकाश के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के अधिक स्पष्ट रुख से महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा

केरल से कांग्रेस सांसद थरूर ने महिला यौन, प्रजनन और मासिक धर्म अधिकार विधेयक, 2018 नामक एक समान विधेयक पेश किया।

केरल से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुंच का अधिकार विधेयक, 2022 शीर्षक से एक निजी विधेयक भी पेश किया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, 2023 की शुरुआत में, शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ मामले में एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मासिक धर्म अवकाश पर राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी; उसकी राय थी कि यह सरकार के नीतिगत क्षेत्र में है। दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार ने ऐसी नीति पर सहमति देने से इनकार कर दिया और आम चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र, 'संकल्प पत्र 2024' में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आम चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र, 'न्याय पत्र' में भी मासिक धर्म अवकाश का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन "स्वास्थ्य" विषय के तहत वादा किया गया है कि "सभी नियोक्ता अनिवार्य रूप से अपने कर्मचारियों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश देंगे"।

प्रगतिशील भारतीय राज्य, एशियाई राष्ट्र इतिहास हमें दिखाता है कि कुछ राज्य समय से आगे थे। उदाहरण के लिए, केरल साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित कृति, केरल इन 19वीं सेंचुरी में उल्लेख किया गया है कि केरल पहला (तत्कालीन कोचीन राज्य) था जिसने छात्रों के लिए "पीरियड लीव" की आवश्यकता को पहचाना और 1912 में परीक्षाओं के दौरान इसकी अनुमति दी। हाल ही में एक प्रगतिशील में प्रयास, केरल ने अन्य मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है और उन्हें छात्रों के लिए उपलब्ध कराया है। बिहार ने 1992 में सरकारी कर्मचारियों को दो दिन की मासिक छुट्टी की अनुमति दी। केरल ने जनवरी 2023 में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी छात्रों के लिए मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की शुरुआत की। अन्य राज्यों को याद दिलाया जाना चाहिए कि मौजूदा कानून राज्य सरकारों के लिए आगे बढ़ने और मासिक धर्म अवकाश के अधिकार को अधिसूचित करने में बाधा नहीं हैं।

दूसरी ओर, कई अन्य एशियाई देशों ने मासिक धर्म से संबंधित पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को समाप्त कर दिया है।

कानून। उदाहरण के लिए, जापान ने 1947 में, इंडोनेशिया ने 1948 में और दक्षिण कोरिया ने मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की। ताइवान और वियतनाम ने भी सवेतन अवकाश लागू किया है। एशियाई देशों के संबंध में, स्वीडन और स्पेन को छोड़कर पश्चिमी दुनिया द्वारा की गई प्रगति अभी भी बहुत खराब है। कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मासिक धर्म अवकाश को महिलाओं के अधिकार के रूप में बढ़ावा दिया है।

उदाहरण के लिए, 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में देशों से मासिक धर्म अवकाश को मान्यता देने के लिए कहा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2014 से 28 मई को एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस को मान्यता दी। हालाँकि, संसद द्वारा पारित सामाजिक सुरक्षा पर भारत के नए कोड, 2020, जिसने मौजूदा श्रम कानूनों को समेकित किया (अभी तक नोट नहीं किया गया है), ने अपने कोड में मासिक धर्म अवकाश के पहलू को शामिल नहीं किया है।

गन्ना खेतों में महिला मजदूर
महाराष्ट्र और तेलंगाना में खेतिहर मजदूरों के गर्भाशय निकालने के मामले दर्ज किए गए हैं, क्योंकि मासिक धर्म से जुड़ी अनुपस्थिति उनकी आजीविका को खतरे में डाल सकती है। अब समय आ गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और औद्योगिक श्रम और अन्य प्रतिष्ठानों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में मासिक धर्म अवकाश को मान्यता दी जाए, जिस तरह से स्विगी और ज़ोमैटो जैसे प्रगतिशील गिग वर्कर प्लेटफ़ॉर्म ने दी है।

अधिक लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता लैंगिक असमानताओं के लिए नीतिगत समाधान, जो सामाजिक-सांस्कृतिक और जैविक कारणों से महिलाओं के अलग-अलग लैंगिक अनुभवों से प्रभावित हैं, न केवल समानता सुनिश्चित करेंगे बल्कि नए सामाजिक परिवर्तन भी लाएंगे। मासिक धर्म पर सार्वजनिक नीति और चर्चा का साधन भी वर्जनाओं को तोड़ने और एक लिंग-संवेदनशील दुनिया बनाने में निहित है जो उन मुद्दों के लिए खुला है जिन्हें अब तक रूढ़िवादी-लिंग सामाजिक मानकों द्वारा गुप्त माना जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों द्वारा इस मुद्दे को मान्यता देना महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम होगा।

संपादक के नाम चिठी

हिल स्टेशन, गर्मियों की भीड़
इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के कई हिल स्टेशन, विशेषकर दक्षिण में, पर्यटकों की भारी आमद के कारण गंभीर पर्यावरणीय दबाव का सामना कर रहे हैं। कोडाइकनाल और नीलगिरी के लिए ई-पास योजना के संबंध में, इन हिल स्टेशनों के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए बैटरी चालित मिनी बसें और एक निश्चित शुल्क पर रखने के बारे में सोचा जा सकता है। पर्यटकों को यह सुनिश्चित करने के बाद कि ये बसें हर पांच मिनट में सभी पर्यटक स्थानों के लिए संचालित होती हैं, अपनी इच्छानुसार चढ़ और उतर सकते हैं। सभी निजी कारों को विशिष्ट पार्किंग स्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और इन बिंदुओं पर चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पहाड़ों में वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग एक बहुत ही आम समस्या है। पहाड़ियों बेहतर की हकदार हैं।

टी. मुरली, मदुरै

जल भंडारण का स्तर
नीलगिरी के कई जलाशय चिंता का विषय हैं। जिले में लंबे समय से बादल रहित नीला आसमान रहा है। यह भी एक तथ्य है कि जब पानी की राशनिंग की बात आती है तो नीलगिरी के निवासियों के बारे में सबसे आखिर में सोचा जाता है क्योंकि प्राथमिकता व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जरूरतों को पूरा करना है।

J.W. Prabakar,
Udhagamandalam, The Nilgiris

नीलगिरी में गर्मी का चरम मौसम मई में ही होता है।
यदि वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया तो स्थानीय लोगों को कठिनाई होगी। जिले में वाहनों की संख्या पर सीमा लगाने के किसी भी कदम के बारे में सोचा जाना चाहिए।

एनआर रामचंद्रन, उधगमंडलम,
नीलगिरी

उमा रामानन पार्श्व गायिका
उमा रामानन का निधन अत्यंत दुखद है (2 मई)। यह उनका सहयोग था उनके लोकप्रिय गायक पति एवी रामानन और स्टार संगीतकार इलैयाराजा ने उन्हें देशव्यापी स्टारडम तक पहुंचाया। अपनी अनोखी आवाज के कारण उन्होंने संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बना ली। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी महान क्षमता का उपयोग कई संगीतकारों द्वारा नहीं किया गया।

R. Sivakumar,
Chennai

उमा रामनन ने कुछ अत्यंत हृदयस्पर्शी गीत गाए
कभी धुन. एक बार एक चाय की दुकान के सामने बस स्टॉप पर, दुकान में रेडियो पर उनका गाना, "आगाया वेन्निलावे" बजने लगा। एक समय ऐसा था जब मैं चाहता था कि बस देर से पहुंचे क्योंकि मैं गाना पूरा सुनना चाहता था। उनके गाने हमेशा जीवित रहेंगे.

टीएस कार्तिक, चेन्नई

letters@thehindu.co.in
पर ईमेल किए गए पत्रों में पूरा डाक पता और पूरा नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।

https://t.me/AINewsPaper_bot

आरक्षण का मुद्दा गरमाया

चुनाव प्रचार में इन दिनों आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रारंभिक तौर पर आरक्षण को सबसे निचले वर्गों की जातियों को आर्थिक तथा राजनीतिक संबल प्रदान करने के लिए वैधानिक तौर पर आरक्षण प्रदान किया गया था। बाद में आरक्षण का विस्तार होता गया और इसमें नये-नये जाति समूह शामिल होते चले गए।आरक्षण प्राप्त करने के लिए जाट और मराठा जैसे शक्तिशाली समूहों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। दरअसल, जो आरक्षण निचली पायदान पर खड़े जाति समूहों के उत्थान के लिए था, वह सभी जाति समूहों के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का हथियार बन गया। कहने की जरूरत नहीं है कि आज आरक्षण भारतीय समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में असंतोष और चिंता का कारक बना हुआ है। हिन्दू समाज के अनारक्षित जाति समूह मानते हैं कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसी सूरत में एक ऐसे आर्थिक ढांचे पर बल दिए जाने की जरूरत थी जिसमें बिना आरक्षण की सीढ़ी के सभी निचले वर्ग के लोगों को उत्थान के अवसर प्राप्त हों और जातीय आग्रह सामाजिक विग्रह के कारण न बनें लेकिन अब आरक्षण की नीति एक चिंताजनक मोड़ पर ले आई है। एक ओर जहां कांग्रेस के नेता विशेषकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आरक्षण को मुस्लिम तुष्टिकरण का नया औजार बना लिया है। वह बार-बार कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं जहां कांग्रेस ने सभी मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके पिछड़े वर्ग के कोटे से ही 4 प्रतिशत का आरक्षण दे दिया जिसे बाद में भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां भाजपा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई है। मोदी अपनी हर सभा में खुलकर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर मुसलमानों को दे देगी। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने चोर दरवाजे से कर्नाटक में आरक्षण देकर जो कदम उठाया है, उसके दुष्परिणाम समझ नहीं पा रही। बेशक, भाजपा को विरोध का बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है।

विरासत टैक्स और कांग्रेस का चरित्र

आरती कुमारी

जिन्हें हम अधिकार कहते हैं मातृभूमि के संदर्भ में वही हमारे लिए कर्तव्य होते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अधिकार और कर्तव्य के बीच उतनी सूक्ष्मता से अंतर नहीं कर पाई जितनी अपेक्षा थी। जब बात राष्ट्र की आए तो वहां पर कर्तव्य अर्थात करणीय कर्म ही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। वहां अधिकार की दुहाई देना मूर्खता की पराकाष्ठा होती है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जी ने सूरत के कांग्रेस अधिवेशन की घटनाओं को लेकर कांग्रेस की दोगली नीति, चाल, चरित्र और चेहरे को लताड़ते हुए 'सद्धर्म-प्रचारक' में लिखा था- "आज तुम्हारी (कांग्रेस के महात्मा गांधी जैसे नेताओं की) इन्द्रियां तुम्हारे वश में नहीं, जब अपने मन पर तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं, तब तुम दूसरे से क्या अधिकार प्राप्त कर सकते हो ? अधिकार ! अधिकार !! अधिकार !!! हा ! तुमने किस गिरे हुए शिक्षणालय में शिक्षा प्राप्त की थी ? क्या तुमने कर्तव्य नहीं सुना ? (राष्ट्र के संदर्भ में कर्तव्य निभाने होते हैं और बिना किसी पक्षपात के निभाने होते हैं। उनके निभाने में किसी प्रकार की चूक नहीं की जाती । किसी प्रकार का तुष्टिकरण नहीं किया जाता। जो राष्ट्र हित में उचित होता है, वही किया जाता है । उसी को कर्तव्य कहते हैं। उसी को धर्म कहते हैं।) क्या तुम धर्म शब्द से अनभिज्ञ हो ? (अर्थात अपने कर्तव्य – धर्म को जानकर अंग्रेजों के सामने भीख मत मांगो बल्कि मातृभूमि के लिए जो करना उचित है, उसे कर जाओ) मातृभूमि में अधिकार का क्या काम ? यहां धर्म ही आश्रय दे सकता है। अधिकार शब्द से सकामता की गन्ध आती है। विषय-वासना का दृश्य दृष्टिगोचर होता है। इस अधिकार की वासना को अपने हृदय से नोंच कर फेंक दो। निष्काम भाव से धर्म का सेवन करो। माता पर जब चारों ओर से प्रहार हो रहे हों, जब उसके केश पकड़ कर दुष्ट दुःशासन उसको भूमि पर घसीट रहा हो, क्या वह समय अधिकार की पुकार मचाने का है?... शब्दों पर क्यों झगड़ते हो ? क्यों न स्वराज्य प्राप्ति के साधनों को सिद्ध करने में लगो ? स्वराज्य के प्रकार का झगड़ा आने वाली सन्तानों के लिए छोड़ो। उनकी स्वतन्त्रता पर इस समय इन झगड़ों से जंजीरें डालना अधर्म है। इस समय दोनों छल-कपट से कार्य ले रहे हैं। जिस कांग्रेस का आधार अधर्म पर है, उसका प्राप्त कराया हुआ स्वराज्य कभी भी फलदायक न होगा, कभी भी सुख तथा शान्ति का राज्य फैलाने वाला न होगा। एक ऐसे धार्मिक दल की आवश्यकता है जो विरोधी को धोखा देना भी वैसा ही पाप समझता हो, जैसे कि अपने भाई को, जो सरकारी अत्याचारों को प्रगट करते हुए अपने भाइयों की दुष्टता तथा उनके अत्याचारों को भी न छिपाने वाला हो, जो मौत के भय से भी न्याय के पथ को छोड़ने का विचार तक मन में न लाने वाला हो। पोलिटिकल जगत् में ऐसे ही अग्रणी की आवश्यकता है। क्या कोई महात्मा आगे आने का साहस करेगा और क्या उसके पीछे चलने वाले 5 पुरुष भी निकलेंगे? यदि इतना भी नहीं हो सकता तो स्वराज्य प्राप्ति के प्रोग्राम को पचास वर्षों के लिए तह करके रख दो। इस लेख में स्वामी जी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस का आधार अधर्म है, उसका प्राप्त कराया हुआ स्वराज्य कभी भी फलदायक न होगा। स्वामी जी कांग्रेस के तुष्टीकरण के खेल के परम विरोधी थे। सनातनधर्मियों की उपेक्षा कर कांग्रेस जिस प्रकार मुसलमानों का तुष्टिकरण करती जा रही थी, उसे लेकर स्वामी जी महाराज कांग्रेस पर इसी प्रकार के तीखे प्रहार करते रहे। आज उन घटनाओं को 100 वर्ष से अधिक का समय हो गया है जब स्वामी जी महाराज कांग्रेस के सनातन विरोधी चरित्र पर इस प्रकार की सख्त भाषा का प्रयोग कर रहे थे, पर कांग्रेस है कि उसने अपने चाल ,चरित्र पर चेहरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। कांग्रेस से पूर्णतया बागी हो चुके स्वामी जी ने अन्यत्र अपने लेख में लिखा था- "यदि अग्नि और खड्ग की धार पर चलने वाले दस पागल आर्य भी निकल आवें तो राजा और प्रजा दोनों को होश में ला सकते हैं। भगवन् आर्यसमाजियों की आंखें जाने कब खुलेंगी?" 'आर्य समाज का इतिहास' नामक पुस्तक में स्वामी श्रद्धानंद जी के सुपुत्र इंद्र विद्यावाचस्पति जी लिखते हैं कि इसी दृष्टि से आप नरम दल वालों के लिए 'भिक्षार्थी' गरम दल वालों के लिए 'सुखार्थी' और सरकार के लिए 'गोराशाही' शब्दों का प्रयोग किया करते थे। आज की कांग्रेस अपने परंपरागत चाल, चरित्र और चेहरे के इतिहास पर अमल करते हुए विरासत टैक्स के माध्यम से देश के बहुसंख्यक समाज के आर्थिक संसाधनों और उसकी कमाई तक को मुसलमानों को देने की घोषणा कर रही है। देश के एक प्रांत से कांग्रेस मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे भी चुकी है ,अन्यत्र ऐसा ही करने की तैयारी कर रही है। यद्यपि ऐसा किया जाना भारतीय संविधान की हत्या करने के समान होगा। क्योंकि हमारा संविधान संप्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोधी है। यह अच्छा ही हुआ कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में कांग्रेस की पोल खोल दी है और उसका सच पूरे देश के लोगों के सामने लाकर रख दिया है। ऐसे में देश के सनातनधर्मियों की आंखें खुलनी चाहिए और उन्हें सोच समझकर यह निर्णय लेना चाहिए कि देश दोगली चाल, चरित्र और चेहरे वाले हाथों में सुरक्षित है या फिर देश के लिए समर्पित होकर काम करने वाले नेता के हाथों सुरक्षित है? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के पोल खोल अभियान पर झूठी चिल्लाहट दिखाने का प्रयास किया है तो प्रधानमंत्री ने और भी स्पष्ट शब्दों में देश के लोगों को कांग्रेस का वास्तविक चरित्र बताने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस बहुसंख्यक सनातनधर्मियों की संपत्ति को लेकर अधिक संतान वाले वर्ग के लोगों में बांट देगी। इसके संबंध में सच्चाई यह है कि कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का मन आजादी के एकदम बाद ही बना लिया था। प्रखर श्रीवास्तव X पर लिखते हैं पाकिस्तान के दबाव में नेहरु ने मुसलमानों को फुल फ्लैश आरक्षण देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था ! नेहरु मुसलमानों को नौकरियों के साथ-साथ चुनावों में भी आरक्षण देने का ब्लू प्रिंट तैयार कर चुके थे ! नेहरु का मुस्लिम चुनावी आरक्षण का प्लान ये था कि – इस देश में कई मुस्लिम सीट बनाईं जाएंगी, जिन पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा और वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमान को होगा... यानी सिर्फ मुसलमानों द्वारा मुसलमान प्रतिनिधि चुना जाएगा... पंचायत से लेकर लोकसभा तक ! बात 1949 की है... पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे अपने पूरे उफान पर थे। करीब पांच लाख बंगाली हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। वहीं करीब पचास लाख बंगाली हिंदू जान बचाकर हमेशा-हमेशा के लिए पश्चिम बंगाल आ गये। तब देश के लोगों की इच्छा थी कि पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की तैयारी की जाए ।पर नेहरू जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया। बातचीत में लियाकत अली ने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा कि वह भारत के मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्था करें। बातचीत में यह भी तय किया जाना था कि दोनों देश अपने-अपनेअल्पसंख्यकों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करें ? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो अपनी बात निसंकोच कह दी, पर भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों की बात को उठाना तक उचित नहीं माना। भारत के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को नौकरी आदि में आरक्षण देने के साथ-साथ चुनाव में भी आरक्षण देने की बात को मानकर उसका एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। जब इस ड्राफ्ट को प्रधानमंत्री नेहरू ने कैबिनेट की मीटिंग के समक्ष रखा तो उस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री व गाडगिल ने इसका विरोध किया उन्होंने 'गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड' नामक अपनी किताब में लिखा है कि जब नेहरू ने कैबिनेट के सामने अपने उपरोक्त ड्राफ्ट को रखा तो मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि इस ड्राफ्ट पर सरदार पटेल से सहमति ली गई थी या नहीं। समझौते के अंतिम दो पैराग्राफ में भारत के सभी राज्यों की नौकरियों और प्रतिनिधि निकायों (*सभी चुनावों में) में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का वादा किया गया था। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भी यही प्रावधान रखे गये थे। हम सभी मंत्रियों को ड्रॉफ्ट की एक-एक कॉपी दे दी गई थी लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। तब मैंने कहा कि – 'ये दो पैराग्राफ कांग्रेस की पूरी विचारधारा के खिलाफ हैं। मुसलमानों के लिये अलग से सीट स्वीकार करने की वजह से देश को विभाजन की कीमत चुकानी पड़ी। आप हमें फिर से वही ज़हर पीने को कह रहे हैं। ये एक विश्वासघात है, पिछले चालीस वर्षों के इतिहास को भुला दिया गया है। गाडगिल लिखते हैं कि "मेरे विरोध की वजह से नेहरू नाराज थे लेकिन बाकी मंत्री खुश थे। फिर भी उनमें से किसी ने भी मेरा समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे तक चली चर्चा के बाद मंत्री गोपालस्वामी अयंगर ने कहा कि – 'गाडगिल की आपत्तियों में दम है' और उन्होने समझौते के आखिरी दो पैराग्राफ फिर तैयार करने का काम अपने हाथ में ले लिया। इस पर नेहरू ने गुस्से में जवाब दिया कि – 'मैंने लियाकत अली खान के साथ इस शर्त पर अपनी सहमति व्यक्त की है।' तब मैंने उन्हे जवाब दिया कि – 'आपने उन्हें ये भी बताया होगा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है। मैं अन्य कैबिनेट सदस्यों के बारे में तो नहीं कह सकता लेकिन मैं इसका सौ फीसदी विरोध करता हूं।' इस पर सरदार पटेल ने चुपचाप सुझाव दिया कि चर्चा अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाए और बैठक स्थगित कर दी गई। गाडगिल अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि उसी रात सरदार पटेल ने उन्हे ये जानकारी दी कि गोपालस्वामी आयंगर ने समझौते के ड्राफ्ट में बदलाव कर दिया है। लिहाज़ा जब अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो अंतिम दो पैराग्राफों को हटा दिया गया था। इस तरह सरदार पटेल की समझदारी और एन.वी. गाडगिल की बगावत की वजह से मुसलमानों को आरक्षण देने का नेहरू का सपना चकनाचूर हो गया। समझे न... ये गेम बहुत पुराना है !!! हमें इस समय देश के उन छुपे हुए शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता है जो हमारे बीच रहकर हमारी जड़ों को काट रहे हैं। हमें उन कालिदासों से भी बचने की आवश्यकता है जो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। देश अब और अधिक 'जयचंद' झेलने की स्थिति में नहीं है। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं के आधार पर निर्णय लेकर चुनाव में हमें हिस्सा लेना चाहिए।

गर्मी में भी अभी तक चुनावी ठंडी का अहसास क्यों है ?

अशोक भाटिया

दो चरण का चुनाव हो चुका है और अब 7 मई को तीसरे चरण में 96 सीटों के लिए मतदान की तैयारी है। लेकिन सब ओर से एक ही शिकायत सुनाई दे रही है कि अब तक लोकसभा चुनाव ने रंगत नहीं पकड़ी है। इसके प्रमुख रूप से क्या कारण हो सकते हैं, इस पर लोगों की अलग – अलग राय है । इस बार अप्रैल का महीना सामान्य से तीन डिग्री तक अधिक गर्म रहा । उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सब जगह लोग अचानक बढ़ी इस गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि इस साल अल नीना का असर है और तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अत्यधिक तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़े के कारण न तो नेता और न उनके प्रचार करनेवाले कार्यकर्ता बाहर निकल रहे हैं और न ही मतदाताओं में कोई उत्साह दिख रहा है। मतदान का प्रतिशत भी पिछले चुनावों की अपेक्षा कम ही हो रहा है । उत्तर भारत में अभी जहां वोटिंग हुई या अगले चरणों में होनेवाली है वहां सुबह 9 बजे के बाद और शाम के 5 बजे तक घर से निकलनेवाले हालात ही नहीं है। इसका असर आम चुनाव पर भी पड़ा है और नेता, कार्यकर्ता, मतदाता सभी सुस्त नजर आ रहे हैं। सिर्फ बड़े नेताओं की बड़ी रैलियों तक ही चुनाव प्रचार सिमटकर रह गया है। किसी भी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव उसमें चौक चौराहों की बैठकी, चाय पान की दुकान पर चर्चा ही राजनीतिक माहौल बनाते आये हैं। लेकिन जैसे सोशल मीडिया का प्रसार बढ़ा है, ऐसी चर्चाओं पर असर पड़ा है। जो चर्चाएं लोगों के बीच होती थी, अब वह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब और वाट्सएप्प पर होने लगी हैं। टीवी डिबेट की जगह यू ट्यूब पर ग्राउण्ड रिपोर्टिंग अधिक प्रभावी होती जा रही है। इसके साथ ही लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार कहीं ट्विटर (एक्स) पर बिजी हैं तो कहीं वाट्स एप्प पर। ट्विटर के रोज बनने बिगड़नेवाले ट्रेन्ड जहां बौद्धिक लोगों को उलझाये हुए हैं, वहीं जन सामान्य वाट्सएप्प मैसेज फारवर्ड करके अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखा रहा है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा खतरा है विश्वसनीयता का। एक वर्ग ऐसी चर्चाओं का हिस्सा जरूर है लेकिन इसमें फेक न्यूज का भी प्रसार धड़ल्ले से हो रहा है। इसके कारण इन चर्चाओं और बहसों पर विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकट है। फिर भी सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रभावशाली होने का असर भी इस आम चुनाव की सरगर्मी को ऑफलाइन से हटाकर ऑनलाइन की ओर ले गया है। इस बार के आम चुनाव में एक और ट्रेन्ड जो साफ साफ दिखाई देने लगा है, वह यह कि इस बार का चुनाव नेतृत्व चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार सारा जोर उम्मीदवारों पर है। कहने के लिए यह आम चुनाव जरूर है लेकिन बीते दो दशक में ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है कि जनता की रुचि राष्ट्रीय नेतृत्व से ज्यादा स्थानीय उम्मीदवार में है। इसीलिए इस बार का आम चुनाव मोदी या राहुल गांधी में से किसी एक को चुनने का चुनाव नहीं है। जनता मानों उस दृष्टिकोण से इस चुनाव को देख ही नहीं रही है। इस बार स्थानीय उम्मीदवार पर सारा जोर है। इसलिए सीट दर सीट चुनावी गणित बन बिगड़ रहे हैं। मतदाता भी स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अपनी सुविधा और संसाधनों को देखते हुए इस बार 7 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला किया है। अभी तक जो दो चरण हुए हैं उसमें 19 अप्रैल को 102 और 26 अप्रैल को 89 सीटों के लिए मतदान हुआ है। ये सीटें भी कई राज्यों में फैली हुई हैं। कुछ राज्यों में तो ऐसा हो रहा है कि बड़ा राज्य होने के बावजूद वहां एक चरण में पांच से आठ सीटों के लिए मतदान हुआ है। इसलिए भी चुनाव में सरगर्मी नहीं आ रही है। कम चरणों में चुनाव होने से एक राष्ट्रव्यापी माहौल बनता है और सब उसमें शामिल होते हैं। अगर चुनाव को लंबा खींचा जाए तो मतदाता में ही कोई उत्साह नहीं बचता है। इसलिए भी इस बार आमचुनाव का माहौल अभी तक नहीं बन पाया है। आनेवाले चरणों में तो पांचवे में 49, छठे में 57 और सातवें में 57 सीटों के लिए मतदान होगा। इससे चुनाव का राष्ट्रव्यापी माहौल आगे चलकर बन ही जाएगा, इसमें भी संदेह है। इस बार के आम चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का घोर अभाव है। कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया गया है जिस पर राष्ट्रव्यापी चर्चा हो। दूसरी ओर भाजपा ने राम मंदिर को जरूर राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने का प्रयास किया लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इसलिए भाजपा की ओर से जहां कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को एक बार फिर उठाया जा रहा है, वहीं कर्नाटक में देवगौड़ा के पोते प्रज्ज्वल रेवन्ना की सेक्स सीडी को कांग्रेस अब राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने में लग गयी है। उसका पूरा इकोसिस्टम इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर उठाना चाहता है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में जेडीएस की साझीदार है और प्रज्ज्वल भी चुनावों में उम्मीदवार है। इस बार के आमचुनाव में यह भी एक ऐसा फैक्टर है जिसने चुनाव की सरगर्मी को कम किया है। एक ओर सत्ताधारी भाजपा है जो यह मानकर चल रही है उसको मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भी बंपर बहुमत मिलनेवाला है। दूसरी ओर कांग्रेस सहित अन्य लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां इसी मनोवैज्ञानिक दबाव में फंसी हुई हैं कि जब भाजपा जीत ही रही है तो बहुत मेहनत करके भी क्या हासिल होगा ?एक ओर जीत के प्रति आश्वस्त भाजपा कार्यकर्ता भी शिथिल पड़े हुए हैं तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता खुद को हारा हुआ मानकर चल रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के कारण भी विपक्षी पार्टियों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसका असर भी चुनाव की सरगर्मी पर पड़ा है। इनके अलावा और भी कई कारण हैं जिसका असर इस बार के आम चुनाव पर पड़ा है। यह सीजन शादी विवाह का सीजन भी होता है और गर्मी की छुट्टियों का भी। इसलिए ग्रामीण मतदाता जहां अपनी खेती और सामाजिक कामों में व्यस्त रहता है वहीं शहरी मतदाता गर्मी की छुट्टियां होते ही सैर सपाटे पर निकल जाता है। बहरहाल, उम्मीद करनी चाहिए कि तीसरे चरण के बाद से चुनावों में सरगर्मी आयेगी। भाजपा खेमे से आ रही कम सीटों की आहट ने न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी नया जोश आया है। इस सबका असर चुनाव के शेष रहे चरणों पर जरूर होगा और उम्मीद करनी चाहिए कि मतदान का अंत उतना फीका नहीं रहेगा जितनी फीकी इसकी शुरुआत रही है।

मेष राशिः आज का दिन आपके लिए ख़ास होने वाला है। आज व्यवहार में विनम्रता और लचीलापन ही आपको सफलता दिलायेगा। पारिवारिक रिश्तों में गहराई और अपनापन महसूस हो सकता है। आज आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आज जमीन जायदाद से जुड़े काम निपट जाएंगे। साझेदार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे। आज रोजगार में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं। बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। घरेलू जरूरत की चीजों की खरीददारी करेंगे।

वृष राशिः आज आपका दिन शांत रहेगा। आज आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी, जिससे आप जीवन की नई सीख लेंगे। आपकी कड़ी मेहनत से लोग प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आज आप ऑफिस के किसी काम में उलझे रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स कॉलेज में कुछ नया सीखेंगे और पढ़ाई की तरफ झुकाव बढ़ेगा। रोज की अपेक्षा आज व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा।

मिथुन राशिः आज आपका दिन खुशनुमा पलों से भरा रहेगा। आज परिवार से खुशखबरी मिलेगी। ईश्वर की कृपा से आज आपके सभी काम सफल होंगे। आज आपको अपने काम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको प्रोजेक्ट में अपने कलीग की मदद मिलेगी। आज आपकी किसी रिश्तेदार से फोन पर बात हो सकती है, आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा। ऑफिस के दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनेगा।

कर्क राशिः आज आपका दिन आपके लिए परिवार के लिए खुशियाँ लाने वाला है। परिवार में आपके अच्छे काम की तारीफ़ होगी। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद ख़ास रहने वाला है। आज आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। कम्पटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति की आपने कभी मदद की थी वह आज आपके काम आएगा।

सिंह राशिः आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपको कोई नई जानकारी मिलेगी यह जानकारी भविष्य के लिये फायदेमंद साबित होगी। आज आलस व सुस्ती छोड़कर काम में मन लगाने की जरूरत है। बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर अमल करने के लिए आज का दिन अच्छा है। नई तकनीक के इस्तेमाल पर विचार-विमर्श होगा।

कन्या राशिः आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ काम वक्त से पहले पूरे करने की वजह से ख़ुशी मिलेगी। मानसिक रूप से जिन लोगों के साथ कोई परेशानी है, उसे दूर करने का उपाय मिलेगा। आज किसी से बात करते समय अपनी भाषा में मधुरता बनाये रखें।

तुला राशिः आज का दिन आपके लिए दिन शुभ रहने वाला है। आज जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निपटाने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। अपनी तरफ से हर मामले पर आपको सकारात्मक रहना होगा। धैर्य और विनम्रता बनाये रखें। पुरानी समस्याओं पर दोस्तों से बातचीत होगी। आज आपको किसी समस्या का समाधान भी मिल सकता है। आपकी सलाह से दूसरों को फायदा होगा।

वृश्चिक राशिः आज का दिन आपके लिये अच्छा रहने वाला है। आज आप धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते है। किसी विशेष काम में दूसरों के साथ बातचीत या सलाह करने से फायदा होगा। आज जरूरी काम को लेकर उस विषय के जानकार व्यक्ति से विचार करेगे और योजना बनाएंगे। आपकी योजनाएं सफल होने के योग हैं।

धनु राशिः आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करें। आज कोई पुरानी देनदारी निपटा सकते हैं। दूसरों को समझने में बहुत हद तक आपको सफलता मिल सकती है। किसी भी कार्य को करने में धैर्य और समझदारी रखें। परिवार के कामों में आपका पैसा लग सकता है। आज किसी उच्च अधिकारी से मुलाकात के योग बन रहे हैं। आपका कोई नया काम शुरू हो सकता है।

मकर राशिः आज का दिन आपके लिये फेवरेबल होने वाला है। आज आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आपको बहुत दिनों से ख्वाहिश थी। आज किसी इम्पोर्टेन्ट विषय में अपने से बड़े या किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज आप अपने सभी काम मेहनत, धैर्य और समझदारी से निपटा लेंगे। आपके पास बहुत-सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है।

कुंभ राशिः आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है। आज अपना व्यवहार लचीला रखें और दूसरों की बातें समझने का मन बनाकर चलें तो आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है जो आपके बहुत ही काम आएगी। आज कुछ पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहने वाला है।

मीन राशिः आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाल है। आज ऑफिस में कामकाज ज्यादा रहेगा। जिसकी वजह से आपको खुद के लिए समय निकल पाना मुश्किल होगा। लेकिन काम समय से पूरा होने से आपको खुशी भी होगी। आज ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए किसी से बात हो सकती है। इसमें आपको सफलता मिलने के योग भी हैं। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। छात्र अपने अधूरे काम पूरा कर लेंगे।

आम चुनाव और मुस्लिम तुष्टीकरण का विकृत खेल

मृत्युंजय दीक्षित

आम चुनाव के मतदान के दो चरण समाप्त हो जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों को जनता के मध्य अपनी स्थिति की वास्तविकता का कुछ सीमा तक पता चल गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की सम्भावना वाली भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का विकृत खेल खेलना प्रारम्भ कर दिया है। तथाकथित इंडी गठबंधन में शामिल दलों के नेता लगातार भड़काऊ और नफरत भरी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें अब वोट जिहाद और तालिबान भी आ गया है। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ आतंकी फंडिंग मामले में सजा काट रहे यासीन मलिक का फोटो लगाया गया है। पोस्टर में यासीन मलिक की रिहाई के साथ कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई है। हालांकि जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने यह पोस्टर हटा दिया। आतंकी यासीन मलिक कुख्यात अलगववादी है जिससे 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुलाकात की थी। अब मलिक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और अभी उस पर कई और मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केरल में प्रतिबंधित पीएफआई जैसे संगठनों का सहयोग ले रही रही है और सनातन विरोधी बयानों पर चुप्पी साधे हुए है। मुस्लिम तुष्टीकरण का यह खुला खेल कांग्रेस ही नहीं अपितु भारत की सभी वामपंथी और अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां जमकर खेल रही हैं फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो बिहार हो या पश्चिम बंगाल। विगत 10 वर्ष और अटल जी के कार्यकाल को छोड़ दें तो केंद्र तथा राज्यों में कांग्रेस व उसके गर्भ से निकले दलों व नेताओं ने ही सत्ता पर एकछत्र राज किया। ये सभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भाजपा को हराने की बात करने वालों तथा कट्टरपंथियों का समर्थन कर मतदान को मजहब के आधार पर प्रभावित

किया करते थे। भाजपा द्वारा धर्मनिरपेक्षता की सच्ची रेखा खींचने के बाद इन दलों के नेताओं के सामने अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया है और ये वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक सपा, बसपा, कांग्रेस सहित विभिन्न दल अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को अपने राजनीतिक लाभ के लिए पाला पोसा करते थे अब उनके लिए फातिहा पढ़ रहे हैं और धूर्तता के साथ उन्हें गरीबों का मसीहा बताकर मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं । पहले ये माफिया बूथ लूटकर व मतदान के समय बम, गोलियां दागकर वोट जिहाद किया करते थे अब उनके नेता व गुर्गे इनको शहीद बताकर मुस्लिम समाज को भड़का रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कायमगंज के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी सपा नेता मारिया आलम खां ने वोट जिहाद का नारा देकर समाजवादियों की मुश्किल बढ़ा दी है। मारिया आलम खां ने कहा कि हर महिला और हर पुरुष वोट जिहाद करके संविधान बचाने की इस जंग को लड़ेगा। प्रदेश में वोट जिहाद शब्द को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब काफी तल्ख हो गई है। सपा-कांग्रेस गठबंधन हो जाने के कारण इस बार सलमान खुर्शीद का परिवार चुनावी मैदान से भले ही दूर हो गया हो किंतु अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। सलमान खुर्शीद का परिवार कई बार विवादों के घेरे में रहा है। खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद पर दिव्यांगों की सहायता करने के नाम पर घोटाला करने का मुकदमा चल रहा है। सलमान खुर्शीद बाटला हाउस एनकाउंटर व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। जब लुईस खुर्शीद को इस बात का आभास हो गया था कि इस बार उनके परिवार को टिकट नहीं मिलने जा रहा तब उन्होंने मीडिया के सामने अपने कार्यकर्ता से कहा था कि अगर कांग्रेस का कोई पदाधिकारी उनसे मिलने आए तो उसे चप्पल से मारें। अब उसी परिवार की भतीजी मारिया एक बार फिर वोट जिहाद की अपील कर रही हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के संभल से पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान वर्क के पोते एवं सपा प्रत्याशी जियाउर्रहमान वर्क अपनी नुक्कड़ सभा के वायरल वीडियो में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन की मौत को कुर्बानी बता रहा है। वीडियो वायरल हो जाने के बाद वर्क पर मुकदमा दर्ज हो गया है। उसके बाद भी वह नहीं रुका और उसने चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी देते हुए बयान दिया कि जब वक्त बदलेगा तब बदला लिया जाएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी नैया पार लगाने व जनता के मध्य अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए चुनावी मैदान में अपने युवा कोआर्डिनेटर, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद के नेतृत्व में रण मे उतरी है और कुछ-कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन को फिर से प्राप्त करने के लिए, सवर्णो को खुश करने के लिए रामनाम का विरोध नहीं किया था किंतु वह अब काफी पीछे छूट चुका है। बसपा ने इस बार नया नारा दिया है," बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का" किंतु पार्टी का एक मुश्त मुस्लिम मतों का लालच छूटा नहीं है इसलिए बसपा ने सबसे अधिक मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा के युवा नेता आकाश आनंद मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं जिसके कारण उनके खिलाफ सीतापुर जिले में केस भी दर्ज हो गया है। सीतापुर की एक जनसभा में आकाश ने अपनी सभी सीमाओं को लांघते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तुलना तालिबान से कर डाली। अतीक, मुख्तार अंसारी व शहाबुद्दीन जैसे माफिया का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग बसपा ने भी समय -समय पर किया है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ट्रूडो की गलती

संपादकीय

कनाडा में रविवार को हुए एक कार्यक्रम में जिस तरह से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाते रहे, उस पर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के डेप्युटी हाई कमिश्नर को तलब कर ठीक ही इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। खालसा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में न केवल खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए बल्कि ऐसे बैनर प्रदर्शित किए गए, जिनमें भारतीय नेताओं को निज्जर का हत्यारा बताया गया था। अफसोस और चिंता की बात यह रही कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वहां मौजूदगी के बावजूद इन सबको रोकने की या इन्हें गलत बताने की कोई कोशिश नहीं दिखी। इस पूरे मामले में ट्रूडो का व्यवहार राजनयिक पैमाने पर बिल्कुल फिट नहीं बैठता। दोनों देशों के रिश्ते अगर इस मोड़ पर आ गए हैं, जहां उनके बीच भरोसे, आपसी सहयोग और संवाद की कमी है, तो यह अकारण नहीं है। पिछले साल खुद ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से निज्जर हत्याकांड में भारत के शामिल होने का निराधार आरोप लगाया था। भारत के मांगने के बाद भी आज तक उनकी सरकार इस आरोप के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाई है। भारत बार-बार इस बात को दोहरा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह अलगाववादी और अतिवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना न केवल दोनों देशों के रिश्तों के लिए बल्कि खुद कनाडा के लिए भी खतरनाक है। कनाडा में इन तत्वों को जिस तरह का खुला स्पेस दे दिया गया है, उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। मगर लंबे काल में यह सबके लिए नुकसानदेह ही साबित होने वाला है। अच्छा होगा कि कनाडा अपने पड़ोसी देश अमेरिका से सबक ले। रु में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भी सवाल उठे थे। लेकिन सार्वजनिक बयानबाजी करने के बजाय इस मामले को सरकार के स्तर पर उठाया गया। स्वाभाविक ही भारत ने अमेरिकी सरकार की ओर से मुहैया कराए गए सबूतों को गंभीरता से लिया। इस मामले में एक उच्चस्तरीय जांच शुरू हुई। अच्छी बात यह भी है कि इस मामले को दोनों देशों के संबंधों के दरम्यान नहीं आने दिया गया। निश्चित रूप से कनाडा इस मामले में एक बहुत बुरे उदाहरण के रूप में सामने आया है, लेकिन खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियां कई और देशों में मसला बनी हुई हैं। सभी संबंधित देशों को देर-सबेर यह समझना होगा कि लोकतांत्रिक स्पेस की आड़ में किसी अन्य देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करती गतिविधियों को चलने देने की वकालत ठीक नहीं है।

अगस्त-सितंबर में मौसम दे सकता है सरप्राइज

(पूनम गौड़)

इस बार अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही देश के कुछ हिस्सों में लू चली। अब एक बार फिर कई हिस्सों में लू का प्रकोप शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, इस बार मई-जून में देश का 80त्न से अधिक हिस्सा भयानक गर्मी की चपेट में होगा। 2023 में देश के 60प्रतिशत हिस्से में जून में भयंकर गर्मी पड़ी थी। मई माह शुरु होते ही केरल में तो हीटवेब के चलते 4 लोगों की मौत तक हो गई है।

ला लीना में देरी – इस साल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लू का प्रकोप अधिक देखने को मिलेगा। जून के बाद भी इस भयंकर गर्मी से राहत मिलेगी, इसकी संभावना कम है। कारण यह है कि अल नीनो जून में खत्म होने की संभावना है। इसके बाद ला नीना को विकसित होने में कुछ समय लग सकता है। माना जा रहा है कि अगस्त में ला नीना का असर है।

चुनाव पर असर – शुरुआती दो चरणों की वोटिंग पर इसका साफ असर देखा गया। जैसे-जैसे मतदान के चरण आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे गर्मी का प्रकोप भी बढ़ेगा। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग इस बार चुनाव आयोग को पंद्रह दिन और एक हफ्ते का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान वोटिंग प्रतिशत और कम हो सकता है। खासतौर पर शहरी इलाकों में। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गर्मी से निपटने की तैयारियों को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की थी। इसमें जरूरी दवाओं, आइस पैक, ह्रस् और पीने के पानी को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया गया।

जल संकट – गंगा, गोदावरी, नर्मदा समेत देश की 12 नदियों में पिछले साल की तुलना में पानी कम है। दक्षिण भारत की 13 नदियों में तो पानी है ही

दिखना शुरू होगा। इसी वजह से मॉनसून भी अगस्त और सितंबर में काफी अच्छा रहेगा। इससे पहले देश का ज्यादातर हिस्सा गर्मी से झुलसेगा। लू के दौरान तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक ज्यादा रहता है।

प्री-मॉनसून में कम बारिश – पिछले साल 31 मई से 20 जून तक हीट वेव का सबसे लंबा रेकॉर्ड बना था। मई और जून में देश के दक्षिणी, मध्य और पूर्वी हिस्से सबसे अधिक गर्मी झेलेंगे। इन महीनों में बारिश भी कम होने की संभावना है। प्री-मॉनसून सीजन में बारिश की यह कमी गर्मी की सबसे बड़ी वजह बनेगी।

सेहत पर बुरा असर – बढ़ती गर्मी का लोगों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह जानलेवा हो सकती है। गर्मी के दौरान अत्यधिक थकान, डी-हाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक के खतरे अधिक रहते हैं। लू की वजह से कुछ राज्यों में मौतें तक होने की आशंका बनी रहती है। बिजली की खपत बढ़ने से लोड बढ़ता है और पावर ग्रिड में भी समस्या आती है। ऐसे में बिजली संकट स्थिति को और विकराल बना सकता नहीं। ऐसे में गर्मी के साथ देश के कई हिस्सों में पानी की कमी हो सकती है। अधिकांश नदियों के बेसिन में 40त्न से कम पानी भंडार है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, पेन्नार, नर्मदा, तापी, साबरमती, गोदावरी, महानदी, कावेरी आदि नदियों में पानी तेजी से कम हो रहा है।

जलाशयों में कम पानी – केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि भारत के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी जमा करने की उनकी कुल क्षमता 36त्न से कम है। इनमें ज्यादातर जलाशय दक्षिण राज्यों तथा महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। आयोग के पास 20 नदियों के बेसिन का डेटा रहता है। गंगा बेसिन में महज 41.2त्न पानी है। नर्मदा में 46.2त्न, तापी में 56त्न, गोदावरी में 34.76त्न, महानदी में 49.53त्न और साबरमती में 39.54त्न पानी की कमी है। महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व दिशा में बहने वाली 13 नदियां सूख चुकी हैं। इनमें रुशिकुल्या, वराह, बाहुदा, वंशधारा, नागावली, सारदा तांडव, एलुरू, गुंडलकम्मा, तम्मिलेरू, मुसी, पलेरू और मुनेरू शामिल है। ये नदियां आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा से होते हुए बहती हैं।

गहराते जल-संकट से जीवन एवं कृषि खतरे में

मानवीय गतिविधियों और क्रिया-कलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के साथ जलाशयों एवं नदियों के लिए खतरा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख जलाशयों और नदी घाटियों में कुल जल भंडारण पर खतरनाक स्तर पर महसूस किया जा रहा है, जिससे लोगों को गंभीर जल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते इसी जल संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई चिंताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं।

(ललित गर्ग)

भारत भर में 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर वर्तमान में 31 प्रतिशत है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसके 42 जलाशय वर्तमान में केवल 17 प्रतिशत क्षमता पर हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई सबसे कम जल क्षमता का प्रतीक है।

मानवीय गतिविधियों और क्रिया-कलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के साथ जलाशयों एवं नदियों के लिए खतरा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख जलाशयों और नदी घाटियों में कुल जल भंडारण पर खतरनाक स्तर पर महसूस किया जा रहा है, जिससे लोगों को गंभीर जल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते इसी जल संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई चिंताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल 2024 तक देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी में उनकी भंडारण क्षमता के अनुपात में तीस से पैंतीस प्रतिशत की गिरावट आई है। जो हाल के वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट है। जो सूखे जैसी स्थिति की ओर इशारा करती है। जिसके मूल में अल नीनो घटनाक्रम का प्रभाव एवं वर्षा की कमी को बताया जा रहा है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव एवं जीव-जन्तुओं के अलावा जल कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिये भी बेहद आवश्यक है। परंतु आज भारत गंभीर जल-संकट के साए में खड़ा है। अनियोजित औद्योगीकरण, बढ़ता प्रदूषण, घटते रेगिस्तान एवं ग्लेशियर, नदियों के जलस्तर में गिरावट, वर्षा की कमी, पर्यावरण विनाश, प्रकृति के शोषण और इनके दुरुपयोग के प्रति असंवेदनशीलता भारत को एक बड़े जल संकट की ओर ले जा रही है।

भारत भर में 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर वर्तमान में 31 प्रतिशत है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसके 42 जलाशय वर्तमान में केवल 17 प्रतिशत क्षमता पर हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई सबसे कम जल क्षमता का प्रतीक है। स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी चिंताजनक है, पश्चिम में 34 प्रतिशत और उत्तर में 32.5 प्रतिशत जलाशय क्षमता है। हालाँकि, पूर्वी और मध्य भारत की स्थिति बेहतर हैं, उनके पास अपने जलाशयों की सक्रिय क्षमता का क्रमशः 40.6 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है, पिछले वर्ष वर्षा कम थी, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, 2023 का मानसून असमान था क्योंकि यह अल नीनो वर्ष भी था- एक जलवायु पैटर्न जो आम तौर पर इस क्षेत्र में गर्म और शुष्क परिस्थितियों का कारण बनता है। इससे काफी चिंता पैदा हुई है। वर्तमान में, सिंचाई भी प्रभावित हो रही है, और देश भर में पीने के पानी की उपलब्धता और जलविद्युत उत्पादन पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। भविष्य को देखते हुए, आने वाले महीनों में और अधिक गर्मी पड़ने की आशंका है, जो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में बड़ा जल संकट उभरने वाला है। लंबे समय तक पर्याप्त बारिश न होने के कारण जल भंडारण में यह कमी आई है। जिसके चलते कई क्षेत्रों में सूखे जैसे और असुरक्षित हालात पैदा हो गये हैं। जिससे विभिन्न फसलों पर बुरा

प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि देश की आधी कृषि योग्य भूमि आज भी मानसूनी बारिश के निर्भर है। ऐसे में सामान्य मानसून की स्थिति पर कृषि का भविष्य पूरी तरह निर्भर करता है। वास्तव में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके गंभीर परिणामों के चलते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। देश का आईटी हब बेंगलुरु गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। जिसका असर न केवल कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसी आसन्न संकट से निपटने के लिये जल संरक्षण के प्रयास घरों से लेकर तमाम कृषि पद्धतियों और औद्योगिक कार्यों तक में तेज करने की जरूरत है। जल भंडारण और वितरण दक्षता में सुधार के लिये पानी के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन प्रणालियों में बड़े निवेश की तात्कालिक जरूरत भी है। इसके साथ ही जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही आम लोगों को प्रकृति के इस बहुमूल्य संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा हेतु प्रेरित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाने की जरूरत है। पानी के संरक्षण और समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित कर हम पर्यावरण को भी बेहतर कर सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितने पानी का उपयोग करता है, किंतु क्या वह इतने पानी को बचाने का प्रयास करता है? जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 134 प्रतिशत वृद्धि हुई है और सूखे की अवधि में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पानी धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधारभूत आवश्यकता है। आबादी में वृद्धि के साथ पानी की खपत बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन पृथ्वी पर साफ पानी की मात्रा कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और धरती के बढ़ते तापमान ने इस समस्या को गंभीर संकट बना दिया है। दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जल संकट का सामना कर रहा है। वैश्विक जनसंख्या का 18 प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है, लेकिन चार प्रतिशत जल संसाधन ही हमें उपलब्ध है। भारत में जल-संकट की समस्या से निपटने के लिये प्राचीन समय से जो प्रयत्न किये गये है, उन्हीं प्रयत्नों को व्यापक स्तर पर अपनाने एवं जल-संरक्षण क्रांति को घटित करने की अपेक्षा है। सदियों से निर्मल जल का स्त्रोत बनी रहीं नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, अब उन पर जलवायु परिवर्तन का घातक प्रभाव पड़ने लगा है। जल संचयन तंत्र बिगड़ रहा है, और भू-जल स्तर लगातार घट रहा है। धरती पर सुरक्षित और पीने के पानी के बहुत कम प्रतिशत के आंकलन के द्वारा जल संरक्षण या जल बचाओ अभियान हम सभी के लिये बहुत जरूरी हो चुका है। जल को बचाने में अधिक कार्यक्षमता लाने के लिये सभी औद्योगिक बिल्डिंगें, अपार्टमेंट्स, स्कूल, अस्पतालों आदि में बिल्डरों के द्वारा उचित जल प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिये। देश के सात राज्यों के 8220 ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधनों के लिए अटल भूजल योजना चल रही है। स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में चलने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही, नल से जल, नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाने जैसे प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं। हमारे यहां जल बचाने के मुख्य साधन हैं नदी, ताल एवं कूप। इन्हें अपनाओं, इनकी रक्षा करो, इन्हें अभय दो, इन्हें मरुस्थल के हवाले न करो। गाँव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत करनी चाहिये। उचित रख-रखाव के साथ छोटे या बड़े तालाबों को बनाकर या उनका जीर्णोद्धार करके बरसात के पानी को बचाया जा सकता है। धरती के क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है। परंतु, पीने योग्य जल मात्र तीन प्रतिशत है। इसमें से भी मात्र एक प्रतिशत मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं।

पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। जल का संकट एवं विकट स्थितियां अति प्राचीन समय से बनी हुई है। इसी कारण राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि प्रांतों में जल संरक्षण के लिये नाड़ी, तालाब, जोहड़, बन्धा, सागर, समंद एवं सरोवर आदि बनाने की प्राचीन परम्परा रही है।

मोबाइल की आभासी दुनिया में खोता बालमन

तस्वीर का एक पक्ष यह भी है कि एक दूसरे से तत्काल संवाद कायम करने का माध्यम स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर परोसी जाने वाली सामग्री का सर्वाधिक दुष्प्रभाव बालक मन पर पड़ रहा है। तकनीक का इस तरह का दुष्प्रभाव संभवतः इतिहास में भी पहले कभी नहीं रहा है। दरअसल आज हम हर समस्या का समाधान स्मार्टफोन और इंटरनेट को मानने लगे हैं। बच्चा रो रहा है या किसी बात के लिए जिद कर रहा है या चिड़चिड़ा हो रहा है तो माताएं या परिवार के कोई भी सदस्य बच्चें को चुप कराने या मनबहलाव और खास यह कि बच्चे को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल संभला देते हैं।

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुए एक अध्ययन में भी साफ हो गया है कि शहरी बच्चें, गेमिंग, सोशियल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म के आदी होते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह होता जा रहा है कि बालक मन संवेदनहीन होता जा रहा है।

सोशल मीडिया पर आये दिन इस तरह की तस्वीर देखने को मिल जाएगी जिसमें ड्राइंग रुम में तो परिवार के लगभग सभी सदस्य बैठे हैं पर उनके बीच किसी तरह के संवाद की बात करना ही बेमानी होगा। सभी अपने-अपने स्थान पर अपने मोबाइल फोन में खोये मिलेंगे। खोये होने का मतलब साफ है कि कोई गेमिंग कर रहा होगा तो कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, वाट्सएप या इसी तरह के किसी दूसरे एप पर व्यस्त होगा। सवाल साफ है कि जो हम देखेंगे उसमें हमें पसंद भी वोही आएगा जो अधिक ग्लेमरस होगा और यही कारण है कि गेमिंग, चेटिंग या फिर रील्स बनाने देखने में बच्चों से बड़े तक व्यस्त मिलेंगे। इसके साथ ही गेमिंग जहां बच्चों बड़ों को लालच दिखाकर एक तरह से जुआरी बना रही हैं वहीं कुछ गेम तो इस कदर हानिकारक रहे हैं कि उन्हें फॉलों करते करते बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। सोशल मीडिया, ओटीटी व गेमिंग के साथ ही गूगल बाबा सहित खोजी चैनलों, डिजिटल प्लेटफार्म खोजी सामग्री तो कोई समाचार देखते-देखते ही कितने तरह के विज्ञापन सामने आ जाते हैं उनमें कई बार तो लगभग प्रोन जैसी सामग्री होने के बावजूद मजे से परोसी जाती रहती है और उसे बेन करने या सेंसर करने का कोई सिस्टम नहीं होने से उसका दुष्प्रभाव साफ देखा जाता है।

भले ही सरकार द्वारा इस तरह के चैनलों, प्लेटफार्म, एप आदि पर रोक लगाने के लाख दावें किये जाते हो पर साफतौर से इस तरह की सामग्री आम है। इसके साथ ही इन प्लेटफार्मों पर परोसी जाने वाली सामग्री बच्चों तक नहीं पहुंचे या बालमन पर को प्रदूषित नही करें, इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। जब इन प्लेटफार्मों पर हिंसा, यौन सामग्री, गेमिंग, संवेदनहीनता, तनाव, आत्महत्या या बदले की भावना प्रेरित करने वाली सामग्री परोसी जाएगी तो उसका प्रभाव से नकारा नहीं जा सकता। दरअसल यह विश्वव्यापी समस्या हो गई है और इसका समाधान समय रहते नहीं खोजा गया तो इसके जो दुष्परिणाम आएंगे व आने लगे हैं वे समाज के लिए भयावह होंगे, इस खतरे को समझना होगा।

तस्वीर का एक पक्ष यह भी है कि एक दूसरे से तत्काल संवाद कायम करने का माध्यम स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर परोसी जाने वाली सामग्री का सर्वाधिक दुष्प्रभाव बालक मन पर पड़ रहा है। तकनीक का इस तरह का दुष्प्रभाव संभवतः इतिहास में भी पहले कभी नहीं रहा है। दरअसल आज हम हर समस्या का समाधान स्मार्टफोन और इंटरनेट को मानने लगे हैं। बच्चा रो रहा है या किसी बात के लिए जिद कर रहा है या चिड़चिड़ा हो रहा है तो माताएं या परिवार के कोई भी सदस्य बच्चें को चुप कराने या मनबहलाव और खास यह कि बच्चे को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल संभला देते हैं। जबकि मोबाइल के दुष्प्रभाव हमारे सामने आने लगे हैं। अमेरिका में पिछले दिनों हुए एक सर्वे में सामने आया कि मोबाइल फोन, टेबलेट, वीडियो गेम या अन्य इस तरह के साधन के उपयोग से बच्चे गुस्सेल होते जा रहे हैं। बच्चों द्वारा स्कूल में गोलीबारी सहित एक दूसरे से मारामारी-हाथापाई व इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही है। मारधाड़, हमेशा गुस्से में रहने, तनाव में रहने और जिद्दी होना आज आम होता जा रहा है।

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुए एक अध्ययन में भी साफ हो गया है कि शहरी बच्चें, गेमिंग, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म के आदी होते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह होता जा रहा है कि बालक मन संवेदनहीन होता जा रहा है। हमेशा तनाव, डिप्रेशन, आक्रामकता, गुस्सेल, बदले की भावना आदि आम है। ऐसे में मनोविज्ञानियों के सामने नई चुनौती आ जाती है। यह असर कमोबेस लड़कों और लडकियों दोनों में ही समान रुप से देखा जा रहा है। यह कोई हमारे देश की समस्या हो, ऐसा भी नहीं हैं अपितु दुनिया के लगभग सभी देशों में यही हो रहा है। अमेरिका में किये गये एक अध्ययन में भी यही उभर कर आया है। कोई दो राय नहीं कि विकास समाज की आवश्यकता है। स्माटफोन व इंटरनेट की दुनिया का अपना महत्व है। पर इनके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। प्लेटफार्मों पर चाइल्ड लोक की बात भी की जाती है पर चाइल्ड लोक कितना कारगर है यह हम सब अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। मजे की बात तो यह है कि मोबाइल फोन, टेब, कम्प्यूटर, सोशल मीडिया प्लेटफार्म आदि के फीचर्स व उपयोग का तरीका बड़ों से ज्यादा बच्चों को आता है। यहां तक कि प्ले ग्रुप के बच्चें को भी यह जानकारियां होने लगी है। ऐसे में इन पर परोसी जाने वाली सामग्री को सेंसर करने या इससे बच्चों और बालपन को दूर रखने की बात बेमानी होती जा रही है। समाज विज्ञानियों, मनोविश्लेषकों, चिकित्सकों यहां तक शिक्षाविदों के सामने यह गंभीर चिंतनीय चुनौती सामने आ रही है।

आज बच्चे के सामने दो विकल्प एक मोबाइल फोन या सोशल मीडिया पर सफरिंग और दूसरा परिवार के साथ गप्पे लड़ाना या आउटडोर गेम्स जैसा विकल्प होगा तो बच्चे की पहली पसंद मोबाइल फोन व सोशल मीडिया पर सफरिंग ही होती जा रही है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

पार्टी के रुख पर सवाल

रुपेश कुमार सिंह
संपादक
चौथी वाणी

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रज्वल रेवन्ना वीडियो मामले ने कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया है। लेकिन उनकी पार्टी JDS की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने सहयोगी दल बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के दवाब में ऐक्शन लिया। ऐन चुनावों के बीच जिस तरह के संगीन आरोप लगे और विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद हासन लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद, इन चुनावों में प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ की गई खऊ की कार्रवाई स्वाभाविक ही कही जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर अभी कर्नाटक में वोटिंग बाकी न होती और विपक्षी कांग्रेस के साथ ही सहयोगी इखढ का भी दबाव न होता, तब भी क्या पार्टी नेतृत्व का यही रवैया होता?

देरी क्यों: मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस मामले की सुगबुगाहट पिछले साल जून से थी। तब प्रज्वल रेवन्ना ने अदालत का रुख किया था। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उनसे जुड़े कुछ फेक विडियो हैं, जिन्हें पब्लिश करने से मीडिया संस्थानों को रोका जाए। कर्नाटक में इखढ का खऊ के साथ गठबंधन है। हासन के एक स्थानीय इखढ नेता ने आम चुनाव से पहले अपनी पार्टी को इस मामले की जानकारी देते हुए आगाह किया था कि प्रज्वल और उसके पिता एचडी रेवन्ना को टिकट नहीं मिलना चाहिए।

छवि की चिंता: विडियो सामने आने के बाद खऊ के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की प्रतिक्रिया भी निराश करने वाली रही। उन्हें इस मामले में बड़ी बात यही दिखी कि विडियो हासन में वोटिंग के पहले क्यों रिलीज किए गए। साथ ही, उनकी चिंता थी कि केस से देवेगौड़ा का नाम न जोड़ा जाए। आरोपी प्रज्वल ने जब विडियो पब्लिश होने से रोकने के लिए अदालत का रुख किया तो उनकी भी चिंता अपनी इमेज को लेकर थी। इन सबके बीच पीड़ित महिलाओं का दर्द कहीं खो जाता है। क्या उनकी इमेज के कोई मायने नहीं?

अफसोस की बात: सबसे दुखद पहलू यह है कि इस पूरे प्रकरण का घटनाक्रम चौंकाता नहीं है। यह आम बात लगने लगी है - ताकतवर नेता, मजबूर महिलाएं और कमजोरों की अनदेखी करने वाला सिस्टम। हाल के कितने सारे मामले ध्यान में आ जाते हैं। कुछ ही समय पहले ऐसे ही आरोपों के साथ देश के जाने-माने और ओलिपिंक मेडल विनर पहलवान सड़क पर उतरे थे। उन्हें भी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था।

नजीर बने: इस तरह की घटनाओं का बार-बार होना बताता है कि कुछ ताकतवर लोग खुद को नियम-कानून से ऊपर समझते हैं और तंत्र अपने लुंज-पुज व्यवहार से उनकी इस समझ को मजबूती देता है। दिक्कत सामाजिक परिवेश में भी है, जहां एक महिला के लिए अपनी लड़ाई लड़ना मुश्किल होता है। लड़ाई में साथ देना तो दूर, उसे भावनात्मक समर्थन भी नहीं मिल पाता। जरूरी है कि इस मामले की तह तक जाकर सचाई का पता लगाया जाए और दोषी के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके इसे एक नजीर की तरह पेश किया जाए।

भारतीय समाज में शादी एक पवित्र रिश्ता है,इसे केवल नाचगाने,खानेंपीने,शराब दहेज तक सीमित प्रचलन से रोकना जरूरी

आओ शादी समारोह को पवित्र रीति रिवाजों,संस्कारों धार्मिक अनुष्ठानों से गंभीरता से पूरा करें-आधुनिकता के दंश से बचें

विवाह समारोहों में बढ़ता दिखावापन,स्टेटस सिंबाल व घटते पारंपरिक रीतिरिवाजों संस्कारों धार्मिक अनुष्ठानों को समाज ने रेखांकित करना समय की मांग : एडवोकेट किशन भावनानी

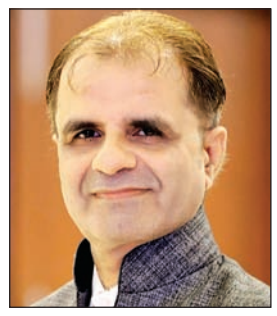

लेखक
किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)

गोंदिया- वैश्विक स्तरपर भारत आदि अनादि काल से पौराणिक संस्कारों का गढ़ रहा है। परंतु कुछ दशकों से हम देख रहे हैं कि इस पौराणिक संस्कृत गढ़ को आधुनिकता के दंश ने विलुप्तता की ओर अग्रसर कर दिया है।आज दिनांक 1 मई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने भी अपने एक जजमेंट में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हिंदू विवाहों को वैध बनाने के लिए उचित संस्कारों व रीतियों का निष्ठा पूर्वक पालन होना चाहिए। जजमेंट की चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे। एक जमाना था जब शादी समारोह में पारंपरिक रीतिरिवाज संस्कार धार्मिक अनुष्ठान इतने होते थे कि 10 घंटे तक पूरी धार्मिक प्रक्रिया चलती थी मैंने खुद अपने बड़े भैया की 1983 में शादी में धार्मिक अनुष्ठान फेरे सब पारंपरिक रीति रिवाज अनुष्ठान की स्थितियां देखी थी जो अर्धरात्रि सुबह 4 बजे तक पूरे अनुष्ठान पूर्ण कर दूल्हा दुल्हन घर रवाना हुए थे, जो आजकल सैकड़ो हजारों में एक देखने को मिलेगा ऐसा मेरा मानना है आज शादी से लेकर हर पवित्र खुशी का अनुष्ठान पूरा करने के लिए हर व्यक्तियों द्वारा अपने हिसाब से तारीख व समय निर्धारित किए जाते हैं, अगर मैंने इस क्षेत्र के विशेषज्ञ को कुछ हरे पीले अधिक दे दिए तो मेरे मन माफिक तारीख व समय उस अनुष्ठान के लिए वह निकालकर देगा, ऐसी अब कहावत नहीं बल्कि सत्यता बन चुकी है। धार्मिक अनुष्ठान रीति रिवाज हरे पीले के आगे प्रोफेशनलिज्म होने की कगार पर है, यानी जितनें अधिक हरे पीले देंगे उतनी तीव्रता से अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, जो कार्य या धार्मिक अनुष्ठान पवित्र पूजन उस दिन या उस समय में वर्जित हैं, उसका भी कोई ना कोई उपाय निकालकर संपन्न करवा दिया जाता है। जो समाज को रेखांकित करना होगा। आज शादी केवल नाम मात्र की ही होते जा रही है, शादी से अधिक महत्व दूसरे अनेक कार्यक्रमों गाना बजाना, ढोल बताशा, दारू मदिरा पार्टी इत्यादि पूर्ण कार्यक्रमों को दिया जा रहा है। शादी का बजट बड़े-बड़े लोगों का करोड़ों में तो माध्यम लोगों को लाखों में हो गया है। शादी समारोह में रीति रिवाज संस्कार धार्मिक अनुष्ठान घटते जा रहे हैं व दिखावापन स्टेटस स्मबॉल बढ़ते जा रहा है। मेहमानों दोस्तों यारों रिश्तेदारों का केवल समारोह में शामिल होने का प्रचलन बढ़ गया है पर पवित्र रीति रिवाज संस्कारों में केवल परिवार वाले भी कभी-कभी शामिल नहीं होते, केवल माता-पिता दादा दादी वह कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग शामिल होते हैं जो अत्यंत ही खेदजनक है, जिसे समाज ने रेखांकित कर संज्ञान में लेकर सामाजिक कार्रवाई की ओर अग्रसर होने की जरूरत है। चूंकि आज भारतीय समाज में शादी रूपी एक पवित्र रिश्ता केवल नाचगाने खाने-पीने शराब दहेज तक सीमित प्रचलन में हो गया है जिसका उल्लेख आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, उसे रोकना जरूरी है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी केसहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,आओ शादी समारोह को पवित्र रीति रिवाजों संस्कारों धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा करें,आधुनिकता के दंश से बचें। साथियों बात अगर हम सनातन धर्म के 16 संस्कारों में पाणिग्रहण यानें शादी संस्कार की करें तो, सनातन धर्म में 16 संस्कारों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।पाणिग्रहण संस्कार याने विवाह संस्कार को भी इन 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। वैदिक संस्कृति में इन 16 संस्कारों के बगैर इंसान का जीवन सफल नहीं माना जाता। विवाह शब्द में ह्यविह्न का मतलब विशेष से है और ह्यवाहह्न का अर्थ वहन करना है। यानी उत्तरदायित्व को विशेष रूप से वहन करना ही विवाह होता है। हिंदू शास्त्रों में इसे पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का संबन्ध माना गया है। हिंदू धर्म में शादी का मतलब 7 जन्मों का साथ होता है। एक बार किसी के साथ 7 फेरे ले लिया तो उस रिश्ते को सात जन्मों तक निभाने का वादा करते हैं। विवाह हिंदू धर्म के सोलह संस्कारों में एक होता है। विवाह के दौरान पंडित कई सारी रस्में और मंत्र पढ़ते हैं। इन्ही रस्मों में लड़का और लड़की अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। इन 7 फेरों को करते समय पंडित 7 वचनों को संस्कृत भाषा में बोलते हैं। साथियों बात अगर हम दिनांक 1 मई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच द्वारा दिए एक जजमेंट की करें तो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में पवित्र संस्था का दर्जा हासिल है। यह नाचने गाने का आयोजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए इसे उचित संस्कारों व रीतियों के साथ किया जाना चाहिए। विवाह से जुड़ी रीतियों का निष्ठापूर्वक पालन होना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा, विवादों के मामले में रीतियों के पालन का प्रमाण पेश करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी जरूरतों व पवित्रता को स्पष्ट किया। माननीय दो जस्टिस की पीठ ने कहा, पारंपरिक संस्कारों या सप्तपदी जैसी रीतियों के बिना की गई शादी को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के तहत वैध विवाह के लिए अपेक्षित रीतियों का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर वह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत शादी का पंजीकरण विवाह के सबूत की सुविधा देता है, पर यह तब तक उसे वैधता नहीं देता है, जब तक विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार संपन्न नहीं हुआ हो।पीठ ने कहा, यदि हिंदू विवाह रीति-रिवाज के अनुसार नहीं किया गया है, तो पंजीकरण नहीं हो सकता। वैध हिंदू विवाह के अभाव में पंजीकरणअधिकारी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत ऐसी शादी को पंजीकृत नहीं कर सकता। शीर्ष कोर्ट ने कहा, युवा पुरुषों व महिलाओं से आग्रह है, वे विवाह करने से पहले गहराई से जानें कि भारतीय समाज में विवाह कितना पवित्र है। विवाह गीत व नृत्य या शराब पीने-खाने का आयोजन नहीं है। यह ऐसा अहम आयोजन है, जो एक पुरुष व एक महिला में संबंध स्थापित करने के लिए मनाया जाता है, जो पति-पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने एक महिला की ओर से उसके खिलाफ तलाक की कार्यवाही स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणियां कीं। सुनवाई के दौरान, पति और पत्नी ने संयुक्त आवेदन कर यह घोषणा की कि उनकी शादी वैध नहीं थी। उन्होंने कहा, उनके द्वारा कोई विवाह नहीं किया गया, क्योंकि कोई रीति-रिवाज, संस्कार या अनुष्ठान नहीं किए गए। हालांकि, उन्हें एक जनकल्याण समिति (पंजीकृत) से प्रमाण पत्र लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। तथ्यों के बाद पीठ ने घोषित किया कि यह वैध विवाह नहीं था। कोर्ट ने दर्ज किए मुकदमों को भी रद्द कर दिया। साथियों बात अगर हम 1 मई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच द्वारा सुनाए ऐतिहासिक फैसले को 6 प्वाइंट्स में समझने की करें तो (1) हिंदू विवाह एक संस्कार और धार्मिक अनुष्ठान है जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में अपना दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह करते हैं कि वे विवाह की संस्था के बारे में गहराई से सोचें और यह भी कि भारतीय समाज में यह संस्था कितनी पवित्र है। (2) विवाह गाने और नाचने और खाने-पीने या दहेज और उपहारों की मांग करने और अनुचित दबाव के जरिए लेन-देन करने का अवसर नहीं है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है. यह एक पवित्र आधारभूत समारोह है (3) सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों का भी जिक्र किया जहां जोड़ों ने अपनी शादी को व्यवहारिक कारणों की वजह से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत रजिस्टर कराया, जबकि असल में शादी संपन्न नहीं हुई थी। अदालत ने कहा कि इसके खिलाफ चेताया और कहा कि? सिर्फ रजिस्ट्रेशन से ही शादी वैध नहीं हो जाती। (4) अदालत ने विवाह संस्था को महत्वहीन न बनाने का आग्रह किया। (5) विवाहित जोड़े का दर्जा देने और व्यक्तिगत और स्थायी अधिकारों को स्वीकार करने के लिए विवाह के पंजीकरण के लिए एक तंत्र प्रदान करने के अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संस्कारों और समारोहों को एक विशेष स्थान दिया गया है, इसका अर्थ है कि हिंदू विवाह केअनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण शर्तों का लगन, सख्ती और धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए। (6) हिंदू विवाह अधिनियम,1955 की धारा 7 के तहत रीति-रिवाजों और समारोहों का ईमानदारी से संचालन और भागीदारी सभी विवाहित जोड़ों और समारोह कराने वाले पुजारियों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आओ शादी समारोह को पवित्र रीति रिवाजों,संस्कारों धार्मिक अनुष्ठानों से गंभीरता से पूरा करें-आधुनिकता के दंश से बचें।भारतीय समाज में शादी एक पवित्र रिश्ता है,इसे केवल नाचगाने,खानेंपीने शराब दहेज तक सीमित प्रचलन से रोकना जरूरी।विवाह समारोहों में बढ़ता दिखावापन,स्टेटस सिंबाल व घटते पारंपरिक रीतिरिवाजों संस्कारों धार्मिक अनुष्ठानों को समाज ने रेखांकित करना समय की मांग है।

वैचारिक सिद्धांत और विचारधारा सदैव समाज के दिग्दर्शक मार्गदर्शक रहे हैं

चिंतन और वैचारिक क्षमता को जिंदा रखिये।

विचार और सिद्धांत व्यक्ति के अंदर की अतः प्रज्ञा होती है। और यह सिद्धांत तथा अंतः विचारधारा जनमानस तक पहुंचने से बाधित किया जाए अंतरात्मा को प्रभावित करती है और इसके गहरे प्रभाव से व्यक्ति वह सब कर सकता है जो बिना मार्गदर्शन के व्यक्ति नहीं कर सकता। प्राचीन काल से अब तक वैचारिक सिद्धांत और विचारधारा सदैव समाज के दिग्दर्शक मार्गदर्शक रहे हैं। इनकी भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है।यदि यही सिद्धांत और अंतःप्रज्ञा जनमानस आत्मसात कर लेता है, तो इसका प्रभाव एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है और यहीं से युग परिवर्तन की लहर प्रस्फुटित होती है। प्राचीन यूनान में एक बहुत ही कुरूप किंतु विद्वान व्यक्ति सुकरात हुआ करते थे,उनके विचारों में मौलिकता,नयापन जनजागृति की अद्भुत क्षमता थी। उनकी विद्वता के कारण आम जनमानस होने राजा से ज्यादा महत्व और बुद्धिमान मानते थे। राजकीय तानाशाही के चलते उनके विचारों के कारण उनको मृत्युदंड दे दिया गया। जहर का प्याला पीने के बाद भी विद्वान, चिंतक, सुकरात अमर हो गए, उनकी विचारधारा आज भी जीवित है, एवं लोग उसे अपनाकर अपना जीवन सुधारने में इसका उपयोग करते हैं। अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद दास प्रथा के बारे में कहा था कि दास भी मनुष्य हैं, उन्हें भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना स्वामी को है। अब्राहम लिंकन के आंदोलनकारी विचार से तत्कालीन समय में अमेरिका के लोग घबरा गए थे,और उनकी हत्या कर दी गई थी। पर अब्राहम लिंकन के विचारों ने दास प्रथा के उन्मूलन की अंतर आत्मा को जागृत कर दिया था, और जनमानस ने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए दास प्रथा से मुक्ति पाई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। विचार एवं सिद्धांत ही व्यक्ति का निर्माण करता है। वही दुष्ट होने या महान होने का निर्णायक है। और बिना विचारों सिद्धांतों के व्यक्त व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं । विवेकानंद जी के विचार सर्व कालीन प्रासंगिक है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके जीवित रहते हुए थे। आज हमारे बीच विवेकानंद जी स शरीर मौजूद नहीं है, पर उनके विचारों की महत्ता कायम है।भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने से और भौतिक विचार तथा सिद्धांत उतनी ही तीव्रता रखते हैं, वेग रखते हैं, जो एक समाज में परिवर्तन ला सकती है ।विचारों की यह अमरता तथा तीव्रता किसी भी तानाशाह के लिए इतनी खतरनाक है, जितनी की सुप्त शेर की गुफा में रहना। जनता के मध्य शुद्ध विचारधारा के जागृत होने पर क्रांति लाई जा सकती है। फिर चाहे वह फ्रांस के वर्साय के महल का विध्वंस हो अथवा भारत की स्वतंत्रता हेतु वृहद आंदोलन हो। व्यक्ति या व्यक्तियों के दबाव को दबाने के बाद विचारों की पीड़िता ने जनसामान्य को एक गरजते हुए सिंह में तब्दील कर दिया था। यह शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति को जरूर आप दबा सकते हैं,पर विचारधारा सिद्धांत अजर अमर होते हैं,और वही युग निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। विचारों के संदर्भ में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का विचार तब तक उस व्यक्ति के पास है, जब तक वह अकेला है किंतु जैसे ही विचारधारा एवं सिद्धांत का प्रचार प्रसार होता है, तो वह व्यक्ति अकेला ना रह कर उस जैसे हजारों लाखों लोग उसके साथ हो जाते हैं। तब वह अकेला नहीं रह जाता। वह अपने विचारों के माध्यम से जन सामान्य को प्रभावित कर लोगों को उस लड़ाई में शामिल कर लेता है, जिस लड़ाई के वह कभी अकेले नहीं लड़ सकता था। विचारों सिद्धांतों की तीव्रता आवेश तथा सघनता किसी भी क्रांतिकारी लक्ष्य की प्राप्ति में एक बड़ा साधक हो सकता है। विचार व सिद्धांत एक से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होते रहते हैं। जिसमें विचारों को सघनता प्राप्त होती है। ताकि सत्ता के दमन के समय वैचारिक अमरता स्थाई बनी रहे। चीन उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों में विचारों के इस स्वतंत्र का प्रवाह को बाधित नियंत्रित कर दिया गया। अभिव्यक्ति के तमाम माध्यमों को प्रतिबंधित कर दमन चक्र चलाया गया। वहां विचार और सिद्धांत विद्वान व्यक्ति तक ही सीमित रहे उसका फैलाव या विस्तार नहीं हो पाया। जो मानव समाज तथा मानव अधिकारों की संवेदना तथा धाराओं का उल्लंघन भी है। किसी स्वस्थ,स्वतंत्र राष्ट्र के लिए व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विचारों की स्वतंत्रता नवीनता तथा उत्कृष्टता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि विचारधारा और सिद्धांतों को रोक पाना किसी भी सत्ता या निरंकुश राजा के नियंत्रण में नहीं होता। विचारों और सिद्धांत अनादि काल से गतिशील है तथा अनंत तक जगत तक गतिशील रहेंगे,और उसका प्रतिपादक एवं अनुशीलन कर्ता विचारों के साथ अमर हो जाते हैं।

लेखक
संजीव ठाकुर
चिंतक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

गर्मी में भी अभी तक चुनावी ठंडी का अहसास क्यों है?

दो चरण का चुनाव हो चुका है और अब 7 मई को तीसरे चरण में 96 सीटों के लिए मतदान की तैयारी है। लेकिन सब ओर से एक ही शिकायत सुनाई दे रही है कि अब तक लोकसभा चुनाव ने रंगत नहीं पकड़ी है। इसके प्रमुख रूप से क्या कारण हो सकते हैं, इस पर लोगों की अलग झ अलग राय है । इस बार अप्रैल का महीना सामान्य से तीन डिग्री तक अधिक गर्म रहा । उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सब जगह लोग अचानक बढ़ी इस गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि इस साल अल नीना का असर है और तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अत्यधिक तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़े के कारण न तो नेता और न उनके प्रचार करनेवाले कार्यकर्ता बाहर निकल रहे हैं और न ही मतदाताओं में कोई उत्साह दिख रहा है। मतदान का प्रतिशत भी पिछले चुनावों की अपेक्षा कम ही हो रहा है । उत्तर भारत में अभी जहां वोटिंग हुई या अगले चरणों में होनेवाली है वहां सुबह 9 बजे के बाद और शाम के 5 बजे तक घर से निकलनेवाले हालात ही नहीं है। इसका असर आम चुनाव पर भी पड़ा है और नेता, कार्यकर्ता, मतदाता सभी सुस्त नजर आ रहे हैं। सिर्फ बड़े नेताओं की बड़ी रैलियों तक ही चुनाव प्रचार सिमटकर रह गया है। किसी भी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव उसमें चौक चौराहों की बैठकी, चाय पान की दुकान पर चर्चा ही राजनीतिक माहौल बनाते आये हैं। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रसार बढ़ा है, ऐसी चचाओं पर असर पड़ा है। जो चचाएं लोगों के बीच होती थी, अब वह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब और वाट्सएप्प पर होने लगी हैं। टीवी डिबेट की जगह यू ट्यूब पर ग्राउण्ड रिपोर्टिंग अधिक प्रभावी होती जा रही है। इसके साथ ही लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार कहीं ट्विटर (एक्स) पर बिजी हैं तो कहीं वाट्स एप्प पर। ट्विटर के रोज बनने बिगड़नेवाले ट्रेन्ड जहां बौद्धिक लोगों को उलझाये हुए हैं, वहीं जन सामान्य वाट्सएप्प मैसेज फारवर्ड करके अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखा रहा है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा खतरा है विश्वसनीयता का। एक वर्ग ऐसी चचाओं का हिस्सा जरूर है लेकिन इसमें फेक न्यूज का भी प्रसार धड़ल्ले से हो रहा है। इसके कारण इन चचाओं और बहसों पर विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकट है। फिर भी सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रभावशाली होने का असर भी इस आम चुनाव की सरगर्मी को ऑफलाइन से हटाकर ऑनलाइन की ओर ले गया है। इस बार के आम चुनाव में एक और ट्रेन्ड जो साफ साफ दिखाई देने लगा है, वह यह कि इस बार का चुनाव नेतृत्व चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार सारा जोर उम्मीदवारों पर है। कहने के लिए यह आम चुनाव जरूर है लेकिन बीते दो दशक में ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है कि जनता की रुचि राष्ट्रीय नेतृत्व से ज्यादा स्थानीय उम्मीदवार में है। इसीलिए इस बार का आम चुनाव मोदी या राहुल गांधी में से किसी एक को चुनने का चुनाव नहीं है। जनता मानों उस दृष्टिकोण से इस चुनाव को देख ही नहीं रही है। इस बार स्थानीय उम्मीदवार पर सारा जोर है। इसलिए सीट दर सीट चुनावी गणित बन बिगड़ रहे हैं। मतदाता भी स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अपनी सुविधा और संसाधनों को देखते हुए इस बार 7 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला किया है। अभी तक जो दो चरण हुए हैं उसमें 19 अप्रैल को 102 और 26 अप्रैल को 89 सीटों के लिए मतदान हुआ है। ये सीटें भी कई राज्यों में फैली हुई हैं। कुछ राज्यों में तो ऐसा हो रहा है कि बड़ा राज्य होने के बावजूद वहां एक चरण में पांच से आठ सीटों के लिए मतदान हुआ है। इसलिए भी चुनाव में सरगर्मी नहीं आ रही है। कम चरणों में चुनाव होने से एक राष्ट्रव्यापी माहौल बनता है और सब उसमें शामिल होते हैं। अगर चुनाव को लंबा खींचा जाए तो मतदाता में ही कोई उत्साह नहीं बचता है। इसलिए भी इस बार आमचुनाव का माहौल अभी तक नहीं बन पाया है। आनेवाले चरणों में तो पांचवे में 49, छठे में 57 और सातवें में 57 सीटों के लिए मतदान होगा। इससे चुनाव का राष्ट्रव्यापी माहौल आगे चलकर बन ही जाएगा, इसमें भी संदेह है। इस बार के आम चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का घोर अभाव है। कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया गया है जिस पर राष्ट्रव्यापी चर्चा हो। दूसरी ओर भाजपा ने राम मंदिर को जरूर राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने का प्रयास किया लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इसलिए भाजपा की ओर से जहां कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को एक बार फिर उठाया जा रहा है, वहीं कर्नाटक में देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की सेक्स सीडी को कांग्रेस अब राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने में लग गयी है। उसका पूरा इकोसिस्टम इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर उठाना चाहता है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में जेडीएस की साझीदार है और प्रज्वल भी चुनावों में उम्मीदवार है। इस बार के आमचुनाव में यह भी एक ऐसा फैक्टर है जिसने चुनाव की सरगर्मी को कम किया है। एक ओर सत्ताधारी भाजपा है जो यह मानकर चल रही है उसको मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भी बंपर बहुमत मिलनेवाला है। दूसरी ओर कांग्रेस सहित अन्य लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां इसी मनोवैज्ञानिक दबाव में फंसी हुई हैं कि जब भाजपा जीत ही रही है तो बहुत मेहनत करके भी क्या हासिल होगा?एक ओर जीत के प्रति आश्वस्त भाजपा कार्यकर्ता भी शिथिल पड़े हुए हैं तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता खुद को हारा हुआ मानकर चल रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के कारण भी विपक्षी पार्टियों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसका असर भी चुनाव की सरगर्मी पर पड़ा है। इनके अलावा और भी कई कारण हैं जिसका असर इस बार के आम चुनाव पर पड़ा है। यह सीजन शादी विवाह का सीजन भी होता है और गर्मी की छुट्टियों का भी। इसलिए ग्रामीण मतदाता जहां अपनी खेती और सामाजिक कामों में व्यस्त रहता है वहीं शहरी मतदाता गर्मी की छुट्टियां होते ही सैर सपाटे पर निकल जाता है। बहरहाल, उम्मीद करनी चाहिए कि तीसरे चरण के बाद से चुनावों में सरगर्मी आयेगी। भाजपा खेमे से आ रही कम सीटों की आहट ने न केवल भाजपा कार्यकताओं को सक्रिय किया है बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी नया जोश आया है। इस सबका असर चुनाव के शेष रहे चरणों पर जरूर होगा और उम्मीद करनी चाहिए कि मतदान का अंत उतना फीका नहीं रहेगा जितनी फीकी इसकी शुरूआत रही है।

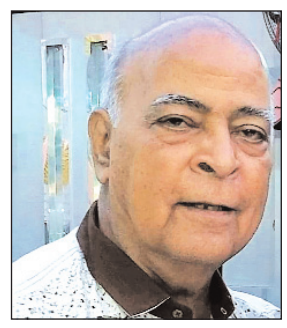

लेखक
अशोक भाटिया
वसई पूर्व, मुंबई

मजदूर दिवस

(दमनजीत सिंह)

मजदूर दिवस प्रथम मई के दिन, शहीद हुए उन श्रमिकों की याद में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है जिन्होंने उचित सेवा शर्तों, शोषण, दमन तथा मानवोचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक लम्बा निर्णायक संघर्ष किया था। इस दिन मजदूर अपनी उस संगठिन शक्ति को याद करते हैं जिसके बल पर उन्होंने अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। आज का श्रमिक सामान्यतः सात-छह घंटे काम करता है लेकिन पहले श्रमिक 10 से 14 घंटे तक काम करने पर मजबूर थे। ऐसे में श्रमिकों का वेतन भी और सुविधाएं भी कम होती थी। श्रमिक सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से इतने अधिक पिछड़ गये थे कि वे ना तो अपने बच्चों की सुध ले सकते थे ना ही उनका भरण-पोषण भलीभांति कर सकते थे। फलस्वरूप श्रमिकों को संघर्ष के लिए बाध्य होना पड़ा व प्रथम मई 1447 को संघर्ष का बिगुल बजा दिया गया, जिस कारण अमरीका के औद्योगिक शहर शिकागो में कुछ श्रमिक पुलिस की गोली का शिकार हुए व सैकड़ों घायल हुए। बहुत से श्रमिकों को जेलों में ठूंस दिया गया व कई श्रमिक नेताओं पर हत्या के मुकदमे चलाये गये जिन्हें अंत में फांसी की सजा हुई। इस खूनी संघर्ष ने विश्व भर के मजदूरों को भी संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अंततः सच्चाई की जीत हुई व श्रमिक आठ घंटे के कार्य दिवस को अपनी मांग हासिल करने में सफल हुए। सन् 1914 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जिनेवा में हुए प्रथम अधिवेशन में भी यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यावधि अधिक से अधिक 8 घंटे निर्धारित हो। श्रम संबंधित अन्य अनेक शर्तों को भी शब्दबद्ध किया गया। दुनिया भर के मजदूर इसी उपलक्ष्य में प्रथम मई के दिन को मई दिवस के रूप में मनाते हैं। यह तारीख आज भी श्रमिकों के लिए प्रेरणा स्त्रोत के रूप में काम करती है।

प्रकाशक, संपादक, मुद्रक रूपेश कुमार सिंह, रैप एक्सप्रर्टस प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा, कॉमी तंजीम पब्लिसर्स प्रा. लिमिटेड, अमीन मंजिल, सब्जीबाग, पटना-800004 से मुद्रित। ज्योति प्रकाश भवन, जकरियापुर एसएफसी कॉलोनी, जीरो माइल गंगा पेट्रोल पंप के नजदीक, पटना से प्रकाशित। संपर्क सूत्र 9835055017@7004145686] RNI NO&BIHHIN/2021/85413, RNI TITLE CODE : BIHHIN/11898

महिलाओं के साथ ज्यादती : कटघरे में नेता

ऐन चुनावों के बीच जिस तरह के संगीन आरोप लगे और विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद हासन लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद, इन चुनावों में प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ की गई जेडीएस की कार्रवाई स्वाभाविक ही कही जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर अभी कर्नाटक में वोटिंग बाकी न होती और विपक्षी कांग्रेस के साथ ही सहयोगी भाजपा का भी दबाव न होता, तब भी क्या पार्टी नेतृत्व का यही रवैया होता? मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस मामले की सुगबुगाहट पिछले साल जून से थी। तब प्रज्वल रेवन्ना ने अदालत का रुख किया था। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उनसे जुड़े कुछ फेक विडियो हैं, जिन्हें पब्लिश करने से मीडिया संस्थानों को रोका जाए। कर्नाटक में भाजपा का जेडीएस के साथ गठबंधन है। हासन के एक स्थानीय भाजपा नेता ने आम चुनाव से पहले अपनी पार्टी को इस मामले की जानकारी देते हुए आगाह किया था कि प्रज्वल और उसके पिता एचडी रेवन्ना को टिकट नहीं मिलना चाहिए। विडियो सामने आने के बाद जेडीएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की प्रतिक्रिया भी निराश करने वाली रही। उन्हें इस मामले में बड़ी बात यही दिखी कि विडियो हासन में वोटिंग के पहले क्यों रिलीज किए गए। साथ ही, उनकी चिंता थी कि केस से देवेगौड़ा का नाम न जोड़ा जाए। आरोपी प्रज्वल ने जब वीडियो पब्लिश होने से रोकने के लिए अदालत का रुख किया तो उनकी भी चिंता अपनी इमेज को लेकर थी। इन सबके बीच पीड़ित महिलाओं का दर्द कहीं खो जाता है। क्या उनकी इमेज के कोई मायने नहीं हैं ? नेताओं का ठीक यही रवैया पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में देखने को मिला था। वहां टीएमसी का नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। सरकारी दमन के बावजूद सैकड़ो महिलाएं इसके विरोध में सड़क पर उतर आई फिर भी ममता सरकार शेख को बचाने की कोशिश में जुटी हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर उसकी गिरफ्तारी हो पाई।

पाक क्यों चाहता है भारत से कारोबारी संबंधों की बहाली

आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

क्योंकि, उसे ये उत्पाद दुबई जैसे देशों से मंगवाने पड़ते हैं। पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय का मानना है कि भारत के साथ सीधा व्यापार आर्थिक विकास को गति दे सकता है। अफगानिस्तान और ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भी पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा दिया है। यह भी देखना होगा कि ईरान के नेता की हालिया इस्लामाबाद यात्रा से दोनों देश कितने करीब आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अपने देश की रसातल में जा रही अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिए बीती 26 अप्रैल को अपने मुल्क के उद्योगपतियों से कराची में मुलाकात की। वहां सवाल-जवाब का लम्बा दौर भी चला। इस दौरान पाकिस्तान के चोटी के उद्योगपति और आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमेन आरिफ हबीब ने शाहबाज शरीफ से पुरजोर गुजारिश की कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध तुरंत बहाल करें।

पाकिस्तान के अंग्रेजी के मशहूर अखबार दि डॉन ने गुरुवार (25 अप्रैल, 2024) को इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा भी है। उस वक्त वहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के समधी इशाक डार भी मौजूद थे। डार के बेटे की शादी नवाज शरीफ की बेटी से हुई है। डार ने पिछले महीने ही कहा था कि उनका मुल्क भारत से व्यापारिक संबंध बहाल करना चाहता है। उधर, भारत का मानना है कि व्यापार को द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।

इसके लिए, पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाना होगा। वहां चल रही आतंकवाद की फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करना होगा। भारत का यह भी मानना है कि आतंकवाद के मुद्दे पर ठोस कदम उठाए बिना व्यापार शुरू करना संभव नहीं है। पाकिस्तान के नेताओं की भारत के साथ व्यापार शुरू करने की इच्छा कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। यह सब जानते हैं। भारत के साथ व्यापार, विशेष रूप से चीनी और कपास जैसे उत्पादों का आयात बंद होना, पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ रहा है।

क्योंकि, उसे ये उत्पाद दुबई जैसे देशों से मंगवाने पड़ते हैं। पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय का मानना है कि भारत के साथ सीधा व्यापार आर्थिक विकास को गति दे सकता है। अफगानिस्तान और ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भी पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा दिया है। यह भी देखना होगा कि ईरान के नेता की हालिया इस्लामाबाद यात्रा से दोनों देश कितने करीब आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यापार, राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक और सार्थक चर्चा के लिए भी एक प्रारंभिक कदम हो सकता है।

हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में जल्द ही सुधार की संभावना भी नहीं है, क्योंकि अभी तो भारत में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इस बीच, भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों की बहाली करने से कोई बहुत लाभ नहीं होगा। अगर दोनों पड़ोसियों में व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, तो इससे पाकिस्तान को ही बड़ा लाभ होगा। पाकिस्तान के लिए कठमुल्लों पर लगाम लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आने वाले समय में दोनों देशों के नेताओं के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति और ठोस कदम ही इस गतिरोध को तोड़ सकते हैं। भारत की चिंता बहुत वाजिब है। भारत सरहद के उस पार से होने वाले आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है। इसलिए वह कोई भी कदम बहुत सोच-समझकर ही उठाएगा।

अब पाकिस्तान लाख चाहे पर, पर भारत उससे व्यापारिक संबंधों को लेकर कतई उत्साहित नहीं है। पाकिस्तान ने ही भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को खत्म कर लिया था जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू- कश्मीर से संविधान की धारा 370 को खत्म कर दिया था। तब से पाकिस्तान के कुछ नेता कहते रहते हैं कि जब तक धारा 370 की बहाली नहीं होगी तब तक वह भारत से संबंध बहाल नहीं करेंगा। हालांकि अब जम्मू-कश्मीर में धारा 370 की बहाली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बारे में सारा देश एक तरह से सोचता है। और, पाकिस्तान हो या कोई अन्य विदेशी मुल्क, वहां की सरकार या अवाम को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल को मोदी जी तो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले की सरकारों की कमजोरी से ही अब तक ऐसा होता रहा है।

पिछले दिनों पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री के रूप में ताजपोशी के बाद यह तय ही था कि वहां भारत से व्यापारिक संबंध शुरू करने की पहल चालू होगी। खराब आर्थिक नीतियो और सेना के भारी बजट के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तार- तार हो चुकी है। वह विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), सऊदी अरब, चीन वगैरह के आगे मदद की आस में हर वक्त कटोरा लेकर खड़ा रहता है। पाकिस्तान अपने निर्यात को भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन आतंकवादी मुल्क से आयात करेगा कौन? विश्व बैंक ने 2018 में अनुमान लगाया था कि अगर पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार अपनी क्षमता तक पहुँच जाता है तो उसका निर्यात लगभग 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त और प्रसिद्ध पुस्तक ह्लएंगर मैनेजमेंट: द ट्रबल्ड डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तानह्व के लेखक अजय बिसारिया कहते हैं: ₹अगर भारत-पाकिस्तान में तिजारती संबंध शुरू होते हैं तो पाकिस्तान के कपड़ा और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों को तगड़ा लाभ होगा।₹ एक बात शीशे की तरह से साफ है कि सोशल मीडिया के इस दौर में पाकिस्तान का अवाम पड़ोसी भारत की जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को बारीकी से देख रहा है। पाकिस्तान तो बिजली और आटे की किल्लत, बेरोजगारी और महंगाई की मार से त्राहि-त्राहि कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तानी नेतृत्व भारत के साथ कारोबारी संबंध स्थापित करने का ख्वाब देख रहा है। हां, यह तो मानना होगा कि चाहे नवाज शरीफ हों या फिर उनके अनुज और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कारोबार के महत्व को तो अच्छी तरह समझते हैं। ये खुद भी कारोबारी हैं। शरीफ परिवार का स्टील बिजनेस है। इनकी कंपनी के भारत के प्रख्यात स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल की कंपनी जिंदल साउथ-वेस्ट (जेएसडब्ल्यू) से कारोबारी संबंध रहे हैं। शरीफ जानते हैं कि अब दुनिया युद्ध के रास्ते पर नहीं चल सकती है, क्योंकि; युद्ध विनाश का पर्यायवाची है। उनके सामने भारत-चीन का शानदार उदाहरण है। ये दोनों दिग्गज एशियाई मुल्क अपने जटिल सीमा विवाद को सुलझाने की चेष्टा करते हुए भी आपसी व्यापार को आगे लेकर जा रहे हैं। वर्तमान में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब रुपये के आसपास पहुंच रहा है। पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत की चाहत पूरी हो सकती है, अगर वह आतंकियों की गोद से मुक्त होकर भारत की चिंताओं का समाधान करे।

सामाजिक न्याय आंदोलन के नेताओं ने नहीं की पिछड़े वर्ग की चिंता

नीरज कुमार दुबे

देखा जाये तो देश की सामाजिक न्याय की राजनीति के अग्रदूत, मंडल की विचारधारा ने समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सहित कई समाजवादी नेताओं को जन्म दिया। लेकिन इन दलों ने मंडल को भुला दिया। आज मंडल का पैतृक घर और उनके नाम पर स्मारक मुरहो गांव में उपेक्षा के शिकार दिखते हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि लालू और नीतीश ने सामाजिक न्याय आंदोलन को कमजोर कर दिया क्योंकि दोनों ने अपनी-अपनी जातियों को बढ़ावा दिया और दलितों को कुछ नहीं दिया इसलिए वह अब भी गरीब बने हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि महादलितों की हालत और इस गांव की हालत देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति करने वालों ने देश और समाज को कुछ नहीं दिया। हम आपको बता दें कि यादवों के प्रभुत्व वाले निर्वाचन क्षेत्र मधेपुरा में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। यहां के लोगों का कहना है कि मुरहो गांव से शुरू हुए सामाजिक न्याय के गौरवशाली आंदोलन से जुड़ी यादें जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। उल्लेखनीय है कि मुरहो गांव यादव बहुल है और इसके अन्य समुदायों में कुर्मी और पचपनिया जैसे कुछ अन्य ओबीसी समूहों के साथ-साथ महादलित भी शामिल हैं। यहां के लोग इस गांव का भाग्य बदलने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। गांव के युवक कहते हैं कि बीएड की डिग्री ली, आईटीआई का प्रमाणपत्र लिया लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। अधिकांश युवक स्कूली बच्चों को खुले में ट्यूशन पढ़ा कर अपना काम चलाते हैं। बेरोजगारी की स्थिति को लेकर युवकों की नाराजगी हर दल से है। युवकों का कहना है कि कोई भी वास्तविक मुद्दों के बारे में बात नहीं कर रहा है।

लोकसभा चुनावों में विपक्ष की ओर से संविधान और आरक्षण बचाने की दुहाई दी जा रही है तो सरकार का कहना है कि वह संविधान और आरक्षण की सुरक्षा के लिए चट्टान बन कर खड़ी रही है और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। देखा जाये तो इस बार के आम चुनाव में प्रचार में मुद्दे तो कई उठ रहे हैं लेकिन जनता के असल मुद्दे परिदृश्य से गायब होते जा रहे हैं। गरीबों की बात सभी दल कर रहे हैं। गरीब यह देख कर खुश हैं कि उन्हें बहुत याद किया जा रहा है लेकिन वह यह बात जानते हैं कि मतदान के बाद उनकी सुध लेने कोई नहीं आयेगा। सभी दल सामाजिक न्याय की बात भी कर रहे हैं लेकिन वास्तविक सामाजिक न्याय तभी होगा जब सबका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा शिक्षा को सस्ता कर सबके लिए सुलभ बनाया जायेगा।

सामाजिक न्याय की मांग सबसे पहले बिहार से उठी थी। यह मांग उठायी थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के राजनीतिक सफर की बात करें तो आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा संसदीय क्षेत्र के भागलपुर से अलग होने के बाद, मंडल ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) के टिकट पर 1967 का लोकसभा चुनाव जीता था। वह 1968 में थोड़े समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। मंडल यादव समुदाय से थे और उन्हें दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 1978-80 के दौरान वह मंडल आयोग की रिपोर्ट के लेखक बने, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सरकारी नौकरियों में कोटा की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस घटनाक्रम के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था जोकि आज तक राजनीतिक परिदृश्य में काफी महत्व रखते हैं।

मधेपुरा शहर की चर्चा तो बहुत होती है लेकिन यह क्षेत्र विकास की बाट अब तक जोह रहा है। मधेपुरा से लगभग 10 किमी दूर, जैसे ही कोई पूर्णिया-सहरसा राजमार्ग से दाहिनी ओर मुड़ता है और रेलवे लाइन पार करता है तो टिन की छत वाले कच्चे घरों की श्रृंखला आपको दिखाई पड़ेगी। यहां पर मुरहो गांव के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का स्मारक है। मंडल स्मारक से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर मुसहर टोले के एक कोने में, एक मिट्टी की झोपड़ी है, जहां क्षेत्र के पहले संसद सदस्य किराई मुसहर के पोते रहते हैं। यह बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर से जाति जनगणना के मुद्दे पर राजनीति तो बहुत की गयी लेकिन पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया गया। यही नहीं मंडल के विचारों को भी इन दलों की ओर से दरकिनार कर दिया गया है।

देखा जाये तो देश की सामाजिक न्याय की राजनीति के अग्रदूत, मंडल की विचारधारा ने समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सहित कई समाजवादी नेताओं को जन्म दिया। लेकिन इन दलों ने मंडल को भुला दिया। आज मंडल का पैतृक घर और उनके नाम पर स्मारक मुरहो गांव में उपेक्षा के शिकार दिखते हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि लालू और नीतीश ने सामाजिक न्याय आंदोलन को कमजोर कर दिया क्योंकि दोनों ने अपनी-अपनी जातियों को बढ़ावा दिया और दलितों को कुछ नहीं दिया इसलिए वह अब भी गरीब बने हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि महादलितों की हालत और इस गांव की हालत देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति करने वालों ने देश और समाज को कुछ नहीं दिया।

हम आपको बता दें कि यादवों के प्रभुत्व वाले निर्वाचन क्षेत्र मधेपुरा में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। यहां के लोगों का कहना है कि मुरहो गांव से शुरू हुए सामाजिक न्याय के गौरवशाली आंदोलन से जुड़ी यादें जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। उल्लेखनीय है कि मुरहो गांव यादव बहुल है और इसके अन्य समुदायों में कुर्मी और पचपनिया जैसे कुछ अन्य ओबीसी समूहों के साथ-साथ महादलित भी शामिल हैं। यहां के लोग इस गांव का भाग्य बदलने की उम्मीद छोड़ चुके हैं।

गांव के युवक कहते हैं कि बीएड की डिग्री ली, आईटीआई का प्रमाणपत्र लिया लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। अधिकांश युवक स्कूली बच्चों को खुले में ट्यूशन पढ़ा कर अपना काम चलाते हैं। बेरोजगारी की स्थिति को लेकर युवकों की नाराजगी हर दल से है। युवकों का कहना है कि कोई भी वास्तविक मुद्दों के बारे में बात नहीं कर रहा है। असली मुद्दा बेरोजगारी है। युवकों का कहना है कि बड़ी डिग्री लेने के बावजूद चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन किया है लेकिन एक साल से परीक्षा ही आयोजित नहीं की जा रही है। युवकों का कहना है कि परीक्षा आयोजित भी हो तो पेपर लीक हो जाता है जिससे बड़ा नुकसान होता है। गांव वालों की शिकायत है कि यहां की सुध लेने के लिए कोई राजनेता नहीं आता है। हर घर जल योजना के तहत आ रहा पानी अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। नल तो हैं लेकिन गांव में नालियां नहीं हैं जिससे गंदगी का अंबार लगा रहता है।

मधेपुरा में 2019 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शरद यादव को 3 लाख से अधिक वोटों से हराया था। इस बार, मौजूदा सांसद दिनेश का मुकाबला राजद के चंद्रदीप यादव से है, जो शिक्षाविद् और पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार रवि के बेटे हैं। माना जा रहा है कि इस बार क्षेत्र में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

t.me/AllNewsPaperPaid

अब राहत देनेका समय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रहमें भारतने कीर्तिमान स्थापित कर आर्थिक गतिविधियोंमें तेजीका मजबूत संकेत दिया है। चालू वित्त वर्ष २०२४-२५ के प्रथम माह अप्रैलमें २.१० लाख करोड़ रुपयेका जीएसटी संग्रह कर भारतने ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। पहली बार राजस्व संग्रहका आंकड़ा दो लाख करोड़ रुपयेके पार पहुंचा है, जो इस बातका संकेत है कि देशकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और भविष्यमें भी इसमें तेजी आनेके आसार हैं। इससे पूर्व २०२३ में १.८७ लाख करोड़ रुपयेका राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ था। वित्त मंत्रालयने बुधवारको जारी आंकड़ोंमें जिन तथ्योंको उजागर किया है, उसके अनुसार घरेलू मांग और आयातमें हुई वृद्धिके परिणाम स्वरूप ही यह बड़ी उपलब्धि हासिल की गयी है। घरेलू लेन-देनमें १३.४ प्रतिशत और आयातमें ८.३ प्रतिशतकी वृद्धि होनेसे यह उछाल आया है। सकल जीएसटी संग्रहमें सालाना आधारपर १२.४ प्रतिशतकी वृद्धि हुई है। मार्चमें जीएसटी संग्रह १.७८ लाख करोड़ रुपयेसे अधिक रहा, जबकि एक साल पूर्व अप्रैल २०२३ में यह १.८७ लाख करोड़ रुपये था। वर्ष २०१७ के जुलाई महीनेमें देशमें जीएसटी प्रणाली लागू हुई थी और तबसे कई बार इसमें सुधार भी किये गये। इन सुधारोंके परिणामस्वरूप ही जीएसटी संग्रहमें लगातार वृद्धि हुई है लेकिन इस प्रणालीमें अब भी अनेक विसंगतियां हैं। जब जीएसटी प्रणाली लागू हुआ था तब इसका औसत मासिक संग्रह लगभग ९५ हजार करोड़ रुपये था लेकिन अब इसका राजस्व संग्रह दो लाख करोड़ रुपयेके ऊपर पहुंच गया। यह इस बातको दर्शाता है कि जीएसटी प्रणालीमें सुधारोंसे राजस्व वृद्धिका मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। इसलिए अब जीएसटी प्रणालीमें और सुधार और राहत देनेकी जरूरत है। इससे राजस्वमें और वृद्धि होगी तथा जनता और व्यापारियोंको भी राहत मिलेगी। जीएसटीकी दरोंपर पुन: नये सिरेसे विचार किया जाना चाहिए। दरोंमें कमी करनेकी गुंजाइश अभी बनी हुई है। दरोंमें कमीसे घरेलू मांगमें और वृद्धि होगी। करोंकी चोरी और फर्जीवाड़ेमें भी कमी आयगी। भारतमें मांग और खपतमें वृद्धि अर्थव्यवस्थाके लिए सुखद संकेत है। नये करदाताओंमें वृद्धि और डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिताका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणका कहना है कि जीएसटी संग्रह दो लाख करोड़ रुपयेसे ऊपर पहुंचना बड़ी उपलब्धि और यह मीलका पत्थर है। इसमें कर्मचारियों और अधिकारियोंकी अच्छी भूमिका रही लेकिन वित्तमंत्रीको अब व्यापारियों और जनताकी मौजूदा दिक्कतोंपर भी ध्यान देनेकी जरूरत है। जीएसटी राजस्वके संग्रहको देखते हुए अब जनता और व्यापारियोंको राहत देनेका भी समय आ गया है।

बिना साक्ष्यकी सजा

बिना साक्ष्य किसी अभियुक्तको दोषी करार देते हुए सजाका निर्धारण भी एक प्रकारका अपराध ही है। इसपर न्यायपालिकाको विचार करनेकी जरूरत है। इसी तरहका एक मामला सामने आया है जो अचम्भित करनेवाला है। वर्ष २०१२ में नाबालिगकी हत्या और दुष्कर्मके आरोपीको विचारण न्यायलयने २३ जून, २०१६ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्मानेकी सजा सुनायी, जबकि अभियोजन पक्ष आरोपीके विरुद्ध कोई भी सुबूत प्रस्तुत करनेमें पूरी तरह विफल रहा। विचारण न्यायालयका फैसला न्यायिक व्यवस्थाको ही कटघरेमें खड़ा करनेवाला है जिसके चलते अभियुक्तको १२ सालतक जेलमें रहनेको मजबूर किया गया। सजाके खिलाफ दाखिल अपीलपर निर्णय सुनाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालयकी टिप्पणी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यह देखकर निराश हैं कि आरोपितके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होनेके बावजूद उसे १२ सालतक जेलमें रहनेके लिए बाध्य किया गया। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसीकी खण्डपीठने आरोपितको हत्या और दुष्कर्मके मामलेमें बरी कर दिया जो न्यायसंगत है और साथ ही उन अदालतोंको कड़ा सन्देश भी है, जो बिना साक्ष्यके इस तरहके फैसलेको तरजीह देते हैं, जबकि आम तौरपर यह देखा जाता है कि कमजोर साक्ष्यके चलते अभियुक्तको सन्देहका लाभ मिल जाता है। ऐसी स्थितिमें किसी मामलेमें बिना साक्ष्यके सजा देना हैरान करनेवाला है। इस मामलेमें बड़ा प्रश्न यह है कि आरोपीने अपने जीवनके १२ वर्षका अमूल्य समय जो जेलकी सलाखोंके पीछे गुजारा है उसका जिम्मेदार कौन है। यह तो न्यायपर लोगोंके विश्वासको प्रभावित करनेवाला है। इस मामलेको संज्ञानमें लेते हुए न्यायपालिकाको कड़े दिशा-निर्देश जारी करनेकी जरूरत है जिससे आमजनकी न्यायपर भरोसा और विश्वसनीयता बनी रहे। अदालतोंसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे विवेकका समुचित उपयोग करें।

लोक संवाद

जागरूकतासे ही समाधान

महोदय,-आजकल चुनावी माहौलमें राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषणकी मार सह रही है वहीं कूड़ेके पहाड़का मसला चर्चाका विषय बना हुआ है। पुलिस और एफएसएलकी टीमें जांच कार्यमें जुटी हैं। वहीं लैंडफिल साइटके प्रबंधनको लेकर दिल्ली नगर निगमकी नीतिपर लोगोंने सवाल जरूर खड़े किये हैं। हालांकि बीस सालोंसे कूड़ेका पहाड़ खत्म करनेके दावे किये जा रहे हैं लेकिन मसला जसका तस है। खमियाजा यहां रहनेवाले लोगोंको उठाना पड़ रहा है। इसका खातमा न हो पानेके पीछे कचरेका धीमी गतिसे उठान है। कूड़ेके पहाड़के मामलेमें अभीतक दिल्ली और मुंबई महानगर सबसे ज्यादा चर्चित थे लेकिन अब गुरुग्रामने भी इस सूचीमें नाम दर्ज करा लिया है। यहां बंधवाड़ी लैंडफिल साइटपर रोजाना फरीदाबाद और गुरुग्रामका २३०० टन कचरा पहुंच रहा है जहां तकरीबन १६ लाख टन कूड़ा पड़ा है। बीते २४ दिनोंमें यहां १३ बार आग लगनेकी घटनाएं हुईं। लैंडफिल साइटके आसपास लोगोंका रहना मुश्किल होता जा रहा है। यहां रहनेवाले लोग बरसोंसे दिल, सांस, गलेमें खराश, दिमागमें सूजन आदि रोगोंसे परेशान हैं। खास तौरपर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, हृदय और सांसके रोगियोंके लिए यह स्थिति जानलेवा है। कचरेके पहाड़पर लगी आगसे वातावरणमें घुल रहे धुएंपर उपराज्यपाल, दिल्लीके पर्यावरण मंत्री और सुप्रीम कोर्टतकने संज्ञान लिया। निगमायुक्त, प्रमुख सचिव एवं दिल्ली सरकारसे जबाव मांगा गया है। सुप्रीम कोर्टने इस बाबत अपनी टिप्पणीमें कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि राजधानीमें प्रतिदिन निकलनेवाले ११,००० टन ठोस कचरेमेंसे ३,००० टनका कानूनके तहत उचित तरीकेसे निबटान नहीं किया जाता है। खंडपीठने इसे स्तब्ध करनेवाली बात कहा है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम २०१६ को लागू हुए आठ साल हो गये हैं लेकिन दिल्लीमें इसका कोई पालन नहीं हो रहा है। यदि पूरे देशके हालातका जायजा लें तो देशमें हर साल २७७ अरब किलो कचरा निकलता है। इसमेंसे केवल ७० फीसदी ही इकट्ठा किया जाता है। बाकी जमीन और पानीमें फैला रहता है। इकट्ठा किये कचरेमेंसे आधा या तो खुलेमें फेंक दिया जाता है या उसे जमीनमें दबा दिया जाता है। देशमें निकलने वाला कचरा इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल दो तरहका होता है। इंडस्ट्रियल कचरेके निबटानकी जिम्मेदारी उद्योगों और म्युनिसिपल कचरेके निबटानकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासनकी होती है। देशमें कुल कचरेमेंसे सिर्फ पांचवें हिस्सेकी रिसाइकिलिंग हो पाती है। जिस तरह कचरेकी रिसाइकिलिंग होती है उससे न केवल पर्यावरणको नुकसान होता है, बल्कि लोगोंके स्वास्थ्यपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। भारतमें सबसे बड़े महानगर मुंबई और दिल्लीमें खुलेमें कचरा फेंका जाता है। खुलेमें फेंके कचरेमें भारी मात्रामें निकल, जिंक, आर्सेनिक, कांच, क्रोमियम और दूसरी जहरीली धातुएं होती हैं। देशमें सालाना जितनी जहरीली मिथेन उत्सर्जित होती है, उसमेंसे २० फीसदी सिर्फ इन कचरेके ढेरोंसे निकलती हैं। वैसे आनेवाले दिनोंमें विकासकी रफ्तार और बढ़ेगी, तब ज्यादा तेज विकासके साथ कई गुणा कचरा बढ़ेगा। लेकिन सवाल है क्या हम उस स्थितिके लिए तैयार हैं। यदि अहमदाबाद, सूरत, नवी मुंबई, मैसूर और इंदौरकी ही बात करें तो इन्होंने कचरा-संग्रह और उसके निबटान एवं स्वच्छतामें एक विशिष्ट पहचान बनायी है। लेकिन क्या हमने इससे कुछ सीख ली है। ऐसी स्थितिमें दिल्ली ही क्या, देशके हर शहर.कस्बेमें कचरेके पहाड़ तेजीसे बनेंगे। वे सुलगेंगे और लोगोंकी अनचाही मौतके कारण बनेंगे। उस दशामें आईपीसीसीकी रिपोर्ट सही साबित हो जायेगी कि यदि यही रफ्तार रही तो २०५० में ३.४ गीगाटन कूड़ा-कचरा होगा जिसका निस्तारण हमारे सामर्थ्यसे बाहर होगा। कचरा प्रबंधनके मामलेमें हम दूसरे देशोंके मुकाबले बहुत पीछे हैं। वह चाहे इंडस्ट्रियल कचरा हो या म्युनिसिपल। ऐसी स्थितिमें तो और विषम हालात हो जायेंगे, जबकि वर्ल्ड बैंकके अनुसार २०३० में भारतमें हर साल निकलनेवाला कूड़ा-कचरा ३८८ अरब किलो हो जायेगा। इसलिए जरूरी है कि लोगोंको घरोंमें ही अलग-अलग डस्टबिनमें कूड़ा-कचरा रखनेके बारेमें जागरूक किया जाये जिससे रिसाइकिलिंगमें आसानी हो सके। **-जी. एन. रावत वाया ईमेल।**

कम मतदानसे चिन्ता

देशमें सात चरणोंमें हो रही लोकसभा चुनावी प्रक्रियाके तहत अबतक दो चरणके लिए वोटिंग हो चुकी है। दोनों चरणोंमें वोटिंग २०१९ के मुकाबले कम हुई। इससे तमाम राजनीतिक दल, उम्मीदवार और चुनाव आयोग भी इस बातको लेकर चिंतित नजर आ रहा है कि आखिर लोग वोट देने घरोंसे क्यों नहीं निकल रहे।

❑ राजेश माहेश्वरी

देशमें इस समय आम चुनावका माहौल है। लेकिन लोग वोट देनेके लिए नहीं निकल रहे। क्या इसके पीछे तेज गर्मी बड़ा कारण है या फिर वोटरोंमें उदासीनता या फिर कुछ और। पहले चरणके कम मतदानके बाद राजनीतिक दलों और नेताओं अपनी चुनावी सभाओंमें ज्यादासे ज्यादा मतदान करनेका आह्वान किया था, लेकिन दूसरे चरणमें भी आशनुरूप कम मतदान ही देखनेको मिला। देशके सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जहांसे ८० सांसद देशकी संसदमें पहुंचते हैं, वहां देशके अन्य राज्योंकी तुलनामें कम मतदान रिकार्ड हुआ। पहले चरणमें कम वोटिंग होनेकी वजहसे नतीजोंको लेकर सियासी दलोंकी धुकधुकी भी बढ़ गयी है। वहीं बीजेपी नेताओंका दावा है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथके नेतृत्वमें नये रिकॉर्ड बनायेगा। इसके अलावा मोदी सरकारकी वापसीकी उम्मीदोंका दावा भी किया गया है। उत्तर प्रदेशमें १९ अप्रैलको पहले चरणमें प्रदेशमें कुल ६१.११ फीसदी मतदान हुआ था। वर्ष २०१९ के लोकसभा चुनावमें इन आठ सीटोंपर ६६.४१ प्रतिशत मतदान हुआ था। पिछले चुनावके मुकाबले पहले चरणकी इन सीटोंपर करीब ५.३९ फीसदी कम वोट पड़े हैं। यूपीकी आठ सीटोंपर दूसरे चरणका मतदान २६ अप्रैलको हुआ। इस दौरान वोटिंग प्रतिशत ५५.३९ रहा। पिछले आम चुनावमें इन सीटोंपर ६२.१८ प्रतिशत वोट पड़े थे। इस हिसाबसे साल २०२४ के चुनावमें दूसरे चरणमें पिछले चुनावके मुकाबले ६.७९ प्रतिशत कम वोटिंग हुई है।

दरअसल २०१९ के दूसरे चरणमें जिन सीटोंपर भाजपा जीती थी उनपर तीन फीसदीतक मतदान कम हुआ है। जो सीटें कांग्रेसने जीती थीं, उनपर ५-१० फीसदी मतदान घटा है। हिन्दीपट्टीके प्रमुख राज्योंमें मतदान औसतन सात फीसदीतक घटा है। ये राज्य ही भाजपाके दुर्गनुमा चुनावी गढ़ हैं। क्या यह घटा हुआ मतदान भाजपाके खिलाफ एक खामोश चुनावी लहर है। सवाल यह भी है कि फिर यह लहर किस राजनीतिक दलके पक्षमें है। कांग्रेसने तो ३०० सीटोंपर भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और गठबंधनके तौरपर इंडिया छिन्न-भिन्न स्थितिमें है। तो फिर जनादेश कैसा होगा और केन्द्र सरकारका स्वरूप भी कैसा होगा। वैसे तो इस बारके लोकसभा चुनावका खास ट्रेंड यह दिख रहा है कि हर जगह मतदानमें या तो पिछली बारके मुकाबले कमी आ रही है या उसके आसपास मतदान हो रहा है। लेकिन हैरानीकी बात है कि जिन सीटोंपर पार्टियोंके बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टियोंने ग्लैमरका तड़का लगानेके लिए फिल्मी सितारों आदिको उतारा है उन सीटोंपर भी मतदान करनेमें लोगोंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दूसरे चरणकी ८८ सीटोंमेंसे ज्यादातर वीआईपी सीटोंपर औसतसे कम या पिछली बारसे कम मतदान हुआ है। यह ट्रेंड केरलसे लेकर उत्तर प्रदेशतक एक समान रूपसे देखनेको मिला है।

केरलकी तिरुवनंतपुरम सीटको बहुत हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेसके शशि थरूर लगातार चैथी बार जीतनेके लिए लड़ रहे हैं तो भाजपाने केंद्रीय मंत्री और कारोबारी राजीव चंद्रशेखरको लड़ाया है। लेकिन २०१९ के ७४ फीसदीके मुकाबले २०२४ में सिर्फ ६४ फीसदी मतदान हुआ। इसी तरह मेरठमें भाजपाने रामायण सीरियलमें रामकी भूमिका निभानेवाले अरुण गोविलको उतारा है। लेकिन वहां २०१९ के ६४.२९ के मुकाबले २०२४ में ५९ फीसदी मतदान हुआ। राहुल गांधीकी वायनाड सीटपर ७३ फीसदीसे कुछ ज्यादा वोट हुआ, जबकि २०१९ में, जब राहुल गांधी पहली बार वहां चुनाव लड़ने पहुंचे थे तब वहां ८०.३७ फीसदी मतदान हुआ था। केन्द्रीयमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावतकी जोधपुर सीटपर २०१९ में ६९ फीसदी वोट हुआ था, जबकि इस बार ६४ फीसदी मतदान हुआ है। मथुरामें भाजपाकी हेमामालिनीकी सीटपर तो २०१९ के मुकाबले करीब १४ फीसदी वोट कम पड़े हैं। वहां सिर्फ ४९ फीसदी मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार ६३ फीसदीके करीब वोट पड़े थे। चुनावका जो रुझान दिखाई दे रहा है, उसमें प्रधान मंत्री मोदी और भाजपाके प्रति गम्भीर नाराजगीका भाव महसूस नहीं होता। यदि सरकार बदलनेके लिए मतदान होना था तो लबालब भीड़ पोलिंग स्टेशनोंके अंदर-बाहर दिखाई देती और मतदान भी ७० फीसदीसे ज्यादा होता। कांग्रेसके पास काडर, बूथ कार्यकर्ता और मतदाताको पोलिंग स्टेशनतक पहुंचानेवाले संघटनकी कमी देखी जाती रही है, लेकिन मतदाताओंका ऐसा सैलाब भी गायब है, जो ४०० पारके जनादेशको सुनिश्चित कर दे।

कम मतदान होनेके पीछे क्या वोटरोंमें बढ़ती उदासीनता तो नहीं। इसमें कुछ वोटर वोट देना ही नहीं चाह रहे। तो कुछ वोटर ऐसे हैं, जिन्हें पार्टी या उम्मीदवारकी जीत-हार पक्की लग रही है। ऐसेमें वह वोट देने ही नहीं निकल रहे। जानकारों भी यही मानते हैं कि कम वोटिंगके पीछे यह एक कारण लगता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इसका विश्लेषण होना बाकी है। लेकिन कम वोटिंगके पीछे वोटरोंमें वोटिंगके प्रति उदासीनता होना दिख रहा है। खास तौरसे बड़े राज्योंमें जहां कहीं पिछले कुछ समयसे नेताओंने पार्टी बदली तो कहीं पैराशूटर उम्मीदवार आ धमके। इससे भी वोटरोंमें उदासीनता आयी। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्योंमें कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है।

कहीं ईवीएममें सेटिंगके डरसे तो नहीं हुआ कम मतदान। इस मामलेमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस मामलेमें स्पष्ट बोल चुके हैं कि ईवीएमसे वोट देनेकी प्रक्रिया एकदम सुरक्षित है। ईवीएमसे वोटिंग एकदम सुरक्षित है। इसपर भरोसा रखिये। हालमें सुप्रीम कोर्टने भी अपने एक फैसलेमें ईवीएम और वीवीपैटके मिलानकी अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसमें ईवीएम और वीवीपैटमें वोट मिलान मिसमैच हुआ हो।

पहले दो चरणमें कम वोटिंग होनेसे राजनीतिक दलोंकी चिन्ता बढ़ गयी है। भाजपाने अपने प्रचार अभियानको अधिक तेज कर दिया है। आनेवाले चरणोंमें पार्टीकी कोशिश ज्यादा मतदान करानेकी होगी ताकि वह बड़े लक्ष्यको हासिल कर सके। इसके साथ ही विपक्षी दलोंने अपनी चुनावी रणनीतिको बदल दिया है। फिलहाल तीसरे चरणके मतदानके मद्देनजर भाजपाने अपनी रणनीति बदलनेका फैसला लिया है। करीब ५०० नेता और पदासीन कार्यकर्ता मतदानवाले क्षेत्रोंमें तैनात किये जायंगे। वे सुबह और शाममें मुख्य चुनाव केन्द्रको रिपोर्ट देंगे कि मतदाताकी स्थिति क्या है। तीसरे चरणमें अपने कोटेके मतदाताओंके वोट डलवानेको भाजपाने कमर कस ली है। क्या कम मतदान का सबब यही है। हम इस सवालसे सहमत नहीं हैं। वहीं मतदाताओंको भी यह समझना चाहिए कि लोकतंत्रके इस महापर्वमें हरेक वोट बहुमूल्य है। देशमें एक वोटसे हार जीतके कई प्रसंग हैं। एक वोटसे अटल बिहारी वाजपेयीकी सरकार गिर गयी थी तो राजस्थानमें कांग्रेसके दिग्गज नेता एक वोटकी वजहसे न केवल विधायक बननेसे चूक गये, बल्कि उसी एक वोटकी वजहसे वह मुख्य मंत्रीकी कुर्सीतक आजतक नहीं पहुंच पाये।

कम वोटिंग होनेसे राजनीतिक दलोंकी चिन्ता बढ़ गयी है। भाजपाने अपने प्रचार अभियानको अधिक तेज कर दिया है। आनेवाले चरणोंमें पार्टीकी कोशिश ज्यादा मतदान करानेकी होगी ताकि वह बड़े लक्ष्यको हासिल कर सके। साथ ही विपक्षी दलोंने अपनी चुनावी रणनीतिको बदल दिया है। फिलहाल तीसरे चरणके मतदानके मद्देनजर भाजपाने अपनी रणनीति बदलनेका फैसला लिया है। करीब ५०० नेता और पदासीन कार्यकर्ता मतदानवाले क्षेत्रोंमें तैनात किये जायंगे। वे सुबह और शाममें मुख्य चुनाव केन्द्रको रिपोर्ट देंगे कि मतदाताकी स्थिति क्या है। मतदाताओंके वोट डलवानेको भाजपाने कमर कस ली है।

जलवायु परिवर्तनका भारतमें असर

संयुक्त राष्ट्र संघकी विश्व मौसम विज्ञान संस्थाने एशियामें जलवायु परिवर्तनके प्रभावोंपर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सामने आया है कि वैश्विक तापमान वृद्धिका प्रभाव एशियामें विश्व औसतसे ज्यादा पड़ रहा है।

❑ कुलभूषण उपमन्यु

एशियाके कई देशोंमें आजतकका अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है जिसके कारण इस महाद्वीपमें २०२३ में ९० लाख लोग बाढ़ों और तूफानोंसे प्रभावित हुए। दो हजार लोग कालका ग्रास बन गये। जलवायु परिवर्तनने बाढ़, सूखे और तूफानोंकी घटनाओंको न केवल बढ़ाया है, बल्कि उनकी भयानकताको भी बढ़ाया है, जिसका दुष्प्रभाव वहांके समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और मानव जीवनपर पड़ा है। जलवायु परिवर्तनके मुख्य सूचकों जैसे कि जमीनी तापमानमें वृद्धि, ग्लेशियरोंका पिघलना और समुद्रके जलस्तरके बढ़नेसे बिगड़ती हुई स्थितिका पता चल रहा है। १९६०-१९९० के दौरके मुकाबले तापमान वृद्धिकी दर लगभग दुगनी हो गयी है। २०२३ में जहां एक ओर सूखा पड़ा, वहीं दूसरी ओर भयानक बाढ़ें आयीं। चीनकी बाढ़ों और भारतमें सूखेसे ६५ बिलियन डालरका आर्थिक नुकसान होनेका अनुमान लगाया गया है। चीनमें १४० वर्षोंका वर्षाका रिकार्ड टूट गया। वहीं दक्षिण पश्चिमी चीन भारी सूखेकी चपेटमें रहा। भारतमें लूके कारण सौ लोगोंकी मौत हो गयी और सिक्किमका तीस्ता-३ बांध बाढ़की चपेटमें आकर ध्वस्त हो गया, जिस दुर्घटनामें सौ लोग अपनी जान गंवा बैठे। बढ़ते तापमानके कारण इस तरहकी घटनाओंके बढ़नेकी सम्भावना है।

भारत और बंगलादेशमें लूकी संभावनाओंमें ३० गुणा वृद्धिकी आशंका पैदा हो गयी। एशियाके तेज गतिसे बढ़ते तापमानके चलते इसके ग्लेशियर भी खतरेमें पड़ गये हैं। मुख्य २२ ग्लेशियरोंमेंसे २० में भारी नकारात्मक बदलाव हुए पाये गये हैं, यानी ग्लेशियरोंके पिघलनेकी गति तेज हुई है। तापमान वृद्धिसे समुद्रका जल भी ज्यादा गर्म हो रहा है जिसके कारण भारी बारिश और समुद्री तूफानोंका खतरा बढ़ा है। पिछले चार दशकोंमें अरब सागरमें समुद्री तूफानोंकी संख्यामें डेढ़ गुणा वृद्धि हुई है और तूफानोंकी घातकता भी बढ़ी है। जुलाई और अगस्त २०२३ में हिमाचल और उत्तराखंडमें भारी बारिशके कारण भूस्खलनके कारण हुई भारी तबाहीका भी रिपोर्टमें जिक्र किया गया है जिसको भारत सरकारने आपात स्थिति घोषित किया। इन स्थितियोंसे निबटनेके लिए आपदा प्रबंधनके विषयमें भी काफी कुछ करनेकी जरूरतपर रिपोर्टमें प्रकाश डाला गया है। हालांकि भारतने इस विषयमें कुछ मानकोंपर अच्छी प्रगति की है, फिर भी काफी कुछ किये जानेकी जरूरत है। पूर्व चेतावनी व्यवस्थामें सुधार करके आपदाओंमें होनेवाली हानिको ३० प्रतिशततक कम किया जा सकता है। रिपोर्टमें आर्थिक असमानताके चलते जलवायु परिवर्तनके प्रभावोंके और ज्यादा चिन्ताजनक होनेकी बात कही गयी है। जाहिर है कि बढ़ते तापमानका प्रत्यक्ष डंक उन गरीब लोगोंको भुगतना पड़ता है जिनके पास आवासकी व्यवस्था नहीं है या जिन्हें दैनिक मजदूरीपर निर्भर रहना पड़ता है या किसान जिनकी फसल खुलेमें ईश्वर भरोसे रहती है। उनके लिए जलवायु अनुकूलन व्यवस्था खड़ी करना भी संभव नहीं होता।

बढ़ते तापमानसे फसलोंकी उत्पादकतापर भी विपरीत प्रभाव पड़नेके कारण खाद्य सुरक्षापर भी खतरा पैदा होनेकी संभावना बन सकती है। इस दिशामें जलवायुकी विपरीत स्थितियोंको झेलनेमें सक्षम फसलों और फसल किस्मोंपर ज्यादा शोध और प्रचार-प्रसारकी जरूरत है। इस दिशामें पुराने समयमें प्रचलित श्री धान्य फसलों कोदा, रामदाना, स्वांक, बाजरा आदिका प्रचार-प्रसार करके अच्छी पहल की जा रही है। किन्तु कार्बन उत्सर्जन करनेवाली ऊर्जा उत्पादन तकनीकों और बड़े प्रोजेक्टों, खनन परियोजनाओंके कारण वनोंके विनाशसे कार्बन प्रदूषण क्षमतामें आ रही कमीकी चुनौतियां यथावत बनी हैं और बढ़ भी रही हैं। पिछले १५ वर्षोंमें भारतवर्षमें तीन लाख हेक्टेयर वन भूमिका उपयोग इस तरहकी बृहदाकार योजनाओंके लिए बदला जा चुका है और यह क्रम सतत रूपसे जारी है। इतनी चिन्ताजनक स्थितिके बावजूद वर्तमान चुनावोंमें यह मुद्दा जनताके बीच महत्वपूर्ण नहीं बन सका है। पर्यावरणसे जुड़े दिवसोंपर चेतना रैली निकालने, कुछ अच्छे अच्छे नारे लगाने, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने या ज्यादासे ज्यादा चुनाव मैनिफेस्टोमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तनसे जुड़े वादे उछालनेतक हम सीमित होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल भी जनचेतना जगानेके इस मौकेका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आम मतदाता निजी आर्थिक लाभसे ज्यादा सोचनेको तैयार नहीं है। इसलिए राजनीतिक दल भी इस मुद्देको गम्भीरतासे नहीं लेते हैं। हिमालयके नाजुक परिस्थिति संतुलनके दृष्टिगत यह मामला हिमालयमें और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। किन्तु हम प्राकृतिक आपदाका बहाना घड़ कर आत्म संतुष्टि कर लेते हैं या खुदको धोखा देते रहते हैं, जबकि हम सब समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित गलतियोंका नतीजा है।

फिर भी हम न तो आत्म संयमसे अनावश्यक वस्तुओं, पदार्थोंके उपयोगसे बचना चाहते हैं, न ही सरकारोंके सामने अपनी पर्यावरण विषयक चिन्ताओंको रखकर दबाव बनाकर नीतिगत बदलावकी मांग रखना चाहते हैं। सरकारें अपने आप विकासको सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दरसे नाप कर आगे बढ़ती हैं। उन्हें पर्यावरण जैसे मुद्दे उतने लुभावने नहीं लगते। दुनियाभरमें सरकारें जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दोंपर टालमटोल करते हुए, शर्माते हुए कुछ थोड़ा बहुत कार्य करती रहती हैं। कुछ गम्भीरता जब आपदाएं आती हैं तब दिखाई देती है, धीरे-धीरे प्रकृतिके ऊपर दोषारोपण करके समस्या भूल जाती है। इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनोंने ही इस मुद्देपर कुछ लक्ष्य अपने चुनावी मैनिफेस्टोमें रखे हैं। किन्तु पिछले अनुभवके आधारपर ज्यादा आशा नहीं जगती है। शिमलामें २००९ में जलवायु कॉन्क्लेव हुआ था, उसके साथ ही हिमालयी परिस्थिति तंत्रको बचानेके लिए कुछ लक्ष्य तय किये गये थे, किन्तु दोनों प्रमुख दलोंको पर्याप्त समय मिलनेके बावजूद विशेष प्रगति इस दिशामें नहीं हो सकी। वैश्विक स्तर और हिमालयके स्तरपर जलवायु परिवर्तनकी चुनौतीके कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओंके चलते अब समय आ गया है जब इस मुद्देपर आम जनता और राजनीतिक दलोंको चुनावी राजनीतिके केन्द्रमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षणके मुद्देको रखना चाहिए।

वैरूथिनी एकादशी

❑ सदानन्द शास्त्री

पुराणोंके अनुसार यह वैशाख कृष्णपक्षकी एकादशी वरूथिनी है। यह पुण्यदायिनी, सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी वैशाख वदी एकादशीको आती है। यह व्रत सुख-सौभाग्यका प्रतीक है। यह व्रत करनेसे सभी प्रकारके पाप एवं ताप दूर होते हैं, अनंत शक्ति मिलती है और स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। सुपात्र ब्राह्मणको दान देने, करोड़ों वर्षतक ध्यानमग्न तपस्या करने तथा कन्यादानके फलसे बढ़कर वरुथिनी एकादशीका व्रत है। पद्म पुराणके अनुसार भगवान श्रीकृष्ण इस व्रतसे मिलने वाले पुण्यके बारेमें युधिष्ठिरको बताते हैं, पृथ्वीके सभी मनुष्योंके पाप-पुण्यका लेखा-जोखा रखनेवाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रतके पुण्यका हिसाब-किताब रख पानेमें सक्षम नहीं हैं। इस दिन भक्तिभावसे भगवान मधुसूदनकी पूजा करनी चाहिए। इस व्रतको करनेसे भगवान मधुसूदनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है और सम्पूर्ण पापोंका नाश होता है। सुख-सौभाग्यकी वृद्धि होती है तथा भगवानका चरणामृत ग्रहण करनेसे आत्मशुद्धि होती है। व्रतीको चाहिए कि वह दशमीको अर्थात् व्रत रखनेसे एक दिन पूर्व हविष्यान्नका एक बार भोजन करे। इस व्रतमें कुछ वस्तुओंका पूर्णतया निषेध है, अत: इनका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। व्रत करनेवालेके लिए उस दिन पान खाना, दातुन करना, परनिंदा, क्रोध करना एवं असत्य बोलना वर्जित है। इस दिन जुआ और निद्राका भी त्याग करें। इस व्रतमें तेलयुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रिमें भगवानका नाम स्मरण करते हुए जागरण करें और द्वादशीको मांसका परित्याग करके व्रतका पालन करें। प्राचीनकालमें नर्मदा नदीके तटपर मान्धाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगलमें तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहांसे एक जंगली भालू आया और राजाका पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्यामें लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते-चबाते भालू राजाको घसीटकर पासके जंगलमें ले गया। राजा बहुत घबराया, परन्तु तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णुसे प्रार्थना की, करुण भावसे भगवान विष्णुको पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्रीविष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्रसे भालूको मार डाला। राजाका पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स! शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशीका व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्तिकी पूजा करो। उसके प्रभावसे पुन: सुदृढ़ अंगोंवाले हो जाओगे। इस भालूने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्मका अपराध था। भगवानकी आज्ञा मान राजाने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक इस व्रतको किया। इसके प्रभावसे वह शीघ्र ही पुन: सुन्दर और सम्पूर्ण अंगोंवाला हो गया।

चुनावी ड्यूटीमें आवश्यक सतर्कता

❑ प्रो. सुरेश शर्मा

मतदान करना संवैधानिक कर्तव्य है, वहींपर मतदान प्रक्रियाको निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीकेसे सम्पन्न करवाना भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। लोकसभा तथा विधानसभा चुनावोंके दौरान अनेकों कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा अधिकारी इस प्रक्रियाको सम्पन्न करवानेके लिए जी-जानसे कार्य करते हैं। चुनावोंके दौरान सारी प्रशासनिक शक्तियां भारतीय चुनाव आयोगके पास होती हैं। हालांकि चुनावके समय सभी अधिकारी एवं कर्मचारी चुनाव आयोगकी शक्तियोंका प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने चुनावी कर्तव्योंके निर्वहनमें अधिक सचेत रहते हुए तनावमें भी रहते हैं। चुनावी ड्यूटी बहुत ही सख्त एवं जवाबदेह होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट १९५१ के सेक्शन २६ के अन्तर्गत इस चुनावी प्रक्रियामें मतदान केन्द्र पीठासीन अधिकारीकी नियुक्ति की जाती है। इस प्रावधानके सेक्शन २८ के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारीका मतदान केन्द्रमें स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव करवानेका दायित्व होता है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियोंकी भूमिका चुनाव प्रक्रियाको सफलतापूर्वक संपन्न करवानेमें महत्वपूर्ण होती है।

चुनावोंसे पूर्व, चुनावोंके दौरान तथा चुनावोंके बाद चुनाव प्रक्रिया तथा आयोजनको बेहतर बनानेके लिए चुनाव आयोग द्वारा समय-समयपर अनेकों परिवर्तन किये जाते हैं। इसके बावजूद अब भी भारतीय चुनाव व्यवस्थामें मूलभूत संसाधनों तथा मानवीय संसाधनोंकी बहुत कमी है। सभी विभागोंके कर्मचारियोंकी प्रतिनियुक्तिसे चुनाव ड्यूटीका काम चलाया जाता है। चुनाव आयोग अपनी आवश्यकताके अनुसार सभी भौतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनोंको अपने नियंत्रणमें करता है। इस समय चुनावी ड्यूटीसे सभी कर्मचारी बचनेका प्रयास कर दबाव तथा तनावमें रहते हैं। आम तौरपर सभी विभागोंके आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियोंकी दक्षता, योग्यता तथा प्रबंधन कौशलका आकलन अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टमें करते हैं। लेकिन आश्चर्य है कि कर्मचारीकी इस महत्वपूर्ण चुनावी ड्यूटीका उल्लेख किसी भी दस्तावेजमें नहीं होता। हालांकि चुनावी प्रक्रियामें कोई भी गलती होनेपर कर्मचारीपर सख्त कानूनी काररवाईका प्रावधान रहता है। कर्मचारीपर किसी भी लापरवाहीके लिए चुनाव आयोग किसी भी प्रकारकी काररवाई कर सकता है, जहां उसकी नौकरीतक भी खतरेमें हो सकती है। जहां इस कर्तव्य निर्वहनमें कड़ी सजाका प्रावधान है, वहीं आवश्यक यह भी कि इस महत्वपूर्ण चुनावी ड्यूटीका कर्मचारीकी सेवा पंजिकामें उल्लेख होना चाहिए ताकि उसका अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, कर्तव्य निर्वहन स्तरकी टिप्पणी उसके पदोन्नति तथा सेवा विस्तार आदिमें काम आये।

यह इसलिए भी आवश्यक है कि अमुक कर्मचारीने कब-कब यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व निभाया है, क्योंकि बहुतसे कर्मचारी अपने संबंधोंका प्रभाव प्रयोग कर अपनी चुनावी ड्यूटियां कटवा लेते हैं। कर्मचारीकी सेवा पंजिकामें चुनावी ड्यूटीका उल्लेख आवश्यक रूपसे पंजीकृत होना चाहिए ताकि भविष्यमें यह पता चल सके कि कर्मचारीने कब और कहां इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्यका निर्वहन किया है। विडम्बना है कि इस ड्यूटीकी सफलता लिए शाबाशी नहीं, बल्कि किसी भी विफलता तथा असफलताके लिए केवल सजाका ही प्रावधान है। इसलिए यह अनिवार्य है कि चुनावी ड्यूटीपर तैनात कर्मचारी पूरी तरहसे चुनाव आयोगके दिशा-निर्देशों तथा नियमावलीका पूर्ण रूपसे अध्ययन करें। प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारीको जिस भी पद या स्थानपर वह कार्यरत है, उसपर चुनाव आयोगके दिशा-निर्देशोंका अध्ययन कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा बेबसाइटपर, लिखित रूपसे सूचनाओं तथा नियमावलीकी दिशा-निर्देशिका छापी जाती हैं। चुनावी कर्तव्यका निर्वहन करनेवाले प्रत्येक कर्मचारीको सफलतापूर्वक तथा सुनिश्चित करनेके लिए गम्भीरतापूर्वक बार-बार अध्ययन करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकारकी गलतीकी संभावना न हो। सामान्य कर्मचारीके जीवनमें चुनाव आयोजित करवाना कोई आम प्रक्रिया नहीं है।

पंचायत, विधानसभा तथा लोकसभा चुनावोंमें चुनाव आयोग द्वारा उन्हें विभिन्न पदोंपर चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न होनेतक नियुक्त किया जाता है। इस ड्यूटीके सफलतापूर्वक सम्पन्न होनेपर कोई शाबाशी या प्रशस्ति पत्र नहीं मिलता, बल्कि आपके द्वारा चूक होनेपर आपके खिलाफ सख्त काररवाई आवश्यक रूपसे हो सकती है। यद्यपि चुनाव आयोग द्वारा ड्यूटीपर तैनात कर्मचारियोंकी सुविधाके लिए पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं, फिर भी किसी भी समय, स्थान एवं परिस्थितिमें चुनावी ड्यूटीपर कार्यरत कर्मचारीको किसी भी कीमतपर अपने कर्तव्योंका निर्वहन सफलतापूर्वक सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। आवश्यक यह है कि चुनाव ड्यूटीपर तैनात प्रिजाइडिंग आफिसर, पोलिंग आफिसर, सेक्टर आफिसर या किसी भी स्तरपर कार्यरत कर्मचारी-अधिकारीको सतर्क, सचेत होकर चुनाव आयोगके दिशा-निर्देशोंके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इस प्रक्रियामें हर समय नियमोंके दायरेमें रहते हुए अपने स्तरपर कर्तव्योंको सुनिश्चित करनेके लिए कुशलतापूर्वक सफल प्रबंधन करना चाहिए तथा अपनी मनमर्जीसे बचना चाहिए। चुनाव ड्यूटीपर तैनात कर्मचारी तथा अधिकारी अपने सफल दायित्वोंके निर्वहनके लिए जबावदेह होता है। चुनाव प्रक्रिया बिना पक्षपात, बिना भय, बिना भेदभाव तथा पारदर्शी तरीकेसे सम्पन्न हो, इसीमें ही चुनाव अधिकारी तथा चुनाव आयोगकी सफलता है।

कनाडा में कमी

कनाडा सरकार की नीतियों की साफ शब्दों में निंदा होनी चाहिए और भारत सरकार ने सोमवार को कनाडा के उप-उच्चायुक्त को बुलाकर ऐसा ही किया था। अब बुधवार को कनाडा के प्रधानमंत्री का एक ऐसा साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में कटुता बढ़ने के कारक साफ नजर आ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी स्थानीय सियासत को तात्कालिक रूप से मजबूत रखने के लिए खालिस्तान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। खालिस्तान का विचार कतई नया नहीं है, पर उसकी अव्यावहारिकता अनेक बार उजागर हो चुकी है। स्वयं सिख समुदाय में बहुमत इस विचार से सहमत नहीं है और परदेश में जा बसे, वहां की नागरिकता ले चुके चंद अलगाववादियों को संतुष्ट रखने के लिए ट्रूडो ने जो बयान दिए हैं, वे सोचने पर मजबूर करते हैं। एक संभावना यह है कि कनाडा की स्थानीय राजनीति की मजबूरी समझने हुए वहां के प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से न लिया जाए, पर क्या इससे चंद अलगाववादियों के मानसिक दुराग्रह का समाधान हो जाएगा?

अव्वल तो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ऐसे किसी अलगाववादी कार्यक्रम में गए ही क्यों थे, जहां भारत विरोधी नारे लग रहे थे? क्या भारत में धर्मों की पृष्ठभूमि या इतिहास का उन्होंने अध्ययन किया है? कनाडा सरकार के सलाहकारों के ज्ञान पर तरस आता है। ये कैसे लोग हैं, जो आज की दुनिया में भी धार्मिक आधार पर भूगोल बदलने की कल्पना कर पा रहे हैं? ये कैसे देश हैं, जिनका मजहबी विभाजनों से अभी भी जी नहीं भरा है? एक अलगाववादी आतंकी निज्जर की हत्या का ट्रूडो के लिए इतना बड़ा मामला है कि वह भारत के साथ संबंधों में इसे एक समस्या मान रहे हैं। आज आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, पर कनाडा जहां खड़ा है, वह जमीन नीचे से खोखली है। शायद सियासी भावुकता में ट्रूडो ने यहां तक कह दिया कि खालिस्तान का समर्थन यदि शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है, तो ओटावा द्वारा रोका नहीं जाएगा। कनाडा के नेता को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अलगाववाद और मजहबी हिंसा की कितनी भारी कीमत अनेक बार भारतवर्ष की माटी ने चुकाई है। क्या ट्रूडो ने उस पंजाब की ओर एक नजर भी देखा है, जो आज पाकिस्तान के हिस्से में है? जहां गुरु नानकदेव जी का जन्म हुआ था, क्या उस धरती के बारे में कोई वाकई चिंतित है? पहली नजर में यही लगता है कि कनाडा की वर्तमान सरकार अलगाववादियों के बहकावे में आ गई है।

पंजाब ही नहीं, कश्मीर में भी अलगाववादियों का समर्थन करते हुए पाकिस्तान किस स्थिति तक पहुंच गया है, कनाडा सरकार को यह अवश्य देखना चाहिए।

आज के समय में दुनिया की किसी भी सरकार को सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। पंजाब ही नहीं, कश्मीर में भी अलगाववादियों का समर्थन करते हुए पाकिस्तान किस स्थिति तक पहुंच गया है, यह जरूर देखना चाहिए। हिंसक तत्वों की घातक सियासत को समझदार लोग लोकतांत्रिक रूप से ठिकाने लगाएं, तो ज्यादा बेहतर है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंसा व अलगाववाद को बढ़ावा देने के नतीजे हमेशा घातक ही सिद्ध हुए हैं। भारतीय राजनय के लिए यह जरूरी है कि वह कनाडा ही नहीं, कुछ अन्य देशों में भी फैल रहे भारत विरोध के पटाक्षेप के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करे। भारत अपने बंटवारे और अलगाववाद से आगे लोकतांत्रिक उदारता की ओर बढ़ चुका है, अब उसके लिए विविधता में एकता ही जीत का एकमात्र फॉर्मूला है।

विकास बनाम न्याय का सियासी विमर्श

बद्री नारायण | निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान

अठारहवां लोकसभा चुनाव रोचक बनता जा रहा है। दोनों प्रमुख दल, भाजपा और कांग्रेस चुनावी बहसों को अपनी-अपनी दिशा में ले जाने के लिए जी-जान लगाए हुए हैं।

किसी भी जनतंत्र में चुनाव मात्र जीत-हार, सरकार बनाने-गिराने का माध्यम नहीं होते हैं, ये वस्तुतः राजनीतिक चेतना को प्रेरित करने का माध्यम होते हैं। चुनाव समाज में संवाद, विकास एवं राष्ट्र निर्माण के विमर्शों को प्रेरित करने का माध्यम होते हैं। चुनाव के दिनों में ये बहसें मूलतः राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए गए घोषणापत्रों, रैलियों में नेताओं के दिए गए भाषणों और बयानों से बनती-बिगड़ती हैं।

वैसे तो मेरा मानना है कि यह चुनाव 'छवियों के टकराव' का चुनाव है, जिसमें इस चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा कही गई बातों से ज्यादा एक लंबे काल खंड में बनी-बिगड़ी उनकी छवियों का असर है। इस चुनाव में कथनी से ज्यादा 'करनी' की स्मृतियों एवं प्रभाव में जनता वोट डाल रही है। चुनाव में कुछ बहसें दीर्घकालिक परिवर्तन की दृष्टि से होती हैं, तो कुछ बहसें तात्कालिक लोकप्रिय प्रकृति की होती हैं। इस चुनाव में ऐसी कौन-सी बहसें हैं, जो तात्कालिक राजनीतिक लाभ या लोकप्रियता पाने की रणनीति से प्रेरित हैं। इन तमाम मुद्दों पर विचार इस चुनाव के संदर्भ में ही नहीं, वरन पूरे लोकतंत्र के विस्तार एवं उसे गहरा बनाने के लिए भी जरूरी है।

इस चुनाव में दो प्रकार की बहसें हो रही हैं। एक तरफ, भाजपा देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को विमर्श का विषय बना रही है। वह भारतीय समाज में राज्य द्वारा संसाधनों के वितरण के लिए गरीब, युवा, नारी एवं किसान, चार आर्थिक वर्गों को केंद्र में रखकर योजनाओं को प्रचारित कर रही है।

दूसरी तरफ, कांग्रेस अपने घोषणापत्र में अन्य वादों के साथ समाज कल्याण कार्यक्रमों को आरक्षण आधारित जाति केंद्रित सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ मिलाकर लोकप्रिय वादे के रूप में प्रचारित कर रही है। इसके लिए वह पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को भी एक लोकप्रियतावादी नारे के रूप में अपने चुनावी विमर्श में इस्तेमाल कर रही है।

अगर इस चुनाव की बहसों के निर्माण की प्रक्रिया को देखें, तो साफ लगता है कि भाजपा इस चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर केंद्रित एवं विकसित भारत की संकल्पना के इर्द-गिर्द रखना चाहती है। इस चुनाव में टिकट बंटवारे में परोक्ष जातीय जोड़-घटाव को छोड़ दें, तो उसने अपने घोषणापत्र एवं अपने नेताओं के भाषणों में जातीय अस्मिता की राजनीति से दूरी बनाने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने अपने चुनावी विमर्श में शुरू से ही भारतीय समाज में जाति आधारित सामाजिक अन्याय को मुद्दा बनाते हुए पारंपरिक ढंग के आरक्षण आधारित सामाजिक न्याय को लोकप्रिय बहस बनाने की कोशिश की है। इस बार अल्पसंख्यकों के संदर्भ में धार्मिक अस्मिता एवं सामाजिक न्याय के संदर्भ में जातीय अस्मिता कांग्रेस के घोषणापत्र के केंद्रीय तत्व बने हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन जातीय एवं धार्मिक अस्मिताओं को न्याय-अन्याय जैसी शब्दावली में बार-बार उठाया है। कांग्रेस ने भाजपा के शासन में आने पर 'संविधान बदल दिया जाएगा', 'चुनाव नहीं होंगे' आदि अनेक भय व चिंता जगाने वाले विमर्श खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के चुनावी विमर्श की इसी रणनीति ने भाजपा को अपने चुनावी विमर्श की रणनीति में परिवर्तन के लिए बाध्य किया। कांग्रेस के इन पारंपरिक राजनीतिक अस्त्रों का जबाब देने के लिए भाजपा ने अपने विकास, भारत गर्व एवं विकसित भारत के विमर्श के साथ ही कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का पारंपरिक अस्त्र चला दिया।

इसी तुष्टिकरण के विमर्श में जाति के साथ ही धार्मिक अस्मिता का विमर्श भी सामने आने लगा। भाजपा ने सक्षमता से इसी तुष्टिकरण के विमर्श को सामाजिक न्याय के विमर्श से जोड़ दिया। यह प्रचार शुरू कर दिया कि कांग्रेस एक धर्म के लोगों को संतुष्ट करने के लिए पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीबों का हक छीनकर एक खास धार्मिक समुदाय में बांट देना चाहती है। साथ ही, उसने कांग्रेस द्वारा स्वर्ण एवं संपत्ति के सर्वे की मंशा को भारतीय स्त्रियों, विशेषकर मध्यवर्गीय स्त्रियों के 'मंगल सूत्र' पर खतरे के वृतांत में पीरो दिया। भारतीय चुनावों में वृतांतों या 'नैरेटिव्स' की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक माना जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने मध्यवर्गीय मानस को तो झकझोरा ही, गरीबों, पिछड़ों एवं दलितों की अस्मिताओं को भी पारंपरिक जाति आधारित सामाजिक न्याय की राजनीति के खांचे से बाहर निकाल हिंदुत्व, सामाजिक न्याय एवं विकास की आकांक्षा का संतुलित मिश्रण तैयार किया। राजनीति में यह ऐसा मारक आक्रमण है, जिसका सामना कांग्रेस के विमर्शकार कैसे कर पाते हैं, यह देखना होगा।

यह बार-बार देखने में आता है कि जाति कई बार सामाजिक न्याय के वितरण की एक इकाई के रूप में मददगार तो होती है, किंतु आगे चलकर अनेक प्रकार के सामाजिक अन्याय को जन्म भी देती है। कांगेस को यह समझना होगा कि जाति से जाति को काटना भारतीय समाज में अत्यंत मुश्किल है। हमने देखा है कि ऐसे अनेक प्रयोग अब तक विफल ही हुए हैं। आजादी के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति के एक अनोखे प्रयोगकर्ता कांशीराम शुरुआती सफलताओं के बाद अंततः कमजोर पड़ते देखे गए। समझना होगा कि भारतीय समाज में जाति की धार को आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं से ही कुंद किया जा सकता है।

अगर गहराई से विवेचना करें, तो भारतीय जनतांत्रिक राजनीति को एक नई भाषा की जरूरत है, एक आधुनिक भाव बोध की भी। इसे एक नई राजनीति भी चाहिए। विकास की राजनीति की भाषा को अन्य प्रकार की राजनीति केंद्रित भाषा की तुलना में ज्यादा अधुनातन, अग्रगामी एवं प्रगतिशील तो माना ही जाता है। जैसे ही इस भाषा को हम जाति एवं धर्म आधारित राजनीतिक भाषा की सीमा में जाने के लिए मजबूर करते हैं, वैसे ही हम तीन-चार दशक पीछे की राजनीतिक परिदृश्य में पहुंच जाते हैं।

हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार फणिश्वर नाथ रेणु ने अपनी कहानी *पंचलाइट* (पंचलैट) में एक गांव में एक ऐसे जाति विभाजित समाज का वर्णन किया है, जहां हर जाति को अपना गोल बैठता है एवं उनकी अपनी 'पंचलाइट' (पेट्रोमैक्स) होने की चाह होती है। वह अगर आज जीवित होते, तो स्वयं भी चाहते कि भारतीय जनतंत्र के पास एक विकासमान एवं नए भारत की अंतर्दृष्टि एवं राजनीतिक भाषा हो, जो अन्य अनेक पारंपरिक अस्मिताओं पर केंद्रित राजनीतिक भाषा एवं विमर्शों का चोला उतार फेंके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सूरज पर लगातार विस्फोट और एक आकाशगंगा

निरंकार सिंह | पूर्व सहायक संपादक, हिंदी विश्वकोश

इस ब्रह्मांड में रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं, पर कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो वैज्ञानिकों को भी अचरज में डाल देती हैं। ताजा घटना ब्रह्मांड की एक आकाशगंगा में भयंकर विस्फोट की है। इस विस्फोट के बाद आकाशगंगा के केंद्र से 4,47,000 मील प्रति घंटे से भी अधिक गति से गैस बाहर की ओर निकलने लगी। इस गैस का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि इससे हमारे सूर्य जैसे पांच करोड़ सूर्य बन सकते हैं। दूसरी तरफ, हमारे सूर्य की सतह पर भी विस्फोट हो रहे हैं। वैज्ञानिक इनके कारणों की खोजबीन कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने ब्रह्मांड के विर्गो, यानी कन्या क्लस्टर में आकाशगंगा एनजीसी 4383 का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि गैस का प्रवाह इतना विराट है कि प्रकाश को एक से दूसरी तरफ जाने में 20,000 साल लगेंगे। यह खोज रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की *मंथली नोटिस* पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च (आईसीआरएआर) में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नोड के प्रमुख लेखक डॉ एडम वाट्स ने कहा है कि बहिर्प्रवाह आकाशगंगा के मध्य क्षेत्रों में शक्तिशाली तारकीय विस्फोटों का नतीजा था, जो बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन व भारी तत्वों को बाहर निकाल सकता था। उत्सर्जित गैस का द्रव्यमान पांच करोड़ सूर्य से अधिक के बराबर है। डॉ वाट्स ने कहा, 'बहिर्प्रवाह की भौतिकी और उनके गुणों के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि बहिर्प्रवाह का पता लगाना बहुत कठिन है।' निकली गैस भारी तत्वों से भरपूर होती है, जो हमें बाहर निकलने वाली गैस में हाइड्रोजन और धातुओं के बीच मिश्रण की जटिल प्रक्रिया का एक अनूठा दृश्य प्रदान करती है। 'इस विशेष मामले में हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कई अन्य रासायनिक तत्वों का पता लगाया।' आकाशगंगाएं कितनी तेजी से और कितने समय तक तारे बनाती रह सकती हैं, इसे नियंत्रित करने के लिए गैस का बहिर्प्रवाह महत्वपूर्ण होता है। इन विस्फोटों से निकली गैस आकाशगंगा के भीतर तारों के बीच, यहां तक कि आकाशगंगाओं के बीच के स्थान को भी प्रदूषित कर देती है और अंतरिक्ष में हमेशा के लिए तैर सकती है।

विस्फोटों से निकली गैस आकाशगंगा के भीतर तारों के बीच, यहां तक कि आकाशगंगाओं के बीच के स्थान को भी प्रदूषित कर देती है।

उच्च-रिजॉल्यूशन मानचित्र का निर्माण एमएयूवीई सर्वेक्षण के डाटा के साथ किया गया था, जिसका सह-नेतृत्व आईसीआरएआर शोधकर्ता प्रोफेसर बारबरा कैटिनेला और लुका कॉर्टिस ने किया था। ये दोनों भी इस अध्ययन में शामिल थे। इस सर्वेक्षण में उत्तरी चिली स्थित यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के एक बड़े टेलीस्कोप का उपयोग किया गया। प्रोफेसर कैटिनेला ने कहा, 'हमने यह जांचने के लिए 'माउव' को डिजाइन किया कि गैस के बहिर्प्रवाह जैसी भौतिक प्रक्रियाएं आकाशगंगाओं में तारे के निर्माण को रोकने में कैसे मदद करती हैं। 'एनजीसी 4383 हमारा पहला लक्ष्य था, क्योंकि हमें संदेह था कि कुछ बहुत अनोखा हो रहा था, पर डाटा हमारी सभी अपेक्षाओं से अधिक था।

दूसरी तरफ, सूरज की सतह पर हो रहा लगातार विस्फोट भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता का विषय बना हुआ है। अगर विस्फोट होता रहा, तो सैटेलाइट्स, धरती का तापमान व रेडिएशन का स्तर, दूरसंचार व हवाई उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। भारत का आदित्य एल-1 इस पर नजर बनाए हुए है। वह डाटा उपलब्ध करा रहा है। वैज्ञानिक यह पता लगा रहे हैं कि भू-चुंबकीय सौर तूफानों के अंश पृथ्वी तक पहुंचकर क्या प्रभाव डालेंगे?

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान- एरीज के निदेशक व आदित्य एल-1 के आउटरीच के सह अध्यक्ष रहे प्रो दीपांकर बनर्जी के अनुसार, सूरज की सतह पर विस्फोट होते रहते हैं, पर इसका प्रभाव पृथ्वी या अन्य किसी ग्रह तक तभी पहुंचता है, जब विस्फोटों की झड़ी लग जाए। इन दिनों सूर्य की सतह पर कुछ ऐसा ही चल रहा है। उन्होंने कहा, सौर तूफानों का प्रभाव कई तरीके से पड़ सकता है। इनमें प्रमुख है, रेडिएशन का धरती की ऊपरी सतह को प्रभावित करना, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स पर असर पड़ना या उनकी कार्य-क्षमता प्रभावित होना, धरती की ऊपरी सतह का तापमान तेजी से बढ़ना, दूरसंचार में बाधा आना आदि। जाहिर है, हमें इन सब पर नजर बनाए रखनी होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

क्या अच्छा क्या बुरा

एक बूढ़े आदमी के पास बहुत सुंदर घोड़ा था, एक रात वह चोरी चला गया। घोड़ा बेशकीमती था। बड़े-बड़े सम्राटों ने उसे मोल लेना चाहा था, लेकिन उस बूढ़े ने किसी को नहीं दिया। सुबह गांव के लोग इकट्ठे हुए, भीड़ से किसी ने कहा, बहुत बुरा हुआ। इतनी कीमती चीज थी, बेच ही देते तो अच्छा रहता। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए लोगों से कहा, ऐसा मत कहो कि बुरा हुआ। हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ? इतना ही कहो कि रात घोड़ा अस्तबल में था, अब नहीं है, इससे ज्यादा कहना भगवान के प्रति विरोध होगा।

गांव के लोगों ने समझा घोड़ा चोरी चले जाने से बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। अव्यावहारिक बातें कर रहा है। मगर पंद्रह दिन बाद वही घोड़ा दोपहर में वापस लौट आया। उसके साथ पंद्रह-बीस जंगली घोड़े भी थे। वह जंगल में भाग गया था। सांझ में गांव के लोग जमा हुए और कहा, बाबा, ठीक कहते थे तुम, मजा आ गया। पंद्रह-बीस घोड़े साथ आ गए। चलना सीख जाएंगे, तो ये भी कीमती हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ कि घोड़ा गायब हुआ और इतने घोड़ों को भी साथ ले आया।

उस बूढ़े व्यक्ति ने टोका- बस, बस, बस। ज्यादा मत बढ़ो, क्योंकि अभी तुम अच्छा कहोगे, तो कल तुम्हें बुरा कहने का मौका मिल जाएगा। इतना ही कहो कि घोड़ा लौट आया, पंद्रह घोड़े भी आ गए, इससे ज्यादा मत कहो, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं हैं। पता नहीं क्या छिपा हो इसके पीछे?

लोगों ने कहा, अब रहस्य की बातें करने की कोई जरूरत नहीं, नगद फायदा है। लेकिन आठ दिन बाद ही गांव के लोगों को अपनी बात बदल लेनी पड़ी। उस बूढ़े का एक ही जवान लड़का था, वही उसके बुढ़ापे का सहारा था। वह एक जंगली घोड़े को दौड़ना सिखा रहा था, उसने पटक दिया, उसके दोनों पैर टूट गए। गांव के लोगों ने कहा- बाबा, यह तो बहुत बुरा हुआ। घोड़े क्या आए, दुर्भाग्य आ गया घर में।

बूढ़े आदमी ने कहा- फिर तुम लोग वही कहे जा रहे। मत कहो कुछ। इतना ही काफी है कि कल तक लड़के की टांगें थीं, आज टूट गईं। अच्छा हुआ कि बुरा, हम क्या जानें? जो तोड़ता होगा वह जोड़ना भी जानता ही होगा। लोगों ने कहा- अब इस बकवास को हम सुनने को राजी नहीं हैं। वे क्रोध से भरे चले गए। लेकिन पंद्रह दिन बाद ही उस राज्य पर हमला हो गया। राजा ने गांव के जितने जवान लड़के थे, सबको जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया, सिर्फ उस बूढ़े का लड़का रह गया।

धार्मिक व्यक्ति तथ्य को कह देता है और चुप हो जाता है, क्योंकि एक तथ्य अनंत तथ्यों से जुड़ा है? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कोई भी नहीं कह सकता है। हम मौन में सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं!

धार्मिक व्यक्ति तथ्य को कह देता है और चुप हो जाता है, क्योंकि एक तथ्य अनंत तथ्यों से जुड़ा है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कोई भी नहीं कह सकता है। हम मौन में सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं!

ओशो

कैलाश सत्यार्थी | नोबेल विजेता

हमने अनगिनत ऊंची दीवारें खड़ी करके इंसानियत और दुनिया को बांट दिया है। आइए, इनको तोड़ डालें और इनकी ही ईंटों व मलबे से पुलों का निर्माण शुरू करें। आइए, करुणा का वैश्वीकरण करें।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 3 मई, 1949

मत्स्य का फैसला

राजस्थान की अलवर, करौली, भरतपुर और धौलपुर इन चारों रियासतों को मिलाकर मत्स्य राज्य की रचना की गई थी। जब रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो राजस्थान की सभी रियासतों का एकीकरण एक दूर की वस्तु समझा जाता था। इसलिए जिन रियासतों का एकीकरण आसानी से हो सकता था, उसे कर डाला गया। किन्तु चार रियासतों के एकीकरण के बाद भी मत्स्य की जो इकाई बनी, वह इतनी छोटी थी कि स्वावलंबी नहीं हो सकती थी। इधर घटनाओं ने तेज रफ्तार से कदम बढ़ाया। राजस्थान की छोटी-बड़ी सभी रियासतें संयुक्त हो गईं। इस अवस्था में मत्स्य को भी सामान्यतः प्रारम्भ से ही राजस्थान में शामिल हो जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा संभव नहीं हुआ। इसकी खास वजह यह हुई कि जहां मत्स्य की दो रियासतों अलवर और करौली ने एक राय से राजस्थान में मिल जाना स्वीकार किया, वहां भरतपुर और धौलपुर में लोकमत इस प्रश्न पर विभाजित हो गया और भारत सरकार के रियासती सचिवालय के लिए यह विचारणीय हो गया कि इन दोनों रियासतों को राजस्थान में मिलाया जाये अथवा नहीं। कुछ लोगों की यह राय थी कि इन दोनों रियासतों को युक्त प्रान्त के साथ मिलाया जाये तो दूसरा पक्ष उनका राजस्थान में विलीन होना उचित समझता था। अतः भारत सरकार के रियासती सचिवालय ने इन दोनों रियासतों की जनता की राय जानने के लिए श्री शंकर राव देव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, बाकायदा जनमत-संग्रह की व्यवस्था करना एक कष्टसाध्य काम होता। ऐसी दशा में जांच समिति की नियुक्ति एकमात्र व्यावहारिक मार्ग था।

इस समिति की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि उसने भरतपुर और धौलपुर रियासतों का लोकमत जानने के लिए काफी परिश्रम किया है और लोकमत का जो विश्लेषण किया है वह निष्पक्ष है। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आज भरतपुर और धौलपुर दोनों ही राज्यों का बहुमत राजस्थान में मिलने के पक्ष में है। जहां तक कांग्रेस-जनों का सम्बन्ध है, धौलपुर के कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर युक्त प्रान्त के पक्ष में थे। शहरी वर्ग, जिसमें व्यापारियों को शामिल किया जा सकता है, युक्त प्रान्त के पक्ष में था... किन्तु देहाती किसानों के विशाल समुदाय ने राजस्थान के हक में राय दी।

भारतीय लोकतंत्र पर लगातार हो रहे हमले

भारत सात दशकों से अनवरत लोकतंत्र की लौ जलाए हुए है, लेकिन इसे मलिन करने के लिए वैश्विक स्तर से लेकर देश के भीतर तक लगातार कसरत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दस वर्षों के शासनकाल में देश को वैश्विक स्तर पर जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, उससे भारत-विरोधी ताकतों को घोर निराशा हाथ लगी है, इसलिए वे हमलावर हो गए हैं। दुर्भाग्य से इसमें कई विदेशी समीक्षक भी शामिल हैं। आम चुनाव उनको एक मुफीद समय जान पड़ता है। जबकि, सिर्फ भारत में इस साल चुनाव नहीं हो रहे। दुनिया के 60 से अधिक राष्ट्रों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के देशों की सरकारें भी इस साल अपने-अपने यहां जनादेश हासिल करेंगी। माना जा रहा है कि दुनिया की कुल आबादी का लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा इस साल मतदान करेगा। जाहिर है, साल 2024 तमाम देशों के आपसी रिश्तों में व्यापक बदलाव ला सकता है। मगर सबकी नजरें भारत पर ही टिकी हुई हैं।

सवाल है कि किन-किन उपायों से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है? इसमें सबसे ऊपर है, फर्जी सूचना। इसके तहत वास्तविक सूचनाओं से छेड़छाड़ करके उसे किसी एक पार्टी के पक्ष में पेश किया जाता है और दूसरे के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। 'टूलकिट' जैसी शब्दावली इसी का हिस्सा है। मतदाता अगर बहुत जागरूक नहीं हुआ, तो वह इन गलत सूचनाओं के प्रभाव में आसानी से आ सकता है और भ्रमित होकर किसी ऐसे दल को वोट दे सकता है, जो देश को रसातल में पहुंचा दे। भ्रम पैदा करके अपने पक्ष में माहौल बनाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। इसके अतिरिक्त फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं और फेक न्यूज का प्रसार किया जाता है। इस क्रम में ट्रोलिंग भी जमकर की जाती है, जो हम इन दिनों भारत में खूब देख रहे हैं। देश के गृह मंत्री का फर्जी वीडियो प्रसारित करके मतदाताओं को भ्रमित करने की कवायद पिछले दिनों की गई थी। उसके संदर्भ में उचित कार्रवाई की जा रही है।

इन सबका मकसद एक ही है, किसी भी तरह से चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करना या इसमें किसी न किसी तरह से दखल देना। अच्छी बात है कि सरकार इसको रोकने के लिए हरसंभव उपाय कर रही है। कानून भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। फिर भी, जनता को तैयार रहना होगा। ऑनलाइन सूचनाओं पर आंखें मूंदकर विश्वास करने से हमें बचना चाहिए। ऐसी किसी सूचना को पहले परखना चाहिए, फिर उसे आगे फॉरवर्ड करना चाहिए।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

लोकतंत्र पर हमला

जनतंत्र की जीवंतता के लिए सवाल जरूरी

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें शायद ही किसी को कोई संदेह है, लेकिन जिस तरह से यहां आम चुनाव, विशेषकर ईवीएम को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठते रहे हैं, उसने कई समीक्षकों को मौका दे दिया है कि वे लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आएं। यह किसी भी तरह से गलत नहीं जान पड़ता। इसे हम यह कहकर नकार नहीं सकते कि भारत पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं। अगर कोई हमारे लोकतंत्र की बेहतरी की बात कर रहा है, तो हमें उसको पूरी संजीदगी से सुनना चाहिए और उचित कदम उठाकर अपने लोकतंत्र को और मजबूत बनाना चाहिए। इसीलिए अगर दुनिया के कुछ देश हमारे यहां के आम चुनाव पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, तो मुझे यह गलत नहीं लगता। अलबत्ता, होना तो यह चाहिए कि अगर किसी को ईवीएम पर शंका है, तो उसके संदेह को तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाता। मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका है।

चिंता की बात यह नहीं है कि दुनिया के कुछ समीक्षक भारत को 'घेरने' का प्रयास कर रहे हैं, शोचनीय तो यह है कि आखिर उनको क्यों ऐसा करने का मौका मिल रहा है? हमने अपने यहां की चुनाव-प्रक्रिया को इतना चाक-चौबंद क्यों नहीं किया कि किसी को इस पर सवाल उठाने का अवसर ही न मिले? आरोप तो यहां तक लगाया जाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव होने संबंधी दावों के बावजूद चुनाव में ईवीएम पर ही भरोसा किया जा रहा है, वीवीपैट की गिनती भी अनिवार्य नहीं की गई। अच्छी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन-जिन प्रत्याशियों को संदेह होगा, वे अपने स्तर पर वीवीपैट मिलान कर सकेंगे, लेकिन वास्तव में यह सभी सीटों पर और सभी बूथों पर अनिवार्य किया जाना चाहिए था। हां, इसमें संसाधनों का अतिरिक्त बोझ हम पर पड़ता, लेकिन कम से कम यहां के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का मौका तो किसी को न मिलता।

कहा गया है, *निंदक नियरे राखिए...* तो हमें अपने निंदक को अपने नजदीक ही रखना चाहिए, ताकि हम उनकी निंदा में अपनी बेहतरी के सूत्र खोज सकें। जब हम विकसित मुल्क बनने की ओर तेजी से बढ़ चले हैं, तो यह जरूरी है कि हमारे यहां की तमाम प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष हो। चुनाव-प्रक्रिया भी इसी का हिस्सा है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो या पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये चुनाव का निष्पक्ष संचालन, किसी को कोई भी सवाल उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। यही देश के हित में है।

दिवाकर झा, टिप्पणीकार

https://epaper.livehindustan.com

स्कूलों में भय

धमाकों की धमकी

बम धमाकों की धमकी से दिल्ली-एनसीआर के लगभग 100 स्कूलों के शिक्षक और बच्चे भयभीत हो गए। ईमेल से बम की धमकी पर दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर के लगभग 100 स्कूलों ने बुधवार सवेरे छात्रों को उनके घर भेज दिया। इसके बाद सभी जगह पुलिस ने गहरी छानबीन की, पर उसे कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। लेकिन इस धमकी से पूरे समाज में भय पैदा हो गया। इससे बच्चों के माता-पिता, शिक्षक और छात्र इस भयानक यथार्थ से परिचित हुए हैं कि आतंकी खतरा कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे बीच ही मौजूद है। स्कूलों को एक समय सीखने और विकास का पवित्र स्वर्ग माना जाता था, पर अब उनकी सुरक्षा और पवित्रता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस कटु यथार्थ का सामना करते समय जरूरी है कि हम निराशा का शिकार न हों तथा पूरी दृढ़ता के साथ एकजुट हों। सबसे पहले स्कूल अधिकारियों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों की इस धमकी से निपटने में त्वरित प्रतिक्रिया की प्रशंसा करनी चाहिए। उनके समन्वित प्रयासों से असंदिग्ध रूप से लोगों को आश्वस्त किया है। ऐसे में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी खुफिया एजेंसियां एकजुट होकर काम करें क्योंकि उनको ही सबसे पहले आने वाले संकटों की जानकारी मिलती है। फिलहाल हमारे पास समुचित सूचनायें और यह जानकारी नहीं है कि आतंक फैलाने वाले कौन थे और उनका इरादा क्या था। हम यह भी नहीं जानते हैं कि खतरा 'असली' था अथवा किसी दुष्ट तत्व ने केवल अफवाह फैलाने का काम किया था। लेकिन खासकर मानव जीवन पर संकट आने की स्थिति में ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बताया जाता है कि धमकी वाले ईमेल एक रूसी आईपी से जारी हुए थे तथा समन्वित व सुनियोजित थे। हालांकि, जहां अमेरिकी स्कूलों में गोलीबारी की घटनायें होती रहती हैं, वहीं भारतीय स्कूल बहुत सुरक्षित हैं और उनको ऐसा ही रहना भी चाहिए। ऐसे में हमें लगातार सतर्क रहना होगा।

इस छोटी सी सफलता से हमें लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। हमें लगातार सतर्कता बरतते हुए अपने शिक्षण संस्थानों के सुरक्षा ढांचे को सक्रिय रूप से मजबूत करना चाहिए। भौतिक सुरक्षा मजबूत करने के साथ ही हमें स्कूल समुदायों में सतर्कता और तैयारी की संस्कृति विकसित करनी चाहिए। छात्रों को संभावित खतरे पहचानने तथा उनके प्रति प्रतिक्रिया सिखाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। छात्रों को 'सुरक्षा प्रोटोकालों' से मजबूत करने के साथ ही उनके साथ खुला संवाद विकसित करना चाहिए। इससे आतंकी धमकी से पैदा बेचैनी का सामना करने में बहुत सहायता मिलेगी। हमें ऐसे कृत्यों के मूल कारणों पर गौर करना चाहिए। सामाजिक-आर्थिक असमानतायें, हाशियाकरण और वैचारिक अतिवाद अक्सर 'उग्रवादीकरण' को आधार प्रदान करती हैं। इन मुद्दों को समग्र सामाजिक नीतियों व समावेशी शिक्षा के माध्यम से संबोधित कर हम ज्यादा मजबूत और सद्भावनापूर्ण समाज बना सकते हैं। समान रूप से यह भी महत्वपूर्ण है कि हम घबराने के बजाय शांत रहें। संकट के समय भय और विभाजन का शिकार होना आसान होता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एकता और दृढ़ता हमारी शक्ति है। अब पहले के किसी भी समय की तुलना में हमें एक-दूसरे के साथ एकजुट रहते हुए आतंकियों के समक्ष झुकने से इनकार कर देना चाहिए। एकसाथ मिल कर हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर बच्चा निर्भय होकर शिक्षा प्राप्त कर सके तथा स्कूल युद्ध के मैदान के बजाय आशा और प्रकाश का केन्द्र बनें।

चुनावों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

चुनावों और चुनाव प्रचार का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पूरी व्यवस्था पर गहराई से विचार कर समीक्षा करनी चाहिए ताकि व्यवस्था बिना किसी समस्या के काम कर सके।

बी.के. झा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

चुनावों और चुनाव प्रचार का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके अनेक आयाम होते हैं जो देश की पूरी जनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे में पूरी चुनाव व्यवस्था पर गहराई से विचार कर समुचित समीक्षा करनी चाहिए ताकि चुनाव संचालित करने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था बिना किसी समस्या के काम कर सके और इसमें प्रशासन की सहज सहभागिता पूर्णत: सुनिश्चित हो सके। 18वें आम चुनाव के समय भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इस समय राष्ट्र, लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और प्रशासन एक प्रकार से परीक्षा दे रहा है। 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाली मतदान प्रक्रिया 44 दिन चलेगी। यह भारतीय इतिहास में मतदान का सबसे लंबा समय है।

इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया की व्यापकता तथा इसमें लिए जाने वाले निर्णयों का महत्व उजागर होता है। तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था, उभरते राजनीतिक परिदृश्य तथा वर्तमान सामाजिक चुनौतियों को देखते हुए चुनाव, चुनाव प्रचार तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों पर गौर करना चाहिए। चुनाव पर होने वाले भारी खर्च को देखते हुए इसके आर्थिक आयामों की झलक मिलती है जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को अपने दायरे में समेट लेती है। 'सेंटर फार मीडिया स्टडीज़'-सीएमएस के अनुसार, 2024 में लोकसभा चुनावों पर भारी खर्च होगा जो 1.35 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो सकता है। यह आंकड़ा 2019 में खर्च हुई धनराशि का दूना है। इससे संकेत मिलता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव पर खर्च कितने बड़े पैमाने पर होता है।

भारत में लगभग 96.6 करोड़ मतदाता हैं। इस प्रकार प्रति मतदाता पर खर्च लगभग 1,400 रुपये होता है। इससे मतदाताओं की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने में आने वाले वित्तीय निवेश तथा लोकतांत्रिक प्रयासों का संकेत मिलता है। इस संबंध में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाने वाला खर्च कुल खर्च का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया में शामिल विविधतापूर्ण आर्थिक गतिविधियों का भी संकेत मिलता है। निर्वाचन आयोग अथक रूप से पूरे देश में सार्विक मताधिकार को प्रोत्साहित करने में लगा रहता है। मतदाताओं को प्रेरित करने और अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग नागरिकों में व्यापक आकर्षण वाले जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय व्यक्तियों का महत्व स्वीकार करता है।

जनता की चेतना को स्वरूप देने में ऐसे 'सार्वजनिक व्यक्तित्वों' का महत्व स्वीकार करते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रख्यात अभिनेता राजकुमार राव को अपना 'नेशनल आइकन' या राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। उम्मीद है कि राजकुमार राव युवाओं की चुनाव प्रक्रिया व खासकर मतदान में सक्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। देश के आम चुनाव में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ाने का सर्वाधिक महत्व है और निर्वाचन आयोग इस दिशा में निरंतर सक्रिय रहता है। राजकुमार राव को बहु-प्रशंसित फिल्म 'निउटन' में एक प्रतिबद्ध चुनाव अधिकारी के रूप में दिखाया गया है जो नक्सल-प्रभावित क्षेत्र में चुनावी चुनौतियों का सामना करते दिखते हैं। उनकी इस भावना को युवा दर्शकों की ओर से भूरि-भूरि प्रशंसा प्राप्त हुई थी। हालांकि, सिनेमा में इस जोशीले चुनाव अधिकारी के शानदार प्रदर्शन के बावजूद असली जीवन में 'निउटन प्रभाव' पैदा करना इतना आसान नहीं है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में सात चरणों में मतदान होगा। इसके पहले दो चरणों में हो चुके मतदान प्रतिशत से राजकुमार राव की फिल्म निउटन जैसा कोई प्रभाव दिखने में नहीं आया है। 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में पहले दो चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा है। लेकिन इसके बावजूद निर्वाचन आयोग तथा उसके अंतर्गत काम करने वाले निर्वाचन अधिकारी अपनी अदम्य भावना से निरंतर सक्रिय बने हुए हैं। मतदान अधिकारी देश के अनेक दुर्गम क्षेत्रों में तमाम कष्ट उठाते हुए पहुंच रहे हैं तथा अनेक लाजिस्टिक चुनौतियों का सामना करते हुए चुनाव प्रक्रिया के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा प्रदर्शित करने में लगे हैं। उनके इन प्रयासों को प्रिंट व एलेक्ट्रानिक मीडिया समेत सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां मिली हैं तथा आम जनता व मतदाताओं ने उनकी भावना की सराहना की है।

चुनाव प्रचार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रेरक की तरह काम करते हुए आर्थिक वृद्धि व रोजगार को प्रोत्साहित करता है। आवासीय सुविधाओं, परिवहन, टेक्सटाइल व विज्ञापनों से लेकर अनेक क्षेत्रों में राजनीतिक प्रचार का प्रभाव दिखता है। मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां रैलियां तथा अन्य आयोजन करती हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में जीवन्तता पैदा होती है तथा वस्तुओं व सेवाओं की मांग बढ़ती है। डिजिटल अभियान ने चुनावी परिदृश्य बदल दिया है जिसके चलते 'ब्रांड' को महत्वपूर्ण बनाने व उसके प्रति आकर्षण पैदा करने में पेशेवर एजेंसियां लगाई गई हैं। ऐसी रणनीतियों के आर्थिक लाभ स्पष्ट हैं क्योंकि डिजिटल प्लेटफार्म राजनीतिक संप्रेषण एवं लामबंदी के महत्वपूर्ण औजार बन गए हैं। चुनावी प्रतियोगिता के बीच राजनीतिक घोषणापत्र प्रशासन का ब्लूप्रिंट पेश करते हुए नीतिगत प्राथमिकतायें और आर्थिक एजेंडे उजागर करते हैं। प्रमुख राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण मौजूदा सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने के विविध उपाय पेश करते हैं। अपने ट्रैक रिकार्ड के आधार पर भारतीय जनता पार्टी-भाजपा नीतिगत निरंतरता तथा राजकोषीय मजबूती पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ढांचागत विकास तथा आर्थिक सुधारों पर जोर देने के साथ भाजपा की बहुमत वाली सरकार भविष्य में राजकोषीय व्यावहारिकता पर जोर दे रही है। इस प्रकार वह आर्थिक स्थायित्व तथा विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके उलट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या 'इंडिया' समूह रोजगार सृजन, समाज कल्याण तथा कृषि सुधार पर जोर दे रहा है। सरकार-संचालित रोजगार पहल, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी तथा शिक्षा कर्ज माफी भी गठबंधन की समावेशी प्रगति तथा समतापूर्ण विकास के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं।

अक्सर चुनावी विमर्श पर राजनीतिक लफ्फाजी हावी होती है, अत: निष्पक्ष दृष्टिकोण से आर्थिक आयामों पर जोर देना जरूरी है। जल संकट, जलवायु परिवर्तन तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दे भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे के समक्ष बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं। इन पर 'चुनाव चक्र' से अलग हट कर ध्यान देना जरूरी है। बैंगलुरू जैसे शहरों में जल संकट हमारे सामने गंभीर चुनौती पेश करता है। इससे स्पष्ट होता है कि टिकाऊ संसाधन प्रबंधन तथा जलवायु की स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद विभिन्न दलों के राजनीतिक घोषणापत्रों में ऐसे मुद्दों की अनुपस्थिति बहुत निराश करने वाली है। ऐसे में समय की आवश्यकता है कि तत्काल पर्यावरणीय टिकाऊपन तथा सामाजिक-आर्थिक दृढ़ता पर निष्पक्ष संवाद व नीतिगत विमर्श तत्काल जरूरी है। आज जब भारत अपनी चुनाव यात्रा पर आगे बढ़ रहा है तब चुनाव, चुनाव प्रचार और अर्थव्यवस्था के संबंध अवसरों के साथ चुनौतियां पेश करते हैं। हालांकि, लोकतांत्रिक प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों व राजनीतिक विमर्श को प्रोत्साहित करती है, पर समावेशी व टिकाऊ विकास के मुद्दे चुनाव चक्रों से आगे जाते हैं। ऐसे में देश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं के बीच ऐसे स्थाई विकास मुद्दों पर गंभीर चर्चा और विमर्श जरूरी हो गया है जिनको राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्रों में स्थान नहीं मिलता है। विडंबना है कि 'चुनाव चक्रों' से पार जाने वाले ऐसे स्थाई सामाजिक-आर्थिक मुद्दे आमतौर से चुनावी विमर्श का हिस्सा नहीं बनते हैं। इसका नुकसान देश को होता है क्योंकि राजनीति व खासकर चुनावी राजनीति किसी प्रकार सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बन कर रह जाती है। तात्कालिक चुनावी आवश्यकताओं को पार कर और प्रगति के बारे में साझा दृष्टिकोण विकसित कर भारत एक जीवन्त लोकतंत्र की महत्वाकांक्षायें पूरी करते हुए सबके लिए समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है।

समाज को बदल सकती है आध्यात्मिक शिक्षा

> मूल समस्याएं अनसुलझी हैं और उनके समाधान के लिए कोई संतोषजनक और स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए, प्रश्न यह है: ये समस्याएं किस कारण से हैं।

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

हम सभी रोजाना अखबारों में किसी न किसी बड़ी समस्या के बारे में पढ़ते हैं, जिससे समाज के एक बड़े हिस्से या पूरी मानव जाति को गंभीर पीड़ा झेलनी पड़ती है। इन समस्याओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नस्लीय, प्रशासनिक आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और मानव ज्ञान के संबंधित क्षेत्रों से उनका समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। औद्योगिक या कृषि श्रमिकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार, विचाराधीन कैदियों के साथ अनुचित व्यवहार, वधू-दाह, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, नस्लीय पूर्वाग्रहों या जातिवाद के कारण अमानवीय व्यवहार, बंधुआ मजदूरी और घोर गरीबी लंबी सूची में सबसे ऊपर की कुछ समस्याएं हैं। जो कि हथियारों की दौड़ की समस्या है जो मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डालती है।

आर्थिक और सामाजिक सुधार, कूटनीतिक बातचीत, राजनीतिक घोषणाएँ और कानूनी अधिनियम कुछ ऐसे उपाय हैं जो इन और अन्य समस्याओं को हल करने के लिए वर्षों से अपनाए गए हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने भी अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान किया है। हालांकि इन सभी विभिन्न प्रयासों से कुछ परिणाम मिले हैं, लेकिन मूल समस्याएं अनसुलझी हैं और उनके समाधान के लिए कोई संतोषजनक और स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए, प्रश्न यह है: ये समस्याएं किस कारण से हैं और इन्हें कैसे हल या समाप्त किया जा सकता है?

गहन विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाएगा कि ये सभी समस्याएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सद्भावना या अच्छे उद्देश्यों की अनुपस्थिति या कमी के कारण होती हैं। लोग आम तौर पर रचनात्मक बुद्धि, वैज्ञानिक विकास, साहस और सुखों

से भरे जीवन पर जोर देते हैं, लेकिन आम तौर पर यह भूल जाते हैं कि, यदि कोई अच्छा उद्देश्य नहीं है, तो विज्ञान और बुद्धि का उपयोग पारस्परिक विनाश के साधनों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, साहस का उपयोग किया जा सकता है। बुरे तरीकों से हत्या और सुख प्राप्त किया जा सकता है। शायद ही इस बात का एहसास है कि यदि सभी के प्रति सद्भावना होती, तो कोई शस्त्रागार दौड़ नहीं होती, कोई नस्लीय पूर्वाग्रह नहीं होता, कोई दुल्हन-दाह नहीं होता, कोई शोषण नहीं होता, कोई गरीबी नहीं होती और श्रमिक वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होता, क्योंकि सद्भावना इन सभी का बिल्कुल विपरीत है। सद्भावना के बिना, सम्मेलन कलह में समाप्त हो जाते हैं, सभाएँ कुछ हासिल नहीं कर पाती हैं, संकल्प केवल कागज के टुकड़े समझे जाते हैं, आर्थिक उपाय प्रभावी साबित नहीं हो सकते हैं और कानूनी कार्य या सामाजिक सुधार वांछित परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। मानव जाति की समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक दूसरा कारक मानव व्यक्तित्व के अंतर्निहित मूल्य पर विचार करना है।

हमें यह महसूस करना चाहिए कि प्रत्येक मानव व्यक्ति को वापस लौटाया जाना चाहिए और उसे दूसरे की इच्छाओं की संतुष्टि के साधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए, भौतिक वस्तुओं और संपत्ति या मशीनों और उपकरणों या गुड़िया और खेलने की चीजों के स्तर तक किसी को भी अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए।

यदि हर प्राणी को सम्मान देने का यह सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जाता है, तो कोई गुलामी नहीं होगी, कोई बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं होगा, कोई गरीबी नहीं होगी, दुल्हन को जलाना नहीं होगा और एक के साथ दूसरे का दुर्व्यवहार नहीं होगा। नस्ल, धर्म या जाति में अंतर के आधार पर।

समस्याओं का अंतिम और स्थायी समाधान, निस्संदेह, उस शिक्षा में निहित है जो पुरुषों और महिलाओं में इन दो गुणों को विकसित करती है और ऐसी शिक्षा नैतिक और आध्यात्मिक होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने और इस प्रकार वर्ग संघर्ष, संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष और अन्य प्रकार को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त किए बिना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य समस्याओं को हल करने पर विभिन्न सरकारों और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा हर साल खरबों और अरबों खर्च किए जाते हैं।

संघर्षों की बात करें तो इसका मुख्य कारण यह है कि हम वास्तविक और व्यावहारिक नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के बिना केवल संघर्ष समाधान की बात करते हैं। अब समय आ गया है कि सरकारें और सत्ता में बैठे लोग इसे समझें और गंभीरता से इस बारे में कुछ करें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को तबाही से बचाएं।

आप की बात

मुस्लिम तुष्टीकरण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आरोप है कि कांग्रेस एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल करने की कोशिश कर रही है। यह एक प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण है क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण का मतलब समाज में विभाजन और असमानता को बढ़ावा देना ही हो सकता है। कांग्रेस ने पहले मुस्लिम आरक्षण की पहल बार-बार की गई है। न्यायालयों द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित करने के बावजूद कांग्रेस हेरफेर कर इसकी जुगत में लगी रही। अल्पसंख्यकों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने और उनके साथ विकास परियोजनाओं में कोई भेदभाव न होने देने के मुद्दे पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनके दस साल के कार्यकाल में विभिन्न केन्द्रीय जन-कल्याण योजनाओं में मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। चाहे आवास हो अथवा उज्जवला गैस, मुफ्त राशन या नल से जल या किसान सम्मान निधि, किसी योजना में लाभार्थी का धर्म या जाति नहीं पूछी गई। इन योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी खूब मिला। लेकिन भाजपा धार्मिक आधार पर आरक्षण तथा मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ है और वह अपने इसी निर्धारित रास्ते पर बिना चुनावी हार-जीत की चिन्ता किए सालों से लगातार चलती रही है।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

कांग्रेस पर प्रहार

इंदौर लोकसभा सीट से बतौर कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने वाले अक्षय क्रांति बम ने नामांकन वापस लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर एक बड़ा बम फेड़ दिया है। नाम वापस लेने के बाद वे आश्चर्यजनक तरीके से भाजपा में शामिल हो गए। इंदौर की इस घटना से आम जनता में आश्चर्य और कांग्रेस के प्रति हंसी-मजाक का वातावरण है। सवाल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज क्या हो गया है? उनमें भाजपा से लड़ने का माद्दा आखिर कहां चला गया है? सूरत की घटना भी सबको याद है जहां कांग्रेसी उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द हो गया और बाकी उम्मीदवारों की नाम वापसी के बाद भाजपा उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। ये प्रकरण कांग्रेस के लिए चिन्ता का विषय होने चाहिए, लेकिन वह तो मोदी और शाह के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे पर फर्जी वीडियो बनवाने तथा संविधान और लोकतंत्र पर खतरे का निरर्थक शोर मचाने में ही लगी है। आश्चर्य है कि 138 साल पुरानी कांग्रेस नरेन्द्र मोदी जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ ऐसे हास्यास्पद शार्टकट अपना रही है। कांग्रेस को अपने इतिहास और पुराने संघर्षों को याद करते हुए अपने संगठन और विचारधारा में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

एआई का दुरुपयोग

वर्तमान पीढ़ी के समय में विज्ञान टेक्नोलॉजी में एक से बढ़कर एक नए आयाम स्थापित हुए हैं। और उनकी चमत्कारिक प्रगति तीव्र गति से जारी है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में धमाका ही कर दिया है। अब वह दिन दूर नहीं कि इंसान अब तक जिन चीजों के बारे में जानने-समझने और करने में असमर्थ था उन सब की क्षमता एआई के माध्यम से इंसानों को प्राप्त हो रही है। एआई इंसान की क्षमता को उच्चतम नए आयाम प्रदान करेगा। धरती, आकाश और पूरे ब्रह्मांड तक अब इंसान के कदम तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि अब तक हर नई खोज के साथ होता है, वैसा ही एआई के साथ भी हो रहा है। उसके अच्छे परिणामों के अनुपात में ही उसके दुरुपयोग और घातक परिणाम भी सामने आने लगते हैं। वर्तमान चुनाव प्रचार में एआई के दुरुपयोग से प्रधानमंत्री व केन्द्रीय गृह मंत्री तक के फर्जी वीडियो सामने आए हैं जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। भविष्य में एआई के दुरुपयोग के बारे में सबको सजग रहना होगा। देश के दुश्मनों के हाथ में यह खतरनाक हथियार बन सकता है। एआई का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के साथ उसके त्वरित क्रियान्वयन की भी जरूरत है।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

निंदनीय घटनायें

मध्यप्रदेश के सागर जिले में बग्घी पर जा रहे नीची समझी जाने वाली जाति के दूल्हे को उतार कर पैदल चलने पर बाध्य किया गया। दलित या पिछड़े समाज से होने के कारण आधार पर दूल्हे को घोड़ी या बग्घी से उतार देने, बारात में बैंड बाजे नहीं बजने देने और अगड़े समाज के मोहल्लों से पिछड़ों की बारातें नहीं निकलने देने जैसी घटनायें आज भी होती हैं। यह दलितों की भावनाओं, अधिकारों और स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। औद्योगीकरण और नगरीकरण के कारण देश के शहरी क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव और ऊंच-नीच की दीवारें अवश्य कमजोर हुई हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों के दलित और पिछड़े समुदाय आज भी जातिगत असमानता का दंश झेल रहे हैं। ऐसी घटनाओं को कानून-व्यवस्था की समस्या मान कर राज्य सरकार, प्रशासन तथा पुलिस को समुचित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। विडंबना है कि हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में आज भी सामंती सोच के दलित-विरोधी अवशेष मौजूद हैं। इनको समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों तथा धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए।

– **रामबाबू सोनी,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कल्पमेधा

भय से शांति नहीं लाई जा सकती। शांति तो तब आती है जब हम आपसी विश्वास के लिए ईमानदारी से कोशिश करें।

– अल्बर्ट आइंस्टाइन

अधिकार और सीमा

इसमें कोई दोराय नहीं कि अगर कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध काम करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मगर कानून को अमल में लाने वाली कोई एजंसी अगर अपने अधिकारों को असीमित मानने लगे और उसके रवैये से मनमानी का संकेत मिलने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। पिछले कुछ समय से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की सक्रियता ने सबका ध्यान आकृष्ट किया है और यह धारणा बनी है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। मगर इसके साथ ही विपक्षी दलों ने कई बार सवाल उठाए हैं कि ईडी अपने अभियानों में सुविधा और आग्रहों के मुताबिक चुने हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है और उसकी सक्रियता में एक खास तरह का आग्रह दिखता है। विपक्षी पार्टियों के आरोपों को यह मान कर नजरअंदाज कर दिया जा सकता कि वे अपने दल से संबंधित आरोपियों के बचाव में ईडी को कठघरे में खड़ा करती हैं। मगर यह भी सच है कि कई मौके पर खुद अदालतों की ओर से ईडी की कार्यशैली पर अंगुली उठाई गई है।

सवाल है कि किसी कानून पर अमल को लेकर ईडी अगर ईमानदार है, तो बार-बार विपक्षी दलों से लेकर अदालतों तक की ओर से उसकी मंशा पर अंगुली क्यों उठ रही है! बुधवार को नौकरी के बदले जमीन के आरोपों से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष अदालत ने ईडी को फटकार लगाई और उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह एक जांच एजंसी के रूप में कानून के नियमों से बंधी है और वैसे आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती, जो संदिग्ध तक नहीं हैं। जाहिर है, यह ईडी के कामकाज के तौर-तरीकों पर एक बार फिर गहरा सवालिया निशान है, जो उसकी साख को कसौटी पर रखता है। अगर इससे शासन के काम का एक ढांचा तैयार होता है तो उसका लोकतंत्र और जनता के अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा। विडंबना यह है कि ईडी के रवैये की वजह से पिछले कुछ समय से इस संबंध में कई सवाल उठे हैं।

शायद इसी वजह से अदालत ने यह भी कहा कि इतिहास से कोई सबक सीखना है तो यह देखना चाहिए कि मजबूत नेता, कानून और एजंसियां आमतौर पर उन्हीं नागरिकों को निशाना बनाती हैं, जिनकी रक्षा का वे संकल्प लेती हैं। इस टिप्पणी को जनता के अधिकार और राज्य के कर्तव्य के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसमें उम्मीद की जाती है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। करीब एक वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ईडी को यह सलाह दी गई थी कि वह अपनी कार्यशैली से भय का माहौल पैदा न करे। शीर्ष अदालत की टिप्पणी इस बात का इशारा थी कि एजंसी को राजनीतिक विरोधियों पर लगे आरोपों की जांच को लेकर संतुलित रुख अख्तियार करने की जरूरत है। आखिर ऐसी शिकायतों की नौबत क्यों आनी चाहिए कि किसी एजंसी के अधिकारियों के पेश आने का तरीका कई बार भयादोहन की तरह लगने लगता है। इस तरह के व्यवहार का एक स्वाभाविक नतीजा यह होता है कि वास्तविक कारण भी संदिग्ध लगने लगते हैं। ऐसे में ईडी के सामने यह विचार करने का वक्त है कि विपक्षी दलों से लेकर अदालतों तक के बीच उसकी कार्यशैली को लेकर जैसी राय बन रही है, वह उसकी साख को किस हद तक प्रभावित कर रही है और उसे अपने तौर-तरीके में क्या सुधार करने की जरूरत है!

जानलेवा शौक

अपनी दिलचस्पी या फिर खुशी के लिए कुछ अलग करने का शौक सामान्य तौर पर सकारात्मक माना जाता है। मगर इस तरह के शौक में कोई अपना विवेक या सूझ-बूझ की क्षमता ही खो दे, तो यह न सिर्फ एक बेमानी चलन की भेड़चाल में शामिल होना है, बल्कि जानलेवा जोखिम को न्योता देना भी है। जब से स्मार्टफोन के साथ हर हाथ में कैमरा पहुंचा है, तब से काफी लोगों के भीतर एक विचित्र-सी मनोदशा का विकास होता देखा जा सकता है, जिसमें वे मौके-बेमौके बिना किसी मायने के अपनी तस्वीरें उतारते रहते हैं। इसका विस्तार सोशल मीडिया पर खुद को अभिव्यक्त करने के रूप में हुआ और हर वक्त अपनी तस्वीर या फिर वीडियो बना कर प्रसारित कर देना मानो किसी जरूरी काम की तरह देखा जाने लगा। विडंबना यह है कि इस शौक ने विवेक को जिस बुरी तरह प्रभावित किया, उसका खमियाजा केवल आपसी व्यवहारों के स्तर पर नहीं उठाना पड़ा, बल्कि इस वजह से मौत की घटनाएं भी बढ़ती गई हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि सोशल मीडिया पर रील के आकर्षण में वीडियो बनाने की कोशिश में हादसे का शिकार होकर किसी युवा की जान चली गई।

ये नाहक और बिना किसी कारण के होने वाली मौतें हैं, जिनके पीछे महज विवेकशून्य होकर अपने किसी शौक को पूरा करने की भूख मुख्य वजह है। हरिद्वार में बुधवार को बीस वर्ष की एक छात्रा ने रेल की पटरी पर रील बनाने की कोशिश की और उसी समय आई ट्रेन की चपेट में आ गई। उसकी जान चली गई। जिस बच्ची को अभी पढ़ाई-लिखाई करनी थी, खेलना-कूदना था और भविष्य बेहतर बनाने के सपने देखने थे, वह सिर्फ रील बनाने के शौक में मारी गई। इस तरह की घटनाओं का एक सिलसिला-सा चल पड़ा है। ऐसा लगता है कि विवेक का उपयोग करने के बजाय इस तरह की भेड़चाल में शामिल हो गए लोगों के पास सही वक्त पर फैसला लेने की क्षमता भी नहीं बचती और इसी क्रम में वे किसी जानलेवा हादसे का शिकार हो जाते हैं। आधुनिक तकनीकों की उपयोगिता हमारी जीवन-स्थितियों में गुणात्मक सुधार लाती है, लेकिन बेलगाम और गैरजरूरी तरीके से इसके इस्तेमाल में डूब जाना वक्त बर्बाद करने का जरिया बनने से लेकर जानलेवा तक साबित हो सकता है।

अवसाद का पसरता संजाल

अवसाद की स्थिति व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि परिवार या समूह भी इसकी चपेट में हैं, जिन्हें लगता है कि मृत्यु ही इस स्थिति से बचने का एकमात्र हल है। इसलिए इस विषय पर बात करना जरूरी हो गया है।

ज्योति सिडाना

आज के दौर को क्रोध या अवसाद का युग कहा जाने लगा है। यह देखा गया है कि मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक के सहयोग से विकास की ऊंचाइयों को भले ही छू लिया है, लेकिन खुश रहना आज भी उसे नहीं आया है। शायद यही कारण है कि 'हैप्पीनेस इंडेक्स' या खुशी के सूचकांक में विश्व के अधिकांश समाजों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भौतिकतावादी संसाधनों को एकत्र करने की होड़ में मनुष्य अवसाद, कुंठा और निराशा के गर्त में गिरता जा रहा है। अवसाद एक ऐसी मानसिक स्थिति है, जिसमें लोग उदासी, अकेलापन या ऊर्जा की कमी अनुभव करते हैं। यह स्थिति कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक बनी रह सकती है। अवसाद की स्थिति में व्यक्ति निराशा, अरुचि, बिना कारण रोना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, खुद को दोषी महसूस करना, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द महसूस करना, थकान, ध्यान की कमी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी और आत्महत्या के विचार का सामना करता है। वर्तमान उपभोक्तावादी समाज में लोगों में व्यक्तिवाद की भावना में वृद्धि हुई है, जिसके कारण लोगों में अकेलेपन का अहसास गहरा हुआ है।

लंबे समय तक अकेलेपन में रहने के कारण अवसाद और व्यग्रता के लक्षण मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं और कब यह अहसास कुछ लोगों में धीरे-धीरे आत्महत्या के विचार के रूप में उभार ले लेता है, यह पता भी नहीं चल पाता। कई बार परिवार या समूह में रहकर भी मनुष्य यह अनुभव करता है कि कोई उसे नहीं समझता, किसी के पास उसके लिए समय नहीं है, वह किसी से अपनी बात साझा नहीं कर पाता। आज के दौर में हर तरह के संबंधों में विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अकेलापन मनुष्य की घटती उम्र के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए शायद छोटी उम्र में दिल की बीमारी, रक्तचाप और कई तरह के मानसिक रोग होना एक सामान्य बात हो गई है। हालांकि अकेलापन और एकांत में अंतर करने की जरूरत है। अकेलापन मन की अवस्था है, जो मनुष्य को नकारात्मक विचारों की तरफ ले जाती है। दूसरी तरफ एकांत आध्यात्मिक विकास की अवस्था है जो मनुष्य को सृजनशीलता की ओर या सकारात्मक विचारों की तरफ ले जाती है। यानी एकांत में रहना अवसाद की स्थिति का द्योतक नहीं है जबकि अकेलेपन का सामना कर रहा व्यक्ति अवसादग्रस्त हो सकता है।

अकेलेपन के अतिरिक्त भी कुछ और कारण हैं जो अवसाद की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तनावपूर्ण जिंदगी की घटनाएं जैसे दुख, तलाक, बीमारी, बेरोजगारी, नौकरी या पैसे की चिंता, शारीरिक या मानसिक हिंसा, किसी नजदीकी और प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या फिर वैवाहिक संबंधों में खटास आदि कारणों से भी व्यक्ति को अवसाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जापान में पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि देखी गई। माना जा रहा है कि कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण लोगों में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसकी गंभीरता को देखते हुए जापान में फरवरी 2021 में 'मिनिस्ट्री आफ लोनलीनेस' यानी अकेलेपन को दूर करने के लिए मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को अवसाद से बाहर लाना, उन्हें अकेलेपन से मुक्त कराना और आत्महत्या करने से बचाना था। इसके बावजूद आत्महत्या

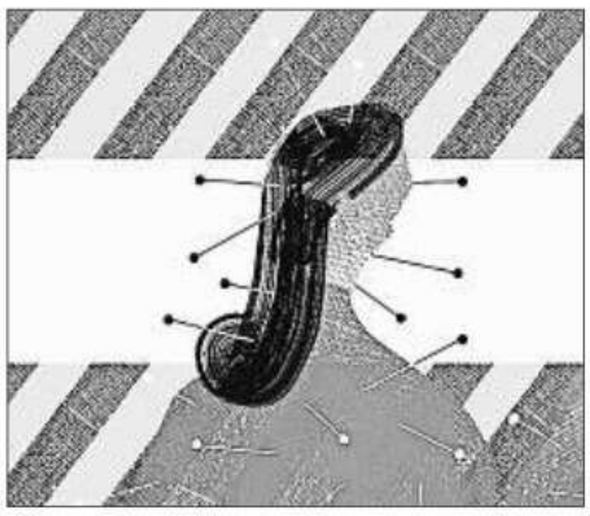

के मामलों में कमी नहीं, बल्कि वृद्धि देखी गई। इसका अर्थ है कि केवल मंत्रालय या विभाग बना देना इस समस्या का हल नहीं है।

देखा जाए तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है जिसका उपचार या समाधान करना परिवार, समाज और देश के विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो व्यक्ति कुंठा, निराशा और अवसाद को अपने व्यक्तित्व में शामिल करते हैं, वे अपने खिलाफ ही नहीं, समाज और देश के विकास के विरुद्ध भी काम कर रहे होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक, भारत में सालाना औसतन 1,44,000 लोग आत्महत्या करते हैं। सामूहिक आत्महत्या के मामले में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। यह कहा जा सकता है कि अवसाद की स्थिति व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि परिवार या समूह भी इसकी चपेट में हैं, जिन्हें लगता है कि मृत्यु ही इस स्थिति से बचने का एकमात्र हल है। इसलिए एक व्यापक पैमाने पर इस विषय पर बात करना जरूरी हो गया है। अकादमिक बुद्धिजीवियों की इस दिशा में भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

> वर्तमान उपभोक्तावादी समाज में लोगों में व्यक्तिवाद की भावना में वृद्धि हुई है, जिसके कारण लोगों में अकेलेपन का अहसास गहरा हुआ है। लंबे समय तक अकेलेपन में रहने के कारण अवसाद और व्यग्रता के लक्षण मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं और कब यह अहसास कुछ लोगों में धीरे-धीरे आत्महत्या के विचार के रूप में उभार ले लेता है, यह पता भी नहीं चल पाता। कई बार परिवार या समूह में रहकर भी मनुष्य यह अनुभव करता है कि कोई उसे नहीं समझता, किसी के पास उसके लिए समय नहीं है, वह किसी से अपनी बात साझा नहीं कर पाता।

मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क का 'फ्रंटल लोब' वाला हिस्सा उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सावधान करता है और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। लेकिन अवसाद की स्थिति में यह हिस्सा काम नहीं करता या कहे कि निष्क्रिय हो जाता है, जिसके चलते इंसान खुद को नुकसान पहुंचा देता है। यही कारण है कि आत्महत्या करने वाले नब्बे फीसद लोग तनाव या अवसाद के शिकार होते हैं और 'फ्रंटल लोब' में गड़बड़ी होने पर सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाते। डब्लूएचओ की एक रपट के अनुसार, भारत अवसाद के मरीजों के मामले में अग्रणी देशों में से एक है। दरअसल, सूचना क्रांति के बाद से भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति, व्यक्तिवाद और दिखावे के उपभोग की प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी के कारण समाज में उत्पन्न अव्यवस्थाओं एवं असंतुलन की स्थिति ने अवसाद और निराशा को अधिकांश लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। ऐसे में समाज में चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त दिखाई देती है। जब युवाओं को अपना भविष्य असुरक्षित अनुभव होने लगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष से पहले ही बाहर आ जाएं और लंबे समय से प्रतीक्षित परीक्षा रद्द हो जाए, सफलता के बावजूद मनचाहे कालेज या नौकरी में प्रवेश न मिले और अगर नौकरी मिल भी जाए तो महामारी या किसी आर्थिक संकट के समय छंटनी होने का डर, बिना कसी प्रकार के अवकाश के काम के अधिक घंटे किसी को भी अवसाद की तरफ धकेलने के लिए पर्याप्त हैं।

देखा जाए तो आजकल जिंदगी के महत्त्वपूर्ण वर्ष तो पढ़ाई से रोजगार पाने की प्रक्रिया में ही निकल जाते हैं और जब थोड़ा बहुत स्थायित्व जीवन में आने लगता है तो अनेक प्राकृतिक, राजनीतिक और पारिवारिक आपदाएं चुनौती बनकर सामने आ जाती हैं। सामाजिक संबंधों और आर्थिक असुरक्षा का भाव मनुष्य को खुश नहीं रहने देता और जहां खुशी न हो वहां अवसाद उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए किसी भी एक समूह या संस्था की भूमिका तय नहीं की जा सकती, बल्कि जरूरी है कि सरकार, प्रशासन, शैक्षणिक संस्थाएं, बुद्धिजीवी, साहित्यकार और परिवार सभी अपने-अपने स्तर पर इसको दूर करने के प्रयास करें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जनसंख्या ही किसी भी समाज और देश के विकास और प्रगति में सहभागिता कर सकती है। आज के दौर में जब संवादहीनता की स्थिति और भी बढ़ गई है, यह समस्या और भी गंभीर रूप लेती जा रही है। इसके लिए सभी संस्थाओं को आपस में संवाद करना बहुत जरूरी है। परस्पर संवाद से ही किसी भी बात का हल निकला जा सकता है, क्योंकि कोई भी समस्या मानव के हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। जीवन में धैर्य, साहस, आशा और सकारात्मकता से सब कुछ संभव है।

समाधान का नजरिया

सीमा श्रोत्रिय

जीवन कभी रिक्त नहीं हो सकता और हम आमतौर पर किसी न किसी समस्या से जूझते हैं। सवाल कौंधता है कि क्या जीवन समस्याएं लेकर आता है या उन्हें हम जन्म देते हैं या फिर हमें कोई समस्या सौंपता है। गहनता से पड़ताल हो तो यही पाएंगे कि हमारी अपरिपक्वता और अक्षमताएं ही विकट समस्याओं का रूप धारण करती हैं। हम कहीं न कहीं तन, मन और भावनात्मक स्तर पर अपूर्ण होते हैं। हमारा पूरा चिंतन-मनन बाहरी चीजों से जीवन की पूर्णता में तल्लीन रहता है और बहुधा समस्याएं अस्तित्वमान होकर हमें परेशान करने लगती हैं।

मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह हैं। देखते रहेंगे तो भारी दिखेगी और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। समस्या देखकर जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता समस्या के अंदर कोई बड़ी शुरुआत छिपी हो। समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है और समस्या का सामना करना समस्या के अंत का प्रारंभ है। विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला दूसरा कोई विद्यालय नहीं। मात्र शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, जिम्मेदारी उठाकर उसे कम जरूर कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में पति अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का सेतु है। अगर उसने यह जिम्मेदारी परिपक्वता और संतुलन से नहीं निभाई तो संकट आने में देर नहीं लगेगी।

समस्याएं यातायात की लालबत्ती की तरह होती हैं। बत्ती हरी हो तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी प्रकार धैर्य रखकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संकट के समय धैर्य धारण करना आधी लड़ाई जीतने के समान है। मुसीबत कुछ भी हो, उसका सामना करना चाहिए। विपत्ति के समय ये सात गुण बचाते हैं- ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, भीतर का साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। समस्याएं छोटी-मोटी बीमारी की तरह होती हैं, जो आईं और उनका इलाज हुआ और चली गईं। वे परिपक्व करने के लिए भी आती हैं, ताकि बड़ी समस्याओं का समाधान ताकत और धीरज के साथ कर सकें। कुछ समस्याएं लाइलाज होती हैं, पर सूझ-बूझ से उनको पूरी तरह हल न भी कर सकें तो उनकी धार को कम तो किया ही जा सकता है। बहुत-सी समस्याएं हमारे बोलने के सलीके की पैदाइश हैं। समस्याएं सदा नहीं रहतीं, लेकिन वे हमारे अनुभव की किताब पर हस्ताक्षर कर-के चली जाती हैं। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता। वे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी हो जाती हैं।

जैसे बिना चाबी का कोई ताला नहीं बनता, उसी प्रकार बिना समाधान के समस्या नहीं होती। बस धीरज धरकर उसका समाधान करने की जरूरत होती है। जीवन में तीन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। जीवन में समस्याओं से मिलने वाली सीख को नहीं भूलना चाहिए। समस्या का समाधान करें या समस्या को छोड़ दें, लेकिन समस्या के साथ न जिएं। हम अपनी समस्याओं को उस सोच के साथ नहीं सुलझा सकते, जिस सोच के साथ हमने उनका निर्माण किया है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने-आप नीचे बैठ जाती है। परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करने पर हल जरूर निकलेगा। आपत्ति हमें आत्म-ज्ञान कराती है और यह दिखाती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। मुसीबतों से घबराना काम बिगाड़ने जैसा है। संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है। जो हमारे पद, प्रतिष्ठा और पैसे से जुड़े हैं, वे केवल सुख में हमारे साथ खड़े रहेंगे। यकीनन विपत्ति में साथ बिरला ही कोई देता है।

पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, जिसको समस्या न हो और कोई समस्या ऐसी नहीं, जिसका समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। समस्या में खोए रहने के बजाय सकारात्मक सोचने और समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है। कठिन परिस्थितियों से डरने के बजाय धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। घबराने से स्थिति बिगड़ सकती है, जबकि शांत रहने से समस्या का हल निकलता है। हमारी समस्याओं का आकार उतना बड़ा नहीं होता, जितना उनको हल करने की क्षमता। हम समस्याओं को अपनी योग्यता के मुकाबले ज्यादा आंकते हैं। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता। वे हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती हैं।

जब दिमाग कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वही संसार को बदलता है। जवानी में हम मुसीबतों के पीछे भागते हैं और बुढ़ापे में मुसीबतें हमारे पीछे भागती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएंगे तो दुनिया की काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्याएं और कठिन परिस्थितियां वाशिंग मशीन की तरह हैं, जो रगड़ती हैं, झिंझोड़ती हैं, घुमाती हैं और निचोड़ती हैं। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती, जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही न होने दी हो? हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए। युग-युगांतर से जिंदगी ही समस्या है और जिंदगी ही निदान है। अगर मजबूत रहना है तो आपात स्थिति में हमें डावांडोल नहीं होना चाहिए।

दुनिया मेरे आगे

> कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, जिसको समस्या न हो और कोई समस्या ऐसी नहीं, जिसका समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। समस्या में खोए रहने के बजाय सकारात्मक सोचने और समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है।

सुविधा का जोखिम

सन 1971 में जब हर साल पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित करने की अवधारणा ने ठोस आकार लिया, तब से दुनिया ने कैसे आकार लिया है? यह ऐसा सवाल है जिसने हमें पांच दशकों से अधिक समय तक चिंतित रखा है, क्योंकि भविष्य हमारी वर्तमान कार्रवाई या निष्क्रियता पर निर्भर करता है। बड़े पैमाने पर उपयोग के साथ सर्वव्यापी प्लास्टिक आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। एक अध्ययन के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक पशु स्रोतों और पौधे आधारित विकल्पों में लगभग 88 फीसद प्रोटीन में प्रवेश कर चुका है। परेशान करने वाली बात है प्रसंस्कृत भोजन की ओर कदम बढ़ाने की प्रवृत्ति, जो प्रति ग्राम माइक्रोप्लास्टिक बनाने के पीछे मुख्य कारक है। नियम आधारित व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, युद्धों को समाप्त करना, लचीली औद्योगिक नीति अपनाने को मानव लालच पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब तक वर्तमान समस्याओं के कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता, एंथ्रोपोसीन का खतरा मानवता पर मंडराता रहेगा। पचास साल पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए अपनी चेतना जागृत करने की जरूरत है या फिर अपने जोखिम पर बने रहना होगा।

– विजय सिंह अधिकारी, नैनीताल

मुद्दों की जमीन

देश की जनता अब सीधे सवाल पूछ रही है बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, शिक्षा, किसानों के फसलों की कीमत पर। सभी पार्टियों और खासतौर पर सत्ताधारी दल के सामने ये बड़े सवाल हैं। इस बार न भावनाओं पर आधारित मुद्दे काम आ रहे हैं और न ही जुमले। सेना में भर्ती होने या यह सोचने वाले जवान अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे हैं तो केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लोग यह समझने लगे हैं कि अगर किसी पार्टी के घोषणापत्र में एक शब्द भी इन बातों का जिक्र नहीं है, तो उनके बारे में क्या राय बनाना चाहिए। जनता पूछने लगी है कि अच्छे दिन और सबके साथ, सबके विकास के नारों का क्या हुआ। हर संसदीय क्षेत्र में गोद लिए गए पंचायत की सूरत कैसी है! स्मार्ट सिटी के दावों का क्या हुआ... रोजगार के प्रचारित आश्वासन अब किस हालत में हैं और भूमि सुधार के लिए स्वामीनाथन आयोग की रपट क्यों नहीं लागू हुई! कोई जवाब नहीं है किसी के पास। शायद यही वजह है कि जनता सोचती है कि फिर वोट किस बात के लिए!

– प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, पटना

मत का मूल्य

सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को प्रत्याशी मानने और किसी उम्मीदवार के निर्विरोध विजयी घोषित होने पर रोक से संबंधित याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा है कि चुनाव में नोटा को सर्वाधिक वोट मिलने पर क्या परिणाम होगा तथा ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव करवाने के प्रावधान क्यों नहीं हुए? नोटा से कम मत मिलने तथा एकमात्र प्रत्याशी रहने या पर्चा वापस लेने पर बचे प्रत्याशी के चुनाव पर पांच वर्ष तक रोक लगाने की मांग की गई है। इस बार सूरत में एक उम्मीदवार रहने से निर्विरोध होने पर वहां नोटा को वोट देने के प्रचार की छूट दी जानी चाहिए। सन 2013 से नोटा के चालू बटन को निष्क्रिय रखना उचित नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में इस बटन की उपयोगिता सिद्ध करना जरूरी है।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

शक का हल

'शंका का समाधान' (संपादकीय, 27 अप्रैल) पढ़ा। ईवीएम पर सभी दलों की शंकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण विराम लगा दिया है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद चुनावी नतीजों के आधार पर ईवीएम पर दोषारोपण करने को सभी विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया हुआ था। देश विज्ञान और तकनीकी की नई ऊंचाई को छू रहा है, वहीं विपक्षी पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने का राग ही अलाप रहे हैं। चुनाव के उस दौर को शायद ही हम भूल सकते हैं, जब बाहुबलियों और राजनीतिक अपराधियों द्वारा पोलिंग बूथ को लूटकर लोकतंत्र की हत्या की जाती थी। मतदाताओं को डरा-धमकाकर वोट नहीं डालने दिया जाता था। हालांकि ईवीएम पर भ्रम का निवारण होना जरूरी है। इसकी विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना भी आवश्यक है।

– रामबाबू सोनी, कसेरा बाजार, इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

https://t.me/AINewsPaperPdf

www.readwhere.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 66

पोर्टफोलियो को दें विविधता

इस वर्ष यानी 2024 में चांदी में निवेशकों की रुचि काफी बढ़ी है और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) के प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये को पार कर गई। जनवरी से अब तक इस सफेद धातु में करीब 16 फीसदी की तेजी आ चुकी है। परिसंपत्ति के आवंटन में अक्सर चांदी को सोने के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सच यह है कि कई समानताओं के बावजूद दोनों कीमती धातुओं का प्रोफाइल काफी अलग है। सोने की तरह चांदी को भी कुछ हद तक महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता से बचाव का साधन माना जाता है।

सोने की तरह चांदी का व्यापार भी आसान है और नकदी की जरूरत पर इसे तत्काल बेचा भी जा सकता है, लेकिन सोने की बिक्री या उसके बदले ऋण लेने के लिए ज्यादा पारदर्शी कॉरपोरेट तंत्र मौजूद है। इस तरह की व्यवस्था चांदी के लिए उपलब्ध नहीं है। सोने की तरह ही चांदी भी भारत में बड़ी मात्रा में आयात की जाती है और हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े चांदी उपभोक्ताओं में से एक है। चांदी का ज्यादातर आयात पश्चिम एशिया से होता है और इस पर 12 से 15 फीसदी का शुल्क लगता है, यह इस पर निर्भर करता है कि आयात का सटीक मार्ग कौन-सा है। सोने की तरह चांदी का भी अमेरिकी डॉलर से विपरीत संबंध है, क्योंकि इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमतें डॉलर में निर्धारित होती हैं। डॉलर मजबूत होने पर अक्सर चांदी की कीमतों में नरमी का रुख देखा जाता है। लेकिन सोने के विपरीत चांदी का एक गंभीर औद्योगिक प्रोफाइल भी है। सोने के सजावटी गुण के अलावा देखें तो इसका बहुत ही सीमित औद्योगिक या वैज्ञानिक अनुप्रयोग है और ऐसे उद्देश्यों के लिए 15 फीसदी से कम सोने का ही इस्तेमाल होता है। इसके विपरीत सालाना चांदी खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा औद्योगिक जरूरतों के लिए होता है और यह मांग बढ़ते ही जाना है क्योंकि इसका स्वास्थ्य देखभाल और 'हरित' उद्योगों में इस्तेमाल हो रहा है। चांदी के औद्योगिक अनुप्रयोगों में इसकी उच्च चालकता (जो कि बिजली और ताप दोनों के लिए किसी भी तत्त्व में सबसे ज्यादा है), प्रकाश के प्रति इसकी संवेदनशीलता और इसके जीवाणुरोधी गुणों का फायदा उठाया जाता है। सोल्डर, वेल्डिंग और ब्रेजिंग अलॉय में चांदी का इस्तेमाल कच्चेमाल के तौर पर किया जाता है। इसी तरह, बैटरियों और दंत चिकित्सा में भी इसका इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। दवाओं, सौर ऊर्जा, रेडिया फ्रेक्वेंसी पहचानने वाले चिप, सेमीकंडक्टर, सेलफोन टच स्क्रीन, जल शोधन प्रणाली आदि में इस्तेमाल होने की वजह से चांदी की मांग बढ़ती जा रही है।

अकेले सौर ऊर्जा/फोटोवोल्टिक उद्योग द्वारा उत्पन्न मांग 12 फीसदी की वार्षिक दर से बढ़ रही है, जबकि चिप संबंधी चांदी की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह जल शोधन प्रणालियों और अन्य जीवाणुरोधी अनुप्रयोगों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है।

ऐसे कई अनुप्रयोग उन उद्योगों से जुड़े हैं जिनमें काफी मजबूत और दीर्घकालिक वृद्धि होती है। इसलिए निवेशकों को चांदी में निवेश और परिसंपत्ति आवंटन पर विचार करने से पहले इसकी औद्योगिक प्रोफाइल और औद्योगिक उपयोगिता की वजह से मांग में बढ़त की संभावना को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तर्कसंगत रूप से, चांदी को अधिक आकर्षक प्लेटिनम की तरह ही एक औद्योगिक धातु माना जा सकता है, जिसका कई औद्योगिक अनुप्रयोग भी होता है। महंगाई से निपटने की क्षमता की वजह से सोना आर्थिक चक्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई औद्योगिक इस्तेमाल की वजह से चांदी का वृहद अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा जटिल रिश्ता है। सोने की आपूर्ति भी काफी सीमित होती है। वित्तीय सलाहकार अक्सर यह सुझाव देते हैं कि विविधता के लिए परिसंपत्ति आवंटन का एक छोटा हिस्सा सोने में होना चाहिए- किसी व्यक्ति के पोर्टफोलियो का 5 से 10 फीसदी। चांदी को भी पोर्टफोलियो में रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि महंगाई से बचाव में यह भले कम कारगर है, लेकिन इसका औद्योगिक प्रोफाइल भी है। वैसे तो, अल्पकालिक अवधि की बात करें तो चांदी की कीमतों में नरमी आ सकती है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज कटौती में देरी का अनुमान है। लेकिन वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में सुधार से, खासकर ऊपर उल्लिखित उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में, इसमें समझदार निवेशकों की रुचि बनी रहने की संभावना है।

नई सरकार के गठन के बाद की चुनौतियां

चुनाव के बाद चाहे जो भी सरकार बने, उसे कुछ अहम समस्याएं हल करने के लिए काम करना होगा। जनगणना के बाद परिसीमन, महिला कानून और रोजगार की समस्या प्रमुख हैं। बता रहे हैं आर जगन्नाथन

चार जून को लोक सभा चुनाव नतीजों में चाहे जिसकी जीत हो, अगली सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी तरह गठबंधन सरकार बनेगी या एक दल के बहुमत वाली सरकार, इन चुनौतियों से बिना आपसी सहमति के निजात नहीं मिलेगी। बड़ी राजनीतिक-आर्थिक चुनौतियों से केवल संसदीय बहुमत से निजात नहीं पाई जा सकती है।

नई सरकार बनने के एक या दो वर्ष बाद तीन चुनौतियां सामने आएंगी। रोजगार की चुनौती शाश्वत है ही। पहली चुनौती होगी 2021 की जनगणना जिसे कोविड के कारण लगातार टाला गया है। कुछ तबकों को आशंका है कि जनगणना का इस्तेमाल संसदीय परिसीमन के लिए किया जाएगा और इसे भविष्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से जोड़ा जाएगा। इससे भविष्य में लोक सभा सीट और कर हिस्सेदारी को लेकर उत्तर-दक्षिण तनाव बढ़ सकता है।

इसके बाद महिला आरक्षण विधेयक की बारी आती है। उसके क्रियान्वयन के लिए लोक सभा सीट की संख्या में इजाफा करना जरूरी होगा। मोदी सरकार ने कानून पास करते समय इसके क्रियान्वयन को अगले कार्यकाल के लिए टाल कर सही किया। यानी इसे परिसीमन और लोक सभा सीट में इजाफे के बाद लागू किया जाएगा।

अगली जनगणना राजनीतिक दृष्टि से विस्फोटक होगी और उससे सावधानीपूर्वक निपटना होगा। क्रियान्वयन तथा व्यापक असर दोनों ही मामलों में सावधान रहना होगा। यानी कम से कम सरकार को यह घोषणा पहले करनी होगी कि उसके परिणाम एनआरसी के क्रियान्वयन के लिए नहीं इस्तेमाल होंगे। परंतु अगर अल्पसंख्यक इस पर आश्वस्त हों तो जनगणना के नतीजे यह तय करेंगे कि किस राज्य में लोक सभा की कितनी सीट होंगी। अगर अधिक आबादी वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों की सीटों में समुचित इजाफा नहीं हुआ तो यह सही नहीं होगा। दूसरी ओर अगर लोक सभा सीट की संख्या को मौजूदा स्तर पर रोकने का प्रयास किया गया तो इसके लिए भी राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी।

उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का उदाहरण उचित रहेगा। इन दोनों राज्यों की मौजूदा आबादी के मुताबिक 25.7 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में केवल 80 सीट हैं। यह भारत की 141 करोड़ की आबादी का 18 फीसदी और लोक सभा सीटों का 14.7 फीसदी है। तमिलनाडु को देश की 5.। फीसदी आबादी के साथ 7.1 फीसदी लोक सभा सीट मिली हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी के प्रतिनिधित्व को इस तरह सीमित करना एक व्यक्ति एक वोट के विचार से मेल नहीं खाता।

इसके विरुद्ध एक तर्क जो दक्षिण भारत के राजनेताओं द्वारा बार-बार दोहराया गया है वह कहता है कि जिन राज्यों ने आबादी पर बेहतर नियंत्रण पाया उन्हें राजनीतिक रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु क्या यह तर्क सही है। 1960 और 1970 के दशक में जब भारत के लिए अपनी आबादी का पेट भरना भी मुश्किल था तब कोई भी अच्छी जनसंख्या नीति प्रजनन दर कम करके 2.1 फीसदी की प्रतिस्थापन दर पर लाने का प्रयास करती। जब भारत की कुल प्रजनन दर पहले ही 2.1 से कम है और तमिलनाडु की 1.8 या उससे कम है तो हम प्रजनन दर में गिरावट को अच्छे प्रदर्शन का मानक कैसे मानें? अगर आबादी को स्थिर रखने के लिए कुल प्रजनन दर का लक्ष्य राज्यों में प्रजनन की दर को 1.9 से 2.1 के बीच रखना है तो तमिलनाडु का प्रदर्शन कमजोर है, न कि बेहतर। जब आबादी की चुनौती की प्रकृति बदलती है तो प्रदर्शन के मानक भी बदलने चाहिए। ऐसे में यह दावा कि दक्षिण के राज्य जनांकीय आधार पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल तभी सही होगा जब कुछ दशक पहले की बात की जा रही हो। मौजूदा हालात में तो मानक बदलने ही होंगे।

परंतु तमिलनाडु का कोई राजनेता, यहां तक कि वहां भारतीय जनता पार्टी के राजनेता भी इस दलील को बिना राजनीतिक कीमत चुकाए नहीं स्वीकार सकेगा। ऐसे में इस परिस्थिति से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता एक राजनीतिक समझौता है जहां सभी राज्यों को अधिक सीट मिलें लेकिन कम आबादी वाले राज्यों को उनके मौजूदा अनुपात से कम सीटें मिलें। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों को उचित से कम खबरें मिल रही हैं।

यही बात महिला आरक्षण कानून पर भी लागू होती है। अगर मौजूदा सांसदों में से एक तिहाई को महिलाओं के लिए जगह खाली करनी पड़ी तो सभी दलों, खासकर भाजपा में भारी विरोध होगा। परंतु अगर सभी सीटों में 50 फीसदी का इजाफा किया जाता है, यानी मान लिया कि उन्हें 543 से बढ़ाकर 800 किया जाता है तो ये मुद्दे गायब हो जाएंगे। कुल सीटों को बढ़ाकर 800 करने से उत्तर-दक्षिण तनाव कम होगा क्योंकि सभी राज्यों में सांसद बढ़ेंगे। कुछ में ज्यादा तो कुछ में कम। एक सांसद वाले छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह सांसद बढ़ेंगे। एक अन्य विकल्प है लोक सभा में सीट गंवाने वाले राज्यों को राज्य सभा में कुछ अतिरिक्त सीट प्रदान करना। परिसीमन और महिला आरक्षण की समस्या को ऐसे ही समझौतों से हल किया जा सकता है।

अंतिम और सबसे अहम चुनौती रोजगार की है। सच यह है कि तकनीक एक नई चुनौती के रूप में सामने आई है। दिक्कत रोजगार की नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता की है। तकनीक मध्यम स्तर को नुकसान पहुंचाता है जबकि फिलहाल इसी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार हैं। तकनीक रोजगार बाजार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के असर डालती है। शीर्ष स्तर पर उच्च कौशल वाले रोजगार की भारी मांग है। निचले स्तर पर चूंकि टेक कंपनियां अधिकांश कामों को सरल बनाती हैं इसलिए वहां कम कुशल या अकुशल लोगों के लिए काफी अवसर होते हैं। इसके लिए जरूरी कौशल मामूली समय और पैसे से हासिल की जा सकती है। परंतु कम कुशल श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ने से वेतन पर दबाव पैदा होता है। जबकि बैंक, विनिर्माण, दूरसंचार, टेक कोडिंग आदि ऐसे रोजगार हैं जो मजबूत मध्य वर्ग बनाते हैं। तकनीक आय को उच्च और निम्न वर्ग में बांटती है जबकि मध्य वर्ग खतरे में नजर आता है।

इस चुनौती का जवाब केवल कौशल बढ़ाना नहीं बल्कि क्षेत्र विशेष के मुताबिक कौशल हासिल करना है। इसका अर्थ है रोजगार पर बात करते हुए जिला या नगरपालिका जैसे क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य ही नहीं बल्कि स्थानीय निकायों को भी अधिकार संपन्न होना चाहिए। मुंबई महानगर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले रोजगारों और मराठवाड़ा या मिजोरम के रोजगार एक समान नहीं हो सकते।

चुनाव चाहे जो जीते, इन मुद्दों को केवल संसद में बहुमत की मदद से नहीं हल किया जा सकता है। इसके लिए सभी हितधारकों के बीच व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मोदी बहुमत से चुनाव जीतकर आएं या कमजोर गठबंधन का नेतृत्व करें, यह एक बड़ा काम होगा जो करना होगा।

(लेखक स्वराज्य पत्रिका के संपादकीय निदेशक हैं)

दुनिया और चुनाव के बारे में युवाओं की सोच

पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के कम पंजीकरण को लेकर चिंता जताई जा रही है और इस पर काफी टिप्पणियां भी की जा रही हैं। इसकी वजह इनमें छाई उदासीनता, निराशावाद की भावना और लॉजिस्टिक कठिनाइयां जैसे संभावित कारण हैं। इस स्तंभ में हाल में देश के युवाओं पर कराए गए शोध के कुछ निष्कर्षों को साझा किया जाएगा जो इस तथ्य पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। 'ड्राइवर्स ऑफ डेस्टिनी' नाम का यह अध्ययन 18-21 साल के युवाओं पर आधारित था जो अभी हाल में कार्यबल में प्रवेश कर चुके हैं या जल्द ही प्रवेश करेंगे और साथ ही यह अध्ययन उन 22-30 वर्ष के युवाओं पर भी किया गया जो जल्द ही निर्णायक उम्र वर्ग में प्रवेश करेंगे।

इस सर्वेक्षण में अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुंबई, बेंगलूरु, चेन्नई, कोयंबत्तूर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, जमशेदपुर, लखनऊ और दिल्ली के बड़े और छोटे शहरों के युवा शामिल हुए। इस सर्वेक्षण के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने कुछ वर्षों तक कॉलेज की शिक्षा पाई है (इनमें पढ़ाई छोड़ने वाले और सभी ग्रेड वाले कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं)।

इनमें से कई अपने परिवार में पहली बार कॉलेज गए और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, खासतौर पर अगर भारत में शिक्षित आबादी का आंकड़ा देखा जाए। इनके बारे में विचार करते हुए (जो नमूना डिजाइन का आधार था) यह कहना उपयुक्त होगा कि वे सामूहिक या मध्यवर्गीय युवा भारत के अग्रणी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे भविष्य के भारत के केंद्र में रहने वाले हैं।

यह अध्ययन वास्तव में मतदान व्यवहार के बारे में नहीं बल्कि यह शोध उन युवकों और युवतियों की समग्र और जन-स्तरीय समझ के बारे में जानने से जुड़ा था जो कम से कम अगली आधी शताब्दी तक भारत को ताकत देंगे। ऐसे में उनकी आंतरिक दुनिया को समझना और उनके नजरिये से यह देखना जरूरी था कि वे अपने नजरिये से बाहर की जटिल दुनिया को कैसे समझते हैं।

मात्रात्मक सर्वेक्षणों ने इतने जटिल और बहुस्तरीय विषय पर सीमित जानकारी दी है। ऐसे में इस समूह की बात को सुनने-समझने के लिए शोध के एक तरीके एथनोग्राफी दृष्टिकोण को अपनाया गया जिसके तहत उनके माहौल में रहते हुए ही उनके विचार, समझ को समझने की कोशिश की जाती है। मैंने इस शोध के लिए हामी भरी जिसका नेतृत्व आईआईटी मद्रास में मानव विज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ मातंगी कृष्णामूर्ति ने किया था और उनके साथ युवा शोधकर्ताओं की एक टीम थी।

रमा बीजापुरकर

सबसे पहले, इस समूह से जुड़ी जनसांख्यिकीय वास्तविकता पर नजर डालते हैं। उम्मीद के मुताबिक ही इनमें से अधिकांश युवाओं का संबंध मामूली आय वाले घरों से हैं और इनकी शिक्षा की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि इस बात को अक्सर स्वीकार भी नहीं किया जाता है। इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले और उत्तर देने वाले 70 प्रतिशत शहरी और 58 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र के युवा अभी छात्र हैं और केवल 5-8 प्रतिशत शहरी/ग्रामीण लोगों का कहना है कि वे बेरोजगार हैं (कैंटर के 2023 के टीजीआई डेटा के मुताबिक)। रोजगार की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों में 22-30 साल के लोग हैं और इनमें से 53 फीसदी शहरी और 73 फीसदी ग्रामीण लोग विवाहित हैं और केवल 8-13 फीसदी अब भी छात्र हैं। एथनोग्राफी अध्ययन के निष्कर्ष से यह अंदाजा मिलता है कि 18-21 साल के भारतीयों के लिए राजनीति कोई खास मायने नहीं रखती। इनमें से अधिकांश लोग राजनीति के बारे में नहीं पढ़ते हैं और न ही खुद को एक राजनीतिक आवाज के रूप में देखते हैं। वे 'अपने वोट' और 'सरकार' के बीच संबंध जोड़ने में भी सक्षम नहीं हैं। दरअसल इसे वे एक ऐसी संस्था के रूप में देखते हैं जो काम करती है और उपयोगी है। इनमें से कई लोग एक सरकारी नौकरी चाहते हैं। वे राजनीतिक आंदोलनों में ज्यादा दांव नहीं लगाना चाहते हैं और इनकी मतदान में भी दिलचस्पी नहीं है। जाहिर है आज के कॉलेज अब राजनीति का शुरुआती अखाड़ा भी नहीं रह पाए हैं जहां पहले छात्र नेता उभरते थे और भविष्य के नेता के तौर पर अपने कौशल की आजमाइश करते थे।

हालांकि, वे सामाजिक मुद्दों से बहुत वाकिफ हैं और उन्हें चंद्रयान और इससे जुड़े अभियान, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, सामाजिक और सांप्रदायिक झड़पों, दुनिया के देशों के बीच संघर्षों आदि के बारे में जानकारी है और ऐसी ज्यादातर जानकारी उन्हें सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से मिली है।

वे राजनीति को सामाजिक मुद्दों और सामाजिक परिवर्तन के साधन के तौर पर देखते हैं लेकिन सामाजिक मुद्दों के साथ उनका गहरा जुड़ाव उनके व्यक्तिगत नजरिये और उनके अपने तात्कालिक संदर्भ के माध्यम से होता है जैसे कि 'मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं / मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरे लिए एक बेहतर जगह बनने के लिए बदले।'

राष्ट्र' के बारे में उनका विचार अस्पष्ट रूप से वैचारिक और संस्थागत है जिसे मजबूत करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से यह एक सामाजिक, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक इकाई है जो उनका घर के माफिक है और उनका मानना है कि यह निश्चित रूप से पूर्ण नहीं है। वे बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं लेकिन उनका यह घर और धीरे-धीरे बेहतर होगा। वे दुनिया में भारत के बढ़ते महत्व से वाकिफ हैं और इसे एक बड़े सकारात्मक बदलाव के रूप में देखते हैं।

उनके कई सपने हैं और वे सभी विशिष्ट भौतिक चीजों से जुड़ी हैं जिसे वे अपने और अपने समुदाय के साथ ही जिन्हें वे अपना मानते हैं, उनके लिए भी चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा वे अपनी जिंदगी में खुशी, आनंद, समूह का साथ, शांति-सुकून और पारिवारिक समर्थन भी चाहते हैं। उनका मानना है कि माता-पिता सहायक होते हैं, लेकिन समर्थन देने की उनकी एक सीमित क्षमता है ऐसे में एक विश्वसनीय सहकर्मी समुदाय का समर्थन काफी महत्त्वपूर्ण होता है। हालांकि वे इसे हासिल करने में काफी संघर्ष करते हैं क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध नहीं है। वे अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन वे इसके साथ ही जीवन की स्थिरता और उसकी जड़ें जमीनी स्तर पर जोड़े रखना भी चाहते हैं। उन्हें महानगर की स्वच्छंदता और गुमनामी से भी कोई गुरेज नहीं है लेकिन वे इसके साथ ही छोटे शहर वाले समुदाय की भावना भी चाहते हैं।

इसके दूसरे पहलू की तरफ देखें तो इस युवा वर्ग के समूह को अव्यवस्था, अनिश्चितता और अति उत्साहित होने के साथ ही चिंतित होने जैसे शब्दों के माध्यम से बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकता है और वे दूर की सोचने के बजाय आज में जीने को तरजीह देते हैं।

कई तरह की जानकारी, सोशल मीडिया और तेजी से बदल रही दुनिया को देखकर वे काफी उत्साहित भी हैं और उन पर उनके आसपास के बदलावों का असर भी है और वे इन बदलावों का सामना करने को लेकर चिंतित भी हैं। उनका ध्यान किसी भी चीज पर बहुत कम समय के लिए केंद्रित होता है और वे लगातार मानसिक उथलपुथल से गुजर रहे होते हैं। शायद इसकी वजह बड़े संस्थानों और उनके अनुमान के हिसाब से चलने वाले जीवन का अभाव हो सकता है। भारत की यह पीढ़ी पहले की किसी भी पीढ़ी की तुलना में इन चीजों से काफी वंचित है।

समाजशास्त्री वास्तव में साधन और संरचना की अवधारणाओं के संदर्भ में सोचते हैं जिन्हें क्रमशः अपने आसपास के माहौल को बदलने या अपने हिसाब से फैसले लेने की क्षमता के तौर पर परिभाषित किया जाता है और संरचना की अवधारणा का संबंध ऐसी स्थितियों और उन चीजों से है जो हमारे आसपास विकल्पों और मौके को सीमित करती हैं या उपलब्ध कार्यों की सीमा परिभाषित करती हैं।

युवा भारत माहौल में बदलाव लाने के लिहाज से उत्साहजनक रूप से मजबूत है और यह लगातार यह सोच रहा है कि अब आगे और क्या करना है। इनके पास कई योजनाएं हैं लेकिन दुर्भाग्य से इनका सामना कठिन संरचना से होता है। कुछ इस विपरीत परिस्थिति में भी बने रहते हैं और जबकि कई अन्य हार मान लेते हैं और निराश हो जाते हैं वहीं कुछ इस संरचना को बेहतर बनाने के लिए काम करने का फैसला लेते हैं।

(लेखिका ग्राहकों से जुड़ी व्यापार रणनीति के क्षेत्र में कारोबार सलाहकार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

दिव्यांग जनों के प्रति नरमी बरते चुनाव आयोग

चुनाव आयोग का निर्देश है कि दिव्यांग मतदाताओं के पास अपंगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है अन्यथा वे घर से मतदान की सुविधा से वंचित रह जाएंगे। एक तरफ चुनाव आयोग मतदान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है लेकिन साथ ही प्रमाण पत्र की बाध्यता भी लगाता है जिससे वे घर से मतदान में भागीदारी से चूक सकते हैं क्योंकि कई दिव्यांग मतदाता ऐसे हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। बाद वाले दौर के लिए घर से मतदान की सुविधा के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 12 मई है। निर्वाचन आयोग और भारत सरकार को इस समस्या का तुरंत हल निकालना चाहिए और पंचायत स्तर पर मेडिकल बोर्ड की मोबाइल टीमें गठित करनी चाहिए ताकि दिव्यांग मतदाताओं का समय रहते अपंगता का प्रमाण पत्र बन सके और उन्हें घर पर मतदान की सुविधा मिल सके। एक तरफ बूथ और जिला स्तर पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजों में चुनाव आयोग कार्यक्रम चला रहा है तो दूसरी तरफ प्रमाण पत्र की बाध्यता लगा दी है जिससे मतदान का प्रतिशत भी प्रभावित होगा। जो मतदाता आने जाने की स्थिति में नहीं हैं, वे भला अपना प्रमाण पत्र कैसे बनवा पाएंगे। चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि फॉर्म 12 डी के साथ अपंगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इस नियम के कारण असहाय मतदाता इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे और लोकतंत्र के महोत्सव में उनकी उपस्थिति शून्य होगी।

शेर सिंह, लाहौल-स्पीति

मालदा में मतदान कर्मियों ने गुरुवार को वृद्ध, बीमार तथा दिव्यांग जनों के घर जाकर मतदान कराया

कोविड टीके से डरें नहीं, जागरूकता जरूरी

वैश्विक महामारी कोरोना ने सारी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। अमेरिका, जर्मनी और अन्य बड़े-बड़े देश भी इस महामारी से दहशत में आ गए थे और पूरी दुनिया में इससे बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। उस दहशत भरे माहौल में दुनिया कह रही थी कि जल्द से जल्द इससे निपटने के लिए कोई दवा तैयार होनी चाहिए। इसके लिए कई देशों ने प्रयास भी किए, बहुत से प्रयोग किए और वैज्ञानिकों ने इसका टीका तैयार कर लिया। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने टीका तैयार किया और इसे दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाया ताकि दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना को हरा सके। लेकिन अब यह टीका फिर से सुर्खियों में है। कारण कि ब्रिटेन के एक नागरिक ने अपने यहां मामला दर्ज कराते हुए कहा है कि उसको इससे साइड इफेक्ट हुए हैं। उसने इसके लिए मुआवजे की मांग की है। मामला सामने आने से दुनिया भर में इस टीके को लेकर चर्चा हो रही है। कंपनी ने माना है कि टीके के मामूली से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ, जाने माने डॉक्टर और चिकित्सा क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ भी यह कह रहे हैं कि टीके की इस खबर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को इसके साइड इफेक्ट नजर आते हैं तो वह डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। डब्ल्यूएचओ को इस मामले के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग टीके को लेकर चिंतित न हों।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

अमेरिकी पुलिस ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजलिस (यूसीएलए) परिसर में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के शिविर से गुरुवार को बैरिकेड हटा दिए और अब उनके तंबुओं को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से करीब 24 घंटे पहले, परिसर में फिलिस्तीन समर्थक और इजरायल समर्थक प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच झड़प हुई थी।

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • शुक्रवार • 3 मई • 2024

www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए।

-कन्फ्यूशियस

मुस्तैदी है जरूरी

दिल्ली-एनसीआर के 130 से ज्यादा स्कूलों को ई-मेल द्वारा बम से उड़ाने की धमकी के बाद छात्रों और अभिभावकों में दहशत फैल गई। यह मेल बुधवार को तड़के स्कूलों की ऑफिशियल आई-डी पर प्राप्त हुआ। पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वॉड, स्पेशल यूनिट्स, स्निफर डॉग्स समेत फायर ब्रिगेड जांच में जुट गईं। इससे दिल्ली समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। पुलिस के अनुसार यह ई-मेल रूस के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया जिसका इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर किया जा सकता है। हालांकि जिस डिवाइस से इसे भेजा गया है, उसका आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस

का पता लगाया जा सकता है। अरबी शब्द सवारीइम जिसका हिन्दी अर्थ है तलवारें टकराना, की आई-डी से इसे आईएस (इस्लामिक स्टेट) द्वारा प्रयोग किए जाने की आशंका है क्योंकि 2014 से इसे वही प्रयोग कर रहा है। पहले भी कई दफा आतंकवादियों ने विभिन्न देशों में स्कूलों को निशाना बना कर दहशतगर्दी फैलाई है। इसलिए यह धमकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी खासकर इस वक्त जब देश में चुनाव का माहौल है। इस माहौल में मौकापरस्त दहशतगर्द कोई भी खौफनाक कदम उठा सकते हैं। इस मौके पर सुरक्षा एजंसियों और जिम्मेदार अधिकारियों की व्यस्तता समझी जा सकती है। ऐसे में देश भर के स्कूलों को सुरक्षा दायरे में रखना मुश्किल है। शिक्षण संस्थानों को भी इसके लिए मुस्तैद किया जाना जरूरी है। वे परिसर के भीतर आने वाले हर शख्स के साथ एहतियात बरतें। अभिभावक अपने बच्चों को बहुत भरोसे के साथ पढ़ने भेजते हैं। ऐसी धमकियां उनको न सिर्फ भयभीत करती हैं बल्कि वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय तक विचलित भी रह सकते हैं। आरोप निराधार नहीं कहा जा सकता कि सरकार या सरकारी तंत्र अपनी सुरक्षा को लेकर जितने मुस्तैद रहते हैं, छात्रों के प्रति उतनी ही लापरवाही बरती जाती है। अपने खास मकसद के लिए समाज में खौफ फैलाने वालों को रोका जाना जटिल काम है। मगर सतर्कता बरतने में कोई भी संकोच न हो। बच्चों को विशेष तौर से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे संदिग्धों और लावारिस चीजों को देखते ही सतर्क हो सकें। राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को भी ज्यादा मुस्तैद हो जाना चाहिए।

साइड इफेक्ट की जांच करें

कोविशील्ड टीके के कुछ दुष्प्रभाव हैं, जो जानलेवा हो सकते हैं। टीका बनाने वाली कंपनी एस्टाजेनेका ऑक्सफोर्ड ने ब्रिटेन की एक अदालत में कबूल किया है। इस टीके को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। कंपनी ने माना कि टीके से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं, और प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। ऐसा टीकाकरण के चार से 42 दिनों के अंदर ही होता है। इसे थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) कहते हैं। इसे किसी टीके का एक लाजिम साइड इफेक्ट मानें तो भी यह बात लोगों से क्यों छिपाई गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय नियामक संस्था-आईसीएमआर-ने भी कोविशील्ड टीके को निरापद कहा था। इसके बावजूद

लोगों में टीके को लेकर हिचक थी। शंका थी कि जैसी जल्दबाजी में यह विकसित किया गया है, उसमें अनुसंधान-परीक्षण के सभी मानकों के पूरा होने की संभावना कम है। कोरोना गुजरने के बाद जब ब्रेन हेमरेज और अचानक हार्ट अटैक के केस सामने आने लगे तो इन्हें कोविड का अपरिहार्य पश्च-दुष्प्रभाव माना गया। बड़ी विभीषिकाएं युगों तक अपना असर डालती हैं। कोविड ऐसी ही आपदा थी। लेकिन इसमें नरेन्द्र मोदी सरकार कठघरे में है। आरोप है कि सरकार ने दो खेपों में कंपनी से 50 करोड़ के चंदे की एवज में टीके के मनमाना दाम तय कर कंपनी को अकूत धन कमाने का मौका दिया। उसके टीके जानलेवा बने हुए हैं। हालांकि विशेषज्ञ कोविशील्ड के टीके को हार्ट अटैक की एकमात्र वजह नहीं मानते। वे करोना काल के दुसह्य वातावरण, घरों में थमे-सिमटे लोगों की निष्क्रिय जीवनचर्या, अनियमित खानपान और आसामान्य जीवन-शैली को हार्टअटैक से हो रही मौत का कारक करार देते हैं। फिर भी, ऐसी मौत लाख में एक-दो हुई हैं। कोविशील्ड मौत का टीका होता तो आज मरने वाले हजारों होते। डब्ल्यूएचओ का दावा है कि भारत में कोविड से 47 लाख लोग मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ों पर उंगली उठाता है। दूसरी तरफ, वे करोड़ों लोग भी हैं, जो कोविशील्ड टीकों को अपनी जिंदगी की नेमत मानते हैं। फिर भी, भारत में ऐसे मामलों की इस गहनता के साथ जांच हो, जिसमें टीके का साइड इफेक्ट साबित हो और जांच के आधार पर उसकी काट निकाली जाए।

कैंसर/अमित बैजनाथ गर्ग

दूसरा सबसे ज्यादा मौत का कारण

गैर-संचारी रोग यानी एनसीडीज के तहत आने वाले कैंसर को लेकर लैंसेट कमीशन की ओर से हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, और 2040 तक हर साल इससे 10 लाख महिलाओं की मौत होने का खतरा है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2020 में दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के 23 लाख मामले सामने आए थे, जो 2040 तक बढ़कर 30 लाख से अधिक हो सकते हैं।

असल में कैंसर की बीमारी से दुनिया भर में होने वाली मौतें दूसरे स्थान पर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में हैं। साल 2022 में दुनिया में 1.93 करोड़ नये कैंसर मरीज सामने आए, जिनमें 14 लाख से अधिक भारतीय हैं। इतना ही नहीं, भारत में सालाना बढ़ते कैंसर के मामलों के चलते 2040 तक इनकी संख्या में 57.5 फीसद तक की बढ़ोतरी होने की आशंका है। आखिर, कैंसर से कैसे बचा जाए? कैंसर से बचने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना कर और जोखिम कारकों को कम करके कैंसर से बचाव कर सकते हैं। इनमें शराब के सेवन से बचें, धूम्रपान से बचें, फाइबरयुक्त आहार का सेवन करें, ज्यादा फैट (वसा) लेने से बचें, नियमित रूप से सभी वैक्सीन लें, तनाव से बचें, बीएमआई चेक कराते रहें और हर हाल में हेल्दी जीवन-शैली को अपनाएं। वहीं, थेरेपी में आ रहे सुधारों की वजह से बचपन में होने वाले कैंसर के बाद जिंदा रहने वालों की दर में बढ़ोतरी हुई है, जो अमेरिका में अब औसतन 80 प्रतिशत से ज्यादा है।

वैज्ञानिक कैंसर की आनुवंशिक वजहों और कोशिकाओं के खास लक्षणों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश में जुटे हैं। ये खोजें कैंसर के निदान और उसके उपचार को बेहतर बनाएंगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शरीर में असामान्य रूप से कोशिकाओं का लगातार बढ़ना कैंसर का रूप धारण करता है। अचानक वजन बढ़ना या घटना, त्वचा के रंग में परिवर्तन, गांठ आदि कैंसर के कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जिनका संकेत मिलते ही तत्काल डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपना कर कैंसर के जोखिम से बचा जा सकता है, और स्वस्थ रहा जा सकता है।

कुंद हो गई हमारी सोच

सोशल मीडिया

अखिलेश आर्येन्दु

भारत का आम चुनाव हो या अमेरिका का, सोशल मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव प्रचार का तरीका बदलने की वजह से चुनाव प्रचार सोशल मीडिया के जरिए बहुत कम खर्च में हो जाता है, लेकिन इसी मीडिया के जरिए विवाद, झगड़े-फसाद और लोगों को गुमराह करने का काम भी खूब हो रहा है जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है।

युवा वर्ग पर सोशल मीडिया का ज्यादा असर हो रहा है, इसलिए इस पर नियंत्रण की बात भी कही जा रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी अपनी बेबाक बात कहने, अपनी जरूरत की चीजों को जानने-समझने और किसी बात का समर्थन या विरोध करने का अवसर दिया है। आकड़ों के मुताबिक वर्तमान में भारत में 447 मिलियन से ज्यादा लोग सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले हैं। इसका जहां समाज पर सकारात्मक असर पड़ा है वहीं नकारात्मक असर की वजह से तमाम तरह की समस्याएं, बीमारियां, तनाव, हिंसा और झगड़े-फसाद भी बढ़े हैं। सर्वाधिक नकारात्मक असर युवा वर्ग पर पड़ रहा है। समय की बर्बादी, नकारात्मक बर्ताव, नकारात्मक सोच, रूढ़ियों और गंदी प्रवृत्तियों को बढ़ावा लगातार बढ़ावा मिल रहा है। गुलामी किस तरह व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, धन और सोच को बदली है आधुनिक तकनीक का चमत्कारी यंत्र मोबाइल की गुलामी से समझा जा सकता है।

अपने और अपनों से दूरियां बढ़ाने में मोबाइल का असर इस कदर हुआ कि सामान्य व्यवहार, पढ़ने-पढ़ाने की आदत, सुनने-सुनाने का वक्त, सहजता जैसी जिंदगी की महत्त्वपूर्ण कवायदें भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गायब हो चुकी हैं। सोशल मीडिया सर्वेक्षण के आंकड़े बयां करते हैं कि पिछले दो दशक में सामाजिक सद्भावना में कमी आई है, अपसंस्कृति का लगातार विस्तार हुआ है, और मानव मूल्यों के प्रति लगाव कम हुआ है। पारिवारिक समरता, सामाजिक सदभावना और आपसी विश्वास में भी कमी आई है। यही वजह है परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों का बाजारीकरण हुआ जिससे बड़े-बुजुर्गों के प्रति बर्ताव और सद्भाव में कमी आई है। आंकड़े बयां करते हैं कि 2018-19 में फेसबुक, ट्वीटर समेत कई साइटों पर 3,245 आपत्तिजनक सामग्रियां मिलने की शिकायत की गई थीं, जिनमें से 2,662 सामग्रियों को हटा दिया गया था। इन सामग्रियों में ज्यादातर वे थीं जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थीं। तब से पिछले

पांच वर्षों में हजारों और आपत्तिजनक सामग्रियां सोशल मीडिया की साइटों पर डाली गईं, इसका प्रमाण है यूनेस्को की वह रिपोर्ट जो सोशल मीडिया के असर का बयां करती है।

सोशल मीडिया के जरिए किस तरह के अंधविश्वासों, पाखंडों, बुराइयों, नकारात्मक सोच को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, इसकी जानकारी यूनेस्को की रिपोर्ट के जरिए देखी-समझी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया से लैंगिक रूढ़ियां और दकियानूसी सोच को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। खासकर लड़कियों की मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक असर हो रहा है। 'प्रौद्योगिकी अपनी शर्तों पर' नाम की रिपोर्ट यूनेस्को ने 25 अप्रैल को जारी की है। इतने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर जो सामग्री परोसी जाती है, वह मल्टीमीडिया के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन इससे यौन सामग्री से लेकर ऐसे वीडियो की जद में आने का खतरा है, जिनमें अनुचित बर्ताव या शारीरिक सुंदरता के अवास्तविक मानकों का महिमामंडन किया गया हो। इससे लड़कियों के लिए मानसिक तनाव बढ़ सकता है, उनके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। सोशल मीडिया पर जिस तरह लड़कियों के लिए नकारात्मक दिकयानूसी छवियों को गढ़ा जाता है, वह उन्हें विज्ञान, टैक्नॉलजी, अभियंत्रिकी और गणित विषयों में पढ़ाई से दूर ले जा सकती है। तस्वीर-आधारित यौन सामग्री, एआई से तैयार झूठी तस्वीरों व वीडियो (डीपफेक) के ऑनलाइन और कक्षाओं में शेयर किए जाने से हालात और जटिल हो रहे हैं।

रिपोर्ट में इसके बचाव पर जोर देते हुए बताया गया है कि शिक्षा में और ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए। खासतौर पर मीडिया और सूचना साक्षरता पर। डिजिटल प्लेटफार्म, यूनेस्को के शिक्षानिर्देशों के अनुरूप स्मार्ट ढंग से इनका नियमन भी किया जाना चाहिए। आम आदमी सोशल मीडिया का उपयोग बड़े पैमाने पर करके खुद को संतुष्टि पा रहा है परंतु हकीकत महज इतनी ही नहीं है। कहने को तो रेलवे-टिकटिंग, लाइफ इंश्योरेंस, ई-कॉमर्स, ई-टिकटिंग और ई-गवर्नेंस जैसी सुलभता सोशल मीडिया का उपहार हैं, लेकिन दूसरी तरफ अश्लीलता, हिंसा, ठगी, क्रूरता और भ्रष्टाचार के नये चेहरे भी आए। इससे नई पीढ़ी को बहुत संकुचित और स्वार्थी बना दिया है। यदि हम जीवन, परिवार और समाज की बेहतरी के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें तो अनेक लाभ घर बैठे भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल के कारण सोशल एंग्जाइटी जैसी समस्या से युवा ग्रस्त हो रहा है।

लड़कियों के शारीरिक और मानसिक क्षमता पर बुरा असर सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल के कारण देखा जा रहा है। धन, समय, सहजता, चिंतन और चिंता की समस्या सोशल मीडिया ने कृत्रिम ढंग से पैदा की है। अभिभावकों के लिए यह नई समस्या है। आतंकवाद, सांप्रदायिकता, नफरत, हिंसा, नई बीमारियों के चपेट में आने का डर, मांसाहार, शराबखोरी, धुम्रपान और अन्य अनेक समस्याएं सोशल मीडिया के कारण तेजी से बढ़ी हैं। इसलिए सोशल मीडिया के अच्छे-बुरे इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए वरना इससे जीवन का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के नाम होने का खतरा मडराता रहेगा और जिंदगी जीने का मायने ही कहीं सोशल मीडिया के नाम न हो जाएं। मानव मूल्यों के खत्म होने और इंसान का वस्तु या यंत्र के रूप में तब्दील होने का खतरा आसन्न दिखाई दे रहा है। एक संतुलित जीवन, परिवार, समाज, संस्कृति और देश के लिए सोशल मीडिया के दोनों पक्षों पर हमें खुले मन से विचार करना चाहिए। यदि कानून बनाना पड़े तो भी कानून बना कर गिरते जीवन मूल्यों को रोकने की कोशिश भी करनी होगी।

> युवा वर्ग पर सोशल मीडिया का ज्यादा असर हो रहा है, इसलिए इस पर नियंत्रण की बात भी कही जा रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी अपनी बेबाक बात कहने, अपनी जरूरत की चीजों को जानने-समझने और किसी बात का समर्थन या विरोध करने का अवसर दिया है। आकड़ों के मुताबिक वर्तमान में भारत में 447 मिलियन से लोग ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले हैं

हर दस में से 8 भारतीय प्लास्टिक उत्पादन में कमी लाने के पक्ष में

- दस में से 8 भारतीय प्लास्टिक उत्पादन में कमी लाने के समर्थन में हैं। उनका मानना है कि जैव-विविधता को बचाने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है
- ग्रीनपीस इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 90 फीसद भारतीय प्लास्टिक के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के प्रति बेहद चिंतित हैं
- यह रिपोर्ट एक सर्वेक्षण के नतीजों को लेकर जारी की गई है, जिसका मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक के कम इस्तेमाल की बाबत लोगों की संजीदगी का पता लगाना था

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि संपत्ति का पुनर्वितरण 'अर्बन नक्सल' विचार है। इस तर्क से तो सैद्धांतिक रूप से यूरोप 'अर्बन नक्सल' द्वारा शासित है। पूंजीवादी अमेरिका में अनेक राज्य हैं, जो 'अर्बन नक्सल' जैसा काम कर रहे हैं। संपत्ति का समान पुनर्वितरण विश्व भर में सर्वाधिक चर्चा में है।

एमके वेणु, पत्रकार
@mkvenu1

प्रेस स्वतंत्रता दिवस **योगेश कु. गोयल**

बनी रहे कलम की धार

प्रति वर्ष तीन मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है। भारत में प्रेस को सदैव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी जाती रही है क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती में इसकी बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रेस की स्वतंत्रता को अहम माना गया है लेकिन विडम्बना यह है कि विगत कुछ वर्षों से यहां भी प्रेस स्वतंत्रता के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है।

प्रेस की सजगता के कारण न केवल भारत, बल्कि अनेक देशों में भी पिछले कुछ दशकों के भीतर बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो सका जिसके चलते बड़े-बड़े उद्योगपतियों, नेताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आना पड़ा। यही कारण है कि समय-समय पर कलमरूपी इस हथियार को भोथरा बनाने या तोड़ने के कुचक्र होते रहे हैं। विभिन्न अवसरों पर न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर में सच की कीमत कुछ पत्रकारों को जान देकर भी चुकानी पड़ती है। तीन दिसम्बर, 1950 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपने संबोधन में कहा था, 'मैं प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की बजाय उसकी स्वतंत्रता के बेजा इस्तेमाल के तमाम खतरों के बावजूद पूरी तरह स्वतंत्र प्रेस रखना चाहूंगा क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता नारा भर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है।' पिछले दशकों में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में स्थितियां काफी बदल गई हैं। आज दुनिया भर में पत्रकारों पर राजनीतिक, आपराधिक और आतंकी समूहों का सर्वाधिक खतरा है। भारत भी इस मामले में अछूता नहीं है। विडम्बना है कि दुनिया भर के न्यूज रूम्स में सरकारी तथा निजी समूहों के कारण भय और तनाव में वृद्धि हुई है। पेरिस स्थित 'रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स' (आरएसएफ) अथवा 'रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स' नामक संस्था द्वारा हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, वे चौंकाने वाले होते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि कुछ देश इस रिपोर्ट में जारी आंकड़ों को पूर्वाग्रह से प्रेरित बताकर खारिज भी करते रहे हैं। 'रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स' गैर-लाभकारी संगठन है, जो विश्व भर के पत्रकारों पर हमलों का दस्तावेजीकरण करने और हमलों का मुकाबला करने के लिए कार्यरत है। साथ ही, प्रति वर्ष 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' अर्थात 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' नाम से रिपोर्ट पेश करता है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2023 के मुताबिक भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर पहुंच गया है जबकि 2022 में 150वें पायदान पर था। रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत जहां 2023 में 2022 के मुकाबले 11 पायदान नीचे गिरा, वहीं 2022 में भी 2021 की रैंकिंग के मुकाबले 8 स्थान नीचे फिसला था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2023 की सूची में शीर्ष दस देशों में नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पुर्तगाल तथा ईस्ट तिमोर शामिल हैं जबकि प्रेस स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब स्थिति वाले देशों में 171वें पायदान से 180वें पायदान पर क्रमशः बहरीन, क्यूबा, म्यांमार, इरीट्रिया, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, वियतनाम, चीन तथा उत्तर कोरिया रहे।

भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे सफल और बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहीं नार्वे जैसा छोटा-सा देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में लगातार शीर्ष स्थान पर विराजमान है तो यह स्थिति भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए सही स्थिति नहीं है। प्रेस की आजादी के मामले में भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश तक हमसे आगे हैं तो गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है कि हम इस मामले में वर्ष दर वर्ष क्यों फिसल रहे हैं? प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में यह गिरावट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आने का सीधा और स्पष्ट संकेत यही है कि लोकतंत्र की मूल भावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार निहित है, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है।

पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बगैर जांचे-परखे केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए झूठ का बवंडर तैयार किया जाता रहा है, उसे देखकर कई बार तो प्रतीत होता है मानो टीवी चैनल पर समाचार या न्यूज कार्यक्रम नहीं, बल्कि कोई मसालेदार राजनीतिक फिल्म चल रही हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा है कि लोगों का विश्वास मीडिया पर निरंतर कम हो रहा है, और लोगों का आकर्षण सोशल मीडिया की ओर बढ़ रहा है, जहां पहले से ही फेक न्यूज बड़ी समस्या मौजूद है तथा एआई इस समस्या को और ज्यादा बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रही है। भारतीय संविधान में प्रेस को अलग से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है, बल्कि उसकी स्वतंत्रता भी नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता में ही निहित है, और देश की एकता एवं अखंडता खतरे में पड़ने की स्थिति में इस स्वतंत्रता को बाधित भी किया जा सकता है किंतु ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होने पर भी देश में पत्रकारिता का चुनौतीपूर्ण बनते जाना लोकतंत्र के हित में कदापि नहीं है।

परमात्मा **श्रीराम शर्मा आचार्य**

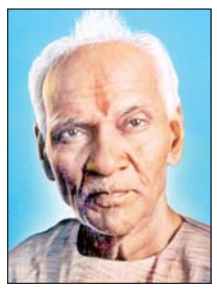

हमारी उपासना और साधना साथ-साथ मिलकर चली हैं। परमात्मा को हमने इसलिए पुकारा कि वह प्रकाश बन कर आत्मा में प्रवेश करे और तुच्छता को महानता में बदल दे। उसकी शरण में हम इसलिए पहुंचे कि उस महत्ता में अपनी क्षुद्रता विलीन हो जाए, वरदान केवल यह मांगा कि हमें अपनी सहृदयता और विशालता मिले, जिसके अनुसार अपने में सबको और सबमें अपने को अनुभव किया जा सकना संभव हो सके। महा पुरश्चरणों का तप, ध्यान, संयम सभी इसी परिधि के इर्द-गिर्द घूमते रहे हैं। अपनी साधनात्मक अनुभूतियों और उस मंजिल पर चलते हुए, समक्ष आए उतार-चढ़ावों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यदि किसी को आत्मिक प्रगति की दिशा में चलने का प्रयत्न करना हो, तो वर्तमान परिस्थितियों में रहने वालों के लिए यह सब कैसे संभव हो सका है? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ढूंढ़ना हो, तो हमारी जीवन यात्रा बहुत मार्गदर्शन कर सकती है। वस्तुतः हमने एक प्रयोगात्मक जीवन जिया है। आध्यात्मिक आदर्शों का व्यावहारिक जीवन में तालमेल बिठाते हुए आंतरिक प्रगति के पथ पर कैसे चला जा सकता है, और उसमें बिना भटके कैसे सफलता पाई जा सकती है, हम ऐसे तथ्य की खोज करते हैं, और उसी के प्रयोग में अपनी चिंतन प्रक्रिया और शारीरिक गतिविधियां केंद्रित करते रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक का इस दिशा में पूरा-पूरा सहयोग रहा, सो अनावश्यक जाल-जंजालों में उलझे बिना सीधे रास्ते पर सही दिशा में चलते रहने की सरसता उपलब्ध होती रही है। उसी की चर्चा इन पंक्तियों में इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि जिन्हें मार्ग पर चलने और सुनिश्चित सफलता प्राप्त करने का प्रत्यक्ष उदाहरण ढूंढ़ने की आवश्यकता है, उन्हें अनुकरण के लिए प्रमाणित आधार मिल सके। आत्मिक प्रगति के पथ पर एक सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध योजना के अनुसार चलते हुए 'हमने एक सीमा तक अपनी मंजिल पूरी कर ली है, और उतना आधार प्राप्त कर लिया है, जिसके बल पर यह अनुभव किया जा सके कि परिश्रम निरर्थक नहीं गया, प्रयोग असफल नहीं रहा।' हमें क्या विभूतियां या उपलब्धियां प्राप्त हुईं इसकी चर्चा हमारे अपने मुंह से शोभा नहीं देती। इसके जानने-सुनने और खोजने का अवसर हमारे चले जाने के बाद ही आना चाहिए।

रीडर्स मेल

जेडीएस ने मजबूरी में कार्रवाई की

ऐन चुनावी मौसम में हासन लोक सभा सीट की शुचिता को तार-तार करने वाले सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर पार्टी की कार्रवाई होना स्वाभाविक है। हजारों महिलाओं को हवस का शिकार बनाने वाले इस आरोपी के खिलाफ जेडीएस पार्टी की कार्रवाई राजनैतिक मजबूरी थी वरना करीब 10 महीने पहले सामने आए इस प्रकरण पर पार्टी की बेरुखी तो साफ झलक ही रही है। तभी तो बीजेपी के नेताओं की आपत्ति के बावजूद उन्हें टिकट दे दिया गया क्योंकि वह पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगोड़ा के पोते हैं। मजबूर और कमजोर महिलाओं के यौन शोषण की अनदेखी को बर्दाश्त करने वाला सिस्टम कब बदलेगा। हाल में हमारी ओलंपिक मेडल विनर महिलाओं ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण के आरोप लगाए। यह घटनाक्रम देशवासी भूले भी नहीं थे कि एक और घटना का सामने आना बेशक, हमारी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है।

माम चंद सागर, ई मेल से

दहशत से घिरे स्कूल

पत्र 'दिल्ली एनसीआर में दहशत-अफरातफरी' से संबंधित है। मेरे स्वयं के बच्चे इनमें से एक स्कूल में हैं तो निस्संदेह चिंता तो रही थोड़ी देर लेकिन स्कूल प्रशासन ने अच्छे से स्थिति को संभाला। पिछले 2 दिनों में स्कूल के अतिरिक्त अस्पताल और एयरपोर्ट को भी इसी तरह से धमकी भरे ईमेल आए हैं। अभी तक पता चला है कि रूस से इस अपराधी के तार जुड़े हैं, जिसने ये मेल भेजे हैं। हालांकि इससे पहले भी स्कूलों को इस तरह की फर्जी धमकी मिली हैं, लेकिन इस बार जिस पैमाने पर धमकी आई हैं, उनको हलके में लेने में समझदारी नहीं है। इवैक्यूएशन की मॉक ड्रिल स्कूल में होती रहती हैं जो लगातार होती रहनी चाहिए। हर स्कूल में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए ताकि हर संदिग्ध गतिविधि इनमें कैद हो सके। अभिभावकों को भी बच्चों को जागरूक बनाना चाहिए और समझाना चाहिए कि ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है।

बाल गोविंद, नोएडा

मरीजों को डराने का खेल

भौतिक वृत्ति और धन की लालसा में स्वास्थ्य सेवाएं व्यावसायिक बन गई हैं। जो जितना मशहूर डॉक्टर होगा, वह उतनी ही अधिक जांचें लिखेगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद शुरू होता है मरीज को डराने का खेल। इशारों में उसको समझाया जाता है कि बीमारी से भविष्य में जान का खतरा हो सकता है। मजबूरन मरीज महंगे ट्रीटमेंट के लिए राजी हो जाता है। मेडिकल पॉलिसियों का दुरुपयोग कर अस्पताल अधिकारी और मरीज दोनों ही फायदा उठा रहे हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। डॉक्टरों ने अपनी फीस दुगुनी कर दी थी, दवाओं की भी कालाबाजारी हो रही थी। इससे न जाने कितने मरीजों की जान चली गई। चिकित्सा सेवा की बढ़ती लागत, कमीशनखोरी, चिकित्सकों द्वारा प्रलोभन में आकर बड़ी कंपनियों की महंगी दवाएं लिखना, अपने लाभ के लिए अनावश्यक रूप से जांच कराना आदि से आम आदमी का चिकित्सा के पेशे से विश्वास समाप्त होने लगा है। इसके लिए सरकारी चिकित्सकों द्वारा अपनी निजी प्रैक्टिस पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को भी सख्ती दिखानी होगी।

अंकित सोनी 'आदित्य', मनावर, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

वर्ष-33, अंक 259

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 3 मई 2024

मुश्किल चुनौती

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के लिए बुधवार की सुबह असामान्य रही। जिस तरह से एक के बाद एक अलग-अलग स्कूलों में बम रखे होने की खबर आने लगीं, उससे न केवल स्कूल के स्टाफ, बच्चों और अभिभावकों में घबराहट फैली बल्कि इसे देख-सुन रहे सभी लोग सकते में आ गए। हालांकि, करीब 200 स्कूलों को चपेट में लेने वाली यह खबर पूरी तरह फर्जी निकली, लेकिन देश की राजधानी में अफरातफरी की स्थिति तो इसने बना ही दी।

स्कूलों में बम की अफवाह

साजिश के शुरुआती संकेत | यूं तो किसी आतंकी संगठन या ग्रुप ने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो शुरुआती संकेत मिले हैं, उनके मद्देनजर इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। सभी स्कूलों को एक ही कंटेंट ईमेल किया गया। ईमेल भेजने के लिए रूसी VPN का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सभी मेल एक ही आईडी से भेजे गए हैं। जिस तैयारी से ईमेल भेजी गई है, उसे देखते हुए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसकी ओरिजिन पता लगाना आसान नहीं होगा।

बन रहा है ट्रेंड | ध्यान रहे, यह हाल के दिनों में अपने ढंग की सबसे बड़ी भले हो, पहली घटना नहीं है। मंगलवार को ही राष्ट्रपति भवन समेत कुल 103 सरकारी बिल्डिंगों में बम रखे होने की ईमेल भेजी गई थी। यह अलग बात है कि स्कूल, बच्चे और अभिभावक जैसे कारकों की गैरमौजूदगी में उससे अफरातफरी के हालात नहीं बने। लेकिन स्कूलों की ही बात करें तो भी यह पिछले तीन महीने में हुई तीसरी घटना है। अप्रैल की शुरुआत में कोलकाता के करीब 200 स्कूलों में इसी तरह बम रखे होने की अफवाह फैलाई गई थी। उससे पहले फरवरी में चेन्नै के 13 स्कूल निशाने पर आए थे।

बेहतर तैयारी | जाहिर है, सुरक्षा बलों की चौकसी और आतंकी तत्वों पर लगातार रखी जा रही नजर के कारण आतंकी वारदात को अंजाम देने के बजाय इस तरह की अफवाह फैलाना अपेक्षाकृत आसान है। लिहाजा, देश में अशांति, बेचैनी और घबराहट का माहौल पैदा करने की इच्छा रखने वाले इस तरह की हरकतें जारी रख सकते हैं। निश्चित रूप से सुरक्षा बलों को इस चुनौती से निपटने की बेहतर तैयारी करनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग | अंतरराष्ट्रीय जांच वाले पहलू की बात करें तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती। पारस्परिक कानूनी सहायता सुनिश्चित करने वाली संधि MLAT (म्युचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी) भी भारत की सिर्फ 42 देशों के साथ है। बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन सायबर क्राइम पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके तहत विभिन्न देश संयुक्त जांच करने और आपस में सबूत साझा करते हैं। अस्पतालों और स्कूलों में बम की अफवाह जैसी चुनौतियों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए इन तमाम पहलुओं पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होगा।

क्रॉस-वर्ल्ड

यादों का सहारा

शैलेंद्र पांडेय

चलते-चलते पीछे मुड़कर देखने की आदत कभी जाती नहीं। सारी उम्र ऐसा होता है, जब कदम आगे बढ़ रहे होते हैं और दिमाग बीत गए सफर के बारे में सोच रहा होता है। कुछ लोग तो अपना वर्तमान भी गुजरे हुए वक्त को याद कर गुजारते हैं। Nostalgia की ऐसी मार से बचना बहुत मुश्किल है। बीते दौर की मधुर स्मृतियों में इतनी ताकत होती है कि पूरा समाज और कई बार पूरा देश खो जाता है इनमें। इसे कहते हैं Nostalgic Nationalism। इस तरह के राष्ट्रवाद में एक देश अपने प्राचीन वैभव की ओर निहारता है। परंपराओं, पुरानी उपलब्धियों, मान-सम्मान का गुणगान होता है और कई बार वादा भी, कि उस दौर को फिर से जीवित किया जाएगा। डॉनल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने कहा, 'Make America Great Again'। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन ने भी अपनी जनता से यही वादा किया है और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी। इसी तरह मुस्लिम वर्ल्ड आज भी ऑटोमन साम्राज्य के ख्यालों में खोया हुआ है। वहीं, कई देश कभी Nostalgic Nationalism से बाहर ही नहीं निकले, मसलन मंगोलिया और ग्रीस। मंगोलिया में हर कहानी चंगेज खान से शुरू होती है, जबकि यूनानी साम्राज्य की परंपराएं, खोज और रीति-रिवाज आधुनिक ग्रीस की भी पहचान हैं। भारत की बात करें तो उसे हमेशा से नाज रहा है अपने वैदिक ज्ञान पर। उस कल और आज के बीच की तुलना अब भी जारी है। कई मायनों में यह तुलना अच्छी होती है, क्योंकि इससे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। अतीत को वैसे भी नकारा नहीं जा सकता। इसकी बुनियाद पर ही वर्तमान खड़ा होता है। पीछे झांककर पुरानी गलतियों से बचा जा सकता है। अतीत हमारे लिए उदाहरण है, सबक है, गर्व करने और कई बार शर्मिंदा होने की चीज भी। लेकिन, क्या यह सही है कि अतीत से चिपक कर रहा जाए? क्यों हमारा भविष्य हमारे भूत जैसा होना चाहिए, उससे बेहतर या अलग क्यों नहीं? दरअसल, कई मामलों में Nostalgic Nationalism को जानबूझ कर हवा दी जाती है, क्योंकि इससे ध्यान वर्तमान से हट जाता है। पुराने दिन इसलिए भी सुहाने लगते हैं क्योंकि उनमें किया गया संघर्ष दोबारा दर्द नहीं देता इसलिए भटकाने के लिए मुफीद है। इतिहास अपनी पैरवी करने नहीं आता, तो उससे यह छूट मिल जाती है कि अपने मतलब के हिस्से निकाल लिए जाएं। वक्त से यूं छेड़छाड़ मनमानी करने का बहाना बन जाती है। और मामला तब खतरनाक हो जाता है जब इतिहास को ही वर्तमान का भी सच मान लिया जाए, जैसा कि चीन कर रहा है।

एकदा

हार नहीं मानूंगा

1928 में वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की प्रयोगशाला में एक दुर्घटना के चलते पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक मिली। यह फफूंद की शक्ल में थी। जिलेटिन की जिस डिश में यह प्रयोग चल रहा था, इसने उसमें मौजूद कई घातक कीटाणुओं को मार डाला था। कई और प्रयोगों में फ्लेमिंग ने पाया कि बैक्टीरिया मारना उसकी खासियत थी। उन्होंने इसे डिप्थीरिया, निमोनिया और मेनिनजाइटिस से संक्रमित चूहों और खरगोशों को दिया, तो वे जानवर भी ठीक हो गए। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के साथ तब तक प्रयोग किया, जब तक उनके पास धन था। उन्हें अन्य वैज्ञानिकों और केमिस्टों की जरूरत थी, ताकि रिसर्च और उत्पादन का रास्ता खोजा जा सके। मगर किसी ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब तक 'सल्फा' नाम की दवा आ गई थी और डॉक्टर वही टेस्ट कर रहे थे। इस बीच दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों, प्रो. एच. डब्ल्यू. फ्लोरे और डॉ. ई. बी. चेन ने भी पेनिसिलिन पर रिसर्च का फैसला किया। उन्होंने पाया कि वह सल्फा की तुलना में कई गुना प्रभावी है। डॉ. फ्लोरे ने मनुष्यों को पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। उनका पहला मरीज एक पुलिसकर्मी था, जो संक्रमण के चलते मौत के करीब था। पेनिसिलिन से वह ठीक होने लगा, लेकिन दवा ही खत्म हो गई। दवा न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई, पर दवा के फायदे की खबर अमेरिका तक जा पहुंची। फायदा सुनते ही कई उद्यमी आए, और आखिरकार पेनिसिलिन का उत्पादन शुरू हो गया। क्या होता, अगर फ्लेमिंग हार मानकर पेनिसिलिन की खोज के बाद उसकी रिसर्च बंद कर देते?

Subrata Dhar

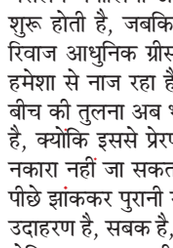

संकलन : **सुधा मौर्य**

फलस्तीन पर हमले में इस्राइल का साथ दे रही कंपनियों से कॉलेज रिश्ते तोड़ लें, छात्रों की ये है मांग

अमेरिकी कॉलेजों में क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन

चंद्रभूषण

अमेरिका में अभी चल रहे छात्र आंदोलन की तुलना सन 1968 के विएतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन से की जाने लगी है। वॉशिंगटन डीसी और 22 राज्यों के 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के छात्र फिलहाल छोटे-छोटे तंबू गाड़कर कैंपस में ही बैठ गए हैं। आंदोलन का मुद्दा एक ही है। विश्वविद्यालयों का प्रशासन फलस्तीनियों पर हमले में इस्राइल का साथ दे रही कंपनियों से अपने रिश्ते तोड़ ले।

पहले से प्रदर्शन | अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस लड़ाई के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन बीते दिसंबर में ही शुरू हो गए थे, लेकिन इनकी सार्वजनिक प्रस्तुति शुरू में वैसी ही थी, जैसी फिलहाल दुनिया के ज्यादातर प्रतिरोध आंदोलनों की है। एक गड़बड़ी को दूसरी गड़बड़ी का नतीजा बताकर विरोध की अनदेखी करना। ज्यादा बढ़ता दिखे तो कुचल देना। इस मामले में कहा गया कि फलस्तीनियों ने जो किया, उसका नतीजा वे भुगत रहे हैं। इसमें किसी नैतिक प्रतिवाद की गुंजाइश कहां बनती है?

यहूदी छात्रों की भूमिका | लेकिन विरोध-प्रदर्शन में यहूदी छात्रों की शिरकत भी बड़ी तादाद में थी, जो इस्राइल से अपने भावनात्मक रिश्तों के बावजूद बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत को फलस्तीनियों के जनसंहार का लाइसेंस देने के लिए तैयार नहीं थे।

ट्रंपवाद का असर | यह आंदोलन बढ़ने लगा तो कुछ डॉनल्ड ट्रंप समर्थक राजनेताओं ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में मुद्दा उठाया कि देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कैंपसों में यहूदी विरोधी (एंटी-सेमिटिक) हलचलें बहुत तेज हो गई हैं और समय से इन्हें रोका नहीं गया तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

छात्रों से सख्ती : इस मामले में जवाब देने के लिए कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (प्रेजिडेंट्स) को संसद में बुलाया गया, जिनमें दो ने आरोप से सहमति जताते हुए इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेजिडेंट ने इस आंदोलन से सख्ती से निपटने की बात संसद में कही तो छात्रों ने इस विश्वविद्यालय के कैंपस में ही डेरा डालने का फैसला कर लिया।

आंदोलन की आंच
- यहूदी छात्र भी फलस्तीनियों के साथ
- हथियार कंपनियों से दूरी बनाएं कॉलेज
- ट्रंप को होगा लाभ, बाइडन को नुकसान

प्रदर्शन व्यापक हुआ | जवाब में प्रेजिडेंट ने पुलिस बुला ली। छात्रों के खेमे जबरन हटाए गए तो कुछ तोड़फोड़ भी हुई। लेकिन अगले दिन ये तंबू न सिर्फ यहां बल्कि पचास और कैंपसों में वापस गड़ गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि लाख कोशिशों के बाद भी इसे सिर्फ फलस्तीनी, अरब या मुसलमान छात्रों का आंदोलन साबित करना संभव नहीं हो पाया है। अमेरिकी प्रशासन इस मामले में पूरी तरह नाकाम हुआ।

AP

कैलिफोर्निया के एक कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करते स्टूडेंट्स

छात्रों के इरादे | जून की शुरुआत में ही अमेरिकी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं होती हैं। शिक्षक अभी ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि इम्तहान शुरू होने तक आंदोलन अपने आप ठंडा पड़ने लगेगा। लेकिन छात्रों का इरादा चुनावी साल में देर तक टिकने का है।

कॉलेजों का रुख | कोलंबिया विश्वविद्यालय के उलट जिन विश्वविद्यालयों का प्रशासन समझाने-बुझाने के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, उनका कहना है कि इस्राइल से आर्थिक रिश्ता रखना या न रखना उनके हाथ में नहीं है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी चलाने के लिए हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा किसी घराने की बंधी हुई पूंजी से आता है।

AMC पर दबाव | किसी उद्यमी ने इस मद में एक बड़ी रकम किसी समय डाल दी, जिसे निवेश के जरिये बढ़ाने या बचाए रखने का काम असेट मैनेजमेंट कंपनियां (AMC) करती हैं। इसका कोई हिस्सा अगर इस्राइल को हथियार बेचने वाली किसी कंपनी में लगा है, तो AMC को इस कंपनी से अपना धन निकालने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा किया गया और उस AMC ने हाथ खड़े कर दिए तो यूनिवर्सिटी दिवालिया हो जाएगी।

बाइडन को नुकसान | रही बात इस आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव की तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राष्ट्रपति बाइडन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को ही होगा। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से हर अमेरिकी राजनेता सबसे पहले यहूदी जनमत की चिंता करता है। बाइडन भी यही कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का यहूदी समुदाय इस बार दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्सा नेतन्याहू को नापसंद करता है, जबकि दूसरा उनके पक्ष में है। यहूदी युवा पीढ़ी का पहले धड़े की तरफ झुकना अभी बाइडन की मुश्किलें बढ़ा रहा है।

फायदा किसका | रही बात ट्रंप की, तो वह खुद को इस्राइल और यहूदी समुदाय के संरक्षक की तरह पेश कर रहे हैं। हालांकि इस्राइल-फलस्तीन मसले की मौजूदा स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वे ट्रंप हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति रहते फलस्तीन का वजूद मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के पक्ष में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उतरे छात्रों के आंदोलन का फायदा ट्रंप को मिले, यह खुद में एक बड़ी विडंबना है। वैसे अंतिम सूचना के अनुसार कुछ कैंपसों में लगे छात्रों के खेमों पर बाहरी हमले के बाद पुलिस ने आंदोलन के खिलाफ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई है और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

बिना अपराध के कैद होने पर मिले मुआवजा

सुनील बघेल

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रफेसर जी.एन. साईबाबा को बीते मार्च में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। साईबाबा को UAPA में माओवादी गतिविधियों के लिए सजा सुनाई गई थी। उन्होंने करीब 10 साल जेल में गुजारे। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि साईबाबा के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं किया जा सका। ऐसे कई और मामले हैं, जिनमें लोगों को बेवजह बरसों जेल में गुजारना पड़ा।

माफी और मुआवजा | लॉ कमिशन की रिपोर्ट भी इस की पुष्टि करती हैं कि भारत में यह चलन आम है। इसकी कीमत लगभग पूरी तरह से आरोपी को चुकानी पड़ती है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों में, जेल भेजे जाने वाले बेकसूर लोग मुआवजे का दावा कर सकते हैं। हिंदुस्तान में जो लोग ऐसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हैं, उन्हें मुआवजा तो दूर, माफी तक नहीं मिलती।

विचाराधीन कैदी | NCRB के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की 1,330 जेलों में बंद करीब 75% लोग विचाराधीन कैदी हैं। इनमें से करीब आधे की उम्र 18 से 30 साल के बीच है। 3.26 लाख कैदी IPC के तहत दर्ज मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

बहुत कम को सजा | 2022 के आंकड़े यह भी बताते हैं कि IPC के तहत जुर्मों में करीब 35% को ही सजा मिल पाती है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के मोहद से 2017 में पकड़े 17 लोगों की ही मिसाल लीजिए। उनका कथित जुर्म हिंदुस्तान के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना था। वे सब मुल्जिम के तौर पर छह साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहे। बाद में डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए उन्हें बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

पुलिस को मिले ट्रेनिंग | महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक कॉलेज में पढ़ाने वाले कश्मीरी प्रो. जावेद अहमद हजाम ने अगस्त 2022 में दो वट्सऐप स्टेटस पोस्ट किए। 5 अगस्त को उनके स्टेटस में कश्मीर के खास दर्जे को खत्म करने के विरोध में 'काला दिन जम्मू और कश्मीर' लिखा था। 14 अगस्त को स्टेटस में लिखा था- 'आजादी मुबारक पाकिस्तान'। उन पर वैमनस्य को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया गया। हजाम ने करीब एक महीना जेल में गुजारा और दो साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हर किसी को अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू और कश्मीर की हैसियत में तब्दीली की आलोचना करने का हक है। अदालत ने बोलने और राय जाहिर करने की बुनियादी आजादी पर पुलिस को ट्रेनिंग देने की भी जरूरत बताई।

AI Image

कॉमन रूम

जमानत की मुश्किल | UAPA में जमानत मिलना दूसरे क्रिमिनल मामलों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है। इसके तहत 2016 और 2020 के बीच 24,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सामने आए आंकड़ों से पता चला है कि इनमें सिर्फ 212 लोगों को सजा सुनाई गई, जबकि 386 को बरी कर दिया गया। इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट में रह चुके जस्टिस अभय ठिपसे (रिटायर्ड) ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी जा रही है और जज भी जमानत देने से कतरा रहे हैं।

मिले मुआवजा | ऐसे पीड़ितों के लिए मुआवजे की कानूनी व्यवस्था का सुझाव 2018 की लॉ कमिशन की रिपोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी.एस. चौहान कमिशन ने भी ऐसे लोगों को मुआवजा देने के लिए एक कानून और हर जिले में खास फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की। कमिशन ने उन मामलों में 25,000 से 50,000 रुपये के बीच अंतरिम मुआवजे का सुझाव दिया, जहां किसी शख्स ने छह महीने से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा हो। मगर जस्टिस ठिपसे के मुताबिक, समाज में भी इस मसले को लेकर ज्यादा गंभीरता नहीं है। लोगों को लगता है कि कोई अगर बेकसूर है तो उसका बरी किया जाना ही काफी है। ऐसे में सिस्टम पर भी ज्यादा कुछ करने का दबाव नहीं बन रहा।

हम पर जंगलराज का आरोप अब 'भेड़िया आया' जैसा हो चला है...

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

बिहार में चुनाव से कुछ ही पहले जिस तरह से अचानक राजनीतिक समीकरण बदल गए, उसके बाद वहां लड़ाई काफी उलझी हुई मानी जा रही है। हालांकि RJD नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी जीत तय बता रहे हैं। आखिर उनके इस भरोसे का आधार क्या है और उनकी पार्टी किस तरह की रणनीति के साथ चुनावी जंग में उतरी है? नरेंद्र नाथ ने तेजस्वी यादव से हुई लंबी बातचीत में इन पहलुओं को समझने की कोशिश की। पेश हैं बातचीत के अहम अंश :

■ चुनाव के पहले दो चरण हो चुके हैं। आप I.N.D.I.A. के लिए क्या संभावना देख रहे हैं?

I.N.D.I.A. के सभी दल अपने-अपने क्षेत्र में जनता के बीच जमकर काम कर रहे हैं। जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है। दूसरा अच्छा संकेत यह भी है कि BJP और NDA के नेताओं को लग रहा है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। इसलिए वे जनता के रोजमर्रा के मुद्दों से हटकर झूठ, फरेब, और नफरत की राजनीति पर उतर आए हैं।

■ जनता के बीच चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?

जीवनस्तर में तेज गिरावट आई है। रहना-खाना मुश्किल हो चला है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी लोगों का खर्च काफी बढ़ा है। कुल मिलाकर सभी को, चाहे गरीब हो मध्य वर्ग लग रहा है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अच्छी और गरिमापूर्ण जिंदगी उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से संविधान पर BJP नेताओं की बुरी नजर पड़ी है, वह भी सभी वर्गों को चिंतित कर रहा है।

■ लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुआई में BJP आपके गठबंधन पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रही है। वह जंगल राज वापसी का डर भी दिखा रही है। इस पर क्या कहेंगे?

असल सनातन समाज वह है जहां नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो। लोगों की जिंदगी आसान हो, बेहतर हो। उस मुंह से सनातन की बातें अच्छी नहीं लगतीं, जिससे सिर्फ समाज को बांटने की बातें निकलती हों। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में धर्म के नाम पर वोट मांगना और धार्मिक मुद्दों को उठाना मना है। मगर BJP और NDA नेताओं ने कायदे-कानून के परखच्चे उड़ा दिए हैं। रही बात जंगलराज की, तो अब यह 'भेड़िया आया-भेड़िया आया' का खेल बासी हो चला है।

■ नीतीश कुमार आपसे अंतिम समय में अलग हो गए। उसका कितना असर देखते हैं गठबंधन पर?

जमीनी हकीकत है कि JDU सिकुड़ता जा रहा है। BJP के साथ जो भी डर या लालच में गया है उसका अपना अस्तित्व खत्म हो गया है।

■ इस बार टिकट वितरण में आपने M+Y समीकरण की जगह A to Z वाली रणनीति अपनाने की बात कही। इसका क्या उद्देश्य है? यह भी कहा गया कि इससे कहीं न कहीं मुस्लिमों की उपेक्षा हुई...

बिहार में पीढ़ीगत परिवर्तन के चलते राजनीतिक समझ और अपेक्षाओं में तेजी से बदलाव आया है। मोबाइल इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से सामाजिक विमर्श का दायरा भी बढ़ा है। जाहिर है राजनीति में भी बदलाव आएंगे। महंगाई, बेरोजगारी और चरमराए हुए बुनियादी ढांचे से सभी लोग त्रस्त हैं।

■ आपने कहा कि अगर I.N.D.I.A. सत्ता में आया तो 15 अगस्त को 30 लाख सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी और रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को 1 लाख रुपये देने की योजना शुरू होगी। लेकिन पीएम कौन बनेगा? कोई चेहरा है?

10 साल चेहरा भी खूब देख लिया है और मन की बात भी सुन ली है। अब काम का समय है। डेमोक्रेसी में पर्सनैलिटी कल्ट के लिए कोई जगह नहीं है। जनता संकेत देगी और आम राय से गठबंधन के सांसद पीएम का चुनाव करेंगे। यही संवैधानिक प्रावधान भी है।

■ नवरात्र के एक दिन पहले मछली खाने का विडियो डालने पर बड़ा विवाद हुआ और खुद नरेंद्र मोदी ने इसे मुद्दा बनाया। क्या कहेंगे उस विवाद पर?

कोई क्या खा रहा है, इसे चुनावी मुद्दा क्यों बनाया जाता है? क्या इस देश की सभी समस्याएं दूर हो गई हैं? प्रधानमंत्री का काम है देश को और जनता को मजबूत बनाना। मगर उन्होंने समाज और लोगों को और कमजोर बनाया है यह कहकर कि देखो- वह तुम्हारी भावना कुछ खाकर या गाकर आहत कर रहा है। हमेशा लोगों को यही एहसास कराया जा रहा है कि वे कमजोर हैं और अपनी समझ-बूझ उपयोग करने लायक नहीं हैं।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ गलत काम, गलत अफसोस

2 मई का संपादकीय 'रुख पर सवाल' पढ़ा। चुनावी मौसम में हासन लोकसभा सीट की शुचिता को तार-तार करने के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ JDS की कार्रवाई राजनीतिक मजबूरी ही थी। हद तो यह है कि रेवन्ना इस घटना को लेकर इतने इतने दुखी या शर्मिंदा नहीं नजर आते, जितने चिंतित अपने पिता और पार्टी की इमेज को हुए नुकसान को लेकर दिख रहे हैं। अन्य पार्टियों का रोल भी कोई उम्मीद पैदा नहीं करता। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने SIT जांच के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन BJP जैसी पार्टी ने सब कुछ मालूम होते हुए भी इस मामले को अनदेखा करने की पूरी कोशिश की। मजबूर और लाचार महिलाओं की पीड़ा किसी के लिए भी प्राथमिकता में नहीं रही।

मामचंद सागर, ईमेल से

■ गरीबी ऐसे नहीं जाएगी

संपादकीय पृष्ठ पर 30 अप्रैल को प्रकाशित लेख 'आर्थिक खाई पर क्या हैं कांग्रेस के इरादे' पढ़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक विषमता दूर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इसे दूर करने के उपाय सुझाती है तो लोग यह भी देखते हैं कि 70 साल के राज में उसने क्या किया। देश से गरीबी हटानी है तो शिक्षा का स्तर सुधारना होगा, रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने होंगे और लघु-कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।

बाल गोविंद, ईमेल से

■ पहले आरक्षण तो दें

आरक्षण का मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में है। दलित और ओबीसी के जरिए कांग्रेस और BJP चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि दोनों पार्टियों की आरक्षण पर बहस बेमानी है। कम हो या ज्यादा, दोनों ही पार्टियों ने शासन किया है, फिर भी केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण का निर्धारित कोटा कभी भी पूरा नहीं हुआ। यदि कांग्रेस और BJP आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहती है तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हजारों आरक्षित पद पहले भरे जाएं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

चुनाव बाद ब्यूरोक्रेसी में होंगे कई बदलाव- एक खबर
कितने भी बदलाव हों, ब्यूरोक्रेसी खुद कब बदलेगी?

सुमन धारीवाल

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

मन के पार भी एक संसार है, जो अव्यक्त रहता है

राहुल पाण्डेय

हम सब एक तलाश में हैं। कोई उसे शांति कहता है, कोई उसे मन को अपने काबू में करना कहता है, कोई इसी तलाश के चार कदम आगे बढ़कर कुंडलिनी जागृत करने में लग जाता है। कोई मुक्ति की तलाश में भटक रहा है तो कोई अपनी आत्मा से साक्षात्कार करना चाहता है। कोई इस तलाश को परमेश्वर प्राप्ति में पूरा होते पाता है तो कोई घंटों मूर्तियों को निहारा करता है। इस दौरान मन में अनेकों प्रार्थनाएं चलती रहती हैं। मगर तलाश पूरी नहीं होती। होती भी है तो लगता है कि कहीं कुछ छूट गया। मन संपूर्णता की अवस्था में जा नहीं पाता। जाता भी है तो वह अव्यक्त ही रहता है।

कठिन तप के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान ने उनके मन, या कहें चेतना को संपूर्ण किया। संपूर्णता क्या है? बुद्ध का एक तिब्बती अवतार कहता है कि संपूर्णता स्वयं को देखने और स्वीकार करने का साहस है। यानी जो है, सो है। न कुछ ज्यादा है, न कुछ कम। मन की इसी पूर्णता ने उन्हें मन के पार जाने की प्रेरणा दी, जिसे हम बुद्धत्व की प्राप्ति के अंतिम चरण के रूप में जानते हैं। संपूर्णता का यह संसार शब्दों से मुक्त था। खुद महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि इसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, क्योंकि जहां शब्द नहीं होते, वहां अर्थ भी नहीं होता। सवाल है कि क्या यही वो मुक्ति थी, जिसकी तलाश में हम सभी अपने-अपने तरीकों से लगे हुए हैं?

क्या हो, अगर यह पता चले कि हम जिसकी तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं, वह तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है? क्या हो, अगर मुक्ति का अर्थ खुद को अपने झूठे आत्म से मुक्त करना हो, न कि जबरदस्ती थोपी गई मुक्ति की कहानियों के बताए रास्ते पर चलना? इस तरह की चीजों को महसूस करने का एक सीधा सा रास्ता है, जिसका दरवाजा तभी खुल सकता है, जब हम खुद को लेकर पूरी तरह से ईमानदार हों। हम वह नहीं हैं, जो हम सोचते हैं कि हम हैं। हमें लगता है कि हमारा जो भी व्यवहार है, विचार या भावनाएं हैं, यादें और प्राथमिकताएं हैं, वही सब मिलकर हमारे अस्तित्व का निर्माण करती हैं। पर ऐसा नहीं है। यह सब सिर्फ हमारे अनुभव के दायरे में तैरते एल्गोरिदम हैं।

हमारा शरीर, इंद्रियां, ऊर्जा, मन और बुद्धि ऐसे खोल हैं, जिन्होंने हमारा वास्तविक स्वरूप घेर रखा है। इन सबके प्रभाव में आकर हम जिस तरह से सोचने लगते हैं, दुख उसी का दुष्प्रभाव है। कोई इसे स्वीकार करे या अस्वीकार, इससे दुख का एल्गोरिदम नहीं बदलता, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में हमारा मन आभासी संपूर्णता के उस अंतरिक्ष में जा बैठता है, जहां फिर से हमारी सचेत इच्छाएं और इरादे सहज ही उभरने लगते हैं।

मन के उस पार जो है, वो अव्यक्त है। मन के इस पार जो है, वह अपूर्णता है। तो फिर क्या करें? बुद्ध इसका बेहद आसान रास्ता बताते हैं। वह कहते हैं कि स्वयं को स्वीकार करें। अपना परीक्षक स्वयं बनें। मन को नियंत्रित न करें, उसे समझें। ठीक वैसे ही, जैसे हम अच्छे या बुरे को समझते हैं और जो जैसा है, वैसा स्वीकार करते हैं। अपने सच्चे स्वरूप को देखना ही मन को संपूर्णता में पा लेना है। इसके बाद शुरू होती है बुद्धत्व की वह यात्रा, जहां सब कुछ अव्यक्त है, मन से परे है।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्,
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

स्पैक्ट्रम आवंटन का मुद्दा

2010 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले पर सियासी तूफान खड़ा हो गया था। यह घोटाला एक लाख 76 हजार करोड़ का माना गया था। घोटाले में कम्पनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसैंस दिए गए थे। एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे और कहा जा रहा था कि इस सबसे बड़े घोटाले में माल ऐसे बंटा जैसे लूटे गए किसी ट्रक का माल बंटता है। इस मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा के अलावा तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की बेटी कनिमोझी को भी जेल जाना पड़ा था। यूपीए सरकार से सत्ता छिनने का एक बड़ा कारण यह घोटाला भी बना था। यद्यपि इस घोटाले का सियासी नुक्सान कांग्रेस को भुगतना पड़ा लेकिन स्पैशल सीबीआई जज ओपी सैनी के एक फैसले ने देश के तथाकथित सबसे बड़े घोटाले की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी थी। सीबीआई द्वारा कोई ठोस सबूत पेश न करने पर अदालत ने इस मामले में आरोपी 14 लोगों और तीन कम्पनियों को बरी कर दिया था। स्पैक्ट्रम नीलामी का मुद्दा इन दिनों फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 2जी स्पैक्ट्रम आवंटन नियमों में संशोधन की मांग करने वाली केन्द्र की अर्जी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इंकार कर दिया है। रजिस्ट्रार ने केन्द्र की याचिका को गलत करार देते हुए कहा कि यह विचार किए जाने के किसी भी उचित कारण का खुलासा नहीं करती।

केन्द्र ने अपने आवेदन में सुरक्षा, रक्षा और आपदा तैयारी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कार्रवाई के माध्यम से स्पैक्ट्रम आवंटन की अनुमति मांगी थी। केन्द्र ने कहा था कि स्पैक्ट्रम आवंटन संबंधी फैसले में संशोधन की जरूरत है, क्योंकि स्पैक्ट्रम का आवंटन न केवल वाणिज्यक दूरसंचार सेवाओं के लिए आवश्यक है बल्कि सुरक्षा आपदा तैयारी जैसे सार्वजनिक हित के कार्यों के निवेदन के लिए गैर वाणिज्यक उपयोग के लिए भी आवश्यक है। केन्द्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस तरह के आरोप लग रहे थे कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना चाहती है लेकिन सरकार ने यह बात स्पष्ट की कि उसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव का कोई इरादा नहीं है।

> **फरवरी 2012 के एक ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने जनवरी 2008 को या उसके बाद दिए गए लाइसैंस और स्पैक्ट्रम के आवंटन को रद्द कर दिया और कहा कि 22 सेवा क्षेत्रों में 2जी बैंड में लाइसैंस और स्पैक्ट्रम का आवंटन नीलामी द्वारा किया जाना चाहिए। 2013 में शीर्ष अदालत ने सरकार को बिना किसी देरी के लाइसैंस रद्द करने के परिणामस्वरूप जारी पूरे स्पैक्ट्रम की नीलामी करने का निर्देश दिया। जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब उपग्रह संचार और रक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को इसके दायरे में नहीं रखा गया था।**

ewsPaperPaid

फरवरी 2012 के एक ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने जनवरी 2008 को या उसके बाद दिए गए लाइसैंस और स्पैक्ट्रम के आवंटन को रद्द कर दिया और कहा कि 22 सेवा क्षेत्रों में 2जी बैंड में लाइसैंस और स्पैक्ट्रम का आवंटन नीलामी द्वारा किया जाना चाहिए। 2013 में शीर्ष अदालत ने सरकार को बिना किसी देरी के लाइसैंस रद्द करने के परिणामस्वरूप जारी पूरे स्पैक्ट्रम की नीलामी करने का निर्देश दिया। जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब उपग्रह संचार और रक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को इसके दायरे में नहीं रखा गया था। इसी आधार पर सरकार ने अर्जी दायर कर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को स्पैक्ट्रम आवंटन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। यह याचिका दिसम्बर के अंत में संसद में दूरसंचार विधेयक को पारित करने से पहले दायर की गई थी। नए विधेयक में 19 छूटें दी गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का यह भी कहना है कि सरकार स्पष्टीकरण मांगने के साथ-साथ फैसले की समीक्षा की मांग भी कर रही है जो पूरी तरह से गलत है। सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 15 दिन का समय है और निश्चित रूप से वह इस दिशा में आगे भी बढ़ेगी। याचिका दायर करने के बाद से ही उपजे विवादों को सरकार ने बेमतलब बताया था। तथ्य यह भी है कि दूरसंचार क्षेत्र में कई मुकदमों को देखते हुए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह याचिका दायर की गई थी और इसमें साफ किया गया था कि सरकार क्या चाहती है। याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सरकार न्यायालय के फैसले से सहमत है कि स्पैक्ट्रम नीलामी सबसे अच्छा विकल्प है लेकिन कुछ क्षेत्रों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकारें समय-समय पर नीतिगत परिवर्तन करती रहती हैं। सरकार को स्पैक्ट्रम नीलामी से अच्छी खासी इन्कम भी हो रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला गहन सोच-विचार के बाद ही उठाया था क्योंकि यह मुद्दा काफी विवादास्पद रहा है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी सम्बद्ध पक्षों को शामिल करने के लिए यह जरूरी था। दूरसंचार के लिए स्पैक्ट्रम नीलामी इस वर्ष जून में होने वाली है। सरकार को सार्वजनिक हित भी देखने पड़ते हैं। कई गैर व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह से सेवा के दायरे में आते हैं। कुछ मामलों में खासकर जहां मांग आपूर्ति से कम है वहां अर्थशास्त्र नीलामी के पक्ष में नहीं है। देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ती है।

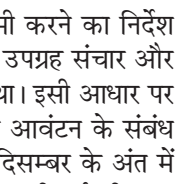

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

कैसे जनता जनार्दन एक...

कैसे जनता जनार्दन एक योग्य संरक्षक खुद के लिए चुन पाए?
जब राजनीति के मैदान में भी मैच फिक्सिंग नजर आए,
प्रतिद्वंद्वी दल का उम्मीदवार ऐन मौके पर अपना नामांकन रद्द कराए,
और शेष दलों के उम्मीदवार शाम, दाम, दंड ,भेद की नीति में उलझ जाएं...!!

गीता पाढा

2जी स्पैक्ट्रम फैसले में संशोधन की केंद्र की याचिका स्वीकार करने से इन्कार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में न्यायालय के 2012 के फैसले में संशोधन के अनुरोध वाली केंद्र की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करने से संभवत: इन्कार कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार देश के प्राकृतिक संसाधनों के हस्तांतरण में नीलामी का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य है। सूत्रों ने बताया कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने सरकार की याचिका को 'गलत व्याख्या'' वाली और स्पष्टीकरण के अनुरोध की आड़ में फैसले पर पुनर्विचार का प्रयास करार दिया।

रजिस्ट्रार ने उच्चतम न्यायालय नियमावली 2013 के आदेश-15 नियम-5 के प्रावधानों के अनुरूप इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उच्चतम न्यायालय के नियम के अनुसार, ''रजिस्ट्रार इस आधार पर याचिका लेने से इन्कार कर सकता है कि इसमें कोई उचित कारण नहीं है या इसमें अपवादजनक मामला है, लेकिन याचिकाकर्ता इस तरह के आदेश के 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव के माध्यम से अपील कर सकता है।'' नियम में कहा गया है कि केन्द्र रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।

● **केन्द्र रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है**

चुनाव में बनती जन अवधारणाएं

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक
kapurakesh@gmail.com

लोकसभा चुनावों के दो चरणों के सम्पन्न होने के बाद यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि सत्ता की लड़ाई में भाजपा व कांग्रेस युक्त विपक्षी इंडिया गठबन्धन आमने-सामने हैं। अभी तक कुल 190 सीटों पर मतदान हो चुका है और यह नहीं कहा जा सकता कि किस पक्ष का पलड़ा भारी रहेगा। दोनों पक्ष चुनाव को अपने-अपने हक में बता रहे हैं। भाजपा तर्क दे रही है कि इन चुनावों में प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की लहर चल रही है और उनके मुकाबले इंडिया गठबन्धन का कोई नेता सामने नहीं है जिसकी वजह से मतदाताओं का झुकाव उसकी तरफ है। कांग्रेस का तर्क है कि लोग नेता की जगह मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से त्रस्त हैं जिसकी वजह से उनका रुझान विपक्षी प्रत्याशियों की तरफ ज्यादा है। मगर भारत में चुनाव जन अवधारणा के आधार पर जीते जाते हैं।

देखना होगा कि भाजपा व कांग्रेस में से किस पार्टी की बनाई अवधारणा लोगों पर ज्यादा असर डाल रही है। इसके साथ यह भी देखा जाना जरूरी है कि कौन सा पक्ष आक्रामक है और कौन सा रक्षात्मक। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए किस पार्टी का एजेंडा ऐसी स्थितियां पैदा कर रहा है। हमारे सामने इससे पहले के दो ऐसे उदाहरण हैं जब विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ा और हारा जबकि दूसरा उदाहरण ऐसा है जब विपक्ष संगठित होकर लड़ा और जीता। ये दोनों उदाहरण 1971 और 1977 के चुनाव के हैं। पहले में संगठित विपक्ष हारा और दूसरे में जीता। मगर इसमें फर्क यह रहा कि पहले चुनाव में विपक्ष रक्षात्मक था और दूसरे 1977 के चुनाव में आक्रामक था। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1977 के चुनाव में लगभग सभी विपक्षी दल जनता पार्टी के नाम से जुड़ चुके थे। उनका चुनाव निशान चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल का 'कंधे पर हल लिये किसान' था। जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली शाहदरा के 'भोलानाथ नगर' में एक जनसभा करने के लिए आये। स्व. वाजपेयी बहुत कुशल वक्ता थे। इन चुनावों से पहले देश में इमरजेंसी उठ चुकी थी। इमरजेंसी में स्व. वाजपेयी भी जेल में बन्द थे। मगर ऐसा भी हुआ था कि इमरजेंसी में जेल से छूटने के लिए विपक्षी दलों के बहुत से कार्यकर्ता माफी मांग कर बाहर आ गये थे। वाजपेयी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो जनता के बीच से किसी ने सवाल पूछ लिया कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता तो माफी मांग-मांग कर जेल से बाहर आये।

श्री वाजपेयी जनता से शिकायत कर रहे थे कि पूरे देश में इमरजेंसी लग गई और जनता में कहीं विरोध क्यों नहीं हुआ? उस पर एक श्रोता ने वह सवाल पूछ लिया था। इस पर स्व. वाजपेयी भड़क उठे और उन्होंने जो कहा उसे आप सुनिये 'मैं यहां सफाई देने नहीं आया हूं बल्कि आक्रमण करने आया हूं। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी स्वतन्त्रता छीन ली गई और आप खामोश बैठे रहे''? ये शब्द श्री वाजपेयी ने गुस्से में कहे थे मगर खचाखच भरी जनसभा में मानो सन्नाटा छा गया। राजनीति में अवधारणा इस प्रकार बनती है। बेशक 1977 में विपक्ष के पास जय प्रकाश नारायण व आचार्य कृपलानी व चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेता थे मगर जन अवधारणा की ज्वाला धधकाने वाले वाजपेयी जैसे नेता भी थे।

वाजपेयी जी ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इमरजेंसी का विरोध न करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अत: जन अवधारणा बनाने में राजनीतिज्ञ ही अग्रणी भूमिका अदा करते हैं सवाल केवल परिस्थितियों के बखान करने के अन्दाज का होता है। मगर 1971 में भी जनसंघ समेत संसोपा, स्वतन्त्र पार्टी व चरण सिंह की पार्टी और संगठन कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता काम राज से लेकर सी.बी. गुप्ता तक एक साथ थे मगर जन अवधारणा का निर्माण कोई एक नेता तक नहीं कर सका क्योंकि स्व. इन्दिरा गांधी ने जो एजेंडा 'गरीबी हटाओ' का खड़ा किया था उसके आगे वाजपेयी समेत किसी नेता का कोई विमर्श टिक ही नहीं पा रहा था। कहने को सभी विपक्षी दल व नेता एक साथ थे मगर कोई भी इन्दिरा गांधी को रक्षात्मक पाले में लाने में समर्थ नहीं हो पा रहा था।

इसकी वजह साफ थी जन अवधारणा इन्दिरा गांधी के पक्ष में थी जो उन्हीं की पार्टी के रणनीतिकारों व राजनीतिज्ञों ने बनाई थी। जाहिर तौर पर 1969 में जब इन्दिरा जी ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उनकी सम्पत्ति गरीबों के घर में रातों-रात स्थानान्तरित नहीं होनी थी मगर जन अवधारणा बनी कि इन्दिरा गांधी गरीबों को बैंकों पर हक देना चाहती है। यह नीतिगत फैसला था। इसी प्रकार राजा-महाराजाओं का प्रिविपर्स उन्मूलन करके उन्होंने सन्देश दिया कि सरकार गरीबों के अधिकारों को ज्यादा महत्व देना चाहती है। यह जन अवधारणा भी राजनीतिज्ञों ने ही बनाई। मगर 1971 के चुनावों में विपक्ष के पास कोई ऐसी अवधारणा नहीं थी कि वह आक्रामक हो सकता। इन चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी इन्दिरा गांधी पर अधिनायकवादी प्रवृत्ति की होने का आरोप लगा रहे थे।

संगठन कांग्रेस के नेता मोरारजी देसाई राजा-महाराजाओं के साथ विश्वास घात करने के आरोप तक लगा रहे थे। जनसंघ तो मुस्लिम देशों के सम्मेलन से भारत को बाहर किये जाने तक को मुद्दा बना रही थी। चौधरी साहब गांधीवाद को तिलांजिली दिये जाने को मुद्दा बना रहे थे मगर किसी भी विमर्श की प्रतिध्वनी जनता के बीच से सुनाई नहीं दे रही थी। इसका असर हुआ कि विपक्ष अपना कोई ऐसा विमर्श खड़ा नहीं कर सका जो जन अवधारणा में बदल सकता। असल में जन अवधारणा जनता के बीच ही पैदा होती है नेता केवल उसका कोई एक सूत्र देता है। इन्दिरा गांधी ने सूत्र दिया कि गरीबी हटाओ और लोगों ने उनकी सरकार की नीतियों को उस पर कसा व जन अवधारणा बना ली।

जन अवधारणा जब बन जाती है और लोग उसे अपना लेते हैं तो वे स्वयं तर्कों में आक्रामक हो जाते हैं। यह आक्रामकता आज के राजनैतिक वातावरण जैसी जबर्दस्ती पैदा की गई नहीं होती बल्कि स्वत: स्फूर्त होती है। आज की राजनीति के दौर में जो चुनाव चल रहे हैं उनमें इस स्वत: स्फूर्त आक्रामकता को देखना बहुत टेढ़ा काम है। बेशक यह मौजूद है मगर किन्हीं कारणों से लोग इसे प्रकट करने में कतरा रहे हैं। लोकतन्त्र में इससे अन्तत: नुक्सान ही होता है। इतिहास इसीलिए सबक लेने के लिए होता है। खास कर तब जब किसी भी पक्ष की लहर दिखाई न दे रही हो। आमने-सामने की टक्कर किस तरह होगी इसके लिए अभी पांच चरणों के चुनाव बाकी हैं मगर इतना निश्चित है कि :

'ये इश्क नहीं आसां, इतना ही समझ लीजे
इक आग का दरिया है और डूब के जाना है'।

गालियां निकालने वाला समाज असभ्य ही है !

लक्ष्मीकांता चावला
(पूर्व मंत्री पंजाब)

अपने देश में और पड़ोसी देशों में भी पुरुष समाज गालियों का प्रयोग खूब करता है। बिना संकोच के और बिना यह जाने हुए कि इसमें सीधा- सीधा अपने समाज की औरतों का, परिवार की महिलाओं का वे खुला अपमान कर रहे हैं। शायद गाली निकालना पुरुष के पौरुष का प्रतीक बन गया है। इसका प्रमाण यह है कि अगर दस पुरुष किसी भी आयु के और चौदह साल की ऊपर की आयु के लड़के भी बैठे हों तो वहां गालियां सुनी जा सकती हैं। यह ठीक है कि बच्चे गालियां कुछ कम निकालते हैं लेकिन युवा, प्रौढ़ और वृद्ध गाली ऐसे निकालते हैं जैसे यह उनके मुहावरे हैं उनके जीवन का हिस्सा हैं, उनके सामाजिक जीवन की शोभा है। अभी इसी अप्रैल माह में एक वृद्ध जिसकी आयु 84 वर्ष के लगभग और सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित है, बातचीत में कहते हैं कि मर्द तो गालियां निकालते ही हैं, पर उनका एक साथी जो गाली निकालता है वह बहुत गंदी हैं। उनसे सीधा प्रश्न था कि जब देश पर विदेशी आक्रमण या आतंकवाद का संकट आए तब बोरी-बिस्तर लेकर पलायन करते समय यह मर्दानगी कहां चली जाती है।

कुछ इतिहासकारों ने यह खोज करने का प्रयास किया कि अपने समाज में गालियां कब से चलती हैं। विभिन्न भाषाओं, विभिन्न देशों और विभिन्न समाजों में पिछले लगभग पांच सौ वर्षों से अलग-अलग ढंग से गाली निकाली गई। कहीं किसी को पशु कहकर या जाति के नाम पर अथवा चीन की तरह जो अशुभ अंक हैं उनका प्रयोग करके।

महाभारत काल में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्रीकृष्ण जी ने शिशुपाल का वध भरी सभा में किया। राजसुय यज्ञ का आयोजन जब युधिष्ठिर ने किया तो शिशुपाल जो कि श्रीकृष्ण जी की बुआ का बेटा था अपशब्दों का प्रयोग करता गया। कुछ इतिहासकार इसे गालियां कहते हैं, पर कुछ गलतियां। कृष्ण जी ने अपनी बुआ को यह वचन दिया था कि शिशुपाल की सौ गालियां या गलतियां वे क्षमा कर देंगे, पर इसके बाद उसका सिर काट देंगे। वही हुआ शिशुपाल बोलता गया अपशब्द या गालियां और भगवान श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया।

आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के पहले संस्करण में उस शब्द का प्रयोग मिलता ही नहीं है जिसे ब्रिटिश समाज में गाली कहा जाता है, क्योंकि वे इसे बुरा शब्द मानते थे। लिखित अंग्रेजी साहित्य में पहली बार इस गाली जैसे शब्द का खुला इस्तेमाल कवि सर डेविड लिंडेसी ने सन् 1535 में किया। आम ब्रिटिश लोग एक दूसरे को ब्लडी कहते थे, पर पिछली सदी की शुरुआत तक ब्रिटेन के कुलीन समाज में ब्लडी बहुत ही बुरा शब्द माना जाता था। ऐसा वर्णन मिलता है कि 1914 में जार्ज बर्नाड शाह के नाटक प्यग्मलिओन में एक पात्र इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो लंदन के सभ्य समूह द्वारा इसका विरोध किया गया और ब्रिटिश समाज में सामूहिक रूप से भी इसके विरुद्ध मानों एक स्कैंडल ही मच जाता है, पर भारत और ब्रिटेन के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में कहीं गाली का प्रयोग नहीं था। अंग्रेजी के कवि होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी में कहीं गाली नहीं।

भारत में भी महाकवि कालिदास के लिखे किसी भी महाकाव्य में गाली नहीं। हमारे जितने भी संस्कृत व हिंदी के ग्रंथ हैं, पिछले एक हजार वर्ष में एक भी गाली पढ़ने को नहीं मिलती, पर आज अपने समाज को न जाने क्या हो गया। केवल गालियां ही चलती हैं और लगभग सभी गालियां महिलाओं के लिए अपमानसूचक ही हैं। महिलाएं हर युद्ध में, हर दंगे में सांप्रदायिक संघर्ष में हमेशा शारीरिक शोषण, अपमान का शिकार हुईं। उसकी तो हम लोग निंदा करते हैं। बलात्कार शब्द को बहुत बुरा मानते हैं, पर यह शाब्दिक महिलाओं का बलात्कार, अपमान धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक नेता और बड़े बड़े समाज सेवक खुले रूप से करते हैं।

कहा जा रहा है कि जो गालियों में कहा जाता है और विद्यार्थियों से भी पूछा गया कि क्या वह पाप कर सकते हैं जिसकी घोषणा गालियों में करते हैं। गाली वीर अगर गालियों का बच्चों को अर्थ बताएं और फिर खुद भी जो कहते हैं करके दिखाए तो जिंदगी भर वे जेल की चक्की में पिसेंगे, वे भी जानते हैं, पर कोई भी सभ्य समाज यह गालियां कैसे स्वीकार कर लेता है, यह आश्चर्य है।

सरकारों से यह प्रश्न है कि जब जातिसूचक गाली देना जाति का अपमान माना जाता है, उन पर कई तरह की कानूनी धाराएं लगाकर उन्हें दंडित किया जाता है,जेलों में भेजा जाता है तो क्या महिलाएं प्रतिदिन जिस अपमान, पीड़ा को सहन करती हैं उसके लिए कानून की कोई धारा नहीं है। जो उनकी रक्षा कर सके। वैसे पुलिस स्टेशन में भी गालियों की बौछार रहती है। बचपन में यह सुन रखा था कि पुलिस को ट्रेनिंग के साथ ही गालियां सिखाई जाती हैं, पर जब पुलिस एकेडमी फिल्लौर में प्रशिक्षु जवानों और पदोन्नति के लिए ट्रेनिंग करने आए पुलिस कर्मियों से बात की तो मौन जानकारी मिली, पर जानकारी यह थी कि गालियां तो सिखाई नहीं जाती, वातावरण सिखा देता है। किसी भी अपराधी को अपमानित करने के लिए उनकी बहन-बेटियों के नाम पर जो अश्लील, असभ्य, अपमानजनक शब्द बोले जाते हैं वे किसी कोड़े, डंडे की चोट से ज्यादा पीड़ा देते हैं, क्योंकि वह पीड़ा मजबूरी की होती है, आत्मा की होती है।

जिस समाज में यह कहा जाए कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। मां प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु वहां जहां एक कच्चे धागे से भाई रक्षा सूत्र में बंध जाते हैं। उस देश में जहां कन्या पूजन वर्ष में दो बार करके बेटियों को देवी माना जाता है, वहां हमारे देश का पुरुष समाज अश्लील, अपमानजनक गालियां निकाले तो कोई भारतीय दंड संहिता हमारी रक्षा के लिए न आए यह कितना असंगत है। यह अपराध भी है, राष्ट्रीय अपराध।

लाइक, व्यूज के चक्कर में कानून तोड़ते युवा

आकाश चोपड़ा

क्या युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर रात ही रात में स्टार बनने के लिए मानसिक तौर पर गुलाम हो चुकी है? क्या युवा गलत और सही की पहचान नहीं कर पा रहे? ज्यादा से ज्यादा लाइक और व्यूज हासिल करने के लिए वे कानून और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकप्रियता हासिल करने के लिए युवा जेल जाने से भी नहीं कतरा रहे। आखिर ऐसी विकृत मानसिकता कहां से पैदा हो रही है। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में बाइक सवार स्पाइडर जोड़े के विरुद्ध कार्रवाई की गई जो स्पाइडरमैन जैसी ड्रेस पहने बाइक दौड़ा रहे थे। एक व्यक्ति को सड़क के मध्य कुर्सी पर बैठकर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया। बाइक पर स्टंट करते अनेक युवाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।

सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए दिल्ली में कुछ लोग अजब-गजब हरकत कर रहे हैं। ऐसे लोग इंस्टाग्राम, यू ट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने फॉलोअर्स और वीडियो पर लाइक बढ़ाने के लिए बहुत रिस्की चीजें कर रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने ऐसे लोगों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है जो वीडियो बनाने के लिए कानून तोड़ते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे दर्जनभर से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है या उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि हाल की घटनाओं में एक परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है, जिसमें 20-25 साल के युवा जिनके अक्सर 1-2 लाख फॉलोअर्स होते हैं, वीडियो बनाने के लिए खास तरीकों से सोशल मीडिया के फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों का ध्यान खींच सकें।

आजकल युवक ही नहीं युवतियां भी रील्स बनाने के चक्कर में नियमों को ताक पर रख रही हैं। कोई खतरनाक स्टंट कर रहा है तो कोई कार का दरवाजा खोलकर खड़ा है। कई युवतियां अर्द्धनग्न होकर मैट्रो में सवार हो जाती हैं तो कोई नृत्य करती है तो कोई गीत गुनगुनाती है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि उन्हें सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और व्यूज मिलें। रील्स और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। रील्स बनाने के चक्कर में रोमांचकारी स्थलों पर जाकर स्टंट करने से कुछ युवा जान भी गंवा चुके हैं।

यह समस्या सिर्फ बड़े शहरों में रहने वाली युवा पीढ़ी की नहीं है। इस साल की शुरुआत में बिहार के खगड़िया में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली। 32 साल की एक महिला अपने सास-ससुर के साथ रहती थी। उसके पति बाहर मजदूरी करते थे।

एक दिन अकेले में वह इंस्टाग्राम के इसी ट्रेंड पर फांसी के फंदे से लटकने की रील बना रही थी। उसने अपने पांव के नीचे ईंटें लगा रखी थी लेकिन ऐन वक्त पर ईंटें भरभरा कर गिर गईं और महिला फांसी के फंदे से झूल गई। सास-ससुर जब घर लौटे तो फंदे से लटकी बहू और सामने ट्राइपॉड पर लगा फोन मिला। फोन में उसके तड़पने का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था।

कुछ दिन पहले केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग के ऊपर नोट उड़ा रही एक लड़की की रील भी वायरल हुई थी। जिसके बाद मंदिर में फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी को ही बैन कर दिया गया। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स इन खतरनाक रील्स की शिकायत कर रहे हैं और एक्स या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों को टैग कर रहे हैं। पुलिस मानती है कि इन शिकायतों की वजह से ही कई लोगों पर कार्रवाई हो सकी है।

'पिछले 3-4 महीनों में रील्स से जुड़े मामलों में काफी बढ़ौतरी हुई है, शायद इसलिए क्योंकि अब इन वीडियो को बनाने पर पैसा भी मिलता है। ज्यादातर ये युवा लोग हैं, इसलिए पुलिस लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। रेडियो जॉकी और मीडिया संस्थानों से भी मदद ली जा रही है। साथ ही जिला और ट्रैफिक पुलिस इन रील्स पर ज्यादा निगरानी रख रही है और सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट को ढूंढने के लिए विशेष हैशटैग और पेजों का सहारा ले रही है। मौजूदा वक्त में रील बनाने वाले लोग खुद को कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स कहलाना पसंद करते हैं। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म भी उन्हें इसी रूप में प्रमोट करते हैं। कई शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म दावा करते हैं कि उनके यहां 'कंटेंट क्रिएटर्स' अच्छी कमाई कर रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ लोगों तक पहुंचने और शोहरत के लिए ऐसा करते हैं।

एक स्टडी के मुताबिक देश में फिलहाल 8 करोड़ लोग प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। यानी वे इसी को अपना करियर और कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं। ये 8 करोड़ लोग ऑनलाइन कंटेंट बनाकर दौलत और शोहरत कमाने में लगे हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। स्टडी के मुताबिक 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स में से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही कमाई कर पाते हैं। उनमें से भी अधिकतर की कमाई महज कुछ हजार रुपए महीने ही है। इन 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स में से 1 प्रतिशत से भी कम ऐसे हैं, जिनके फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इनकी कमाई लाखों-करोड़ों में है। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई का बड़ा हिस्सा उन मेगा इन्फ्लुएंसर्स को मिल रहा है जिनके फॉलोअर्स 10 लाख या इससे ज्यादा हैं।

मौजूदा ट्रेंड को देखकर समाज सोचने को विवश है कि युवा पीढ़ी ऐसा करके क्या संदेश देना चाहती है। अगर हर कोई कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने लगे तो इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। बेहतर होगा कि युवा जो भी करें क्रिएटिव करें ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जा सके।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

भूमिका का विस्तार

स्वास्थ्य सेवा में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाले चार राष्ट्रीय शोध संस्थानों की भूमिका बढ़ाने का सराहनीय निर्णय लिया गया है. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति के परामर्श के आधार पर केंद्र सरकार ने इन संस्थानों का नाम बदल दिया है ताकि उनके दायित्व का दायरा बढ़ सके. इनके कामकाज में डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है. वर्ष 2005 में स्थापित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स अब नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डाटा साइंस के नाम से जाना जायेगा. साल 1980 में बना नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैथोलॉजी का नाम नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट रिसर्च कर दिया गया है. नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टिट्यूट, जो 1992 में स्थापित हुआ था, के नाम में वायरलॉजी जोड़ा गया है. अब यह संस्थान एड्स के अलावा अन्य संक्रमणों पर भी शोध कर सकेगा. उल्लेखनीय है कि पहले से ही इस क्षेत्र में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरलॉजी कार्यरत है. संक्रामक बीमारियों के प्रसार को देखते हुए यह आवश्यक था कि इस संबंध में शोध एवं अनुसंधान को और विस्तार मिले. साथ ही, एड्स को रोकने में बड़ी प्रगति हुई है. वर्ष 1979 में बने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ कॉलरा एंड इंटेरिक डिजीजेज को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बना दिया गया है. हैजा कभी बड़ी चुनौती हुआ करता था, पर आज इसके लिए टीका और प्रभावी उपचार उपलब्ध है. इस पृष्ठभूमि में मौजूदा संस्थानों के दायित्व को बढ़ाकर वर्तमान और भावी स्वास्थ्य समस्याओं के अध्ययन एवं उपचार को शामिल करना आवश्यक था. आज स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विभिन्न प्रकार के डिजिटल तकनीकों की भूमिका निरंतर बढ़ रही है. इसके साथ ही डाटा साइंस का विस्तार भी तेजी से हो रहा है. शोध संस्थाओं, मेडिकल कॉलेजों, दवा कंपनियों आदि के सम्मिलित प्रयास से भारत टीका और दवा निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी देश बन चुका है. अनेक बीमारियों का उन्मूलन किया जा चुका है. कोरोना महामारी के दौर में चिकित्सा और उपचार में पूर्ववर्ती अनुभव बड़े कारगर साबित हुए थे. स्वास्थ्य मिशन के तहत मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. शोध एवं अनुसंधान तथा पेटेंट के मामले में भी प्रगति हो रही है. केंद्रीय संस्थानों के कामकाज का दायरा बढ़ाने से इसमें निश्चित रूप से तेजी आयेगी.

केंद्रीय संस्थानों के कामकाज का दायरा बढ़ाने से शोध एवं अनुसंधान तथा पेटेंट के मामले में निश्चित रूप से तेजी आयेगी.

जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय दृष्टि

प्रो शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित
कुलपति
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
santishreepandit@gmail.com

पारिस्थितिकी के लिए पंचभूत (आकाश, वायु, जल, पृथ्वी एवं अग्नि) भारतीय आख्यान तंत्र एक पूर्ण प्रारूप है, क्योंकि यह मनुष्य को प्रकृति-केंद्रित तंत्र के एक भाग के रूप में देखता है, जहां अव्यवस्था रचनात्मक है और वह हमें व्यापक ब्रह्मांड के साथ संतुलन एवं साहचर्य की ओर ले जाता है. यह मनुष्य के लाभ के लिए प्रकृति को जीतने और तबाह करने की उस वर्चस्ववादी धारणा के विपरीत है, जिसे नृवंशवाद कहा जाता है. भारत में देवराई (पवित्र वन) की अवधारणा जैव-विविधता और प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य से लायी गयी थी. आज विश्व में अंधाधुंध विकास के संकट और उससे उत्पन्न आपदा को देखते हुए इस वैकल्पिक आख्यान को स्थापित किया जाना चाहिए. भारतीय ज्ञान परंपरा की मेधा ने हमें पंचभूत एवं पारिस्थितिकी का सम्मान करना सिखाया है. हमारे बड़ों ने बताया था कि पंचभूतों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, छेड़ने से ये प्राकृतिक शक्तियां हमें तबाह कर सकती हैं. इस संतुलन एवं साहचर्य में किसी भी विक्षोभ के गंभीर प्राकृतिक परिणाम होते हैं, जहां मनुष्य असहाय हो जाता है. औद्योगिकीकरण के प्रारंभ से जलवायु निरंतर गर्म हो रही है. बड़ी चुनौती पर्यावरण एवं जलवायु के मुद्दे को लेकर विश्वभर में दोषपूर्ण समझ के निवारण की है. वर्तमान विमर्श पश्चिम से आता है और यह मुख्य रूप से मनुष्य-केंद्रित है, इसलिए यह अक्सर प्राकृतिक शक्तियों का विरोध तथा स्थानिक समुदायों की अनदेखी करता है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए तीन बिंदुओं को समझना जरूरी है.

पर्यावरण विमर्श समावेशी होना चाहिए. यहां पर पंचभूत की भारतीय परंपरा महत्वपूर्ण हो जाती है. यह दृष्टि मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखने के बजाय उसे प्रकृति की पारिस्थितिकी के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित करती है. जबकि पश्चिमी दृष्टि अक्सर प्रकृति को नियंत्रित करना चाहती है, जिसे भारतीय समझ खारिज करती है. उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में पवित्र पेड़ों की वाटिकाओं की पूजा की जाती है, बौद्ध धर्म में हिरण के वनों को भी पवित्र माना जाता है.

पहली बात, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण रक्षा सरकारी या निजी चिंताएं नहीं हैं, इनका सार्वभौमिक अर्थ है. पर्यावरण को क्षरण एवं दोहन से बचाने का मुख्य दायित्व सरकारों का है, पर नागरिकों को भी इसमें योगदान देना चाहिए. भारत में सहस्राब्दियों की मेधा और मनुष्य एवं प्रकृति के अंतरसंबंधों की गहन समझ संघर्ष के स्थान पर साहचर्य से परिभाषित होती है. हमारे संवैधानिक चिंतकों ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान किये थे, जबकि पर्यावरण की आधुनिक चिंताओं को व्यापकता साठ व सत्तर के दशक में मिली, विशेषकर रचेल कार्सन की पुस्तक 'साइलेंट स्प्रिंग' के प्रकाशन के साथ. आज भी भारत में सरकार के तौर-तरीके गहरी समझ को प्रतिबिंबित करते हैं, जहां आदिवासी समुदायों के साथ योजनाएं बनी हैं तथा नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की अग्रिम पंक्ति में लाया जा रहा है. स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहलें तथा शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण जागरूकता को शामिल करना महत्वपूर्ण कदम हैं. इन प्रयासों से सुनिश्चित किया जा रहा है कि दायित्व केवल सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक भी पर्यावरण संरक्षण में बराबर के भागीदार हैं. दूसरा बिंदु है कि पर्यावरण विमर्श समावेशी होना चाहिए. यहां पर पंचभूत की भारतीय परंपरा महत्वपूर्ण हो जाती है. यह दृष्टि मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखने के बजाय उसे प्रकृति की पारिस्थितिकी के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित करती है. जबकि पश्चिमी दृष्टि अक्सर प्रकृति को नियंत्रित करना चाहती है, जिसे भारतीय समझ खारिज करती है. उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में पवित्र पेड़ों की वाटिकाओं की पूजा की जाती है, बौद्ध धर्म में हिरण के वनों को भी पवित्र माना जाता है. पवित्र वाटिकाओं की अवधारणा विशेष धार्मिक संदर्भों से परे जाकर प्राकृतिक वास को भी समाहित करती है, जो धार्मिक आधार पर संरक्षित होते हैं.

ठोस वैज्ञानिक सबूत से इंगित होता है कि जल के पास अद्भुत स्मृति होती है. जल को देखते हुए आप कोई विचार उत्पन्न करें, पानी की आणविक संरचना बदल जायेगी. छूने से भी उसमें बदलाव आता है. इसलिए पानी तक हम कैसे पहुंचते हैं, यह बहुत अहम है. वायु केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण मात्र नहीं, बल्कि गति का एक आयाम भी है. पांच तत्वों में हवा तक पहुंचना तथा उसे समुचित ढंग से समझना अपेक्षाकृत सबसे आसान है. भारतीय संस्कृति में आग को अग्नि देव के रूप में स्थापित किया गया है, जिनके दो चेहरे हैं और वे ज्वलनशील मेष की सवारी करते हैं. दो चेहरे आग के जीवनदाता और जीवनहर्ता होने के सांकेतिक प्रतीक हैं. यदि हमारे भीतर अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, तो हमारा जीवन भी नहीं होगा. यदि आप ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे, तो आग तुरंत अनियंत्रित हो सकती है और सब कुछ भस्म कर सकती है. आकाश एक खाली वितान नहीं है. यह अस्तित्व का एक गूढ़ आयाम है. आकाश अस्तित्वहीन भी है. तीसरी बात यह कि जलवायु मसले के संबंध में अधिक वैकल्पिक तौर-तरीकों की बड़ी आवश्यकता है. इसमें केवल भारतीय समझ ही नहीं, बल्कि स्थानीय और क्षेत्रीय समझ को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. समृद्ध परंपरा और ऐतिहासिक संदर्भ के साथ भारतीय सोच ऐसी है, जिसे 'प्रयोजन में वैश्विक, समाधान में स्थानिक' के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है. भारत में पर्यावरणविदों, दार्शनिकों और राजनेताओं ने विकास के ऐसे तरीकों की पैरोकारी की है, जिनमें प्रकृति के साथ संघर्ष के स्थान पर साहचर्य को प्राथमिकता दी गयी है. यह उनकी सोच में एक साझापन होने को दर्शाता है.

एकात्म मानववाद ऐसा ही एक उदाहरण है, जो पर्यावरण के मुद्दों को समझने और उनके समाधान के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है. सहयोग एक अन्य विषय है, जहां भारतीय परंपराएं विश्व को मूल्यवान सीख दे सकती हैं. इथेनॉल-मिश्रित तेल और हाइड्रोजन ईंधन जैसी भारत की पहलें एक महीन समझ का उदाहरण हैं, जिसमें स्थानीय समाधानों पर जोर है. अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस, ग्लोबल बायो-फ्यूल अलायंस जैसे वैश्विक सहकारों के जरिये भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी सक्रिय है. वैश्विक राजनीति में विभिन्न जलवायु परिवर्तन मॉडल हैं, जो अक्सर देशों को खेमों में बांट देते हैं. ऐसी स्थिति में पंचभूत प्रारूप वैकल्पिक सोचों को खोजने की प्रक्रिया में उत्साहजनक प्रारंभ हो सकता है. यह ब्रह्मांड-केंद्रित सिद्धांत है, जहां प्रकृति में मनुष्य समेत हर चीज की अपनी भूमिका है तथा सभी परस्पर संतुलन एवं साहचर्य में हैं. प्रकृति को जीत लेने तथा उसे तबाह कर देने की सोच का नतीजा है कि आज हम जलवायु आपदाओं और त्रासदियों से घिरे हुए हैं. इसीलिए संपूर्ण और प्रकृति-केंद्रित भारतीय दृष्टि प्रकृति एवं व्यापक ब्रह्मांड से गहरे जुड़ाव को रेखांकित करती है. भारतीय ज्ञान परंपरा वैश्विक स्तर पर सहकार बनाने तथा सम्मिलित प्रयास के लिए एक ठोस प्रारूप प्रस्तुत करती है.

(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

जंगलों को धधकने से बचाने का हो स्थायी उपाय

ज्ञानेंद्र रावत
पर्यावरणविद
rawat.gyanendra@rediffmail.com

उत्तराखंड के मौजूदा हालात स्थिति की गंभीरता का सबूत हैं. आग बुझाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं. परंतु, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर जंगल की आग कब बुझेगी? क्या जंगल बचे रह पायेंगे? असली चिंता की वजह यही है.

उत्तराखंड के जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है. राज्य के सभी पर्वतीय जिले आग की चपेट में हैं. चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो या कुमाऊं का, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग हो, लैंसडाउन हो, चंपावत हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो या फिर केदारनाथ प्रभाग, सभी धधक रहे हैं. अभी तक राज्य में आग की लगभग 575 से अधिक घटनाओं में 689.89 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि जलकर खाक हो चुकी है. इससे निपटने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है. एनडीआरएफ की टुकड़ी भी आग बुझाने और बचाव कार्य में जुटी है. वायु सेना के हेलीकॉप्टर पानी की बौछार करने में लगे हुए हैं.

राज्य के सभी टाइगर रिजर्व में अलर्ट घोषित कर दिया गया है. पिथौरागढ़ में अस्कोट मृग अभयारण्य के जंगल, गैरसैंण में आयुर्वेदिक अस्पताल, जीआइसी भी आग से नहीं बचे हैं. सैकड़ों की तादाद में अखरोट, सेब, अमरूद समेत दर्जनों फलदार पेड़ आग की समिधा बन गये हैं. गोचर में सिरकोट, बाभनटिका, धुंधला और गौरीछाल के जंगल भी आग से धधक रहे हैं. यहां के कूंचा, कनाली छीना के सतगढ़, कंचनपुर तोक में जंगल की आग ने घरों तक को नहीं बख्शा है. पातालदेवी की आग ने जंगल ही नहीं, रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. बैजनाथ रेंज के गैरलैख, पुरड़ा, अमोल और धौलादेवी ब्लॉक वन पंचायत, छल्ली, पनुवानौला, धन्या, बातकुना तथा धमरधर व पौड़ी बैंड के पास के जंगल अब भी धधक रहे हैं. गोपेश्वर के सिरोसिणजी जंगल का आधे से अधिक हिस्सा स्वाहा हो गया है. चंपावत में क्रांतेश्वर के जंगल भी राख हो चुके हैं. यहां मकान भी आग से नहीं बचे हैं. डीडीहाट की भी यही स्थिति है. टनकपुर में आग के कारण बस्ती और जंगल धधक रहे हैं. पहाड़पानी, दीनी पंचायत, धारी के जंगल अब भी सुलग रहे हैं. नैनीताल में आग से आकाश में नीली धुंध छाई हुई है. वन विभाग के कर्मचारियों को पानी के टैंकर, एयर ब्लोअर, मशीनों और आग बुझाने के उपकरणों से लैस किया गया है.

वास्तव में, उत्तराखंड के जंगलों में शुष्क मौसम, मानवीय गतिविधियों, बिजली गिरने और जलवायु परिवर्तन के कारण हर वर्ष बार-बार आग लगने की घटनाएं होती हैं. विदित हो कि उत्तराखंड के पहाड़ चीड़ के जंगलों से भरे पड़े हैं. आग का सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ से निकला पिरूल है. इसके अतिरिक्त, चीड़ के पेड़ से निकलने वाला लीसा नामक तरल पदार्थ भी आग लगने पर पेट्रोल की तरह तेजी से फैलता है. चीड़ का पेड़ विशेषकर सूखे या शुष्क भूमि पर उगता है, जहां पानी की जरूरत नहीं होती. वह मिट्टी की पकड़ को ढीली कर वहां के पानी के स्रोत को समाप्त कर देता है. गर्मी में इसकी पत्तियां इतनी तेजी से आग पकड़ती हैं कि मिनटों में भयावह हो जाती हैं. वहीं जरा सी मानवीय भूल भी पहाड़ों में आग लगने का कारण बन जाती हैं. यह मौसम पहाड़ों पर खेतों की साफ-सफाई का होता है. किसान खेतों की सफाई कर घास आदि को इकट्ठा कर उसमें आग लगा देते हैं. तेज हवा के चलते आग एक के बाद दूसरे जंगल तक फैल जाती है. इससे न केवल जन-धन की भारी हानि होती है, हजारों-लाखों हेक्टेयर जंगल भी स्वाहा हो जाते हैं. हरित संपदा, जैव विविधता, कीट-पतंगे, वन्य जीव सहित असंख्य प्रजातियां आग में समिधा बन जाती हैं. आग का असर पहाड़ की आजीविका पर भी पड़ता है. ध्वस्त हो चुके ढांचे को पुनः खड़ा करने में प्रशासन-सरकार को हर वर्ष करोड़ों की राशि खर्च करनी पड़ती है सो अलग.

आग में चीड़ और पिरूल की अहम भूमिका को देखते हुए काफी समय से पहाडों पर बांज के पेड़ लगाये जाने की मांग हो रही है. पर सरकारें इसे लेकर उदासीन रही हैं. बांज के पेड़ उत्तराखंड में समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाये जाते हैं. यह दुनिया का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो वायुमंडल से नमी खींचकर भूमि तक पहुंचाता है. इसी कारण बांज जहां-जहां पाये जाते हैं, वहां पानी भरपूर मात्रा में होता है. प्राकृतिक असंतुलन के दौर में जब पानी के स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं, बांज के पेड़ लगाना समय की मांग है. इसकी पत्तियां बरसात के पानी को तेजी से बहने से रोकती हैं. इससे पानी को जमीन के अंदर जाने का अधिक समय मिलता है. जंगल की आग को लेकर चिंता गहराती जा रही है, क्योंकि इस वर्ष बीते वर्ष की तुलना में आग लगने की कहीं अधिक घटनाएं हुई हैं. वर्ष 2023 के मार्च व अप्रैल में जंगल में आग की 784 घटनाएं हुई थीं, जबकि इस वर्ष मार्च व अप्रैल में कुल 6,295 घटनाएं हुई हैं. और तो और, इस वर्ष आबादी वाले इलाकों में भी आग की घटनाएं बढ़ी हैं. हल्द्वानी में तो आग से हवा में जहर घुल रहा है जिससे लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं. वर्ष 2023 में सर्वाधिक प्रभावित जिले नैनीताल, चंपावत, अलमोड़ा, पौड़ी व पिथौरागढ़ थे. जबकि इस बार हरिद्वार छोड़कर सभी जिलों में आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है. मौजूदा हालात स्थिति की गंभीरता का सबूत हैं. आग बुझाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. परंतु, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर जंगल की आग कब बुझेगी? क्या जंगल बचे रह पायेंगे? असली चिंता की वजह यही है. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

परिचम की राजनीति में दक्षिणपंथ का उभार

इस वर्ष जून में यूरोपीय संसद का चुनाव होना है. उस समय तक यूरोपीय राजनीति में दक्षिणपंथ का बहाव ज्वार भाटा में बदल जायेगा. अति राष्ट्रवादी नेता और लोकलुभावन राष्ट्रवादी अब इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी व स्लोवाकिया में चुनाव में आगे तथा जर्मनी और स्वीडन में दूसरे स्थान पर चल रहे हैं. यूरोपीय संसद में दो कट्टर दक्षिणपंथी समूह हैं- आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी और यूरोपीयन कंजरवेटिव्स एंड रिफॉर्मिस्ट्स. जून में होने वाले चुनाव में दोनों गुट, मत का कम से कम 25 प्रतिशत तक अपने पाले में कर सकते हैं. इससे भी बुरी बात यह है कि ब्रिटेन सहित यूरोप के लगभग हर हिस्से में ये गुट पारंपरिक सेंटर राइट पार्टियों को मजबूर कर रहे हैं और ये एक-एक कर कहीं अधिक उग्र आप्रवासन, व्यापार और पर्यावरण विरोधी स्थितियों के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं. निसंदेह, दक्षिणपंथी प्रवाह केवल यूरोप की ही नहीं, बल्कि एक पश्चिमी घटना है, जिसमें ट्रंप 1.0 की तुलना में ट्रंप 2.0 संरक्षणवादी और राष्ट्रवादी एजेंडे की कहीं अधिक आक्रामक तरीके से वकालत करता है. परंतु यूरोप एक मामले में अमेरिका से अलग है. जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, यूरोप और विशेष रूप से उसका औद्योगिक इंजन सेंटर जर्मनी, जीवन स्तर के मामले में लगभग शून्य विकास और स्थिरता से जूझ रहा है. इस कारण सर्वाधिक बड़े पश्चिमी यूरोपीय देशों में, कई लोग अपने भविष्य को लेकर निराशावादी हो चुके है. उनका मानना है कि उनकी पीढ़ी अपने माता-पिता से भी बदतर प्रदर्शन करेगी. यूरोप में राष्ट्रवादी टाइम बम टिक-टिक कर रहा है. पूरे महाद्वीप में, यूरोपीय लोगों को आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन के माध्यम से बेहतर नौकरियों के लिए एक योजना की आवश्यकता है. यदि प्रगतिवादी, आप्रवासी विरोधी प्रचार वाले चुनाव अभियान को रोकना चाहते हैं, तो उन्हें संरक्षणवाद और जेनोफोबिया के खिलाफ खड़ा होना होगा.

The Guardian

-गॉर्डन ब्राउन

बोधि वृक्ष

धार्मिक जीवन

हर किसी को आज धार्मिक जीवन जीने की सलाह दी जाती है. धार्मिक जीवन जीने का अर्थ है, आचरण को सुधारना और उच्च आदर्शों के अनुरूप जीवन को ढालना. विद्या का असली उद्देश्य है 'विमुक्ति'. यह एक ऐसी अवस्था है, जहां बंधन से मुक्त होने के बाद फिर से बंधन में पड़ने की संभावना नहीं रहती. सच्ची विद्या वही है, जो इस विमुक्ति की ओर ले जाती है, और सच्चे विद्वान वही हैं जिनका आचरण इस विद्या के अनुरूप होता है. धर्म का मूल आधार आचरण है. अनपढ़ व्यक्ति भी अपने आचरण के बल पर धार्मिक और महान बन सकता है, जबकि बड़े-बड़े विद्वान भी अधार्मिक हो सकते हैं. इसलिए, आचरण को सुधारना और उसे उच्च आदर्शों के अनुरूप ढालना ही धार्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. जनसाधारण भी अपने आचरण को उच्च बना सकता है. साधक का कर्तव्य है कि वह आदर्शों का प्रचार करे, स्वयं पवित्र बने और दूसरों को भी पवित्र बनाये, स्वयं धार्मिक बने और दूसरों को भी धार्मिक बनाये. आत्म-मोक्ष के साथ-साथ जगत का हित भी साधक का लक्ष्य होना चाहिए. जिस प्रकार महामारी के समय अपना घर साफ रखने से काम नहीं चलता, पूरे वातावरण को स्वच्छ रखना आवश्यक होता है, उसी प्रकार स्वयं धार्मिक बनने के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों को भी धार्मिक बनाना आवश्यक है. कारण, यदि आपका परिवेश पापाचार से भरा होगा तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा. धर्म के प्रचार-प्रसार में दार्शनिक ज्ञान की अपेक्षा आचरण का अधिक महत्व है. लोग आपके ज्ञान से जितना प्रभावित होंगे, उससे कहीं अधिक आपके आचरण से प्रभावित होंगे. आचरण ठीक होने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और आपके संपर्क में आने वाले भी आपके आचरण से प्रभावित होकर धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं. इस प्रकार, धार्मिक जीवन जीने का अर्थ है आचरण को सुधारना और उसे उच्च आदर्शों के अनुरूप ढालना. केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और दूसरों को भी प्रेरित करना आवश्यक है. **-श्री श्री आनंदमूर्ति**

कुछ अलग

बनावटी तसवीरों तक सिमटता संसार

सामाजिक आयोजन हो या पारिवारिक मेल-मिलाप के पल, सांस्कृतिक सम्मेलन हो या व्यक्तिगत भेंट, सुखद वाकया हो या किसी के संसार छोड़ जाने का पीड़ादायी प्रसंग, सब कुछ तसवीरों तक सिमट रहा है. छवियां, जो कभी स्मृतियां सहेजने का माध्यम समझी जाती थीं, अब अधिकतर साझे पलों को वर्चुअल दुनिया में शेयर करने के उद्देश्य से ली जाने लगीं हैं. तकलीफदेह है कि क्लिक-क्लिक के फेर में संवाद का दायरा घट रहा है. मेलजोल के अवसर भी बोलने-बतियाने के बजाय फोटोग्राफी के दायरे तक ही सिमट रहे हैं.

डॉ मोनिका शर्मा
टिप्पणीकार
monikasharma.writing@gmail.com

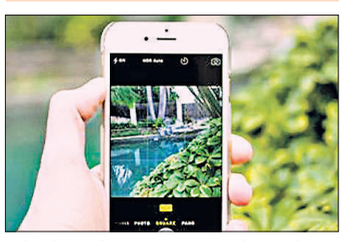

मानवीय व्यवहार का यह बदलाव अनगिनत मोर्चों पर पीड़ादायी भी बन रहा है. लोगों में आम से आयोजनों में सज-धजकर पहुंचने का मानसिक दबाव बढ़ा है. हर पल चौकन्ना रहने की बाध्यता मिलने-बैठने की सहजता पर भारी पड़ रही है. हर पल को कैमरे में कैद करने की मनोवृत्ति मनःस्थिति पर भी असर डाल रही है. मेल-मुलाकात की यादगार के तौर पर ली जा रही तसवीरें वास्तव में हमारी याददाश्त को कमजोर कर रही हैं. वैज्ञानिकों की मानें, तो किसी यादगार अनुभव को दस्तावेजित करने और याद रखने के लिए इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर तसवीरें लेना प्रतिकूल हो सकता है, तसवीरें खींचने से लोगों की घटना की यादें खराब हो जाती हैं. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, लोग सोचते हैं कि फोटो लेने से उन्हें कुछ बेहतर याद रखने में मदद मिलेगी, पर वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है. एक म्यूजियम में तस्वीरें लेते हुए भ्रमण करने और बिना तस्वीरें लिये पेंटिंग्स को देखने वाले लोगों से जुड़े इस अध्ययन में सामने आया कि हमारा मन-मस्तिष्क यह समझ जाता है कि कुछ याद नहीं रखना क्योंकि हम जानते हैं कि कैमरा है सब कुछ याद रखने के लिए. ऐसे में हर जगह, हर परिस्थिति में फोटो लेने की आदत का लत बनना उचित नहीं है. हार्वर्ड सहित अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों के शोध बताते हैं कि 'फोटो लेने की इच्छा उसी फोटो को सोशल नेटवर्क पर साझा करने की इच्छा से और बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरों के साथ तत्काल इसे साझा करना हार्मोन 'डोपामाइन' से जुड़ा है, जो एक लत के समान है.'

चिंतनीय है कि असल दुनिया के बजाय फिल्टर्ड छवियों में सुंदर दिखने की यह सोच हर आयु वर्ग के लोगों को घेर रही है. हर आयोजन को दूसरों तक पहुंचाने की रुग्ण मानसिकता का ही परिणाम है कि मृतक परिजन के साथ भी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा किये जाने के उदाहरण भी सामने आ चुके हैं. सेल्फी लेने के फेर में तो आये दिन हादसे होते हैं. अपने जीवन का पल-पल लोगों के सामने रखने का यह जुनून कई बार हद पार करता सा लगता है.

आपके पत्र

वैक्सीन के साइड इफेक्ट से भय

कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन लगायी गयी थी. लेकिन, कंपनी ने इसके साइड इफेक्ट की बात स्वीकार की है, जिससे लोगों में भय का वातावरण है. कोरोना के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि युवा भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं. वैक्सीन लेने के तीन साल बाद लोगों के मन में अनचाहा डर समा गया है. हालांकि, सरकार की ओर से इस पर किसी प्रकार का बयान जारी नहीं किया गया है. वैक्सीन के साइड इफेक्ट से बचाव करना वैज्ञानिक, चिकित्सक व सरकार के लिए चुनौती बन गयी है.

मिथिलेश कुमार, भागलपुर

स्वच्छ हवा और पानी की चुनौती

स्वच्छ हवा व पानी के बिना मानव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है. विकास की अंधी दौड़ में मानव स्वच्छ हवा-पानी से दूर होता जा रहा है. इससे बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं. देश की एक बड़ी आबादी दूषित पानी पीने को विवश है. वायु व जल प्रदूषण की वजह से कई तरह की जानलेवा बीमारियां जन्म ले रही हैं. सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं. सरकार को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहित करना चाहिए. साथ ही लोगों को भी जागरूक होना होगा.

हिमांशु शेखर, केसपा (गया)

https://epaper.prabhatkhabar.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 3 मई, 2024

दैनिक जागरण
मन ही चेतना की शक्ति का प्रतिनिधि होता है

अमेरिका को खरी-खरी

पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिका का श्रेष्ठता बोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका ताजा उदाहरण है एक अमेरिकी आयोग की भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल रिपोर्ट। इसके कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई थी। यह चिंता ऐसे समय जताई गई थी, जब अमेरिका में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनरत छात्रों और शिक्षकों को गिरफ्तार कर उन्हें शैक्षिक परिसरों से बलपूर्वक खदेड़ने की तैयारी हो रही थी। भारतीय विदेश मंत्रालय को मानवाधिकारों पर अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज करते हुए यह कहना पड़ा था कि वह भारत के बारे में अपनी खराब समझ का परिचय दे रही है। भारत के प्रति जितना दुराग्रह इस रिपोर्ट में झलक रहा था, उतना ही धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट में भी। इसीलिए भारत को कहीं कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह कहना पड़ा कि धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन करने वाला अमेरिकी आयोग राजनीतिक एजेंडे वाला एक पक्षपाती संगठन है और वह भारत को लेकर अपना दुष्प्रचार जारी रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि उक्त रिपोर्ट भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश है। इस नतीजे पर पहुंचने के अच्छे-भले कारण हैं, क्योंकि चंद दिनों पहले ही अमेरिकी सूत्रों के हवाले से खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में शामिल एक भारतीय अधिकारी का नाम लिया गया था। अमेरिका भारत पर तो इस साजिश की जांच करने का दबाव बनाए हुए है, लेकिन यह बताने को तैयार नहीं कि वह ऐसे आतंकी को क्यों पाल रहा है, जो भारत को आए दिन धमकियां देता रहता है?

अमेरिका और पश्चिम के अन्य देश धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों आदि पर भारत को तो उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपने अंदर नहीं झांकते। भारत के अंदरूनी मामलों में अनावश्यक टिप्पणी करने वाले पश्चिमी देशों की संस्थाएं क्या दुनिया को यह बताएंगी कि अमेरिका में पुलिस विश्वविद्यालयों में धावा क्यों बोल रही है और ब्रिटेन अवैध अप्रवासियों को पकड़-पकड़ कर रवांडा क्यों भेज रहा है? इसी तरह कनाडा में हड़ताली ट्रक ड्राइवरों से निपटने के लिए आपातकाल क्यों लगा दिया जाता है? ध्यान रहे कि ये वही पश्चिमी संस्थाएं हैं, जो कृषि कानून विरोधी उग्र आंदोलन और शाहीन बाग के अराजक धरने को एक तरह से न केवल अपना समर्थन दे रही थीं, बल्कि भारत को मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ भी पढ़ा रही थीं। वास्तव में अमेरिका, कनाडा समेत यूरोपीय देश तब तक बाज नहीं आने वाले, जब तक भारत भी इन देशों के मामलों में अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं शुरू करता। भारत को केवल प्रतिक्रिया ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि बाकायदा रिपोर्ट जारी कर यह बताना चाहिए कि इन देशों में क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि किसी भी देश में सब कुछ ठीक नहीं।

नशे पर चोट

हिमाचल प्रदेश में बढ़ता नशा गंभीर समस्या बन गया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, इसके बावजूद नशा तस्करी में कमी नहीं आई है। नशा माफिया नियोजित तरीके से तस्करी कर रहा है। हर दिन नशीले पदार्थों के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरगना पुलिस के हाथ नहीं आते हैं। जब कोई कूरियर पुलिस के हाथ चढ़ता है तो माफिया उसे जमानत पर छुड़ा लेते हैं। बिलासपुर पुलिस ने ऐसा ही एक मामला पकड़ा है। मंगलवार को पुलिस ने दो युवकों को चिट्टे (सिंथेटिक ड्रग्स) के साथ पकड़ा था। उनसे पूछताछ में पुलिस को तस्करी के सरगना के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम सरगना को पकड़ने के लिए पंजाब गई थी। वहां जानकारी मिली कि वह बिलासपुर में पकड़े गए तस्करों की जमानत के लिए गया है। इसके बाद उसे बिलासपुर में पकड़ लिया गया। इससे पहले भी पुलिस ने शिमला में पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे, एक युवती समेत पांच लोगों को चिट्टे के साथ पकड़ा था। प्रदेश में नए पुलिस प्रमुख डा. अतुल वर्मा ने पदभार संभालते ही पांच मंत्रों पर कार्य करने की बात कही है। इसमें मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना प्रमुख है। उनका कहना है कि शिक्षण संस्थानों में नशा पहुंचाने वालों को जेल भेजा जाएगा। स्कूल, कालेज एवं पंचायत स्तर पर नशे के विरुद्ध अभियान भी चलाया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह सही है कि पुलिस की सख्ती के बाद नशीले पदार्थों के तस्करों की धरपकड़ तेज हुई है, लेकिन समाज के सहयोग के बिना इस पर पूरी तरह रोक लगाया जाना संभव नहीं है। यदि कहीं पर नशे की तस्करी की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। समाज के हर पक्ष को नशे के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठानी होगी, तभी इसे रोका जा सकेगा।

दुनिया की नजर में हैं लोकसभा चुनाव

विवेक काटजू

चूंकि विश्व में भारत की साफ्ट पावर का सबसे बेहतरीन पहलू लोकतंत्र है, इसलिए हमें उसे पूर्णत: अक्षुण्ण बनाए रखना होगा

अवधेश राजपूत

हाल में कई देशों की यात्रा के दौरान तमाम सेवानिवृत्त राजनयिकों, राजनेताओं के साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों से चर्चा का अवसर मिला। उनसे चर्चा के बाद लगा कि हालिया दौर में भारत की अंतरराष्ट्रीय साख बढ़ी है और इसके साथ ही देश में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आ रही हैं। इन चर्चाओं में स्वाभाविक रूप से मैंने जोर देकर कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और अभी वहां मानव इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी कवायद चल रही है। जब देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही हो तो देश को लेकर विदेश में बन रही धारणाओं की थाह लेना काफी उपयोगी सिद्ध होता है।

किसी भी देश की प्रतिष्ठा को मापने के दो प्रमुख मापदंड अहम माने जाते हैं। एक सामरिक शक्ति और दूसरी आर्थिक शक्ति। आवश्यक नहीं कि सामरिक रूप से शक्तिशाली देश को वैश्विक लोकप्रियता मिले, लेकिन उसे एक महत्वपूर्ण देश की प्रतिष्ठा अवश्य मिल जाती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व बढ़ता है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश की ओर कमजोर आर्थिकी वाले देश मदद की उम्मीद लगाए रहते हैं और ऐसे देश को क्षति पहुंचाने को लेकर उनमें मन में डर बना रहता है। यही कारण है कि समकालीन विश्व में सामरिक एवं आर्थिक के साथ ही विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी और नवाचार के दम पर अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति गिना जाता है। चीन भी उसी की राह पर है। भारत ने भी सैन्य एवं आर्थिक मोर्चे पर दशकों से निरंतर प्रगति की है, जिसमें सभी सरकारों का योगदान रहा है। पिछले एक दशक में मोदी सरकार भी उसी दिशा में सक्रिय रही है।

बीते एक दशक के दौरान वैश्विक परिदृश्य में बहुत बदलाव आया है। इस दौरान चीन का उदय और भारत के प्रति उसकी टेढ़ी नजर देखने को मिली। गलवन में मिली चीनी चुनौती के बाद मोदी सरकार को उससे निपटने की राह तलाशनी ही थी। उसी दौरान आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा मोदी का आह्वान समयानुकूल था। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ ही भारत को अपने दम पर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र भी बनना होगा। ऐसे में चीन से बढ़ता आयात किसी दृष्टि से संतोषजनक नहीं। इस अवधि में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और तेजी से तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए मोदी सरकार के आर्थिक प्रबंधन को श्रेय देना होगा।

आज भारत जिस स्थिति में पहुंचा है उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और उनकी सरकार में वित्त मंत्री एवं कालांतर में पीएम बने मनमोहन सिंह के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। राव के दौर में ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। अब समाजवाद भले ही गलत समझा जाने वाला शब्द हो, लेकिन आजादी के तुरंत बाद जब भारत को सामंतवाद और आर्थिक गतिहीनता की स्थिति से निकालकर समतावादी समाज की स्थापना एवं देश को आर्थिक प्रगति की राह पर बढ़ाने जैसे लक्ष्य सामने थे, तब ऐसी स्थिति में भारतीय राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होनी थी। इस प्रकार से उस समय समाजवाद अनुपयुक्त नहीं था। वर्तमान की दृष्टि से अतीत को आंकना उचित नहीं। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं कि प्रधानमंत्री नेहरू का जोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर अधिक था। देश को ज्ञान महाशक्ति बनाने की नेहरू की नीति आज भी प्रासंगिक बनी हुई है।

पिछले एक दशक के दौरान अपनी शक्ति स्थापना से जुड़ी भारत की क्षमता बढ़ी है। भारतीय नौसेना अब बहुत ताकतवर हो गई है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव एवं उपस्थिति दर्शा रही है। इस कड़ी में भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देशों द्वारा गठित क्वाड संगठन का यही संकेत है कि वह इस क्षेत्र में चीन की दादागीरी एवं मनमानी नहीं चलने देगा। ये देश नियम-आधारित वैश्विक ढांचे के पक्षधर हैं। इसमें मुक्त सामुद्रिक आवाजाही सुनिश्चित करना भी शामिल है, जो भारत के हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत न केवल एक व्यापारिक राष्ट्र है, बल्कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात होने वाले संसाधनों पर निर्भर भी है। देश को सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने में भी सभी सरकारों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि यह विभिन्न राजनीतिक दलों के ऊपर निर्भर है कि वे भारत की सामरिक तैयारियों को लेकर अपनी भूमिका किस प्रकार रेखांकित करते हैं।

साफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक शक्ति किसी देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा तीसरा अवयव है। मोदी सरकार और संघ परिवार भारत की साफ्ट पावर को बढ़ाने पर विशेष महत्व देते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने देश की साफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। इसमें योग और मानवता के विकास में प्राचीन भारत के योगदान जैसे पहलुओं को रेखांकित किया गया। उन्होंने भारत को 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में भी प्रस्तुत किया। हालांकि देश की प्रतिष्ठा पर साफ्ट पावर के सुस्पष्ट प्रभाव का आकलन कुछ मुश्किल है, लेकिन यह देश की छवि को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि अंग्रेजी के कारोबार और कूटनीति की भाषा बन जाने से इंग्लैंड को बहुत लाभ पहुंचा। इसी तरह हालीवुड स्थित अमेरिकी फिल्म उद्योग उसकी साफ्ट पावर का हिस्सा है। इसी संदर्भ में बालीवुड ने भारत के लिए भूमिका निभाई है।

निःसंदेह दुनिया का ध्यान प्राचीन भारत की उपलब्धियों की ओर आकर्षित कराया जाना चाहिए, लेकिन भारत की साफ्ट पावर का सबसे बेहतरीन पहलू उसका लोकतंत्र है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश किस प्रकार अपने लोकतंत्र को कायम रखे हुए है, यह विश्व के समक्ष किसी आश्चर्य से कम नहीं। इसीलिए, लोकतंत्र की सेहत और स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से सभी नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण सदैव दूसरों की निगरानी में रहेगा। जब तक हम लोकतंत्र को पूर्णतः अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, तब तक भारत की साफ्ट पावर मुखरता के साथ अपनी चमक बिखेरती रहेगी।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

कौन खतरा बन रहा है आरक्षण के लिए

बृज लाल

आरक्षण के मामले में यह देखने की आवश्यकता है कि किस दल की सरकार ने उसके लिए क्या किया?

होती रही है आरक्षण में कटौती की कोशिश। फाइल

कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाला विपक्षी मोर्चा आइएनडीआइए आजकल दो फर्जी नैरेटिव चला रहा है। एक यह कि यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई तो दलितों एवं पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी और दूसरा यह कि वह संविधान को बदल देगी। इस फर्जी नैरेटिव से वह दलितों और पिछड़ों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। सच तो यह है कि कांग्रेस आरंभ से ही दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी रही है। जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वे आरक्षण को पसंद नहीं करते। काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ों के आरक्षण की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उसे लागू नहीं होने दिया। जब 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तब जाकर अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण मिल पाया। यह मोदी सरकार है, जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जबकि कांग्रेस की सरकारों ने इसे वर्षों तक लटकाए रखा। अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत वहां समस्त मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा मानकर आरक्षण दे दिया। आखिर वह इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि कर्नाटक के सभी मुस्लिम पिछड़े हैं और इस कारण वे आरक्षण के हकदार हैं? क्या मुस्लिम समाज को सामाजिक रूप से ओबीसी समुदाय के समकक्ष रखा जा सकता है? कांग्रेस इस तरह का काम अविभाजित आंध्र प्रदेश में भी कर चुकी है। वहां दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में से ही मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। कांग्रेस ने जिस रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट में दलितों/पिछड़ों के आरक्षण को कम करके मुस्लिम समुदाय को देने की सिफारिश की गई थी। बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर पंथ-मजहब आधारित आरक्षण के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की।

राहुल गांधी के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा अभी हाल में इस मत का समर्थन करते दिखे कि संविधान निर्माण में डा. आंबेडकर नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू की मुख्य भूमिका थी। ध्यान रहे कि नेहरू जी ने डा. आंबेडकर के न चाहते हुए भी संविधान में अनुच्छेद-370 और 35ए जोड़ा, जिसके जरिये जम्मू-कश्मीर में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का हक छीना गया। इस विभाजनकारी अनुच्छेद के चलते जम्मू-कश्मीर के अनुसूचित समाज के उच्चशिक्षित युवा भी केवल सफाई कर्मी की ही नौकरी पा सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद-370 खत्म कर जम्मू-कश्मीर को केवल भारत का अभिन्न अंग ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने राज्य में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण के उस अधिकार को भी बहाल किया, जिसकी दशकों से अनदेखी हो रही थी। अब आइएनडीआइए के कुछ घटक दल कह रहे हैं कि सत्ता में आने पर वे अनुच्छेद-370 वापस लाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो वहां के दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण का अधिकार छिन जाएगा। क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण को छीनने के अपने घटक दलों के वादों का समर्थन कर रही है?

यह भी ध्यान रहे कि संविधान में सबसे अधिक 80 संशोधन कांग्रेस ने ही किए। 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम भी उसने ही किया था। कांग्रेस ने डा. आंबेडकर को कभी यथोचित सम्मान नहीं दिया। उन्हें 1946 में संविधान सभा, 1952 में संसदीय चुनाव और उसके बाद हुए संसदीय उपचुनाव में भी हराने का काम किया। जब तक केंद्र में कांग्रेस सरकार रही, तब तक डा. आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिल सका। उन्हें 31 मार्च, 1990 को भारत रत्न तब मिल पाया, जब केंद्र में भाजपा के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब के सम्मान में अनेक कार्य किए, जिनमें से एक 'पंच तीर्थ' का निर्माण है।

कांग्रेस माकपा के दबाव में यहां तक कहने लगी है कि यदि वह सत्ता में आई तो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को समाप्त करने का काम करेगी। इस कानून के तहत भारत की नागरिकता उन हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन शरणार्थियों को मिलने वाली है, जो उत्पीड़न के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन कर 2014 से पहले भारत आए थे। भारत की नागरिकता के हकदार इन शरणार्थियों में 70-75 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं और इसमें भी अधिकतर बांग्लादेश से आए नमोशूद्र और मतुआ समाज के लोग हैं। यदि सीएए समाप्त किया गया तो सबसे अधिक चोट अनुसूचित जातियों को पहुंचेगी।

1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की हुई। इनमें से बीएचयू तो संविधान प्रदत्त आरक्षण देता है, मगर एएमयू ने दलितों-पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। इंदिरा सरकार ने 1981 में एएमयू एक्ट में संशोधन कर दलितों-पिछड़ों के हितों के प्रविधान को ही समाप्त कर दिया। यह तो भला हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसने पहले 2005 और बाद में 2006 में निर्णय दिया कि इंदिरा सरकार द्वारा किया गया संशोधन गैर-कानूनी है। उसके निर्णय के बावजूद एएमयू में अब भी दलितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों को संविधान प्रदत्त आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है। दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़े समाज के कल्याण के लिए जितना काम मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है, उतना आजादी के कई दशकों बाद तक भी नहीं हुआ। आरक्षण के मामले में यह देखने की आवश्यकता है कि किस दल की सरकार ने उसके लिए क्या किया?

(लेखक भाजपा के राज्यसभा के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भावनाएं

भावनाएं सभी प्राणियों में विद्यमान होती हैं, लेकिन वे सदा प्रदर्शित हों, ऐसा नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व तो भावनाओं से ही जुड़ा रहता है। जीवन के प्रारंभ से ही ये किसी न किसी रूप में सामने आती रहती हैं। भावनाहीन या असंवेदनशील व्यक्ति का होना असंभव सा है। भले ही उसके परिवेश में उसकी भावनाओं को निरर्थक या तुच्छ मानकर एक किनारे कर दिया गया हो। स्नेह, प्रेम, क्रोध, घृणा, करुणा और हीनता जैसी कितनी ही भावनाएं हमारे व्यक्तित्व की प्रगति या अधोगति के लिए उत्तरदायी होती हैं।

हीनभावना से जो पीड़ित होता है आमतौर पर उसे इसका आभास नहीं होता है और दूसरे भी उसकी इस समस्या से अनभिज्ञ रहते हैं। हीनभावना प्रायः बाल्यावस्था से ही आकार लेने लगती है। यदि इसका समय से निवारण न हो तो कष्टकर व्याधि का रूप ग्रहण कर सकती है। यद्यपि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन प्रारंभ से ही यदि कोई प्रतिकूल व्यवहार, पक्षपातपूर्ण रवैया या असंपन्नता का सामना करता आया हो तो धीरे-धीरे उसमें हीनभावना पैदा होना स्वाभाविक है। मनुष्य कई बार अपनी कमियों को पूरा करने के लिए वांछित या अवांछित किसी भी मार्ग पर चल पड़ता है।

मनोविज्ञानियों के अनुसार हीनभावना से ग्रस्त लोग स्वयं की अल्पताओं को दूर करने के लिए श्रेष्ठता का ढोंग करने लगते हैं। यह उनका स्वभाव बन जाता है। वे बेवजह अपने से श्रेष्ठ लोगों का हर प्रकार से उत्पीड़न करने लगते हैं, परंतु कितने ही कृत्रिम आवरणों से हीनभावना नहीं छिपती। उनका व्यक्तित्व, चाल-चलन, बोल-चाल कहीं न कहीं उनकी असलियत को झलका ही देती हैं। ऐसे लोगों को उत्तम दिखने का प्रयास छोड़ अध्यात्म, ध्यान एवं समाजसेवा में लगना चाहिए। इस प्रकार वे स्वयं ही श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो जाएंगे।

छाया श्रीवास्तव

खुशी हासिल करने का तरीका

सोनम लवंशी

समाज में सुख-शांति कैसे बनी रहे इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यही मानवतावादी जीवन का सच्चे अर्थों में सार है

एक तरफ दुनिया की अधिकांश आबादी धन दौलत के पीछे भाग रही है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि भाई-भाई का नहीं हो पा रहा है। इंच भर जमीन के लिए लोग मरने-मारने पर उतर जा रहे हैं। रिश्तों पर धनबल हावी हो गया है। भौतिकतावादी सोच ने व्यक्ति को अंधा बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात का एक परिवार ऐसा भी है जो अपनी करोड़ों की संपत्ति दान कर संन्यासी बन गया है। गुजरात के भावेश भंडारी और उनकी पत्नी ने अपनी 200 करोड़ की संपत्ति को दान कर एक भिक्षु के रूप में जीवन जीने का संकल्प लिया है। संन्यासी बनने के लिए सांसारिक मोहमाया को त्याग कर अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देना होता है।

अपनी अकूत संपत्ति के लिए मशहूर भंडारी परिवार के इस फैसले ने एक नया विमर्श का मुद्दा समाज को दे दिया है। वैसे भी धन-दौलत होने से व्यक्ति के सुखी होने की कल्पना नहीं की जा सकती। धन-दौलत ही सबकुछ होता तो सुविधाओं से वंचित दुनिया के कई देश हैप्पीनेस इंडेक्स में विकसित देशों से अव्वल नहीं होते। बीते दिनों ही बेंगलुरु के साफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट ने कई लोगों के दर्द को दुनिया के सामने ला दिया था। 24 साल के उस इंजीनियर ने यह सवाल किया कि मेरी सैलरी सालाना 58 लाख रुपये है। काम का कोई तनाव नहीं है। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में सभी सुविधाओं में रह रहा हूं, लेकिन मैं अकेला पड़ गया हूं। एक ही तरह की जिंदगी से बोर हो गया हूं। मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं, क्या करूं, कैसे खुशी हासिल करूं? जबकि हममें से अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि पढ़ाई खत्म होते ही अच्छी नौकरी, बड़ी कंपनी में जाब, किसी मेट्रो सिटी की चकाचौंध भरी जिंदगी हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी! बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि जिंदगी जीने के लिए धनी होना जरूरी है, पर जब अचानक इस तरह की कोई बात सामने आती है तो अंदर से एक आवाज आती है कि हम कहीं किस अंधी दौड़ का हिस्सा बनकर तो नहीं रह गए हैं, जिसका न कोई आदि है और न अंत।

जब हमारे समाज से भावेश भंडारी जैसे लोग निकलते हैं जो पैसे को त्यागकर भिक्षु बनना स्वीकार करते हैं तब सचमुच आंखें खुलती हैं और समझ आता है कि सिर्फ पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। वह तो अनमोल है। एक राजा भी दुखी हो सकता है और एक रंक अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर खुश हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को आत्म अवलोकन कर अपनी इच्छाओं से परे जाकर स्व की खोज करनी चाहिए। समाज में शांति कैसे बनी रहे इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यही मानवतावादी जीवन का सच्चे अर्थों में सार है, वरना मृग-मरीचिका में उलझे रहेंगे। अंत में हाथ में कुछ आने वाला नहीं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

लोकतंत्र को लांछित करने वालों को जवाब

श्रीराम चौलिया ने अपने आलेख 'भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने का अभियान' में ठीक ही कहा है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया एवं शासन-व्यवस्था में कुछ सुधार आवश्यक हैं, पर हमारी उपलब्धियों को अनदेखा कर मनगढ़ंत आरोप लगाना एक सुनियोजित षड्यंत्र है। भारतीय लोकतंत्र के महापर्व आम चुनावों का जब से शंखनाद हुआ है तब से देश के भीतर और बाहर अनेक फेक नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सशक्त लोकतंत्र के विदेश मंत्री वैश्विक मंचों पर दूसरे देशों को जो खरी-खरी सुना रहे हैं, वह तथाकथित उदारवादी बुद्धिजीवियों को पच नहीं रहा है। आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने में लगा है। वर्षों से चली आ रही जाति, धर्म, समुदाय, अगड़े-पिछड़े की (कु) राजनीति को ठेंगा दिखाकर समग्र देश की बात हो रही है, विकसित भारत की चर्चा हो रही है। ऐसे में जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर राजनीति करने वाले ठेकेदार बेरोजगार हो रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय वोटर रेवड़ी संस्कृति को पूरी तरह से नकारें। केवल उसी दल की बात पर आश्वस्त हुआ जाए, जो एक भारत-श्रेष्ठ भारत की बात करे, विकसित भारत की योजना प्रस्तुत करे, जनमानस की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करे, पर्यावरण को संवारने का पक्षधर हो। सशक्त और श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि देश के सभी नागरिक लोकतंत्र के चुनावी महापर्व में अपने वोट के अधिकार का सोच-समझकर प्रयोग करें, ताकि भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने वालों को उपयुक्त उत्तर मिले। योगराज, खरड़ (पंजाब)

दुष्प्रचार का खेल

'मनचाहे आरोपों की राजनीति' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने यह कहने का प्रयास किया है कि अगर विरासत कानून सहित आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है तो इसके पीछे उसके द्वारा दिए गए कुछ संकेत भी हैं जैसे संपत्तियों का सर्वे कराने सहित सैम पित्रोदा के अमेरिका में दिए बयान कि इस पर बहस होनी चाहिए। दूसरा कदम कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उठाया है कि समस्त मुसलमानों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया है। सबसे अहम सीएए और कृषि कानून पर कांग्रेस ने ऐसे ही दुष्प्रचार किए थे जिसने मोदी सरकार को कई महीनों तक परेशानियों मे डाल रखा था। विपक्ष के नेता विशेषकर राहुल गांधी विदेशी मीडिया में भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं, उसमें हां में हां मिलाते नजर आते हैं। ऐसे में मनचाहे आरोपों की राजनीति तभी बंद होगी जब कोई आदर्श राजनीतिक संहिता भी होगी, अन्यथा दुष्प्रचार का खेल दोनों ओर से खेला जाता रहेगा। जनता को वास्तविकताओं से कौन अवगत कराएगा? विपक्ष की सकारात्मक भूमिका इसी वास्तविकता से रू-ब-रू कराने की है। mukeshkr.m7542@gmail.com

मनमानी व्याख्या

आजकल राजनीतिक दल एक दूसरे के घोषणा पत्रों की व्याख्या मनमाने ढंग से कर रहे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि एक दूसरे के घोषणा पत्रों की व्याख्या करने के बजाय सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्रों की व्याख्या करें। अपने प्रतिद्वंद्वी दलों के प्रति मनचाहे, बेबुनियाद और भ्रामक बातें फैलाकर भय और घृणा का माहौल पैदा करना और वोट पाने की अपेक्षा करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। यह नकारात्मक राजनीति को दर्शाती है, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप और छींटाकशी करना मानो हर चुनाव का ही हिस्सा बन गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों और राजनेताओं को आत्म मंथन की जरूरत है। एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा कि सारे राजनीतिक दल एवं राजनेता अपनी-अपनी घोषणाओं एवं वादों की ही व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करें और चुनाव जनता के मुद्दों पर ही लड़ें।

क्षितिज उपाध्याय, जौनपुर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

अमेरिका को खरी-खरी

पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिका का श्रेष्ठता बोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका ताजा उदाहरण है एक अमेरिकी आयोग की भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल रिपोर्ट। इसके कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई थी। यह चिंता ऐसे समय जताई गई थी, जब अमेरिका में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनरत छात्रों और शिक्षकों को गिरफ्तार कर उन्हें शैक्षिक परिसरों से बलपूर्वक खदेड़ने की तैयारी हो रही थी। भारतीय विदेश मंत्रालय को मानवाधिकारों पर अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज करते हुए यह कहना पड़ा था कि वह भारत के बारे में अपनी खराब समझ का परिचय दे रही है। भारत के प्रति जितना दुराग्रह इस रिपोर्ट में झलक रहा था, उतना ही धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट में भी। इसीलिए भारत को कहीं कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह कहना पड़ा कि धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन करने वाला अमेरिकी आयोग राजनीतिक एजेंडे वाला एक पक्षपाती संगठन है और वह भारत को लेकर अपना दुष्प्रचार जारी रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि उक्त रिपोर्ट भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश है। इस नतीजे पर पहुंचने के अच्छे-भले कारण हैं, क्योंकि चंद दिनों पहले ही अमेरिकी सूत्रों के हवाले से खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में शामिल एक भारतीय अधिकारी का नाम लिया गया था। अमेरिका भारत पर तो इस साजिश की जांच करने का दबाव बनाए हुए है, लेकिन यह बताने को तैयार नहीं कि वह ऐसे आतंकी को क्यों पाल रहा है, जो भारत को आए दिन धमकियां देता रहता है? अमेरिका और पश्चिम के अन्य देश धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों आदि पर भारत को तो उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपने अंदर नहीं झांकते। भारत के अंदरूनी मामलों में अनावश्यक टिप्पणी करने वाले पश्चिमी देशों की संस्थाएं क्या दुनिया को यह बताएंगी कि अमेरिका में पुलिस विश्वविद्यालयों में धावा क्यों बोल रही है और ब्रिटेन अवैध अप्रवासियों को पकड़-पकड़ कर रवांडा क्यों भेज रहा है? इसी तरह कनाडा में हड़ताली ट्रक ड्राइवरों से निपटने के लिए आपातकाल क्यों लगा दिया जाता है? ध्यान रहे कि ये वही पश्चिमी संस्थाएं हैं, जो कृषि कानून विरोधी उग्र आंदोलन और शाहीन बाग के अराजक धरने को एक तरह से न केवल अपना समर्थन दे रही थीं, बल्कि भारत को मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ भी पढ़ा रही थीं। वास्तव में अमेरिका, कनाडा समेत यूरोपीय देश तब तक बाज नहीं आने वाले, जब तक भारत भी इन देशों के मामलों में अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं शुरू करता। भारत को केवल प्रतिक्रिया ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि बाकायदा रिपोर्ट जारी कर यह बताना चाहिए कि इन देशों में क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि किसी भी देश में सब कुछ ठीक नहीं।

मिलावट पर लगे रोक

प्रदेश में खाद्य सामग्रियों में मिलावट की शिकायतें औसत रूप से कम हैं। इसकी वजह यह नहीं कि मिलावटखोरी नहीं होती। इसकी वजह है, शिकायतें नहीं आतीं। क्योंकि शिकायत करने की प्रक्रिया जटिल है। नियम ऐसे बने हैं कि शिकायत करने वाले परेशान हो जाते हैं। खाद्य सामग्री की फोटो करना। वीडियो बनाना। उसे एक निश्चित तापमान पर रखना। साथ ही शिकायती आवेदन पर चार गवाहों के हस्ताक्षर कराना। यही वजह है कि शिकायत करने वाले इस ओर से उदासीन हो जाते हैं। कई राज्यों में मिलावट की सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचर बनाए जाते हैं। गुप्तचरों की शिकायत पर खाद्य संरक्षा से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है। बिहार के विभागीय पदाधिकारी कहते हैं कि गुप्तचर बनाए जा रहे हैं। यानी वर्षों बाद भी गुप्तचर बनाए जाने की प्रक्रिया अभी चल ही रही है। कई खाद्य पदार्थ तो ऐसे हैं, जिनके सेवन से उपभोक्ता गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। शिकायत की प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में भी कदम उठाया जाना चाहिए। गर्मी के दिनों में प्रायः घरों में पेट की बीमारी से परेशान लोगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा मान लिया जाता है कि गर्मी की वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन, पीड़ित व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ की जांच की जाए तो संभव है उसमें मिलावट एक बड़ी वजह निकलकर सामने आए। नकली दूध, नकली पनीर, नकली तेल, मिलावट वाले मसाले ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, जो पेट की बीमारी की वजह बनते हैं। अतः जरूरी है कि मिलावटखोरी के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चले। इसमें आम जन का सहयोग लिया जाए।

कई खाद्य पदार्थ तो ऐसे हैं, जिनके सेवन से उपभोक्ता गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। मिलावटखोरी पर हर हाल में नियंत्रण जरूरी है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने की सुविधा मिलनी चाहिए?

आज का सवाल

क्या सुप्रीम कोर्ट का यह कहना सही है कि सात फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा?

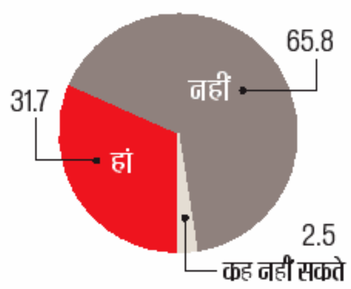

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

दुनिया की नजर में हैं लोकसभा चुनाव

विवेक काटजू

चूंकि विश्व में भारत की साफ्ट पावर का सबसे बेहतरीन पहलू लोकतंत्र है, इसलिए हमें उसे पूर्णतः अक्षुण्ण बनाए रखना होगा

हाल में कई देशों की यात्रा के दौरान तमाम सेवानिवृत्त राजनयिकों, राजनेताओं के साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों से चर्चा का अवसर मिला। उनसे चर्चा के बाद लगा कि हालिया दौर में भारत की अंतरराष्ट्रीय साख बढ़ी है और इसके साथ ही देश में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आ रही हैं। इन चर्चाओं में स्वाभाविक रूप से मैंने जोर देकर कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और अभी वहां मानव इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी कवायद चल रही है। जब देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही हो तो देश को लेकर विदेश में बन रही धारणाओं की थाह लेना काफी उपयोगी सिद्ध होता है।

किसी भी देश की प्रतिष्ठा को मापने के दो प्रमुख मापदंड अहम माने जाते हैं। एक सामरिक शक्ति और दूसरी आर्थिक शक्ति। आवश्यक नहीं कि सामरिक रूप से शक्तिशाली देश को वैश्विक लोकप्रियता मिले, लेकिन उसे एक महत्वपूर्ण देश की प्रतिष्ठा अवश्य मिल जाती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व बढ़ता है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश की ओर कमजोर आर्थिकी वाले देश मदद की उम्मीद लगाए रहते हैं और ऐसे देश को क्षति पहुंचाने को लेकर उनमें मन में डर बना रहता है। यही कारण है कि समकालीन विश्व में सामरिक एवं आर्थिक के साथ ही विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी और नवाचार के दम पर अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति गिना जाता है। चीन भी उसी की राह पर है। भारत ने भी सैन्य एवं आर्थिक मोर्चे पर दशकों से निरंतर प्रगति की है, जिसमें सभी सरकारों का योगदान रहा है। पिछले एक दशक में मोदी सरकार भी उसी दिशा में सक्रिय रही है।

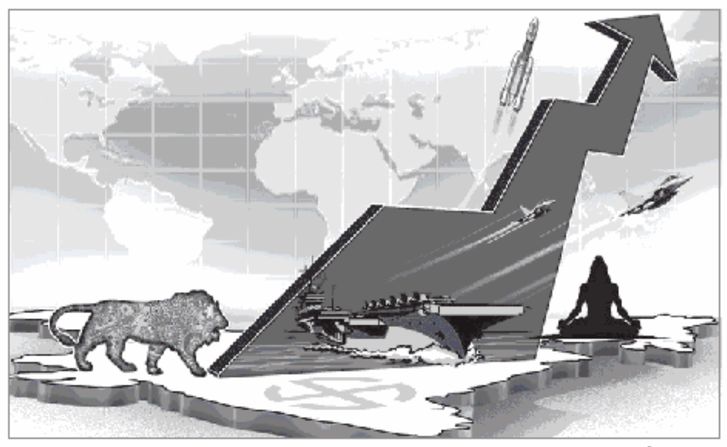

अवधेश राजपूत

बीते एक दशक के दौरान वैश्विक परिदृश्य में बहुत बदलाव आया है। इस दौरान चीन का उदय और भारत के प्रति उसकी टेढ़ी नजर देखने को मिली। गलवन में मिली चीनी चुनौती के बाद मोदी सरकार को उससे निपटने की राह तलाशनी ही थी। उसी दौरान आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा मोदी का आह्वान समयानुकूल था। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ ही भारत को अपने दम पर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र भी बनना होगा। ऐसे में चीन से बढ़ता आयात किसी दृष्टि से संतोषजनक नहीं। इस अवधि में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और तेजी से तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए मोदी सरकार के आर्थिक प्रबंधन को श्रेय देना होगा।

आज भारत जिस स्थिति में पहुंचा है उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और उनकी सरकार में वित्त मंत्री एवं कालांतर में पीएम बने मनमोहन सिंह के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। राव के दौर में ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। अब समाजवाद भले ही गलत समझा जाने वाला शब्द हो, लेकिन आजादी के तुरंत बाद जब भारत को सामंतवाद और आर्थिक गतिहीनता की स्थिति से निकालकर समतावादी समाज की स्थापना एवं देश को आर्थिक प्रगति की राह पर बढ़ाने जैसे लक्ष्य सामने थे, तब ऐसी स्थिति में भारतीय राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होनी थी। इस प्रकार से उस समय समाजवाद अनुपयुक्त नहीं था। वर्तमान की दृष्टि से अतीत को आंकना उचित नहीं। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं कि प्रधानमंत्री नेहरू का जोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर अधिक था। देश को ज्ञान महाशक्ति बनाने की नेहरू की नीति आज भी प्रासंगिक बनी हुई है।

पिछले एक दशक के दौरान अपनी शक्ति स्थापना से जुड़ी भारत की क्षमता बढ़ी है। भारतीय नौसेना अब बहुत ताकतवर हो गई है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव एवं उपस्थिति दर्शा रही है। वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभाने की क्षमताएं हासिल कर रही है। इस कड़ी में भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देशों द्वारा गठित क्वाड संगठन का यही संकेत है कि वह इस क्षेत्र में चीन की दादागीरी एवं मनमानी नहीं चलने देगा। ये देश नियम-आधारित वैश्विक ढांचे के पक्षधर हैं। इसमें मुक्त सामुद्रिक आवाजाही सुनिश्चित करना भी शामिल है, जो भारत के हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत न केवल एक व्यापारिक राष्ट्र है, बल्कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात होने वाले संसाधनों पर निर्भर भी है। देश को सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने में भी सभी सरकारों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई है। चुनावी दौर में किसी एक सरकार को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। हालांकि यह विभिन्न राजनीतिक दलों के ऊपर निर्भर है कि वे भारत की सामरिक तैयारियों को लेकर अपनी भूमिका किस प्रकार रेखांकित करते हैं।

साफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक शक्ति किसी देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा तीसरा अवयव है। मोदी सरकार और संघ परिवार भारत की साफ्ट पावर को बढ़ाने पर विशेष महत्व देते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने देश की साफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। इसमें योग और मानवता के विकास में प्राचीन भारत के योगदान जैसे पहलुओं को रेखांकित किया गया। उन्होंने भारत को 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में भी प्रस्तुत किया। हालांकि देश की प्रतिष्ठा पर साफ्ट पावर के सुस्पष्ट प्रभाव का आकलन कुछ मुश्किल है, लेकिन यह देश की छवि को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि अंग्रेजी के कारोबार और कूटनीति की भाषा बन जाने से इंग्लैंड को बहुत लाभ पहुंचा। इसी तरह हालीवुड स्थित अमेरिकी फिल्म उद्योग उसकी साफ्ट पावर का हिस्सा है। इसी संदर्भ में बालीवुड ने भारत के लिए भूमिका निभाई है।

निःसंदेह दुनिया का ध्यान प्राचीन भारत की उपलब्धियों की ओर आकर्षित कराया जाना चाहिए, लेकिन भारत की साफ्ट पावर का सबसे बेहतरीन पहलू उसका लोकतंत्र है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश किस प्रकार अपने लोकतंत्र को कायम रखे हुए है, यह विश्व के समक्ष किसी आश्चर्य से कम नहीं। इसीलिए, लोकतंत्र की सेहत और स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से सभी नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण सदैव दूसरों की निगरानी में रहेगा। जब तक हम लोकतंत्र को पूर्णतः अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, तब तक भारत की साफ्ट पावर मुखरता के साथ अपनी चमक बिखेरती रहेगी।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

कौन खतरा बन रहा है आरक्षण के लिए

बृज लाल

आरक्षण के मामले में यह देखने की आवश्यकता है कि किस दल की सरकार ने उसके लिए क्या किया?

होती रही है आरक्षण में कटौती की कोशिश ● फाइल

कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाला विपक्षी मोर्चा आइएनडीआइए आजकल दो फर्जी नैरेटिव चला रहा है। एक यह कि यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई तो दलितों एवं पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी और दूसरा यह कि वह संविधान को बदल देगी। इस फर्जी नैरेटिव से वह दलितों और पिछड़ों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। सच तो यह है कि कांग्रेस आरंभ से ही दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी रही है। जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वे आरक्षण को पसंद नहीं करते। काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ों के आरक्षण की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उसे लागू नहीं होने दिया। जब 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तब जाकर अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण मिल पाया। यह मोदी सरकार है, जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जबकि कांग्रेस की सरकारों ने इसे वर्षों तक लटकाए रखा। अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत वहां समस्त मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा मानकर आरक्षण दे दिया। आखिर वह इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि कर्नाटक के सभी मुस्लिम पिछड़े हैं और इस कारण वे आरक्षण के हकदार हैं? क्या मुस्लिम समाज को सामाजिक रूप से ओबीसी समुदाय के समकक्ष रखा जा सकता है? कांग्रेस इस तरह का काम अविभाजित आंध्र प्रदेश में भी कर चुकी है। वहां दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में से ही मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। कांग्रेस ने जिस रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट में दलितों/पिछड़ों के आरक्षण को कम करके मुस्लिम समुदाय को देने की सिफारिश की गई थी। बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर पंथ-मजहब आधारित आरक्षण के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की।

राहुल गांधी के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा अभी हाल में इस मत का समर्थन करते दिखे कि संविधान निर्माण में डा. आंबेडकर नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू की मुख्य भूमिका थी। ध्यान रहे कि नेहरू जी ने डा. आंबेडकर के न चाहते हुए भी संविधान में अनुच्छेद-370 और 35ए जोड़ा, जिसके जरिये जम्मू-कश्मीर में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का हक छीना गया। इस विभाजनकारी अनुच्छेद के चलते जम्मू-कश्मीर के अनुसूचित समाज के उच्चशिक्षित युवा भी केवल सफाई कर्मी की ही नौकरी पा सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद-370 खत्म कर जम्मू-कश्मीर को केवल भारत का अभिन्न अंग ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने राज्य में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण के उस अधिकार को भी बहाल किया, जिसकी दशकों से अनदेखी हो रही थी। अब आइएनडीआइए के कुछ घटक दल कह रहे हैं कि सत्ता में आने पर वे अनुच्छेद-370 वापस लाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो वहां के दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण का अधिकार छिन जाएगा। क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण को छीनने के अपने घटक दलों के वादे का समर्थन कर रही है?

यह भी ध्यान रहे कि संविधान में सबसे अधिक 80 संशोधन कांग्रेस ने ही किए। 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम भी उसने ही किया था। कांग्रेस ने डा. आंबेडकर को कभी यथोचित सम्मान नहीं दिया। उन्हें 1946 में संविधान सभा, 1952 में संसदीय चुनाव और उसके बाद हुए संसदीय उपचुनाव में भी हराने का काम किया। जब तक केंद्र में कांग्रेस सरकार रही, तब तक डा. आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिल सका। उन्हें 31 मार्च, 1990 को भारत रत्न तब मिल पाया, जब केंद्र में भाजपा के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब के सम्मान में अनेक कार्य किए, जिनमें से एक 'पंच तीर्थ' का निर्माण है।

कांग्रेस माकपा के दबाव में यहां तक कहने लगी है कि यदि वह सत्ता में आई तो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को समाप्त करने का काम करेगी। इस कानून के तहत भारत की नागरिकता उन हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन शरणार्थियों को मिलने वाली है, जो उत्पीड़न के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन कर 2014 से पहले भारत आए थे। भारत की नागरिकता के हकदार इन शरणार्थियों में 70-75 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं और इसमें भी अधिकतर बांग्लादेश से आए नमोशूद्र और मतुआ समाज के लोग हैं। यदि सीएए समाप्त किया गया तो सबसे अधिक चोट अनुसूचित जातियों को पहुंचेगी।

यह भी याद रखें कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत हुई। इनमें से बीएचयू तो संविधान प्रदत्त आरक्षण देता है, मगर एएमयू ने दलितों-पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। इंदिरा सरकार ने 1981 में एएमयू एक्ट में संशोधन कर दलितों-पिछड़ों के हितों के प्रविधान को ही समाप्त कर दिया। यह तो भला हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसने पहले 2005 और बाद में 2006 में निर्णय दिया कि इंदिरा सरकार द्वारा किया गया संशोधन गैर-कानूनी है। उसने 1981 में किए गए संशोधन को समाप्त कर दिया। उसके निर्णय के बावजूद एएमयू में अब भी दलितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों को संविधान प्रदत्त आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है।

दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़े समाज के कल्याण के लिए जितना काम मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है, उतना आजादी के कई दशकों बाद तक भी नहीं हुआ। आरक्षण के मामले में यह देखने की आवश्यकता है कि किस दल की सरकार ने उसके लिए क्या किया?

(लेखक भाजपा के राज्यसभा के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भावनाएं

भावनाएं सभी प्राणियों में विद्यमान होती हैं, लेकिन वे सदा प्रदर्शित हों, ऐसा नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व तो भावनाओं से ही जुड़ा रहता है। जीवन के प्रारंभ से ही ये किसी न किसी रूप में सामने आती रहती हैं। भावनाहीन या असंवेदनशील व्यक्ति का होना असंभव सा है। भले ही उसके परिवेश में उसकी भावनाओं को निरर्थक या तुच्छ मानकर एक किनारे कर दिया गया हो। स्नेह, प्रेम, क्रोध, घृणा, करुणा और हीनता जैसी कितनी ही भावनाएं हमारे व्यक्तित्व की प्रगति या अधोगति के लिए उत्तरदायी होती हैं।

हीनभावना से जो पीड़ित होता है आमतौर पर उसे इसका आभास नहीं होता है और दूसरे भी उसकी इस समस्या से अनभिज्ञ रहते हैं। हीनभावना प्रायः बाल्यावस्था से ही आकार लेने लगती है। यदि इसका समय से निवारण न हो तो कष्टकर व्याधि का रूप ग्रहण कर सकती है। यद्यपि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन प्रारंभ से ही यदि कोई प्रतिकूल व्यवहार, पक्षपातपूर्ण रवैया या असंपन्नता का सामना करता आया हो तो धीरे-धीरे उसमें हीनभावना पैदा होना स्वाभाविक है। मनुष्य कई बार अपनी कमियों को पूरा करने के लिए वांछित या अवांछित किसी भी मार्ग पर चल पड़ता है। वह अपने से उत्तम लोगों पर अनर्गल आरोप लगाने में जुट जाता है। इससे दूसरे तो प्रभावित होते ही हैं, वह स्वयं भी गिरता चला जाता है।

मनोविज्ञानियों के अनुसार हीनभावना से ग्रस्त लोग स्वयं की अल्पताओं को दूर करने के लिए श्रेष्ठता का ढोंग करने लगते हैं। यह उनका स्वभाव बन जाता है। वे बेवजह अपने से श्रेष्ठ लोगों का हर प्रकार से उत्पीड़न करने लगते हैं, परंतु कितने ही कृत्रिम आवरणों से हीनभावना नहीं छिपती। उनका व्यक्तित्व, चाल-चलन, बोल-चाल कहीं न कहीं उनकी असलियत को झलका ही देती हैं। ऐसे लोगों को उत्तम दिखने का प्रयास छोड़ अध्यात्म, ध्यान एवं समाजसेवा में लगना चाहिए। इस प्रकार वे स्वयं ही श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो जाएंगे।

छाया श्रीवास्तव

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

लोकतंत्र को लांछित करने वालों को जवाब

श्रीराम चौलिया ने अपने आलेख 'भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने का अभियान' में ठीक ही कहा है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया एवं शासन-व्यवस्था में कुछ सुधार आवश्यक हैं, पर हमारी उपलब्धियों को अनदेखा कर मनगढ़ंत आरोप लगाना एक सुनियोजित षड्यंत्र है। भारतीय लोकतंत्र के महापर्व आम चुनावों का जब से शंखनाद हुआ है तब से देश के भीतर और बाहर अनेक फेक नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सशक्त लोकतंत्र के विदेश मंत्री वैश्विक मंचों पर दूसरे देशों को जो खरी-खरी सुना रहे हैं, वह तथाकथित उदारवादी बुद्धिजीवियों को पच नहीं रहा है। आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने में लगा है। वर्षों से चली आ रही जाति, धर्म, समुदाय, अगड़े-पिछड़े की (कु) राजनीति को ठेंगा दिखाकर समग्र देश की बात हो रही है, विकसित भारत की चर्चा हो रही है। ऐसे में जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर राजनीति करने वाले ठेकेदार बेरोजगार हो रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय वोटर रेवड़ी संस्कृति को पूरी तरह से नकारें। केवल उसी दल की बात पर आश्वस्त हुआ जाए, जो एक भारत-श्रेष्ठ भारत की बात करे, विकसित भारत की योजना प्रस्तुत करे, जनमानस की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करे, पर्यावरण को संवारने का पक्षधर हो। सशक्त और श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि देश के सभी नागरिक लोकतंत्र के चुनावी महापर्व में अपने वोट के अधिकार का सोच-समझकर प्रयोग करें, ताकि भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने वालों को उपयुक्त उत्तर मिले।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

साख गिराना चाहतीं विदेशी शक्तियां

श्रीराम चौलिया द्वारा लिखित आलेख 'भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने का अभियान' पढ़ा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। अभी देश में लोकसभा चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। सभी दल भविष्य की योजनाओं को जनता के समक्ष रखते हैं। आपातकाल को छोड़ कर देश में कभी भी लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं रहा है। चीन व रूस में तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अमेरिका जैसे देश में सत्ता हस्तांतरण के दौरान विवाद देखा गया, लेकिन भारत में कभी भी सत्ता हस्तांतरण के क्रम में किसी तरह का कोई विवाद नहीं देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती साख को गिराने के लिए कई विदेशी शक्तियां लगी हुई हैं। उन विदेशी ताकतों को कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों का साथ भी मिल रहा है। विपक्षी दल दुष्प्रचार कर रहे हैं कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश का संविधान सुरक्षित हाथों में है, लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। आज भी कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। मुस्लिम कट्टरपंथी देश में मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हैं। इस आरोप को हवा देने में सभी विपक्षी दल एक हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा के शासनकाल के दौरान ही डा. एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। केंद्र सरकार की सभी योजनाएं समान रूप से सभी वर्गों को लाभ पहुंचा रही हैं।

ई हिमांशु शेखर, कैसपा, गया

धन उपकरण था चुनावी चंदा

हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए वर्तमान राजनीतिक प्रणाली को दोष देते हैं, लेकिन क्या राजनीति से इतर राज्य की परिकल्पना संभव है। शायद नहीं, तभी तो विचारक अरस्तू ने कहा था मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। हाल ही में इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। गत छह वर्ष पहले शुरुआत के साथ ही इलेक्टोरल बांड विवादों में रहा है। यह एक तरह का धन उपकरण है। जिसका उद्देश्य चुनावी फंडिंग को विनियमित करना था। इसे वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक लाकर पेश किया गया और वर्ष 2018 में लागू हुआ। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना, अर्थात चुनावी फंडिंग कैसे हो रही है, यह जानना मतदाता का अधिकार है। कोर्ट का कहना है कि इससे काले धन के प्रसार पर अंकुश नहीं लगता। बल्कि यह काले धन को पिछले दरवाजे से सफेद धन में बदलने का माध्यम बन चुका था। काले धन को रोकने के नाम पर लोगों के सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया, जो उचित नहीं था। यह ना केवल स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन है। बल्कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि अप्रैल 2019 के कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद जितने भी चुनावी बांड खरीदे गए हैं, उसे सार्वजनिक करें। इससे मतदाता बेहतर निर्णय ले सकेंगे।

प्रभात कुमार भारती, झंझारपुर, मधुबनी

पोस्ट

सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे, यह तो हमारे हाथ में ही है।

कोमल शेखावत@Shekhawat_089

इस बार गुजरात का चुनावी मुकाबला इतना एकतरफा लग रहा है कि देश में कहीं इसकी चर्चा भी नहीं हो रही। अभी तक एक भी डिबेट में गुजरात का जिक्र तक नहीं आया। बाकी लगभग सभी राज्यों पर बहस हुई है।

मानक गुप्ता@manakgupta

इंटरनेट मीडिया झूठ और अतिरंजना का ऐसा भंवर बन गया है, जिसमें रोज एक सच फंसा दिखता है। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को ही लें। इसके संभावित खतरे 2021 के आरंभ से पता थे, मगर जोखिम दस लाख में एक का था, इसलिए टीके लगाए। कंपनी ने वही बात कोर्ट में मानी है। शिव कांत@shivkant

यह अजीब संयोग है कि विश्व कप टीम में चुने गए कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन आइपीएल में एकाएक खराब हो गया। बुमराह, सिराज और अर्शदीप विकेट नहीं ले पा रहे तो हार्दिक पांड्या, रोहित, सूर्यकुमार यादव, जडेजा और शिवम दुबे के बल्लों से रन नहीं निकले। जब विश्व कप सामने है तो फार्म बनाए रखना जरूरी है।

सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जनपथ

गरमी दो-दो पड़ रहीं मौसम और चुनाव,
दोनों गरमी में जलें बस गरीब के पांव।
बस गरीब के पांव वही तो है मतदाता,
एसी वाला कौन डालने मत है आता!
लोकतंत्र में लोग बने ना यदि मतधर्मी,
सहनी होगी बंधु कुशासन की तब गरमी।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 21

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 3 मई 2024

पुस्तकें वे साधन हैं, जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के मध्य पुल का निर्माण कर सकते हैं। -सर्वपल्ली राधाकृष्णन

जीएसटी संग्रह का ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचना अर्थव्यवस्था की मजबूती को ही दर्शाता है, जिसकी प्रमुख वजहें मजबूत मांग व खपत, सेवा व विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, नए कर दाताओं की संख्या में बढ़ोतरी और कर चोरी व फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक हैं। पर इससे जीएसटी में सुधार की मांग दब न जाए।

ऐतिहासिक ऊंचाई पर

चालू वित्त वर्ष के पहले ही महीने यानी अप्रैल में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का पहली बार दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचना ऐतिहासिक है, जो देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त तो करता ही है, तमाम चुनौतियों के बावजूद नए वित्तीय वर्ष को एक आदर्श शुरुआत देने जैसा भी है। दरअसल, इस दौरान आयात से होने वाले राजस्व संग्रह में पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 8.3 फीसदी का इजाफा हुआ है, जबकि घरेलू गतिविधियों से कर-संग्रह में भी 13.4 फीसदी की महत्वपूर्ण बढ़त हुई है। इसी तरह, आयात उपकर भी पिछले वर्ष की तुलना में 2.4 फीसदी अधिक रहा। अप्रैल में केंद्रीय जीएसटी में 27.8 फीसदी और राज्य जीएसटी संग्रह में 25.9 फीसदी की वृद्धि भी उत्साहजनक रही। हालांकि एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से मिली राशि का पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में दो फीसदी घटना चिंताजनक है, लेकिन अप्रैल में रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह का 17.1 फीसदी बढ़ना वाकई अर्थव्यवस्था के लिहाज से मील का पत्थर ही माना जाएगा। अमूमन ऐसा देखा गया है कि किसी भी वित्त वर्ष के अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा जीएसटी प्राप्त होता है। इस वर्ष से पहले का 1.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड अप्रैल, 2023 का था। दरअसल, यह फसलों की कटाई और सहालग का मौसम तो होता है, इस वर्ष तो चुनाव और आईपीएल भी छाए हैं, जिनसे स्वाभाविक ही खर्च बढ़ा है। बढ़ती गर्मी से एयरकंडीशनर व रेफ्रिजरेटर की मांग बढ़ना और स्कूल-कॉलेज की छुट्टियों की वजह से पर्यटन में अप्रत्याशित तेजी भी कर संग्रह की वजह बताई जा रही है। कुल मिलाकर देखें, तो मजबूत मांग व खपत के अतिरिक्त देश में जिस तरह से सेवा व विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई है और नए कर दाताओं में बढ़ोतरी हुई है, वह कर संग्रह में हुए इजाफे की सबसे महत्वपूर्ण वजहें रही हैं। यही नहीं, डिजिटलीकरण व पारदर्शिता को बढ़ावा दिए जाने से कर चोरी व फर्जीवाड़े पर भी रोक लगी है। अलबत्ता यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले महीनों में सकल जीएसटी राजस्व दो लाख करोड़ रुपये से आगे बढ़ पाता है या नहीं। साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि कई तरह की दरों के चलते जीएसटी की वर्तमान व्यवस्था काफी जटिल बनी हुई है, जिसकी वजह से विवाद भी पैदा होते हैं। ऐसे में, यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उससे जीएसटी में सुधारों की मांग दब न जाए, बल्कि वे चुनावों के बाद गठित होने वाली नई सरकार के लिए सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा ही बनें।

कारगिल युद्ध के पच्चीस साल

पच्चीस साल पहले ठीक आज के दिन पाकिस्तान ने कारगिल में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, जिसमें हर बार की तरह फिर से उसकी पराजय हुई। उसके बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा में कई तरह के सुधार किए, लेकिन आज भी भारत को अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है।

महेंद्र वेद
वरिष्ठ पत्रकार

जब भारत-पाकिस्तान रिश्तों की बात आती है, तो अतीत वर्तमान बन जाता है और भविष्य में सीखने के लिए कुछ अप्रिय सबक छोड़ जाता है। पाकिस्तान जबसे भारत से अलग हुआ है, इसने क्षेत्रीय जीत हासिल करने की कोशिश की है। हालांकि हर बार यह विफल रहा है। पच्चीस वर्ष पहले ठीक आज ही के दिन कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने पहले घुसपैठियों को भेजा, फिर सैन्य हमले को अंजाम दिया, क्योंकि भारत ऐसे हमले के प्रति लापरवाह था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा 21 फरवरी, 1999 को शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के भीतर ही कारगिल की घटना हुई।

भारत को घुसपैठियों के बारे में अचानक पता लगा। ताशी नामग्याल नामक चरवाहा जब अपनी गुम हुई भेड़ों को खोज रहा था, तो उसने पठानी शूट में पाकिस्तानियों को देखा, जो बाल्टिक पर्वत शृंखला पर बंकर खोद रहे थे। नब्बे डिग्री की खड़ी चट्टान पर चढ़ाई करने वाले युवा सैन्य अधिकारियों और जवानों ने बहादुरी से पाकिस्तानी गोलियों का सामना किया और अपने भारतीय नेतृत्व को गर्व करने का अवसर प्रदान किया। इस युद्ध में ज्यादातर 22-35 वर्ष के युवा जवान शहीद हुए। आधिकारिक रूप से भारत के 527 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 357 से 453 के बीच जवान मारे गए। पाकिस्तान ने अपने 600 अन्य जवानों की लाशों पर दावा न करके उन्हें अपमानित किया। नतीजतन भारत को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा।

वस्तुतः यह भारत के लिए कठिन कार्य था। पाकिस्तानियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करते हुए भारत ने अपनी वायु सेना और बोफोर्स तोप को तैनात कर अपनी रक्षा की। उसी साल एक भारतीय यात्री विमान का अपहरण हुआ, जिसे पहले लाहौर, फिर कांधार ले जाया गया। भारत को विमान, चालक दल और यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के लिए चार कश्मीरी आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा।

पच्चीस वर्ष बाद भी इन विफलताओं पर भारत में बहुत कम चर्चा हुई है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक नजम सेठी कहते हैं, 'भारत के साथ पाकिस्तान ने जितने भी युद्ध किए, सभी में हार गया, हालांकि उसी ने इसकी योजना बनाई थी, पर कुछ हासिल न कर सका।'

पहले सर्दियों में कारगिल क्षेत्र की ऊंचाइयों वाली चौकियों को दोनों देशों के सैनिक खाली कर देते थे और फिर वसंत के मौसम में वहां तैनात हो जाते थे। 1999 की सर्दी में पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना से पहले ही कारगिल द्रास एवं बाल्टिक की सामरिक ऊंचाइयों पर स्थित अग्रिम चौकियों पर आतंकियों के सहयोग से कब्जा कर लिया। हालांकि उसने ऐसा भारतीय इलाके पर कब्जे के लिए नहीं, बल्कि भारत पर सामरिक बढ़त पाने के लिए किया था। यदि वह सफल हो जाता, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक को अवरुद्ध करके कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच संपर्क खत्म कर सकता था। पाकिस्तानी योजनाकार चाहते थे कि भारत को सियाचिन ग्लेशियर छोड़ने और कश्मीर पर बातचीत करने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के बाद से आज तक भारत उस पर कब्जा जमाए हुए है। कारगिल युद्ध के बाद दोनों में से कोई भी पक्ष दुनिया के इस सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता है।

पाकिस्तानी लेखक तारिक अकील के अनुसार, सैन्य मामलों की सीमित जानकारी होने के कारण नवाज शरीफ भारतीय सेना की पलटवार करने की क्षमता से वाकिफ नहीं थे। वह इस भ्रम में थे कि घुसपैठिये सफल हो जाएंगे और कारगिल पर कब्जा कर लेंगे, जिससे भारत को कश्मीर पर अंतिम समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा और वह इतिहास में कश्मीर विजेता के रूप में जाने जाएंगे।'

पाकिस्तानी योजनाकारों ने मान लिया था कि चूंकि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है, इसलिए भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय प्रारंभिक चरण में ही हस्तक्षेप करेगा, जिससे नियंत्रण रेखा के पार मिली बढ़त पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा तथा चीन पाकिस्तान का पक्ष लेगा और भारतीय सेना ऊंचाई पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित पर्याप्त सैनिक नहीं जुटा पाएगी। लेकिन ये सारी बातें गलत साबित हुईं। किसी ने भी पाकिस्तान की इस बात को नहीं माना कि कश्मीरी स्वतंत्रता के लिए भारतीय सेना से लड़ रहे हैं और उनमें पाकिस्तानी सेना शामिल नहीं है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को आदेश दिया कि वह सभी पाकिस्तानी सैनिकों की भारतीय चौकियों पर से वापसी सुनिश्चित करें।

हालांकि कारगिल युद्ध ने छोटे पैमाने पर और सीमित भौगोलिक सीमाओं के साथ ही दोनों देशों में गहन सामरिक विश्लेषण को प्रेरित किया। भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की कमियों पर चर्चा की। वाजपेयी सरकार ने के. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में पाकिस्तानी हमलों के लिए जिम्मेदार घटनाओं तथा सशस्त्र घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा के रक्षा उपायों की सिफारिश के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी गठित की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजनीतिक, नौकरशाही, सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठानों ने यथास्थिति बनाए रखने में अपना निहित स्वार्थ खोज लिया है। उसने जोर देकर कहा कि कारगिल युद्ध, पाकिस्तान की ओर से चल रहे छद्म युद्ध और परमाणु सुरक्षा वातावरण को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जरूरत है।

युद्ध के बाद के मूल्यांकन की गंभीरता को रेखांकित करते हुए, खुफिया तंत्र, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और रक्षा प्रबंधन का मूल्यांकन करने के लिए चार कार्यबलों की स्थापना की गई। दो रिपोर्टों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रबंधन में कई बदलाव हुए। केंद्रीकृत संचार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को संभालने के लिए 2004 में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का गठन किया गया था। सेना की विशिष्ट खुफिया जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा खुफिया एजेंसी का गठन किया गया। बेहतर अंतर-एजेंसी सूचना-साझाकरण और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-एजेंसी केंद्र स्थापित किया गया। रक्षा प्रतिष्ठान को भी कुछ हद तक पुनर्गठित किया गया। आज भारत आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत है, लेकिन आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की जरूरत है।

जीवन धारा

लुइस एल हे

हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। लेकिन कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है।

ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं

जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं, वह हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूं कि हर व्यक्ति, जिसमें मैं भी शामिल हूं, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में आनेवाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हममें से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार, जो हम बोलते हैं, वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं, तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है।

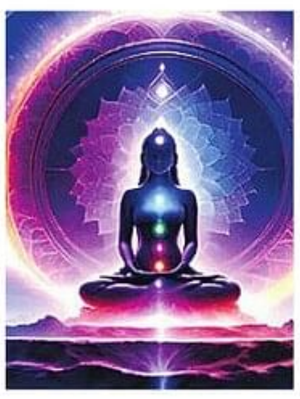

दूसरे रूप में, हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ है कि मैं अपने और जीवन के बारे में जो भी स्वीकारता हूं, वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प होते हैं।

हममें से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहां एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं, जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, रंग, देश चुनते हैं और फिर किसी खास माता-पिता को खोजते हैं, जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे, जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं, तो आम तौर पर अपने माता-पिता पर उंगली उठाते हैं और शिकायत करते हैं, 'आपने मेरे साथ ऐसा किया।' लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना, क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे।

हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित होती हैं और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। मेरा मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया, क्योंकि वे आपके विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यह कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने समय से कोई समस्या थी, या वह कितनी बड़ी या कितनी घातक है।

इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है, हमारे अनुभव अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम हैं। यहां तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका यह विचार है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूं, एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार न हो, तो इस तरह की भावना भी न होगी। विचारों को बदला जा सकता है। इसलिए विचार को बदलें, तो यह भावना समाप्त हो जाएगी।

वर्तमान सबसे शक्तिशाली...

सूत्र

आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है, वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने थे, जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। लेकिन वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है।

दूसरा पहलू

केरल के पलक्कड़ जिले के शोरानूर में फार्मर शेयर नामक एक प्रशिक्षण केंद्र है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है।

ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का अनूठा प्रयोग

केरल के पलक्कड़ जिले के शोरानूर में फार्मर शेयर नामक एक प्रशिक्षण केंद्र है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके संस्थापक अम्ब्रोज कूलियत ने बताया कि वर्ष 2017 में इस केंद्र की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले मित्रों के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाया गया, फिर 10 एकड़ जमीन पट्टे पर लेकर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की गई। अब यहां हथकरघे के कपड़े, मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ हस्तशिल्प की इकाइयां संचालित की जा रही हैं। वह आगे बताते हैं कि केंद्र की सोच गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों से प्रभावित है। प्रत्येक गांव को स्वशासन, आजीविका और संसाधनों के उत्पादन व वितरण में आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह इस केंद्र की एक छोटी पहल है। दरअसल, इसके पीछे आत्मनिर्भर समुदाय बनाने का विचार है, जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो।

बाबा मायाराम

गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों से प्रभावित इस केंद्र में कई तरह के खाद्य उत्पाद बनाए और बेचे जाते हैं। यहां खादी भंडार के सहयोग से तीन हथकरघा स्थापित किए गए हैं।

केंद्र के संस्थापक अम्ब्रोज का मानना है कि सच्ची शिक्षा कौशल हासिल करके ही हो सकती है। केंद्र ने लुप्त होते शिल्प को पुनर्जीवित किया और हाशिये पर रहनेवाले समुदायों का समर्थन किया है।

यहां कई तरह के खाद्य उत्पाद बनाए और बेचे जाते हैं। सूखे केले को शहद में डुबाकर, फिर उसे सुखाकर बेचा जाता है। इसी प्रकार, अचार, शहद, ताड़ का गुड़, जैम, शरबत पाउडर इत्यादि भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यहां शंखपुष्पी और तुलसी जैसे औषधीय पौधे भी हैं।

अम्ब्रोज बताते हैं कि हमने हस्तशिल्प पर जोर दिया है। यहां खादी भंडार के सहयोग से तीन हथकरघा स्थापित किए गए हैं, जहां हाथ से बुने सूत से कपड़ा तैयार किया जाता है। हथकरघा इकाई में पास के गांव की धनलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी और रेजुला काम करती हैं। ये तीनों घरेलू महिलाएं हैं, जिन्होंने पहले बाहर काम नहीं किया है। एक महिला प्रतिदिन करीब दो मीटर कपड़ा तैयार कर लेती है। उस कपड़े को केंद्र खरीद लेता है और फिर बेचता है। केंद्र की सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजर तनुजा बतलाती हैं कि सरिता, श्रीजा, और साइला मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए करपैय्या नामक एक प्रशिक्षक हैं, जो खुद अच्छे कारीगर भी हैं।

अम्ब्रोज ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। उनका मानना है कि सच्ची शिक्षा कौशल से ही हासिल हो सकती है। कुल मिलाकर, कहा जा सकता है कि इस केंद्र ने लुप्त होते शिल्प को पुनर्जीवित करके और हाशिये पर रहनेवाले समुदायों का समर्थन करके एक उम्मीद जगाई है। इससे यह भी सीखा जा सकता है कि जो उत्पाद लघु व कुटीर स्तर पर गांव-कस्बे में बन सकते हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बनाना चाहिए, तभी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

आंकड़े

वनावरण में वृद्धि

वर्ष 2019 से 2021 के बीच सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि दक्षिणी राज्यों में हुई। शीर्ष पांच राज्यों में तीन दक्षिण भारतीय हैं।

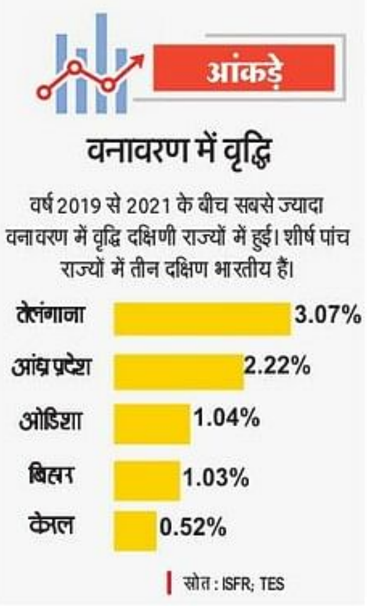

स्रोत : ISFR; TES

जब तक मनुष्य सदाचारी रहता है, तब तक उसका पूर्ण बल विद्यमान बना रहता है और जब वह कुपथ पर कदम धरता है, तो उसका आधा बल क्षीण हो जाता है।

जीत का रहस्य

अंतर्यात्रा
संकलित

देवों और असुरों में घोर युद्ध हो रहा था। राक्षसों के शस्त्र बल और युद्ध कौशल के सम्मुख देवता टिक ही नहीं पाते थे। वे हारकर जान बचाने के लिए भागे। सब मिलकर महर्षि दत्तात्रेय के पास पहुंचे और उन्हें अपनी विपत्ति की गाथा सुनाई।

महर्षि ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए पुनः लड़ने को कहा। फिर लड़ाई हुई, किंतु देवता फिर हार गए और फिर पहुंचे महर्षि दत्तात्रेय के पास। इस बार असुरों ने भी उनका पीछा किया। वे भी दत्तात्रेय के आश्रम में आ पहुंचे। असुरों ने दत्तात्रेय के आश्रम में बैठी हुई एक नवयौवना स्त्री को देखा।

बस, दानव लड़ना तो भूल गए और उस स्त्री पर मुग्ध हो गए। फिर उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। लक्ष्मी जी ही रूप बदलकर स्त्री के रूप में बैठी हुई थीं। दत्तात्रेय जी ने देवताओं से कहा, अब तुम सब तैयारी करके असुरों पर चढ़ाई करो। इस बार देवताओं ने विजय प्राप्त की।

महर्षि ने बताया-जब तक मनुष्य सदाचारी व संयमी रहता है, तब तक उसका पूर्ण बल विद्यमान बना रहता है और जब वह कुपथ पर कदम धरता है, तो उसका आधा बल क्षीण हो जाता है। नारी का अपहरण करने के चलते असुरों का आधा बल नष्ट हो गया था, इसलिए तुम सबकी विजय हुई।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 31 अगस्त, 1952

पाकिस्तान जाने वालों को आसानी से पासपोर्ट मिलेंगे

पाकिस्तान जाने वालों को आसानी से पासपोर्ट मिलेंगे

कलकत्ता, २८ अगस्त।

भारत के कानून मंत्री श्री० सी० बी० विश्वास ने आज पत्रकारों के एक सम्मेलन में बताया कि सरकार भारत व पाकिस्तान के बीच यात्रा करने वाले लोगों को पासपोर्ट देने में अति उदारता से काम लेगी। भारत सरकार को पूर्ण आशा है कि पाक सरकार भी इसी नीति पर चलेगी।

भारत के कानून मंत्री सीसी विश्वास ने बताया कि सरकार पाकिस्तान की यात्रा करने वालों को पासपोर्ट देने में अति उदारता से काम लेगी। भारत सरकार को उम्मीद है कि पाकिस्तान सरकार भी इसी नीति पर चलेगी।

तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से पहले

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी के कद को बढ़ाने के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की जाए।

पीएस वोहरा

अर्थव्यवस्था

इन दिनों हर जगह तकरीबन इस बात की ही चर्चा रहती है कि भारत बड़ी तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। पर इस बात के पीछे क्या आर्थिक तथ्य और साक्ष्य हैं? पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का तमगा भारत को 2022 में मिला, जब उसने अर्थव्यवस्था के जीडीपी के आकार में इंग्लैंड को पीछे छोड़ा। 2014 में भारत दसवें पायदान पर हुआ करता था। उस समय भारत का जीडीपी 18.6 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर था और भारत से आगे तब क्रमशः इटली (21.4 खरब डॉलर), ब्राजील (22.1 खरब डॉलर), इंग्लैंड (27.9 खरब डॉलर), फ्रांस (28.1 खरब डॉलर), जर्मनी (37 खरब डॉलर), जापान (52.1 खरब डॉलर), चीन (95.7 खरब डॉलर) तथा सबसे आगे अमेरिका (175.5 खरब डॉलर) थे।

इससे साबित होता है कि पिछले एक दशक में भारत के जीडीपी में तकरीबन दो गुना से अधिक की बढ़ोतरी

हुई है। यह अपने आप में आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस दौरान पूरे विश्व ने कोरोना महामारी के चलते लगभग दो वर्षों तक आर्थिक मंदी के दौर को देखा है और भारतीय अर्थव्यवस्था ने तो उस दौरान आजादी के बाद पहली दफा लगभग 25 फीसदी की नकारात्मक विकास दर को भी सहन किया था।

भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का पहली दफा उल्लेख अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने किया था। उसने भारत की लगातार चल रही छह और सात फीसदी की वार्षिक आर्थिक प्रगति दर को देखते हुए अनुमान लगाया कि वर्ष 2027 तक भारत का जीडीपी 50 खरब अमेरिकी डॉलर के स्तर से ऊपर निकल जाएगा। अभी भारत से आगे चल रहे जर्मनी और जापान तब क्रमश 49.5 खरब डॉलर और 50.8 खरब डॉलर के स्तर पर रहते हुए भारत से पीछे होंगे और तब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन इस हकीकत को भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि भारत आज भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बहुत पीछे है। अगर इंग्लैंड से ही तुलना की जाए, जिसे पीछे छोड़कर भारत पांचवीं अर्थव्यवस्था बना है, तो प्रति व्यक्ति आय में आज भी दोनों देशों में 20 गुना का अंतर है।

इसके अलावा, पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से वैश्विक रैंकिंग में भारत मात्र छह पायदान ही ऊपर आया है। वर्तमान समय में 189 देशों में से भारत प्रति व्यक्ति आय में 141वें स्थान पर है, जबकि 2013-14 में भारत 147वें स्थान पर था। इससे स्पष्ट है कि पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी लगभग आधी से ही अधिक हुई है, जबकि जीडीपी दोगुना से अधिक बढ़ा।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012 में भारत में तकरीबन एक करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार थे, जबकि 2022 में इनकी संख्या 2.29 करोड़ तक जा पहुंची थी, जिसके चलते बेरोजगारी की दर पिछले 10 वर्षों में 2.18 फीसदी से बढ़कर चार फीसदी पर पहुंच गई।

इसके अलावा, भारत का कृषि क्षेत्र बहुत पीछे हो चुका है। जीडीपी में उसके अंशदान को बढ़ाना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है, अन्यथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी बहुत आसानी से नहीं की जा सकती। 50 फीसदी जनसंख्या का रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहना ही इसका प्रमुख कारण है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र, जो रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, को बड़ी तेजी से मुख्यधारा में लाना होगा।

गौरतलब है कि पिछले तीन दशकों से भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की बागडोर सेवा क्षेत्र के कंधों पर है। उसने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी है, लेकिन आज भारत में तेजी से बढ़ती आर्थिक विषमता, जो गरीबी और अमीरी के बीच खाई का प्रतीक है, उसके पीछे भी बहुत हद तक सेवा क्षेत्र है, क्योंकि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अंशदान 50 फीसदी से अधिक है, परंतु रोजगार में इसका अंशदान 30 से 35 फीसदी के बीच में ही है।

इसलिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के कद को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में तेजी से बढ़ोतरी अगर एक मकसद के रूप में नहीं रहा, तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी भारत एक गरीब मुल्क के तौर पर ही अपनी पहचान रख पाएगा, जो एक कड़वा सच होगा।

edit@amarujala.com

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

उचित नहीं है टीकाकरण को सियासी मुद्दा बनाना

ब्रिटेन की एक अदालत में एस्ट्राजेनेका कंपनी की स्वीकारोक्ति के बाद कि उसकी कोरोना वैक्सीन के 'वेरी रेयर' साइड इफेक्ट हो सकते हैं, दुनियाभर में कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभावों के बारे में 'बेवजह की चिंता' शुरू हो गई है। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना टीके का फॉर्मूला विकसित किया था। इसी कंपनी के साथ मिलकर भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन का उत्पादन किया जो देश में कोविशील्ड के नाम से लगाया गया। भारत में चल रहे आम चुनाव के दौरान सामने आई एस्ट्राजेनेका की स्वीकारोक्ति ने राजनीतिक दलों को अनावश्यक बयानबाजी का मौका दे दिया है।

कोई नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है तो कोई विशेष जांच कराने की। एक अधिवक्ता ने तो कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगा दी है। टीकाकरण जैसे संवेदनशील मुद्दे को अवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके राजनीतिक इस्तेमाल को उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। यह भी सच है कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही सियासी नफा-नुकसान के हिसाब से टीकाकरण अभियान को भुनाते रहे हैं। यदि कोई दल टीके से बनी अनुकूल परिस्थिति का चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करेगा तो विपरीत स्थिति बनने पर नुकसान भी उसे ही उठाना होगा। सियासी दलों को इससे बाज आना चाहिए। ऐसा करना टीके से रोग के बचाव के प्रति भरोसे की हत्या करना है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की चिंता बेवजह इसलिए है कि चिकित्सक भी मानते हैं कि कोविशील्ड ही नहीं, किसी भी वैक्सीन के थोड़े-बहुत साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। दूसरा यह कि मेडिकल की भाषा में 'वेरी रेयर' शब्द का इस्तेमाल दुर्लभतम परिस्थितियों के लिए किया जाता है। यानी लाखों में कोई एक मामला। तीसरा यह कि न सिर्फ वैक्सीन बल्कि किसी भी दवा के लाभ-हानि को तुलनात्मक रूप से ही देखा जाना चाहिए। फायदा ज्यादा है या नुकसान? इस बात में कोई शक नहीं कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण की वजह से ही लाखों लोगों को बचाया जा सका। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में कोरोना का टीका आखिरी उम्मीद की तरह था।

किसी महामारी में उम्मीद का जिंदा रहना भी दवा से कम नहीं होता है। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में पहली बार भले ही स्वीकारा हो, लेकिन टीकाकरण के बाद खून में थक्के जमने के मामलों का सामने आना नया नहीं है। इसलिए इस मसले को हमारे वैज्ञानिकों के भरोसे ही छोड़ देना उचित होगा। हर मामले में साजिश की तलाश से समाज को कोई लाभ नहीं होने वाला।

41 से 50 वर्ष के 38 प्रत्याशी

उत्तरप्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में 100 में से 28 प्रत्याशियों की आयु 25 से 40 वर्ष है। 54 की आयु 41 से 60 वर्ष है। सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी 41 से 50 साल के बीच की आयु के हैं।

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

बरादोली लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम प्रत्याशी

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात में कुल 266 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 14-14 प्रत्याशी जामनगर और गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे कम 3 प्रत्याशी बरादोली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।

लोकसभा चुनाव 2024

पश्चिम बंगाल कांग्रेस व वामदल के बीच गठबंधन के बाद हमलावर हुई टीएमसी, भाजपा की राह मोदी की गारंटी पर टिकी

टीएमसी और वाम को वोट बैंक बिखरने का खतरा

बहरमपुर व मुर्शिदाबाद लोकसभा सीटों का चुनाव समीकरण एवं मिजाज लगभग एक जैसा ही है। बहरमपुर सीट पर हिन्दू बंगाली ज्यादा हैं, इसलिए यहां गैर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं। मुर्शिदाबाद सीट पर मुस्लिम बंगाली का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए यहां के अब तक मुस्लिम वर्ग के प्रत्याशी ही चुनाव जीतते रहे हैं। अब भाजपा इसमें सेंध लगाने की कोशिश में हैं। यहां एक ही चर्चा है कि इस बार के चुनाव में हमेशा की तरह स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या पीएम मोदी की गारंटी व केन्द्र सरकार के मुद्दों को लेकर जनता का रुख बदलेगा।

मुर्शिदाबाद से
कानाराम मुण्डियार

पश्चिम बंगाल राज्य के बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र का मिजाज देखने के बाद मैं पहुंच गया मुर्शिदाबाद। दोनों सीट मुर्शिदाबाद जिले में ही आती हैं। बहरमपुर शहर व मुर्शिदाबाद शहर के बीच कुछ किलोमीटर की दूरी है। दोनों लोकसभा क्षेत्रों का शहरी क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। यहां के लोगों का लोकल ट्रेन, ऑटो-टेम्पो, सिटी बस के जरिए दोनों शहरों के बीच आवागमन है।

मुर्शिदाबाद देश का वह जिला है, जहां से अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यापार की दृष्टि से भारत में प्रवेश किया था। प्लासी की लड़ाई में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। फिर यह कम्पनी कोलकाता शिफ्ट हो गई। मुर्शिदाबाद की सीमा बांग्लादेश से लगती है। घुसपैठ भी इधर के रास्ते से हो रही है। वोटबैंक की राजनीति के चलते राज्य सरकार का बाहर से आने वालों के प्रति नरम रवैया रहा है। यहां मादक पदार्थ की तस्करी के अलावा गोवंश तस्करी के मामले भी सामने आए हैं।

मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर अब तक के 17 चुनाव में 5 बार कांग्रेस, 8 बार वामदल सीपीआइ (एम) एवं 4 बार अन्य दल जीते। टीएमसी से गठबंधन टूटने पर कांग्रेस ने वामदल सीपीआइ (एम) से गठबंधन कर लिया। इंडिया गठबंधन से सीपीआइ (एम) ने मुर्शिदाबाद सीट से मोहम्मद सलीम को उतारा है। टीएमसी ने वर्तमान सांसद अबू ताहेर खान को ही टिकट दिया है। भाजपा ने मुर्शिदाबाद के अपने विधायक गौरीशंकर घोष को लोकसभा में प्रत्याशी बनाया है। इस लोकसभा सीट के अन्तर्गत 7 विधानसभा हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में छह पर टीएमसी तो एक पर भाजपा को कामयाबी मिली। जाहिर है ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी का प्रभाव है। टीएमसी के वोट बैंक में मुस्लिम बंगाली व हिन्दू बंगाली दोनों ही हैं। चुनावी माहौल के बीच टीएमसी को आंशका सता रही है कि कहीं वामदल उनके वोटबैंक में सेंध न लगा दें। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को उनके गढ़ बहरमपुर में घेरने के साथ मुर्शिदाबाद में भी किलेबंदी कर दी है। मुर्शिदाबाद की सीट हाथ से फिसले नहीं, इसकी पूरी तैयारी की गई है। यह वही सीपीआइ(एम) है, जिसने कई सालों तक पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई और राज किया। वर्ष 2011 के चुनाव में टीएमसी की जीत हुई और जनता उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब से बंगाल में टीएमसी की सरकार है। जाहिर है सीपीआइ (एम) से टीएमसी की पुरानी लड़ाई है। दोनों को एक दूसरे के वोटबैंक बिखेरने का खतरा सताता है। इस चुनाव में भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इस बार जैसे ही कांग्रेस ने सीपीआइ (एम) से गठबंधन किया, टीएमसी कांग्रेस पर भी हमलावर हो गई। अब हालत यह है कि यहां टीएमसी की लड़ाई भाजपा की बजाय वामदल व कांग्रेस से है। ज्ञात है कि टीएमसी ने जिले की सागरदिगी विधानसभा के उपचुनाव में जीते कांग्रेस के विधायक बॉयरोन बिश्वास को तोड़कर कर टीएमसी में शामिल कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था।

मुर्शिदाबाद में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आदि यहां आकर चुनावी सभा व रोड शो कर चुके हैं। बड़े ग्राउंड की व्यवस्था के अभाव में पीएम मोदी की सभा नहीं हो सकी है। कांग्रेस की तरफ से कमान प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ही संभाले हुए हैं। टीएमसी की तरफ से सीएम ममता बनर्जी कांग्रेसनीत इंडिया गठबंधन के वाम मोर्चा पर हमलावर हैं।

नाराजगी से बचने के लिए तीनों दलों के झंडे

कोई भी दल नाराज न हो, इसलिए कई बाजारों में तीनों दलों के झंडे लगे दिखाई दे रहे हैं। खासकर कई जगह दुकानों के बाहर टीएमसी, कांग्रेस-वामदल व भाजपा के झंडे एक साथ लगे हैं। तीनों प्रत्याशियों के बीच खींचतान चल रही है। इसलिए मतदाता अपना रूख स्पष्ट नहीं कर रहे। मुर्शिदाबाद-बहरामपुर रोड पर मिले देवाशीष चक्रवती बोले, हम लोग व्यापारी हैं, किसी को नाराज नहीं कर सकते। लालगोला से मुर्शिदाबाद के बीच यात्रियों से खचाखच भरी लोकल ट्रेन में हबीब खान ने बताया कि वो मुर्शिदाबाद में रहते हैं, लेकिन मजदूरी के लिए कोलकाता व अन्य शहरों तक जाते हैं। सीएम ममता दीदी ने कहा कि वोट नहीं दिया तो आधार कार्ड छीन लिया जाएगा। इसलिए चुनाव के दिन वोट देने जरूर आएंगे। नीट की तैयारी कर रहे छात्र राहुल बासु बोले, अब हम सरकार के भरोसे नहीं रहे। सरकार हमारे भरोसे हो गई है। विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत आदि के चुनाव होते रहते हैं, इसलिए नेता वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन दूरगामी सोच के साथ विकास नहीं करते। स्किल डवलपमेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा।

चुनाव में प्रत्याशी

सीपीआइ (एम): मोहम्मद सलीम

मजबूत पक्ष	कमजोर पक्ष
■ सीपीआइ (एम) का बड़ा चेहरा।	■ अधीर रंजन ही मोर्चा संभाले हैं।
■ कांग्रेस के साथ गठबंधन का फायदा।	■ टीएमसी के प्रभाव से वोटबैंक बिखरने का खतरा भी है
■ टीएमसी हमलावर होने से वोटर्स की सहानुभूति मिल सकती है।	■ हिन्दू बंगाली के वोट मिलने की कम उम्मीद।

एआईटीसी(टीएमसी): अबू ताहेर

मजबूत पक्ष	कमजोर पक्ष
■ टीमएसी से सांसद होने का अनुभव।	■ हिन्दू बंगाली व हिन्दू मतों के वोटों के ध्रुवीकरण की आशंका
■ सीएम ममता बनर्जी का सीट पर विशेष फोकस।	■ मुस्लिम वोट बंट सकते हैं
■ टीएमसी के प्रभाव से हिन्दू बंगाली वोट मिलेंगे।	■ वामदल की ओर से टीएमसी के वोटबैंक में सेंध का खतरा।

भाजपा: गौरीशंकर घोष

मजबूत पक्ष	कमजोर पक्ष
■ मोदी की गारंटी एवं सीएए जैसे मुद्दे पर फायदे की उम्मीद।	■ छह विधानसभा सीटों पर टीएमसी के विधायक है।
■ इंडिया गठबंधन व वामदल से टीएमसी की लड़ाई का लाभ-	■ सीएए का नकारात्मक असर
■ ध्रुवीकरण की उम्मीद।	■ कांग्रेसऔर वामदल गठबंधन से नुकसान की संभावना।

चुनावी चटकारा

हम भूल गए रे, हर बात....

दल बदलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के समर्थन में आए पुराने कार्यकर्ताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं कि कभी जिसके खिलाफ प्रचार करते थे, अब उनके लिए वोट मांगने का अनुभव कैसा रहा। यह बात याद है या नहीं कि अब आप जिनके साथ खड़े हैं, उन्होंने कभी आपके राजनीतिक गुरु को गालियां दी थीं, आरोप लगाए थे, उनको विवाद में घसीटा था। ऐसी चर्चाओं के बीच राजस्थान में भाजपा से कांग्रेस में आए एक नेता के लिए वोट मांगने वाले कुछ कार्यकर्ता यही कर रहे हैं कि पार्टी प्रत्याशी को देखकर हम भूल गए रे, हर बात..। वहीं मध्यप्रदेश में कांग्रेसियों में यह चर्चा भी है कि नेता कभी भी पाला बदल लेते हैं, ऐसे में किसी एक नेता से बंधकर नहीं रहना चाहिए। नेता बम फोड़ दे तो कुछ नहीं और कार्यकर्ता से जरा सी चूक हो जाए तो... नोटिस जारी हो जाते हैं। अब बम के लिए किसको नोटिस देगी पार्टी...।

राग सियासी

मसले असली गुम भये,
बस आभासी बात।
इंस्टा ट्विटर फेसबुक,
वर्कर की बारात।।
वर्कर की बारात,
पोस्ट पर लड़ते भिड़ते।
द्वार द्वार ना जात,
नेट पर सब दम भरते।।
दिखैं अजूबी चाल,
इलेक्शन हों कस अगले।
गुजरेंगे ज्यों साल,
हवा होंगे त्यों मसले।।

-राम नरेश गौतम

सामयिक: चीनी मंसूबों से यूएस भी चिंतित

सस्ते निर्यात से बाजार को पाटने की तैयारी

ब्रायन डीज
एमआइटी में इनोवेशन फेलो
द वाशिंगटन पोस्ट
से विशेष अनुबंध के तहत

जैसे-जैसे चीन की अर्थव्यवस्था ठहराव के दौर से गुजर रही है, वह अपने नीतिगत एजेंडे को अधिक दृढ़ता से दोगुना कर रहा है। उसका यह एजेंडा वैश्विक आर्थिक विकास और ऊर्जा दक्षता उपायों को अस्थिर करने वाला है। घरेलू मांग का समर्थन करने वाली नीतियों के बल पर चीन और अधिक टिकाऊ आर्थिक विकास कर सकता है पर उसने पिछले महीने अपनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस में घोषणा की कि वह उन्नत विनिर्माण में निवेश बढ़ाएगा, ताकि वह विदेशों में उत्पादों का निर्यात कर सके।

चीन की कंपनियां सरकारी समर्थन से स्टील, एल्युमीनियम और सौर पैनलों का उत्पादन कर रही हैं, जिससे वैश्विक बाजार में सस्ते निर्यात की बाढ़ आ गई है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की चीन की क्षमता वैश्विक मांग से चार गुना है। 2024 में उसका स्टील निर्यात 100 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। 2023 के मुकाबले यह 36 फीसदी अधिक है। वह मैन्युफैक्चरिंग को और भी बढ़ाना चाहता है। उसके फैसलों से बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार चीन में निर्मित सौर पैनल अमरीका में निर्मित सौर पैनलों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक उत्सर्जन करते हैं। सरकारी समर्थन और सब्सिडी से चीन सौर पैनल के लिए जरूरी घटकों का लगभग 95 फीसदी उत्पादन करने लगेगा। किसी एक देश को आवश्यक वस्तु के निर्माण पर एकाधिकार नहीं रखना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चार साल में चीन से सभी तरह के आयात को खत्म करने की वकालत की है। किसी प्रमुख अर्थव्यवस्था से अलग होना संभव नहीं है। यह कवायद अमरीका को अलग-थलग और कमजोर बना देगी। चीन के बाजार-विरोधी व्यवहार के संदर्भ में, अमरीका के लिए सही दृष्टिकोण यह है कि वह चीन को स्पष्ट संदेश देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाए। वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको ने अपने घरेलू उद्योगों को चीनी निर्यात से बचाने के लिए कदम उठाए हैं।

अर्थव्यवस्था: 'सुपर रिच' पर कर से होगा फायदा

संपत्ति कर से भर सकता है खजाना

अजीत रानाडे
लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं
(द बिलियन प्रेस)
@patrika.com

रियल एस्टेट पर कर से इसकी शुरुआत की जा सकती है। सोने के स्वामित्व पर कर लगाने जैसे कदम भविष्य के लिए छोड़े जा सकते हैं।

भारत में करों की संख्या कुछ कम है। ऐसा कई बार कहा जा चुका है। सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह बात सामने आई है और एक पूर्व प्रधानमंत्री संसद में भी इस ओर ध्यानाकर्षित कर चुके हैं। यहां बात जीडीपी अनुपात के मुकाबले कम टैक्स को लेकर हो रही है न कि कर दरों के बारे में। कर दरें काफी उच्च हैं। इसमें व्यक्तिगत इंकम टैक्स दर सर्वाधिक 42 प्रतिशत पर है और मध्य स्तरीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत पर है। जीएसटी ऐसा अप्रत्यक्ष कर है,जो हम सभी चुकाते हैं। अमीर या गरीब सब अपने-अपने उपभोग के अनुसार, जीएसटी अदा करते हैं। चूंकि यह करदाता की आय पर निर्भर नहीं करता। इसलिए यह सहज प्रतिगामी है। कोई अचरज नहीं कि कुल संग्रहित जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा आय वितरण के कमतर वाले आधे हिस्से से आता है, जो इसके अनुचित होने को रेखांकित करता है। हमें आय एवं उपभोग दोनों ही प्रकार के करों की आवश्यकता है, लेकिन जीएसटी दर और अधिक कम होनी चाहिए। साथ ही आयकर पर निर्भरता बढ़नी चाहिए। यह वृद्धिकारक होना चाहिए और इसकी दरें आय की स्लैब के अनुसार बढ़नी चाहिए।

दुर्भाग्यवश हम करों में इतनी छूट देते हैं कि सालाना 7 लाख रुपए की आय तक इनकम टैक्स शून्य है। यह देश की प्रति व्यक्ति आय का करीब चार गुना है। दूसरी तरफ अमरीकी 5000 डॉलर से भी कम आय पर आयकर देना शुरू कर देते हैं, जो उनकी प्रति व्यक्ति आय का केवल दसवां हिस्सा है।भारत को निश्चित रूप से अपना आयकर दायरा बढ़ाना होगा। आर्थिक सर्वे के अनुसार हमारे यहां प्रति 100 मतदाताओं पर केवल 7 आयकरदाता हैं। जीडीपी अनुपात के मुकाबले करों का कम होना ही असमानता बढ़ने का कारण है। 1922 से लेकर 2023 के बीच सौ साल की अवधि में आय एवं संपत्ति में सर्वाधिक असमानता देखी गई। भारत में गरीबो अनुपात में गिरावट जारी है लेकिन अब भो कई लोग गरीबी रेखा के बेहद करीब हैं। असमानता को कम करना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है। इसे देखते हुए भारत को और प्रयास करने चाहिए, आय कर दायरा बढ़ा कर और न्यूनतम जीएसटी एवं अन्य कर लागू कर ऐसा किया जा सकता है। मुख्यतः अवसरों की असमानता को कम करने के लिए प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के गुणवत्ता व मात्रात्मक स्तर को सुधारा जा सकता है। इन प्राथमिकताओं के लिए सरकारी बजट कम है। यानी हमें और कर संग्रह की आवश्यकता है। इस बिंदु पर संपत्ति कर की चर्चा करना महत्वपूर्ण है।

थॉमस पिकेटी का दावा है कि दुनिया के मात्र 200 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति पर लगाए गए मामूली कर से बड़ी राशि मिल जाएगी। इसी सिद्धांत को भारत में भी लागू किया जा सकता है। संपत्ति का अनुमान लगाना मुश्किल है, खास तौर पर रियल एस्टेट में। लोग कर अदायगी से बचते हैं। तो क्या कोई वाजिब तरीका है, जिससे संपत्ति पर कर लगाया जा सके। स्पेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में भी सम्पत्ति पर कर लागू है। नीदरलैंड में 'बॉक्स 3' नामक संपत्ति कर वसूला जाता है। इसके तहत बचत और निवेश पर कर लगाया जाता है। हमारे देश में भी अरबपतियों की संख्या कब नहीं है। इन पर अगर 0.1 प्रतिशत सालाना का मामूली कर लगा दिया जाए तो ये सम्पत्ति निर्माण या रोजगार सृजन और भारत में निवेश से पीछे नहीं हटेंगे। संपत्ति का एक ही जगह अधिक संग्रहण किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम चुनाव और प्रशासन पर धन के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। हमें आय में गिरावट और संपत्ति असमानता को दूर करने के उपाय खोजने होंगे। यह बढ़ती असमानता सामाजिक अस्थिरता, सामुदायिक निजता में वृद्धि और अपराध बढ़ने के खतरे की ओर ले जाती है। इसका नतीजा निवेशकों की बेरुखी के रूप में सामने आता है। भारत की स्थूल बचत स्टॉक, बॉन्ड, बीमा और बैंक जमाओं में होती है। बाकी रियल एस्टेट और सोने में होती है।

रियल एस्टेट संपत्ति का खुलासा केवल तब होता है जब उसके लेन-देन पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। डिजिटल युग में वित्तीय बचत का अच्छा डेटा एकत्र होने से ऐसा संभव हो सकता है कि हम कम से कम 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाएं, भले ही यह 0.1 प्रतिशत ही हो। फिलहाल रियल एस्टेट पर कर से इसकी शुरुआत की जा सकती है। सोने के स्वामित्व पर कर लगाने जैसे कदम भविष्य के लिए छोड़े जा सकते हैं।

कमल खिलावन

POLI नोक-झोंक

पंजा सिंह

सब कुछ बर्दाश्त है पर...

*(**इंदौर** का सर्राफा बाजार। शिकंजी खाने के बाद जलेबा लेने दो चिरप्रतिद्वंद्वी बढ़ चले हैं।)*

कमल खिलावन: *1 किलो जलेबा देना।*

पंजा सिंह: *डायबिटीज के मरीज हो। इतना मीठा मत खाओ।*

कमल खिलावन: *आज तो मीठा खाने का दिन है। क्यों न खाऊं।*

पंजा सिंह: *इतना भी महान दिन नहीं है।*

कमल खिलावन: *कांग्रेस के लिए तो है।*

पंजा सिंह: *लोकतंत्र मिटाने पर तुले हो तुम।*

कमल खिलावन: *खर्राटे लें आप। नानी के घर छुट्टियां मनाएं आप, चुनाव के वक्त वॉक पर निकल जाएं आप और इल्जाम हम पर?*

पंजा सिंह: *सूरत में जो किया, वो इंदौर में भी कर दिया, तो ये कौनसी बहादुरी है।*

कमल खिलावन: *370 का टारगेट था हमारा। अब 368 का ही प्रेशर है।*

पंजा सिंह: *प्रेशर बनाते हो, कैंडिडेट को जेल का डर दिखाते हो?*

कमल खिलावन: *ऐसा इमरजेंसी में होता था। सिर्फ डर ही नहीं दिखाया गया था, जेल में डाल दिया गया था। याद है कुछ।*

पंजा सिंह: *मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर वाले कुछ याद क्यों नहीं रखते। यहां खेला हो रहा था, किसी को होश ही नहीं था।*

कमल खिलावन: *सच बताओ, हमारे यहां जब खिचड़ी पकी, तुम्हें खुशबू तक नहीं आई।*

पंजा सिंह: *ना बाबा ना। मैं तो घर-घर प्रचार कर रहा था। पैम्फलेट बांट रहा था। तभी एक वोटर ने इंस्टाग्राम दिखाया।*

कमल खिलावन: *ऐसा क्या दिखा दिया तुम्हें इंस्टाग्राम में।*

पंजा सिंह: *बोले तुम्हारा बम तो फुस्स हो गया। कार में बैठे फोटो खिंचा रिया है। भिया, निकल लो यहां से, हो लिया चुनाव।*

कमल खिलावन: *हा हा हा.. भिया, एक किलो जलेबा और (जलेबी वाले से)*

पंजा सिंह: *तुम तो फिर भी तमीज से हंस रहे हो। वो वोटर परिवार मुझे देख कर हंसा। बोला, टॉप से नीचे तक सब ऐसे ही हो क्या!*

कमल खिलावन: *दिल छोटा न करो मेरे भाई। जलेबा खाओ।*

पंजा सिंह: *हमारा दिल छोटा ही रहने दो। तुम्हारा बहुत बड़ा है। सब को समा लेते हो।*

कमल खिलावन: *थैंक्स।*

पंजा सिंह: *हे...हे.., रवन्ना, प्रसन्ना को दिल में बसा रखा है।*

कमल खिलावन: *ऐं....*

पंजा सिंह: *क्यों, तुम्हारे छर्रे की बात हुई तो ऐं... अब तक हम पर बम फोड़ रहे थे। कर्नाटक में बहुत बम फोड़े हैं तुम्हारे गठबंधन ने।*

कमल खिलावन: *सच में। मुझे तो खुद लगा कि मिर्जापुर वैब सीरीज के कालीन भैया का परिवार लगता है।*

पंजा सिंह: *अरे वाह.. ये तो अच्छा एंगल दे दिया। आज रात प्राइम टाइम डिबेट में मैं यही बोलूंगा।*

(कमल खिलावन गुस्से में बचा हुआ जलेबा पंजा सिंह के सर पर दे मारता है। मुंह से सड़क पर चाशनी टपती है.. पेपर प्लेट सड़क पर। आसपास के लोग दोनों को गुस्से में घूरते हैं। ये इंदौर है भिया, यहां सब- कुछ बर्दाश्त है, गंदगी नहीं। सफाई करते रहते हैं तभी तो इंदौर क्लीनिंग में नंबर वन है।)

- सुप्रिया शर्मा

आज का सवाल

आरक्षण को लेकर बार-बार विवाद क्यों पैदा होता है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

दुष्प्रभाव को लेकर आशंका

एस्ट्राजेनेका कंपनी ने माना है कि उसकी बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों में थक्का बनने से शारीरिक समस्या पैदा होने की आशंका के चलते लोगों में चिंता है।

-अशोक कुमार शर्मा, जयपुर

खास चिंता की बात नहीं

कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने टीके से साइड इफेक्ट की बात स्वीकारी है, लेकिन कहा है कि ऐसा दुर्लभ मामलों में होता है। टीका लगाए काफी समय हो गया है। ऐसे में इससे चिंतित नहीं होना चाहिए।

-विजय शर्मा, इंदौर, मप्र

साइड इफेक्ट की चर्चा

कोरोना से बचाव के लिए बहुत कम समय में कोविशील्ड वैक्सीन ईजाद की गई थी। कंपनी ने अब इसके साइड इफेक्ट की बात स्वीकार की है। इस वजह से इस वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

-निर्मला देवी वशिष्ठ, राजगढ़, अलवर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं ?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

rb.gy/xycvgq

चिंतन

जीएसटी में अगले दौर के सुधार वक्त की जरूरत

अर्थव्यवस्था
सतीश सिंह

भारत में जारी आम चुनाव के दौरान रिकार्ड जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े ने सरकार को आर्थिक मोर्चे पर राहत दी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले माह अप्रैल में रिकार्ड 2.10 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन ने नए वित्त वर्ष की शानदार शुरूआत की है। सालाना आधार पर यह 12.4 फीसदी बढ़ोत्तरी है। इससे पहले सबसे अधिक कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये का था, जो संयोग से वित्त वर्ष 2023-24 के पहले माह अप्रैल में हुआ था। पिछले वर्ष की समान अवधि यानी अप्रैल 2023 की तुलना में ये 17.1 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले महीने मार्च 2024 में, जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा था। महीने-दर-महीने आधार पर कलेक्शन में 18 फीसदी का इजाफा है। सरकार ने 18 हजार करोड़ के रिफंड जारी किए। रिफंड के बाद, अप्रैल 2024 के लिए नेट जीएसटी राजस्व 1.92 लाख करोड़ रुपये रहा। यह अप्रैल, 2023 की तुलना में 15.5 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी के बीच घरेलू लेन-देन और आयात में मजबूत वृद्धि के दम पर जीएसटी संग्रह ने यह रिकार्ड बनाया है। समूचे वित्त वर्ष 2023-24 को देखें तो इस वर्ष जीएसटी कलेक्शन 20.18 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 20 लाख करोड़ रुपये रहा था। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तब से सालाना दर सालाना जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हो रही है। रिकार्ड जीएसटी कलेक्शन मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में व्यापक स्तर पर पारदर्शिता लेकर आई है। अभी जीएसटी के चार स्लैब हैं, 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी व 28 फीसदी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 2000 में जीएसटी पर अध्ययन के लिए एक समिति बनाई थी। उसमें एक टैक्स स्लैब की बात थी। जीएसटी पर राजनीतिक सहमति बनाने में 17 वर्ष लग गए। शुरू में इसे बहुत जटिल कर प्रणाली समझा गया, लेकिन इसमें सुधार होता गया, अभी यह अप्रत्यक्ष कर संग्रह का रिकार्ड बना रहा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में अभूतपूर्व वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में तेजी और टैक्स कलेक्शन में दक्षता के चलते हुई है। नए वित्त के पहले महीने में कई ऐसे संकेतक हैं, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती की ओर संकेत कर रहे हैं। लोगों ने एसी और शीतल पेय पर अधिक खर्च किया है। पेट्रोल की बिक्री में 12.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। एलपीजी की बिक्री सालाना आधार पर 12 फीसदी बढ़कर 24.5 लाख टन पहुंच गई है। बिजली की खपत 11 फीसदी बढ़ी है। थोक व खुदरा महंगाई दर नियंत्रण में हैं, हालांकि खाद्य महंगाई दर उच्च स्तर पर बनी हुई है। घरेलू और ग्लोबल वित्तीय व रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर सकारात्मक है। शेयर बाजार में सेंसेक्स व निफ्टी दोनों सूचकांक सर्वकालीन उच्च स्तर पर कारोबार किया है। सोने के भाव उच्च रहने के बावजूद भारत में सोने के आयात में वृद्धि हुई है। ये सभी दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। चुनावी वर्ष होने के चलते पूंजी बाजार में लिक्विडिटी बनी रहेगी। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक पारदर्शिता लेकर आई है, इसका सकारात्मक असर दिख रहा है। जीएसटी संग्रह में लगातार उछाल को देखते हुए अब सरकार को जीएसटी सुधार 2.0 की शुरूआत करनी चाहिए। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद जितनी जल्दी संभव हो, जीएसटी में अगले चरण का सुधार करना चाहिए। चार के बजाय तीन स्लैब किए जाने चाहिए। पेट्रो उत्पाद, एटीएफ, नेचुरल गैस आदि को जीएसटी के दायरे में लाने का साहसिक प्रयास होना चाहिए।

> फ्रीबिज (मुफ्त उपहार) या रेवड़ी संस्कृति की नीति से सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि आजकल राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए वोटरों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पेयजल, बेरोजगारों को मासिक भत्ता, लैपटॉप, स्मार्टफोन, साइकिल आदि देने का लालच देकर अपने पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं और सत्ता में आने के बाद वादों को पूरा करने के लिए सरकारी ख़जाने को खाली कर देते हैं, जिससे सरकार का वित्तीय अनुशासन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और फ्रीबिज पर पैसे खर्च किए जाने के कारण विकासात्मक कार्यों का धक्का लगता है। यदि फ्रीबिज ये लाभ नहीं होता तो उन्हें ऐसे लोक लुभावन वादों के झांसे में नहीं आना चाहिए।

फ्रीबिज पर रोक लगाने की जरूरत

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने फ्रीबिज (मुफ्त उपहार) या रेवड़ी संस्कृति की नीति से सरकार को बचने की सलाह दी है, क्योंकि आजकल राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए वोटरों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पेयजल, बेरोजगारों को मासिक भत्ता, लैपटॉप, स्मार्टफोन, साइकिल आदि देने का लालच देकर अपने पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं और सत्ता में आने के बाद वादों को पूरा करने के लिए सरकारी ख़जाने को खाली कर देते हैं, जिससे राज्य और केंद्र सरकार का वित्तीय अनुशासन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और फ्रीबिज पर पैसे खर्च किए जाने के कारण विकासात्मक कार्यों का धक्का लगता है अर्थात सड़क, स्कूल, अस्तपताल, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं।

फ्रीबिज के चक्कर में राज्य सरकारें राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) की सीमा का उल्लंघन करती हैं, जो राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। एफआरबीएम अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, कर राजस्व और कुल बकाया देनदारियां निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। अगर ऐसा करना जरूरी हो तो वह सिर्फ आपदा की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। सुब्बाराव का कहना है कि फ्रीबिज के कारण कुछ राज्य सरकारें एफआरबीएम की सीमा का उल्लंघन कर रही हैं, जिसके कारण राज्य सरकारें कर्ज के दलदल में फंसती जा रही हैं, इसलिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाकर रखना चाहिए। सुब्बाराव के अनुसार मोदी सरकार को फ्रीबिज को रोकने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मामले में श्वेत पत्र पेश करने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के बीच गहन और सारगर्भित बहस की जानी चाहिए और फ्रीबिज को रोकने के लिए ठोस नीति बनाकर जल्द अमल में लाना चाहिए। आम जनता को मुफ्त उपहारों की लागत और लाभ के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह इस बारे में लोगों को कैसे शिक्षित करती है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लोकसभा में श्वेत पत्र के माध्यम से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल की नाकामियों और मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा था, ताकि आम जनता यह तय कर सके कि कौन सी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान आम जनता, समाज और देश की बेहतरी के लिए शिद्दत से प्रयास किया है। आमतौर पर श्वेत पत्र के जरिये सरकार कानून पेश करने से पहले नीतिगत प्राथमिकताएं प्रस्तुत करती है और इसकी मदद से विवादास्पद नीतिगत मुद्दों पर जनता की राय ली जाती है। उल्लेखनीय है कि सुब्बाराव से पहले भी मामले में सर्वोच्च अदालत सरकार को फ्रीबीज को बंद करने के लिए नसीहत दे चुकी है।

सर्वोच्च अदालत ने बीते महीनों, केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या चुनाव अभियानों के दौरान फ्रीबिज के लिए वादा करना और सत्ता में आने के बाद उसे अमलीजामा पहनाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है?

फ्रीबिज से अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा कमजोर होता है और सरकार को अपनी व्यय प्राथमिकताओं में से विकास की प्राथमिकता से किनारा करना पड़ता है। राज्यों के राजस्व के स्रोत सीमित होते हैं, इसलिए राज्यों का बजट फ्रीबिज के कारण बेपटरी हो जाता है। आज कई राज्य सरकारें कर्ज में तय सीमा से अधिक डूबी हुई हैं। पंजाब ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 53.3 प्रतिशत कर्ज ले रखा है,जो कर्ज लेने वाले सभी राज्यों से सबसे ज्यादा है। केंद्रीय बैंक के अनुसार किसी भी राज्य पर उसकी जीएसडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक कर्ज नहीं होना चाहिए। पंजाब के अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल पर भी उनके जीएसडीपी से बहुत ज्यादा कर्ज है। फ्रीबिज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है, जिससे सही प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में नहीं जा पाते हैं। फलतः आम जनता, समाज और देश के लिए समीचीन कानून का निर्माण नहीं हो पाता है। यूरोप के कुछ देश फ्रीबिज संस्कृति की वजह से ही आज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान का भी इसी फ्रीबिज संस्कृति के कारण बुरा हाल है। बीते महीनों कर्नाटक में हजारों करोड़ रुपये चुनाव में किए वादों को पूरा करने में खर्च किए गए, जिसके कारण सरकार के एक मंत्री को कहना पड़ा कि सरकार के पास विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं। मामले में जन-कल्याणकारी योजनाओं और लोक-लुभावन योजनाओं के बीच के अंतर को पारिभाषित करने की जरूरत है। इस क्रम में सब्सिडी को फ्रीबिज नहीं माना जाना चाहिए। सब्सिडी किसी भी क्षेत्र विशेष में कम विकास की स्थिति को बेहतर करने के लिए दी जाती है। भारत में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। लिहाजा,उपेक्षित क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी देना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए घरों की छतों पर या दूसरी जगहों पर सौर पैनेल स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। यह नियम भी बनाना चाहिए कि बजट का कितना प्रतिशत जन-कल्याणकारी कार्यों पर खर्च किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन जन-कल्याणकारी योजनाओं पर पैसे खर्च किए गए हैं, क्या उससे आम जनता लाभान्वित हुई है? अगर किसी जन-कल्याणकारी योजना से आम जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है या उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है तो वैसी योजनाओं को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। आम जनता को भी आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि फ्रीबिज से उन्हें लाभ हो रहा है या नहीं, यदि नहीं, तो उन्हें ऐसे लोक लुभावन वादों के झांसे में नहीं आना चाहिए। लैपटॉप, स्मार्टफोन या साइकिल की ज्यादा उम्र नहीं होती है, लेकिन विकासात्मक कार्यों को लागू करने से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे।

सरकार को फ्रीबिज के अलावा कोरपोरेट्स को भी वैसी योजनाओं का लाभ देने से बचना चाहिए, जिनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के तौर विकास की गति को तेज करने के लिए या किसी क्षेत्र विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स को अक्सर कर और ब्याज दर में छूट दी जाती है, लेकिन अनेक कॉरपोरेट्स ऐसे लाभों का दुरुपयोग करते हैं, जिन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य है कि सरकार कोई भी खर्च करे तो उसका सकारात्मक योगदान देश और समाज के विकास को सुनिश्चित करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हो।

(लेखक बैंक अधिकारी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

दरकार
विवेक शुक्ला

प्रचार में फर्जी वीडियो जारी करने वालों पर लगाम लगे

लोकसभा चुनाव के कैंपेन ने अचानक गंभीर मोड़ ले लिया है। कैंपेन के दौरान आरोप-प्रत्यारोप तो लगते हैं। इसे कोई बुरा नहीं मानता, पर कोई दल चुनाव जीतने के लिए अपने विरोधियों के खिलाफ 'डीपफेक' प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो जारी करे यह तो सही नहीं माना जा सकता। ताजा मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह ही डीपफेक' प्रौद्योगिकी का शिकार हो गए हैं। अमित शाह ने बीती 25 अप्रैल को तेलंगाना के मेडक जिले के सिद्दीपेट में भाजपा की चुनावी रैली में भाषण दिया था। इस भाषण के वीडियो को कथित तौर पर छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। फैक्ट चेक में ये वीडियो एकदम फर्जी साबित हुआ है। इस फर्जी वीडियो में गृहमंत्री अमित शाह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को खत्म करने की घोषणा करते हुए कथित तौर पर नजर आ रहे हैं। अब जरा सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति देश में उपर्युक्त वर्गों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर सकता है? दरअसल अमित शाह के एक पुराने वीडियो को एडिट किया गया है, जिसमें वो मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे थे। इस ओरिजनल वीडियो में मुस्लिम की जगह एसटी और एसटी को जोड़ दिया गया है। हालांकि सवाल उठता है कि ऐसा कैसे संभव है कि फेक वीडियो बिल्कुल असली लग रहा है? जैसा कि मालूम है कि इन दिनों मार्केट में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल बढ़ गया है। इस तकनीक में किसी के बोलने के लहजे और उसकी आवाज को मशीन लर्निंग की मदद से कैप्चर किया जाता है। दरअसल नई प्रौद्योगिकी की मदद से किसी वीडियो में ऐसे व्यक्ति के चेहरे को फिट किया जाता है जो उस वीडियो का हिस्सा ही नहीं होता। इस तकनीक के माध्यम से छेड़छाड़ कर बनाए गए वीडियो में असली और नकली का अंतर बता पाना मुश्किल होता है। जिस भी नेता या सियासी दल ने अमित शाह को आरक्षण खत्म करने की घोषणा करते हुए दिखाने वाले फर्जी वीडियो बनवाए और जारी करवाए उसने समाज में वैमनस्य फैलाने का कितना गंभीर कृत्य किया है। जाहिर है कि गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस उन शरारती तत्वों पर एक्शन ले रही है जो इस मामले में फंसे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत राज्य कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। लग यही रहा है कि इस सारे मामले के तार बहुत दूर-दूर तक फैले हुए हैं। अहमदाबाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले असम पुलिस ने भी इसको लेकर एक शख्स को गिरफ्तार किया था। दरअसल अमित शाह के खिलाफ डीपफेक केस की शिकायत भाजपा की मुंबई इकाई के पदाधिकारी प्रतीक करपे ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एक बात समझ लें कि अगर डीपफेक या किसी अन्य तकनीक से अपने विरोधियों को बदनाम करने वालों पर कठोर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर हालात काबू से बाहर होने लगेंगे। समाज में विभिन्न वर्गों में प्रेम और सदभाव खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र की जान है स्वस्थ बहस और वाद- विवाद। इसमें ओछी हरकतों के लिए किसी को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। अमित शाह चूंकि भाजपा के शिखर नेता हैं और उनके साथ जो खेल किया गया है उसके बाद भाजपा के नेता कहने लगे हैं कि कुछ समय पहले तक विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ केवल मौखिक आरोप ही लगाता था, लेकिन अब कुछ दल और उनके नेता तकनीक का सहारा लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं को बदनाम करने की साजिश रचने में जुट गए हैं। आजकल चल रही लोकसभा चुनावों के कैंपेन में यह भी बहुत बड़े स्तर पर कहा जा रहा है कि भाजपा देश के संविधान को खत्म कर देगी। जरा सोचिए कि क्या बाबा साहेब अंबेडकर की सरपरस्ती में तैयार भारत के संविधान को कोई बदलाव कर सकता है? यह नामुमकिन है। सारा देश बाबा साहेब को अपना आदर्श मानता है और उनसे प्रेरणा पाता है, इसलिए यह आरोप नहीं लगने चाहिए कि अगर भाजपा तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आई तो उसका इरादा संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने का है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में दुनिया में तकनीकी विकास तेजी से हुआ है। फिलहाल सरकार को डीपफेक प्रौद्योगिकी का समाज को तार-तार करने वालों पर कठोर एक्शन लेना होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अहिंसा के प्रयोग

संकलित
दर्शन

हिंसा को किसी भी प्रकार से रोकना या इसके प्रभाव को कम करना, समाज का अनिवार्य कर्तव्य है। हिंसा अनेक तरह की हो सकती है। शारीरिक हिंसा के अतिरिक्त यह मानसिक, शाब्दिक या परोक्ष भी हो सकती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देना, जिससे भय एवं आतंक की छाया में जीवन हर समय आशंकित हो, अव्यवस्थित हो-अप्रत्यक्ष हिंसा है। इसलिए प्रत्येक हिंसा का शमन ही मानव के लिए हितकारी है। हिंसा किसी पशु या अमानुष का विषय हो सकती है, परंतु मानव का धर्म कतई नहीं हो सकती। अहिंसा परमो धर्मः, यही सत्य वचन है। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। अहिंसा सभी समस्याओं का हल है। लोगों के मन के भीतर प्रेम का बीज होता है, घृणा का फल नहीं। सावधानी से आदर्श व्यवहार का धैर्यपूर्वक पालन किया जाए तो विवाद की स्थिति नहीं आ सकती। किसी विवाद के उत्पन्न होने से शांति के लिए सदैव एक राह शेष रहती है, इस तथ्य को गांठ बांध लेना चाहिए। वार्ता से रास्ता निकलता है। संवेदनहीनता से मानवता का मार्ग अवरुद्ध होगा। आप भगवान को मानें या न मानें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे आपका महत्व अवश्य बढ़ेगा या घटेगा। इसी तरह प्रकृति के विषय में सार्थक सोच होना चाहिए। नैतिकता के पाठों में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा तो मानवता के लिए विष के समान है। अहिंसा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति शांति के सच्चे नायक हैं। जीवन में अहिंसा का मूल मंत्र सबसे उपयोगी तंत्र बन सकता है, व्यवस्था और जनता दोनों के हित में यही कारगर उपाय भी है।

तुलसीदास जी द्वारा ब्राह्मण को जीवन दान

संकलित
प्रेरणा

भक्तमाल में वर्णन है कि एक ब्राह्मण था, परंतु कुछ विद्वान बताते है कि वह ब्राह्मण नहीं, एक भुलई नाम का कलवार था जो भक्ति पथ और गोस्वामी जी की निन्दा किया करता था। उसकी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस ब्राह्मण की स्त्री ने उन्हें दूर से ही देखा तो फिर श्री चरणों में आकर इन्हें प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती होओ। उस स्त्री ने कहा कि मेरे पति का देहांत हो गया है और मैं सती होने के लिए श्मशान घाट पर जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोस्वामीजी ने कहा कि अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चूका है, यदि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग भगवान श्रीराम का भजन करें तो मै तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूँगा। यदि काल सत्य है, तो मेरे प्रभु काल के भी काल है, यह बात भी तो सत्य है। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुम्बियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सच्चे हृदय से श्रीराम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करे तो मेरे यह मृत पति जीवित हो जायेंगे। सभी ने गोस्वामीजी की बात को स्वीकार करते हुए श्रीराम नाम का संकीर्तन प्रारंभ किया। तब गोस्वामी जी ने उसे सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया। श्री राम की कृपा से उस ब्राह्मण को जीवन दान मिल गया और इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवद्भक्त हो गए।

गर्मी ने बढ़ाई प्यास

जम्मू के बाहरी इलाके में सीमा के पास एक गांव में गेहूं की फसल की कटाई के दौरान एक महिला किसान पानी पीता हुई।

आज की पाती

डरने की जरूरत नहीं है

वैश्विक महामारी कोरोना ने जब सारी दुनिया को दहशत में डाल दिया था, अमरीका, जर्मनी और अन्य बड़े बड़े देश भी इस महामारी से दहशत में आ गए थे और सारी दुनिया ने इससे बचने के लिए लॉकडाऊन लगा दिया था। उस दहशत भरे माहौल में दुनिया यह कह रही थी कि जल्दी से जल्दी इससे निपटने के लिए कोई दवा तैयार होनी चाहिए, इसके लिए लगभग सभी देशों ने प्रयास भी किए, बहुत से एक्सपेरिमेंट भी किए और वैज्ञानिकों ने इसका टीका तैयार कर लिया। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसकी कोव वैक्सीन तैयार की और इसे दुनिया के दूसरे देशों तक भी पहुंचाया गया। अब यह वैक्सीन फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह यह है कि एक ब्रिटिश नागरिक ने अपने यहां केस दर्ज करते हुए कहा है कि उसे इससे साइड इफेक्ट्स हुए हैं।

– *महेश काले, राजनांदगांव*

करंट अफेयर

जेल की चेतावनी, ट्रंप ने जज को कुटिल कहा

अदालत की अवमानना के मामले में दोषी ठहराए जाने और इस बारे में कुछ न कहने के 'गैग आदेश' का उल्लंघन करने पर जेल जाने की चेतावनी दिए जाने के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ रिश्वत मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को 'कुटिल' कहा। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर वयस्क फिल्मों की अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को, उन दोनों के कथित अवैध संबंधों के बारे में चुप्पी साधने के बदले 130,000 डॉलर की रिश्वत देने का तथा इस राशि के भुगतान को छिपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने मंगलवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को गैग आदेशों (विचाराधीन मामले में बयानबाजी करने की मनाही) के उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए उन पर नौ हजार डॉलर का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना चुप रहने के लिए धन देने के मामले में गवाहों, ज्यूरी और अन्य के संबंध में सार्वजनिक बयान देने से रोकने वाले 'गैग आदेश' का लगातार उल्लंघन करने पर लगाया गया। ट्रंप के 'ट्रुथ' सोशल मीडिया खाते और प्रचार वेबसाइट पर पोस्ट के लिए जुर्माना लगाते हुए न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन ने कहा था कि यदि ट्रम्प ने उनके आदेशों का उल्लंघन करना जारी रखा, तो वह जेल जाएंगे।

ऑफ बीट

बच्चों को दूध पिलाने के बाद क्या डकार दिलवाना जरूरी

माता-पिता को अक्सर अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद डकार दिलवाने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि दूध पिलाने के बाद डकार लेना, बच्चे के रोने की असुविधा को कम करने या रोकने के लिए, या दूध पिलाने के बाद बच्चे द्वारा दूध उगलने की आशंका को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सच है कि बच्चे, वयस्कों की तरह, खाते समय हवा निगलते हैं। डकार लेने से यह हवा हमारे पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से से बाहर निकलती है। इसलिए जब कोई बच्चा दूध पीने के बाद रोता है, तो कई लोग यह मान लेते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे को 'डकार दिलवाने' की ज़रूरत है। हालाँकि, यह आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। दूध पीने के बाद बच्चे क्यों रोते हैं या 'दूध गिराते' हैं? बच्चे कई कारणों से रोते हैं जिनका 'फँसी हुई हवा' से कोई लेना-देना नहीं है। वे तब रोते हैं जब वे भूखे, ठंडे, गर्म, डरे हुए, थके हुए, अकेले, परेशान होते हैं, उन्हें शांत होने के लिए बड़ों की मदद की ज़रूरत होती है, असुविधा या दर्द में, या कभी बिना किसी पहचाने जाने योग्य कारण के। वास्तव में, हमारे पास बिना किसी ज्ञात कारण के रोने का नाम है; इसे 'कॉलिक' कहा जाता है।

ट्रेंड

कांग्रेस को तीन चुनौतियां

कांग्रेस का शाही परिवार और उसके दरबारी मोदी पर चाहे जितना भी गुस्सा निकालें और गाली दें, लेकिन ये मोदी की गारंटी है। मेरी कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को तीन चुनौतियां हैं। हमने लव जिहाद और लैंड जिहाद सुना था। अब कांग्रेस गठबंधन ने वोट जिहाद का नारा दिया है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

निरंतर गतिमान रहें

बड़े लक्ष्य की संप्राप्ति छोटे-छोटे प्रयत्नों से होती है अत: निरंतर गतिमान रहें। आरंभ करना सदा ही कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा है। जैसे ही साधक बाधाओं से प्रभावित होकर श्रम बंद कर देता है उसी क्षण उसकी जीवन यात्रा संकुचित हो जाती है।

-अवधेशानंद, आध्यात्मिक गुरु

कम मतदान से चिंतित

आपके पत्र से पता चल रहा है कि आप चुनाव के पहले दो चरणों में कम मतदान से चिंतित हैं। यह दर्शाता है कि लोग आपकी नीतियों या आपके चुनावी भाषणों को लेकर उत्साहित नहीं हैं। दरअसल ऐसा गर्मी की वजह से नहीं हो रहा है, आपकी नीतियों से गरीब झुलस गए हैं।

-मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

पिक्चर रिलीज़ न होने दें

मोदी ने कहा "ये तो ट्रेलर है" जरा सोचिए अगर ये ट्रेलर है तो पिक्चर कितनी भयावह होगी? कृपया पिक्चर रिलीज़ होने से रोक दो भाइयों। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। विश्वविद्यालय हो या बीजेपी सरकारें आरक्षण में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक़ मारा।

-संजय सिंह, आप नेता

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://epaper.haribhoomi.com